# [redacted] विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 4 ] सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का दसवां दिवस [ संख्या : 7



सोमवार,

दिनांक 1 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

**(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)**

**सदन की कार्यवाही**

**पत्रकारों द्वारा विधान सभा का बहिष्कार**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न।

**श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि सदन की कार्यवाही प्रेस गैलेरी में आज एक भी प्रेस वाले नहीं बैठे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने कार्यवाही का बहिष्कार किया है। आपके यहां के प्रहरी, अधिकारी या यहां का जो प्रशासन है उसने एक बड़े पत्रकार को अपने यहां की लिफ्ट से नहीं आने दिया। मैं समझता हूं कि एक तरफ तो आप प्रेस की स्वतन्त्रता और प्रेस की सुविधाओं की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ पत्रकारों के साथ इस तरह वर्ताव किया जा रहा है....

**श्री अध्यक्ष** : यह मेरी जानकारी में नहीं है। अभी जानकारी करके इसकी व्यवस्था करा देंगे।

(व्यवधान)

**श्री गोपाल पचेरवाल** : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। प्रश्नकाल में कोई वादविवाद नहीं होता है।

**श्री गोपाल पचेरवाल** : पत्रकारों का अपमान किया गया है, उनको लिफ्ट से नहीं आने दिया। एक पत्रकार को हार्ट ट्रबल है लेकिन उनको लिफ्ट से नहीं आने दिया....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों का यहां पर अपमान हो रहा है, उनको नहीं आने दे रहे हैं....

**श्री अध्यक्ष** : मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

मैंने स्वीकार किया है कि कोई अव्यवस्था हुई है, कोई गलती हुई है तो उसको ठीक कर देंगे। अभी ठीक करा लेते हैं।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : गलती क्या हुई है, इसकी जानकारी सदन को दी जावे।

**श्री अध्यक्ष** : हम किसी को जानकारी नहीं देते।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : पत्रकारों का अपमान किया गया है, उनको आने नहीं दिया गया है, इसके बारे में बतायें तो सही कि क्या गलती हुई है....

**श्री अध्यक्ष** : विधान सभा की घटनाओं के बारे में कोई जानकारी यहां नहीं दी जाती है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आपने व्यवस्था दे दी लेकिन जानकारी करके तो बतायें कि क्या गलती हुई है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

**श्री गोपाल पचेरवाल** : अध्यक्ष महोदय, यह पत्रकारों का अपमान है....

**श्री अध्यक्ष** : मैंने कहा कि विधान सभा का मामला है, विधान सभा की व्यवस्था से इसका सम्बन्ध है। अगर कहीं गलती हुई है तो उसको ठीक कर दिया जाएगा....

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : यहां जानकारी तो दें कि क्या गलती हुई है।

**श्री अध्यक्ष** : यहां नहीं, बाद में आपको बता देंगे [redacted] मैं चैम्बर में आपक[redacted]

**श्री दाऊदयाल** [redacted] दय, यह प्रेस का मामला है, [redacted] का अंग है....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैंने आपकी बात समझ ली। अब यहां चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : अगर सदन में नहीं बतायेंगे तो यहां क्या घटना हुई इसका जनता को कैसे पता लगेगा।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : अध्यक्ष महोदय, बिना प्रेस के हमारी आवाज को जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष** : आपकी आवाज जनता तक पहुंच जाएगी।

(व्यवधान)

**सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रेस की स्वतन्त्रता पर कुठाराघात है....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : सदन की कार्यवाही चले उसके पहले प्रेस को आना चाहिए।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इस पर भाषण नहीं होंगे।

**श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : हमारी आवाज जनता तक पहुंचे इसलिए जरूरी है कि पत्रकार यहां पर हों....

**श्री अध्यक्ष** : आम जनता तक आपकी आवाज पहुंच जाय, इसकी व्यवस्था की जाएगी।

**श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, अभी चेयर पर उपाध्यक्ष महोदय विराज जाये और आप चेम्बर में जाकर जो उनकी दिक्कत है, जो उनका अपमान हुआ है उसके बारे में उनसे बात करें और उसके बाद हाउस को बता दें।

**श्री अध्यक्ष** : आपका सुझाव मान लिया मैंने।

**श्री भगवानदास शास्त्री** : सदन और जनता के बीच प्रेस एक कड़ी है, उनका अपमान हुआ है तो आप उनको बुला कर बात करें।

**श्री अध्यक्ष** : आपका सुझाव मान लिया है।

(व्यवधान)

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : सदन में जानकारी दें।

**श्री अध्यक्ष** : विधान सभा की व्यवस्था के बारे में सदन में जानकारी नहीं दी जाएगी। कोई गलती हुई है तो वह दुरुस्त कर दी जाएगी।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : गलती क्या हुई है ? इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि गलती कहां हुई है, क्या हुई है....

**श्री हंसराज शर्मा** : पत्रकारों को हर प्रकार की जानकारी दी जाती है। यह पत्रकारों का मामला है इसलिए मैं निवेदन करूंगा....

**श्री खेतसिंह राठौड़** (मुख्य सचेतक) : इसके बारे में व्यवस्था हो जाएगी....

(व्यवधान)

**श्री गोपाल पचेरवाल** : उनको बुलाया जावे।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों को बुलाया जावे। उनके बिना सदन नहीं चल सकता।

**श्री अध्यक्ष** : सदन की कार्यवाही चलाने के लिए बीस सदस्य उपस्थित होने चाहिए। उसके बाद में नियमानुसार सदन चल सकता है।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : परसों, श्रीमान्, हमने देखा कि पत्रकारों ने बड़े बड़े बैज लगा रखे थे जिन पर लिखा हुआ था "मैं पत्रकार हूं, मुझे तंग नहीं करें।" इसका मतलब है कि उनके साथ यहां पर दुर्व्यवहार होता है....

**श्री अध्यक्ष** : मैं मालूम करूंगा।

**श्री नाथूसिंह** : आप जानकारी करें पहले, उनको बुलायें, उनसे आग्रह करें,....

(व्यवधान)

(4)



**श्री दाऊदयाल जोशी** : पत्रकारों का क्या अपमान हुआ है, इसकी जानकारी दी जावे। जो दुर्घटना हुई है उसकी सदन में भी जानकारी दी जावे।

**श्री नाथूसिंह** : पत्रकार यहां पर बैज लगाकर आते हैं कि हमको तंग नहीं करो, इसका मतलब क्या हुआ....

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, आप इनका हौसला देखिये। क्या × × × बना रखा है....

**श्री अध्यक्ष** : × × × शब्द को एक्सपंज किया जावे। श्री अमीन खां।

**श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : सदन की कार्यवाही चले उससे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या व्यवस्था हुई है।....

(व्यवधान)

**श्री भगवानदास शास्त्री** : प्रजातंत्र की नींव पत्रकार हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि वे बार बार बहिर्गमन करते रहें....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आज प्रेस गैलेरी में पत्रकार नहीं है। दर्शक दीर्घा में केवल प्रहरी मात्र बैठे हुए हैं। इस तरह से सदन की गरिमा डे बाई डे गिरती जा रही है। मैं करबद्ध निवेदन करूं, कृपा करके आज के....

**श्री खेतसिंह राठौड़** : प्रश्नकाल का समय क्यों खराब करते हो ?

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : पत्रकार आखिर बायकाट कर जायं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : राजस्थान विधान सभा की दर्शक दीर्घाएं, पत्रकार दीर्घाएं भरी हुई नहीं हैं, खाली पड़ी हुई हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : पत्रकार सदन का अंग हैं। उनके अभाव में सदन नहीं चल सकता है।

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण कीजिये।

कोई भी प्रश्न जिसका सम्बन्ध विधान सभा के सचिवालय के प्रबन्ध से है उसकी चर्चा यहां नहीं की जा सकती है। मैंने आपको पूर्व में निवेदन कर दिया है, यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई है या गलती हो गई है या ऐसी कोई बात हो गई है तो उसकी जानकारी लेकर सब कार्यवाही ठीक कर दी जायगी। इसके बाद चर्चा नहीं होनी चाहिये।

माननीय सदस्य कहते हैं कि दर्शक दीर्घाओं में दर्शक नहीं हैं, पत्रकार दीर्घा में

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)
पत्रकार नहीं हैं। वह आयें, उन सबका स्वागत है। आना चाहिये, देखना चाहिए। लेकिन यह कहीं भी नहीं है कि दर्शक दीर्घा या कोई दीर्घा खाली है तो उसके अभाव में विधान सभा नहीं चल सकती है, ऐसा नियमों में नहीं है।

विधिवत विधान सभा उस स्थिति में चल सकती है जब सदन में कोरम हो। कोई अधिकृत व्यक्ति अध्यक्षता करने को तैयार हो तो विधान सभा की कार्यवाही शुरू हो जाती है।

यदि पत्रकार बन्धुओं को कोई शिकायत है तो हम उसको तत्काल देख लेंगे। ऐसी व्यवस्था की जायगी कि वह सब उपस्थित रहें और आम जनता को उनके माध्यम से जानकारी जैसे सदैव मिलती रही है वैसे मिलती रहे। कुछ थोड़ा धैर्य बरतिये।

विधान सभा का जहां तक कार्य करने का प्रश्न है, उसके सचिवालय का प्रश्न मुझ पर छोड़ दें। नियमों के अन्दर यह चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता है। इतनी पाबन्दी आपको अपने ऊपर लगानी है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैंने कहा, देख लेंगे।

हमारी जो कार्यवाही है वह सदन के सामने नहीं रखी जाती है लेकिन सदन में उसका प्रभाव तुरन्त मालूम हो जाता है, यह मैं मान कर चलता हूं। हम सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। माननीय सदस्यों के बहुत से विवाद होते हैं उनको निपटाना पड़ता है, इसलिये चर्चा का विषय यह नहीं हो सकता है। जो सुझाव दिया है मैंने ध्यानपूर्वक सुन लिया है, उसके अनुसार व्यवस्था की जा रही है।

(व्यवधान)

इस सम्बन्ध में चर्चा करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मेरे से बात कर लीजिये। कोई शिकायत नहीं रहेगी, जैसे कि पूर्व में नहीं रही, उस तरह का बन्दोबस्त करने का प्रयत्न करेंगे। मुझे भी कोई एतराज नहीं है।

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

श्री अमीन खां।

**मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु मालिकों को घास का वितरण**

156. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डेजर्ट डवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा घास एकत्रित कर अकाल के समय लागत मूल्य पर पशु पालकों को वितरित किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि पुराने घास पर प्रति क्विन्टल लागत चालू वर्ष में एकत्रित घास से अधिक आई है ? यदि हां, तो पुरानी घास पशु मालिकों को क्यों वितरित की जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में जैसे जैसे घास कटायी जा रही है वैसे वितरित की जावेगी ताकि उस पर कोई अतिरिक्त व्यय न हो ?

**राज्य मंत्री, वन** (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर) : (1) जी हां ।

(2) जी नहीं । नये एकत्रित घास को फिलहाल रिजर्व रखने के निर्देश हैं ।

(3) गत वर्षों के खाने योग्य घास के स्टॉक का पहले विक्रय किया जा रहा है ।

**श्री अमीन खां** : अध्यक्ष महोदय, पुरानी घास की कराइयां बनायी जाती हैं । आप स्वयं जानते हैं कि घास को एकत्रित करके कराई बनायी जाती है तो कम से कम एक क्विन्टल पर तीन रुपये ज्यादा खर्च आता है । यह विभाग को अच्छी तरह से मालूम है । मेरा प्रश्न यह है कि जब बाड़मेर और जैसलमेर के पशुपालकों की घास की डिमाण्ड है और वह घास खरीदते हैं तो जो घास की कटाई हो रही है, उसकी कराई न बनाकर सीधे पशुपालकों को वितरित क्यों नहीं की जाती है? इससे घास सस्ती भी मिलेगी ।

**सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

एक विषय अभी चल रहा था, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगी ।

अध्यक्ष महोदय, सैक्रेटरी महोदय जाकर कह दें कि जो कुछ हुआ गलतफहमी थी । आइन्दा के लिये जाने के लिये अलाउ कर दें ।

**श्री अध्यक्ष** : यह कह दिया ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, आदेश दिये गये....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं चैम्बर में जाकर मालूम कर लूंगा ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पधार जायें, उपाध्यक्ष महोदय विराज जायेंगे ।

**श्री अध्यक्ष** : मैं प्रश्नकाल में बैठा हूं ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनकी इन्सल्ट हुई है, वह वाक आउट करके चले गये । सैक्रेटरी साहब जाकर कह दें । बात कर लें ।

**श्री अध्यक्ष** : वर्तमान में कुछ नहीं हो सकता है । मैं जितना कर सकता था, कर दिया ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : इस बात के लिये सदन का ध्यान आकर्षित किया था ।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर । कोई....

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : कोई व्यवस्था करा दीजिये ।

राज्य मन्त्री, परिवहन (**श्री जयकृष्ण शर्मा**) : आपका भाषण ठीक छपेगा । चिन्ता मत कीजिये ।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : यह गरिमा का विषय है ।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : यह भी गरिमा

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
का विषय है। विधान सभा की गरिमा को आप समझ नहीं रहे हैं।

जब अध्यक्ष महोदय ने आपको आश्वासन दे दिया कि मैं शीघ्र ही जाकर वार्तालाप करके ठीक कर रहा हूं तो आप इतना क्यों कर रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय के आश्वासन के बाद भी....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है, हाउस की गरिमा का सवाल है।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

**श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : सरकार के पास....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : छिपाते हैं।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : छिपाते नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं प्रश्नकाल में अन्य प्रश्नों को उठाने की इजाजत नहीं दूंगा।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : जयकृष्ण जी ने क्या जवाब दिया, प्रेस नहीं होगा तो भी हाउस चलेगा।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : मैंने कहा हाउस की गरिमा होती है। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दे दिया। मैंने यह बात आपको कही है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप सदन का अपमान कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही के लिये मैंने निवेदन किया, कोरम सदन का हो जाता है और कोई अधिकृत व्यक्ति अध्यक्षता करने को तैयार हो जाता है तो सदन चल सकता है।

**श्री मेघराज तावड़** : कोई-भी सरकार नहीं चल सकती है।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया मुझे बाध्य न करें। अब अति हो गयी। माननीय सदस्य, कृपया बाध्य न करें। श्री अमीन खां।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों को बताइये, अपने आचरण को ठीक करें।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को ताड़ना दें।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : बीच बीच में ××× हैं, समझते नहीं हैं।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : समझ का ठेका आपने ले रखा है।

**श्री मेघराज तावड़** : आपकी करतूतें छिपी नहीं रह सकती हैं।

---

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

# Page No 8

(8)



(व्यवधान)

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर :** डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम की पहले से स्कीम बनी हुई है उसके अन्दर प्रावधान पहले से दिया हुआ है। उसके अन्तर्गत घास रिजर्व रखी जायेगी बशर्ते कि कोई अकाल वगैरह का संकट न हो। इस दृष्टि से फोडर बैंक की योजना बनाई गई है। जहां तक माननीय सदस्य ने निवेदन किया है, अभी हमारे पास 1,20,581.58 क्विं. घास पुरानी उपलब्ध है। अगर नई घास की बिक्री करने लग जायेंगे तो यह घास सारी नष्ट हो जायेगी इसलिये अभी यह संभव नहीं है कि नई घास की सप्लाई की जाय।

**श्री अमीन खां :** अध्यक्ष महोदय, यह पुरानी घास पशुओं के चराने के लायक भी नहीं है। इस पर तीन रुपये प्रति क्विं. महंगी भी सरकार इसको बेच रही है। क्या आपको इससे संतोष है ?

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** केवल जो चराने लायक घास है उसकी ही बिक्री की जा रही है।

**श्री अमीन खां :** नई घास की तो सीधी कटाई होती है जिससे पशु पालकों को खर्च कम आता है। फिर 3 रु. ज्यादा खर्चा सरकार क्यों वहन कर रही है ? जब पशुओं के स्वास्थ्य के लिये ताजी घास मिल रही है तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं।

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर :** माननीय सदस्य, फोडर बैंक की योजना है उसको माननीय सदस्य, मेरे ख्याल से, अच्छी तरह से अनुभव नहीं कर पाये हैं।

**श्री अध्यक्ष :** अनुभव कर रहे हैं।

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर :** फोडर बैंक इसलिये बनाया गया था कि अकाल पड़े तो चारा उपलब्ध कराया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इस नीति के अनुसार इस योजना के तहत तीन साल तक चारे को सुरक्षित रखा जाता है। तीन साल के बाद भी चौथे साल से बेचने का क्रम शुरू किया जाता है। अगर अकाल पड़ता है तीन साल से पहले जैसा कि आपका कहना है, अभी जो घास कट रही है उसको क्यों नहीं दिया जाता जब कि उसमें तीन रुपये ज्यादा भी लगते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार एक रुपया मान कर चलते हैं। उसके अनुसार अभी जो वर्तमान घास है उसको काटा जा रहा है, उसे अगर अभी से विक्रय के लिये उपलब्ध करा देते है तो जो 1,20,581.58 क्वि. चारा रिजर्व में पड़ा हुआ है वह बेकार चला जायेगा। यह मैं आपको इत्मिनान दिलाता हूं कि अगर कोई ऐसा चारा है जो खाने के योग्य नहीं है तो उसको नहीं बेचा जायेगा।

**श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : अकाल पड़ा हुआ है, घास नहीं है, फिर उसको पुराना करके बेचने से क्या मतलब है, अध्यक्ष महोदय ?

**श्री अध्यक्ष :** इसका उत्तर दे दिया है। श्री महेन्द्रसिंह।

**श्री महेन्द्रसिंह :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बतायें कि गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ में कितना चारा पड़ा है ?

**श्री अध्यक्ष :** यह अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न। श्री हीरालाल आर्य।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : प्रश्न सं. 157। अध्यक्ष महोदय, मुझे अधिकृत किया है।

**श्री अध्यक्ष** : आप गलत सूचना कैसे दे रहे हैं कि आपको अधिकृत किया है ?

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर :** मैंने लिख कर दिया है साहब।

**श्री अध्यक्ष** : पूछिये।

**राज मार्ग नं. 19**

157. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : [श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) की अनुपस्थिति में] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य राज मार्ग नं. 19 कौन सा है तथा यह किन-किन प्रमुख कस्बों को जोड़ता है ? वर्तमान में इसकी क्या हालत है ?

(2) क्या सरकार उक्त मार्ग को शीघ्र विकसित करने का विचार रखती है ?

**राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री चेतराम मीणा) (1) राज्य राज मार्ग नं. 19 इन्द्रगढ़ से दूबालिया (राजस्थान) मध्यप्रदेश की सीमा तक जाता है। यह मार्ग राज्य के इन्द्रगढ़, इटावा, मांगरोल, बारां, खानपुर, झालावाड़, पाटन, भवानीमण्डी तथा डग प्रमुख कस्बों को जोड़ता है। इस सड़क की हालत केवल इन्द्रगढ़ से इटावा के बीच कुछ हिस्से में तथा मध्यप्रदेश की सीमा के पास 8 कि. मी. को छोड़ कर सही है।

(2) उक्त मार्ग को विकसित करने हेतु राज्य सरकार ने सन् 1975 में 5,78,479) रुपये खर्च कर पंच पहाड़ के पास एक माइनर ब्रिज तथा 4 कलवर्ट्स का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त 1978 में की गई स्वीकृति के अन्तर्गत 43·89 लाख रुपये खर्च कर 43 किलोमीटर में नवीनीकरण तथा डामर का कार्य एवं 22 कलवर्ट्स तथा पंचपहाड़ के पास एक माइनर ब्रिज के कार्य करवाये हैं।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, यह 8 कि. मी. सड़क के बारे में आप क्या कह रहे हैं ? जिसमें दो दो फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं उनके विषय में क्या कह रहे हैं ?

**श्री चेतराम मीणा** : इस 8 कि. मी. सड़क पर कार्य चालू है और जून, 82 तक इस पर डामर कर दिया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

**राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन।**

158. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थानी भाषा में फिल्म बनाने वाले निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की योजना है ताकि राजस्थानी भाषा में अधिक फिल्म बन सकें ?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की है कि राजस्थानी

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)
भाषा में बनने वाली सभी फिल्मों को राज्य सरकार द्वारा कर मुक्त कर दिया जावेगा ?

**राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग** (श्री चेतराम मीणा) : (1) जी नहीं। इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राजस्थानी भाषा की मानप्रकाश में जो सुपात्तर बीनणी फिल्म चल रही है क्या उस पर सरकार टैक्स माफ करने का विचार रखती है ?

**श्री चेतराम मीणा** : इस पूरक प्रश्न का संबंध कर विभाग से है।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : राजस्थानी भाषा में पहली बार चल-चित्र चल रहा है। इसके अलावा क्या राजस्थानी भाषा में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिये टैक्स माफ करने का सरकार विचार रखती है ?

**श्री चेतराम मीणा** : इसका संबंध कर विभाग से है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : प्रोत्साहन देना चाहते हैं या नहीं ?

**श्री चेतराम मीणा** : इस फिल्म को प्रोत्साहन देने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण का संबंध है उसके बारे में श्री ताराचन्द बड़जात्या और श्री बी. एन. माथुर, जोधपुर की तरफ से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें उन्होंने सुझाव दिया था कि राजस्थान सरकार प्रोत्साहन दे, मनोरंजन कर से छूट दी जाय और निर्माण पर अनुदान दिया जाय। यह भी मांग की थी कि फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिये जयपुर में फिल्म स्टूडियो एवं लेबोरेटरी बनाई जाय। इस बारे में सरकार विचार कर रही है। दूसरी राज्य सरकारों से भी पूछा गया है कि वहां पर क्या क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं। वहां से सूचना आने पर सरकार इस पर विचार करेगी। उन्होंने मांग की थी, एक स्टूडियो एवं लेबोरेटरी बनायी जाये। इसके लिये आमेर के पास होदी रामसागर के स्थान को फिल्म नगर के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार 7 फिल्मों को कर मुक्त किया गया था....

**श्री अध्यक्ष** : अलग से प्रश्न है।

स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि देश की विभिन्न भाषाओं में चलने वाले चलचित्रों की संख्या अधिक है चाहे वह गुजराती हो, मराठी हो परन्तु पहली बार सब से पहली बार....

**वित्त मंत्री** (श्री चन्दनमल बैद) : इससे पहले भी बन चुकी है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कारण से राज्य सरकार की नीति क्या है ? ऐसी

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
फिल्में राजस्थान में अधिक से अधिक बनें ताकि राजस्थानी का प्रचार हो, इसके बारे में क्या राज्य सरकार कुछ विचार रखती है ?

**श्री चेतराम मीणा** : पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सरकार के विचाराधीन है ।

**श्रीमती विद्या पाठक** : मैं यह पूछना चाहूंगी कि पिछले तीन साल में इस विषय पर विचार सरकार ने क्यों नहीं किया ? अब इतने वर्षों के बाद विचार किया जा रहा है ।....

**श्री चेतराम मीणा** : अध्यक्ष महोदय, फिल्म निर्माताओं ने सरकार को लिखा है, एप्रोच किया है तब ही सरकार इस पर विचार कर रही है ।....

**श्रीमती विद्या पाठक** : मंत्रीगण बाहर जाते हैं और प्रवासी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहां राज्य में इन्डस्ट्रीज लगाइये । दूसरे डिपार्टमेन्ट इसकी पब्लिसिटी करते हैं । यह तो पब्लिसिटी व कल्चरल इन्टीग्रेशन का बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है । इस पर शुरू से विचार किया जाना चाहिये था । आपके राजस्थान के प्रोड्यूसर दूसरी भाषाओं में फिल्म बनाते जा रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है ? क्या हमारी स्टेट के लिये यह शर्म का विषय नहीं है कि हमारे प्रोड्यूसर दूसरी भाषाओं में फिल्म बनावें और हम एप्लीकेशन आने पर विचार करें ?

**श्री चेतराम मीणा** : यह अलग से प्रश्न है । सरकार का कोई प्रोड्यूसर नहीं है ।

**श्रीमती विद्या पाठक** : सरकार के कोई प्रोड्यूसर नहीं हुआ करते, माननीय मंत्री जी, पर सरकार अपनी ओर से प्रोत्साहन देकर पहल कर सकती है ।

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न । श्री गोपाल पचेरवाल ।

**अटेम्प्ट टू मर्डर के अभियोग के संदर्भ में पुलिस अधिकारी, श्री बर्नी के विरुद्ध सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही**

159. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पुलिस अधिकारी श्री नरेन्द्र बहादुर बर्नी के खिलाफ सन् 1979 में थाना अशोक नगर, जयपुर में अटेम्प्ट टू मर्डर के अभियोग में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई थी और जयपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री धनराज गुप्ता की अदालत के आदेश पत्र क्रमांक 277 दिनांक 21 सितम्बर, 1981 से श्री बर्नी को 15 दिन के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,148,149,452 व 307 के मुकदमे संख्या 11/79 के अन्तर्गत न्यायिक हिरासत में भेजा गया था ? यदि हां तो उन्हें कब तक के लिये हिरासत में भेजा गया था ? क्या राजस्थान सेवा नियमों व राजस्थान पुलिस सेवा नियमों के अन्तर्गत श्री बर्नी को निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो कब से कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह)** : जी हां । श्री नरेन्द्र बहादुर बर्नी के विरुद्ध मकान खाली कराने के झगड़े को लेकर थाना अशोक नगर में अभियोग संख्या 271 दिनांक 28.8.79

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

को धारा 147,148,149,452,307 भा. द. सं. में दर्ज हुआ था। श्री नरेन्द्र बहादुर बर्नी दिनांक 21.9.79 से 23.9.79 तक न्यायिक हिरासत में रहे थे। श्री बर्नी को निलम्बित नहीं किया गया क्योंकि तथ्यों के आधार पर तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ने निलम्बित करना उचित नहीं समझा।

**श्री गोपाल पचेरवाल :** अध्यक्ष महोदय क्या राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में ऐसा प्रावधान है कि राज्य कर्मचारी/अधिकारी 48 घंटे हिरासत में रहे तो उसको सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बित किया जाना चाहिये ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिविल सर्विसेज कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स, 1958, पार्ट 4 की धारा 13 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसको सस्पेन्ड किया जाना चाहिये, यह मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन इस केस के अन्दर सस्पेन्ड नहीं किया गया, यह भी मैं स्वीकार करता हूं। किन कारणों से सस्पेन्ड नहीं किया गया, यह मैंने पत्रावली मंगाकर देखा, रूल्स मंगवाये। प्रावधान है कि सस्पेन्ड किया जाना चाहिये लेकिन सस्पेन्ड नहीं किया गया। इस पर जो कारण लिखे गये हैं, तत्कालीन महानिरीक्षक ने लिखा है कि इस सरकारी अधिकारी का तबादला बाहर कर दिया गया है इस कारण से उन्होंने सस्पेन्ड नहीं किया है। मैं इस मामले के अन्दर पूरी जानकारी करूंगा, जांच करूंगा कि किन कारणों से सस्पेन्ड नहीं किया गया जब कि रूल्स स्पेसिफिक थे।

**श्री गोपाल पचेरवाल :** अध्यक्ष महोदय, निलम्बित किया नहीं गया। तबादला करने के बावजूद भी वह अधिकारी यहीं पर रहा। 8 महीने तक उसने ड्यूटी जोइन नहीं की फर्जी मेडिकल पेश किया। क्या सक्षम अधिकारी चाहे तब ही निलम्बित किया जा सकता है ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** जहां तक निलम्बित करने का प्रश्न है, उक्त केस में जो अधिकारी हैं श्री बर्नी उनका एडीशनल सैशन जज की कोर्ट से एक्वीटल हो गया है। इसलिये अब तो निलम्बित करने का प्रश्न नहीं उठता है। उनको उस वक्त सस्पेन्ड किया जाना चाहिए था क्योंकि 48 घंटे हिरासत में रहे, यह मैं स्वीकार करता हूं। इस मामले की जांच कराऊंगा। इस अवसर पर यही कह सकता हूं। इससे अधिक नहीं कह सकता हूं।

**श्री गोपाल पचेरवाल :** क्या सक्षम अधिकारी, जिन्होंने कानून की तौहीन की है, के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष :** यह तीन साल पुराना केस है।

**श्री गोपाल पचेरवाल :** महानिरीक्षक ने बनाये हुए नियमों का पालन नहीं किया है, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** अध्यक्ष महोदय, यह तीन साल पुराना 1979 का केस है। मैं नहीं कह सकता....

**श्रीमती विद्या पाठक :** सुओ मोटो प्रूव हो गया है कि जिस सक्षम अधिकारी को

(श्रीमती विद्या पाठक)

कार्यवाही करनी चाहिए थी उसने नियमों के अन्तर्गत नहीं की। यह नेगलीजेन्स भी निश्चित ही नहीं हो सकती। अब क्या आप उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** मैं इतना ही कह सकता हूं कि तथ्यों की जांच कराऊंगा। इससे आगे कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

प्रश्न संख्या 160

**श्री अध्यक्ष :** अगला प्रश्न। श्री लच्छू राम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

**श्री भैरूं लाल भारद्वाज** (जमवा रामगढ़) : जनता पार्टी के राज का मामला, है। क्यों उठा रहे हो।

**श्री गोपाल पचेरवाल :** आप क्यों बोखला रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री जीत मल जैन, श्री राज बहादुर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्रीमती विद्या पाठक। श्री नाथूसिंह।

प्रश्न संख्या 161.

**ओवर ड्राफ्ट व बजट घाटे की स्थिति**

161. **श्री घनश्याम तिवाड़ी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 को राजस्थान ओवर ड्राफ्ट लेने वाला राज्य था ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) दिनांक 30 जून, 1981 को राज्य पर कितना ओवर ड्राफ्ट था और अब कितना ओवर ड्राफ्ट है ?

(3) गत 10 वित्तीय वर्षों में अनुमानित बजट घाटे व वास्तविक बजट घाटे में कितना फर्क रहा ?

(5) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने राज्य के ओवर ड्राफ्ट को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना के चालू वित्तीय वर्ष में कटौती करने का निर्णय लिया है तथा आगामी वर्ष में वार्षिक योजना में भारी कटौती की सम्भावना है और इस प्रकार राज्य की विकास योजनाओं के बन्द होने का खतरा पैदा हो गया है ?

(5) कृपया गत 5 सालों के ओवर ड्राफ्ट, अनुमानित बजट घाटे एवं वास्तविक बजट घाटे का फर्क आंकड़ों सहित सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि वर्ष 1981–82 में राज्य सरकार योजना के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने में असफल रही है ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त संसाधन न जुटा पाने और ओवर ड्राफ्ट में वृद्धि के लिये केन्द्र ने राज्य सरकार को ताड़ना दी है ?

(8) यदि हां, तो सरकार ने इसके सुधार के लिये क्या कदम उठाये और केन्द्र सरकार को क्या जवाब दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) :

(1) 31 दिसम्बर, 1981 को राज्य सरकार पर 263·15 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट 12 करोड़ के मार्गोपाय अग्रिम को शामिल करते हुए था। अन्य राज्यों की सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है।

(2) दिनांक 30.6.81 को राज्य सरकार पर कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं था। केवल 9.90 करोड़ का मार्गोपाय अग्रिम बकाया था। दिनांक 24·2·82 को राज्य सरकार पर 324·41 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट 12 करोड़ के मार्गोपाय अग्रिम को शामिल करते हुए था। ओवर ड्राफ्ट के निम्न कारण हैं :—

1) वर्ष का प्रारम्भिक घाटा अनुमानित 155·27 करोड़,

2) अकाल पर योजना सीमा से अधिक व्यय अनुमानित 40·00 करोड़,

3) बाढ़ पर राज्य सरकार के हिस्से का आयोजना भिन्न व्यय अनुमानित 11.00 करोड़ रुपये।

| | |
|---|---|
| 4) राज्य कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता | 37.00 |
| 5) राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम राहत | 8.00 |
| 6) पंचायत चुनावों पर व्यय (अनुमानित) | 4.00 |
| 7) संसाधनों का न जुटा पाना (अनुमानित) | 16.25 |
| 8) पेंशन खर्च में वृद्धि (अनुमानित) | 6.00 |
| 9) आयोजना सीमा से अधिक व्यय (अनुमानित) | 12.00 |
| 10) ब्याज का अधिक भुगतान (अनुमानित) | 19·00 |
| 11) विविध अतिरिक्त व्यय (अनुमानित) | 15·89 |
| योग | 324.41 |

(3) सूचना का विवरण निम्न प्रकार है : —

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | बजट भाषण में अंकित घाटा | भारतीय रिजर्व बैंक के लेखों के अनुसार वास्तविक घाटा (–) बचत (+) | | अन्तर |
|---|---|---|---|---|
| 1971–72 | –24.21 | –89.71 | – | –65.50 |
| 1972–73 | –27.94 | – 2.01 | + | 25.93 |
| 1973–74 | –24.19 | – 4.62 | + | 19.57 |
| 1974–75 | –, 9.12 | –15.15 | – | 6.03 |
| 1975–76 | – 8.74 | – 7.73 | + | 1.01 |
| 1976–77 | –18.64 | – 7.48 | + | 11.16 |
| 1977–78 | –33.51 | –14.89 | + | 18.62 |
| 1978–79 | –34.22 | + 5.62 | + | 39.84 |
| 1979–80 | –17.80 | –34.10 | – | 16.30 |
| 1980–81 | –85·05 | –155.27 | – | 70.22 |

Page No 15

(15)



(श्री चन्दनमल वैद)

(4) योजना आयोग ने इस वर्ष की योजना 340 करोड़ की स्वीकृत की थी तथा उसमें कोई कमी नहीं की गई है। आगामी वर्ष की योजना भी 340 करोड़ रुपये की योजना योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है।

(5) सूचना का विवरण निम्न प्रकार है :—

(6) जी नहीं। वर्ष 81–82 में अब तक के प्रयत्नों से 55.16 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होने का अनुमान है जब कि हमें 71.41 करोड़ के अतिरिक्त साधन जुटाने थे।

(7) केन्द्र सरकार से राज्य सरकार के ओवर ड्राफ्ट के विषय पर हुई चर्चाओं के दौरान यह परामर्श किया जाता रहा है कि संसाधनों में कमी को पूरा करने हेतु राजस्व की प्राप्तियों के प्रति प्रभावी कदम उठाये जायें। इस दिशा में राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

(8) भारत सरकार तथा योजना आयोग के परामर्श के अनुसार सरकार कारगर कदम उठाने पर विचार कर रही है।

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | बजट भाषण में अंकित घाटा | भारतीय रिजर्व बैंक के लेखों के अनुसार वास्तविक घाटा (–) बचत (+) | अन्तर |
|---|---|---|---|
| 1976–77 | – 18.64 | – 7.48 | + 11.16 |
| 1977–78 | – 33.51 | – 14.89 | + 18.62 |
| 1978–79 | – 34.22 | + 5.62 | + 39.84 |
| 1979–80 | – 17.80 | – 34.10 | – 16.30 |
| 1980–81 | – 85.05 | – 155.27 | – 70.22 |

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि जो घाटा बढ़ा है उसका मुख्य कारण पहला तो यह है राज्य सरकार अतिरिक्त संसाधन जुटाने में असफल रही है। सारी वित्तीय योजना 340 करोड़ की थी, उसमें से 123 करोड़ रुपये मिलने वाले थे बाकी 227 करोड़ रुपया राज्य सरकार को जुटाना था उसमें से 30 जनवरी, 82 तक केवल 87 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाये गये, उसके कारण से 140 करोड़ का घाटा है। एक बात....

**श्री चन्दनमल बैद :** अध्यक्ष महोदय, एक एक करके पूछें तो ठीक है। आंकड़ों का मामला है, मुझे याद नहीं रहेगा तो कोई गलती हो सकती है। जो इन्होंने घाटे की बात कही है वह मैं बता चुका हूं कि कितने संसाधन नहीं जुटा पाने के कारण से घाटा हुआ है और बाकी घाटा कितने कारण से हुआ है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** मेरे प्रश्न के जवाब में आपने बताया था कि 31 दिसम्बर, 1981 तक केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में 87.06 करोड़ रुपये

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
सरकार को प्राप्त हुए हैं और 31 दिसम्बर, 1981 तक राज्य सरकार द्वारा 177.39 करोड़ रुपयों के साधन जुटाये गये हैं तो 223 में से 177.39 निकाल दें तो जो बाकी रहा है उसको आप क्या जुटा पायेंगे ? दो महीने ही बाकी हैं। दूसरा यह है कि

**श्री चन्दनमल बैद** : एक एक करके रखें ताकि जवाब दे दूं।

मैं निवेदन करूं कि 16 करोड़ 25 लाख का विशेष घाटा रहा है ओवर ड्राफ्ट में, बाकी ओवर ड्राफ्ट किन कारणों से बढ़ा है यह मैं आपको बता चुका हूं। बार-बार पूछना चाहें तो बात अलग है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : दूसरा यह निवेदन है कि वार्षिक योजना में इस साल की योजना में वास्तव में तो कटौती हो चुकी है। इसका कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, हमने 340 करोड़ की योजना बनाई थी उसमें से हमने 31 तारीख तक 201 करोड़ रुपया खर्च किया है बाकी 40 करोड़ खर्च करने का कोई हिसाब दिखलाया नहीं है। अब दो महीने में इतना खर्च कर नहीं सकते हैं। इस तरह से वार्षिक योजना व्यय में तो कटौती हो चुकी है इससे राज्य का विकास नहीं होगा। और....

**श्री अध्यक्ष** : एक एक प्रश्न पूछें।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं बता चुका हूं कि इस साल के योजना व्यय में कोई कटौती नहीं की गई है। ये पता नहीं किस आधार पर कह रहे हैं....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैं आपको आपकी सरकार के विभाग के ही तो आंकड़े बता रहा हूं।

**श्री चन्दनमल बैद** : ये आपको डिपार्टमेंट वाले ही तो × × × बनाते हैं....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : × × × तो आप बना रहे हैं राजस्थान की जनता को।

**श्री गोपाल पचेरवाल** : आपके अधिकारी × × × बना रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न कर्त्ता।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आपने कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर 5520 में से खर्च किया है 2922.93, सहकारिता पर 497 में से खर्च किया 32.14....

**श्री चन्दनमल बैद** : अध्यक्ष महोदय, 2922 तो मेरा पूरा बजट ही नहीं है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, यह करोड़ों में नहीं लाखों में है। सिंचाई एवं विद्युत में 18895.60 लाख में से 11022.17 लाख का खर्च किया गया है। उद्योग एवं खनिज में 1287 में से 624 लाख का खर्च किया है। परिवहन एवं संचार में 2260 में से 1619.34 लाख का खर्च किया है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं 6503.26 लाख में से 3755.24 लाख खर्च किया है। सामान्य आर्थिक सेवाएं में 25 लाख में से 14.79 लाख खर्च किया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 201 करोड़ रुपया खर्च किया है

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

10 महीनों में तो बाकी 3 महीनों में खर्च कर सकते हैं क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : खर्च करना तो आसान है।

**एक माननीय सदस्य** : सारा पैसा तो मार्च के महीने में ही खर्च किया जाता है।

**श्री अध्यक्ष** : उत्तर देने दें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अकाल और बाढ़ के कारण से ओवर ड्राफ्ट बढ़ा, यह कारण बताया गया है जबकि अकाल पर इस सरकार ने केवल 40 करोड़ रुपया खर्च किया है।

**श्री चन्दनमल बैद** : इसका मैं जवाब दे चुका हूं....

**श्री अध्यक्ष** : अन्य माननीय सदस्य कह देते हैं....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आथेन्टिक स्टेटमेण्ट दिया है उन्होंने। वे कहते हैं कि अकाल और बाढ़ के कारण ओवर ड्राफ्ट बढ़ा है, यह गलत है। इस कारण से नहीं बढ़ा है....

**श्री अध्यक्ष** : उसका सही कारण माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे या आप ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, 40 करोड़ अकाल पर और 11 करोड़ बाढ़ पर राज्य सरकार ने खर्च किये हैं। सिर्फ 55 करोड़ के कारण ओवर ड्राफ्ट हुआ है ? आप संसाधन नहीं जुटा सके, टैक्स वसूल नहीं कर सके, फिजूल खर्ची प्रशासनिक सेवाओं में बढ़ायी। बाढ़ और अकाल के कारण नहीं....

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

**श्री नाथूसिंह** : आपकी पूंजीवादी नीतियों से बंटाधार हुआ है....

**श्री अध्यक्ष** : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : Only you are responsible for this आप इसके लिए जिम्मेदार हैं।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं बहुत विस्तार से जवाब दे चुका हूं। माननीय सदस्य को मेरे से कोई नाराजगी है तो बजट पर वाद विवाद में उसको निकाल लें। प्रश्नोत्तर काल में कहना जरूरी नहीं है। 324 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट जिस दिन था, उसके क्या कारण थे, एक एक मदवार बता चुका हूं, किस किस मद में आयोजना में कितना खर्चा हुआ....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : योजना में कटौती हो चुकी है....

**श्री चन्दनमल बैद** : योजना में कटौती नहीं हुई है। किस मद में कितना खर्चा हुआ, जो आंकड़े आपने दिये वह सही नहीं हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आपने विधान सभा में जवाब दिया है, आपके डिपार्टमेंट का जवाब है।

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मैंने भी दिया है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नाथूसिंह ।

**श्री नाथूसिंह** : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने इस ओवर ड्राफ्ट को कम करने के लिए कोई ठोस योजना बनायी है ? योजना है, तो क्या है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं कह चुका हूं कि इसके लिए कारगर कदम उठा रहे हैं।

**श्री नाथूसिंह** : कारगर क्या हैं ? बताइये।

**श्री चन्दनमल बैद** : बतायेंगे....

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं।....

**श्री चन्दनमल बैद** : क्या सारी बातें जो परसों कहनी चाहिए, वह आज कह दूं।

**श्री नाथूसिंह** : टैक्स लगायेंगे। राज्य कोष का दुरुपयोग किया है। प्रशासनिक खर्चे बढ़ाये हैं।

**श्रीमती विद्या पाठक** : माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 जून, 81 को कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं था। 12 दिसम्बर, 81 को ओवर ड्राफ्ट 340 करोड़ रुपये का हो गया। ऐसे आपने कौनसे स्टेट में डवलपमेंट कर दिये हैं या फिजीकल डवलपमेंट किये हैं जिनको हम आंकड़ों के आधार पर जमीन पर देख सकते हैं। ओवर ड्राफ्ट 340 करोड़ का है उसमें आपने ऐसे कौनसे डवलपमेंट हमारी स्टेट में कर दिये....

**श्री चन्दनमल बैद** : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर दे दिया है।

**श्री अध्यक्ष** : ओवर ड्राफ्ट के कारणों पर विस्तृत उत्तर दे दिया जा चुका है।

**श्रीमती विद्या पाठक** : बिलकुल गलत दिया है।

**श्री अध्यक्ष** : यदि उत्तर गलत है तो अन्य किसी तरीके से उठाया जा सकता है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : प्रशासनिक रूप से असफल रहे हैं इसलिए ओवर ड्राफ्ट बढ़ा है और कोई कारण नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : इस सम्बन्ध में, माननीय सदस्य, जब सदन के समक्ष बजट पेश किया जायेगा तब पर्याप्त अवसर मिलेगा, सुझाव भी दीजियेगा। गलतियां की हैं यदि सरकार ने तो उनकी ओर उनका ध्यान भी आकर्षित करेंगे।

**श्रीमती विद्या पाठक** : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि संसाधन जुटाने में सरकार असफल नहीं रही है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 10 दिसम्बर को केन्द्रीय योजना मंत्री ने हमारे मुख्य मंत्रीजी को कहा कि संसाधन जुटाने में 13 स्टेट्स असफल रही हैं जिसमें राजस्थान बहुत टॉप पर है, सर्वोच्च स्टैण्ड करता है ? यह आपकी सरकार के केन्द्रीय मंत्री का वक्तव्य है। उन्होंने ओवर ड्राफ्ट को समाप्त करने के लिए बार बार आग्रह भी किया है, ताड़ना भी दी है। मुख्य मंत्रीजी बार बार केन्द्र सरकार को निवेदन करते हैं कि इसको

(श्रीमती विद्या पाठक)

लांग टर्म लोन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : आपने फर्मा दिया....

**श्रीमती विद्या पाठक** : कहना पर्याप्त नहीं होगा। दोनों में से किसके स्टेटमेण्ट को सही माना जाय।

**श्री अध्यक्ष** : आप जवाब चाहेंगी या भाषण करेंगी।

**श्री चन्दनमल बैद** : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि 324 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट में से संसाधन जुटाने की कमी 16 करोड़ 25 लाख की है, 71 करोड़ और कुछ हमें संसाधन जुटाने थे और उसमें 54 करोड़ और कुछ के संसाधन हमने जुटाये। 324 में से केवल 16 करोड़ का हिस्सा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओवर ड्राफ्ट की जो मात्रा है वह संसाधन जुटाने से नहीं बल्कि कुछ दूसरे कारण से है।

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री नन्द लाल मीणा।

**श्रीमती विद्या पाठक** : केन्द्र के मंत्री का स्टेटमेण्ट सही माना जाय या मंत्री का....

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न पुकार लिया

**निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सहकारी संघों व सहकारी बैंकों के अध्यक्ष पद पर मनोनीत विधायक**

162. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि महाधिवक्ता, राजस्थान ने सरकार को यह राय दी थी कि निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सहकारी संघों व सहकारी बैंकों के अध्यक्ष मनोनीत करने पर इन पदों को लाभ का पद माना जायेगा? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस राय पर मनोनीत विधायकों को लाभ के पद से कानून बना कर मुक्त कर दिया है?

**विधि मंत्री (श्री बृज सुन्दर शर्मा)** : महाधिवक्ता ने केवल सहकारी संघों व सहकारी बैंकों के अन्तर्गत कार्यकारिणी कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाबत राय दी थी जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं की है।

**श्री नन्दलाल मीणा** : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आप स्वयं इन लोगों को हटाना चाहते थे इसलिए महाधिवक्ता की राय ली गयी और जब उनकी राय आयी तो उसके पश्चात् उसको स्वीकार नहीं किया।

**श्री बृज सुन्दर शर्मा** : उनकी राय से असहमति है क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली मैम्बर्स का उन्होंने पैरा नहीं पढ़ा था, बगैर पैरा पढ़े ही उन्होंने राय दी थी।

**श्री नन्दलाल मीणा** : राय लेने की क्या जरूरत आयी?

**श्री बृज सुन्दर शर्मा** : मैम्बर्स के सूट फाइल के मैटर पर उनकी राय ली जाती है। उसको मानना नहीं मानना हमारी बात है व्यक्तिगत, हम नकार सकते हैं। मैं आज भी उनकी राय से असहमत हूं।

**श्रीमती विद्या पाठक** : व्यक्तिगत का कोई सवाल नहीं है इसके अन्दर।

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, तमिलनाड़ में भी एक ऐसा ही केस था। उस समय वहां के महाधिवक्ता ने जो राय दी उसे सरकार ने इलेक्शन कमीशन की राय के लिए भेजा। उसके बाद वह सदस्य असेंबली की सदस्यता से निलंबित किये गये। क्या आपने महाधिवक्ता से राय के बाद इलेक्शन कमीशन से इस बारे में पूछा ?

**श्री बृज सुन्दर शर्मा** : पहले वाले केस का मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह केस जिसमें महाधिवक्ता ने राय दी थी नन्दलाल वर्सेज सरकार का था, वह रिट खारिज हो चुकी है और राज्य सरकार ने जो राय दी थी वह सही थी।

**श्री नाथूसिंह** : क्या इसी आधार पर आपने इलेक्शन कमीशन को भेजा था ?

**श्री बृज सुन्दर शर्मा** : इलेक्शन कमीशन की राय जानने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, महाधिवक्ता की राय को आप कहते हैं कि नहीं माना। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कोऑपरेटिव एक्ट की धारा 36, जिसमें 1976 में अमेण्डमेन्ट हुआ है....

**श्री अध्यक्ष** : कानूनी विषयों पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कोआपरेटिव एक्ट की धारा 36 में अमेण्डमेन्ट हुआ था 76 में, उसके अन्तर्गत किसी भी सहकारी समिति या बैंक में कोई भी विधायक चेयरमैन के पद पर अपाइन्ट नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार केवल गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट ही एडमिनिस्ट्रेटर लगाये जा सकते हैं। तो अब क्या विधायक को गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट मान लिया है? उनको एडमिनिस्ट्रेटर और चेयरमैन कैसे नियुक्त कर रहे हैं? क्या यह सही है कि....

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

**श्री नाथूसिंह** : क्या आपने आदेश निकाले उसमें डाइरेक्टर एज वेल एज चेयरमैन यह शब्द लिखे ? यदि हां, तो क्या धारा 36 के विरुद्ध नहीं है ? उसके विरुद्ध है, तो क्या आप उसको हटाने की कार्यवाही करेंगे ? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या इनकी टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स होंगी, ड्यूटीज क्या होंगी ?

**श्री अध्यक्ष** : लम्बा भाषण नहीं दें, माननीय सदस्य।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में रिट दायर की हुई है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करें, आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

**श्री बृज सुन्दर शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान लेजिस्लेटिव मैम्बर्स डिस्कवालिफिकेशन एक्ट है उसमें प्रावधान है कि कोई भी कमेटी का चेयरमैन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, वह डिस्कवालिफिकेशन में नहीं आता है, इसी आधार पर इस राय को नहीं माना गया है। उन्होंने पूरी तरह से नहीं देखा होगा, यह हो सकता है। उनसे गलती भी हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है। अदालतों के दरवाजे तो फिर भी खुले हैं,

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ,

(व्यवधान)

कानूनी प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा नहीं हो सकती यहां।

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, दो लाख रुपये....

(व्यवधान)

सरकारी गाड़ियां लेकर....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें, आसन पैरों पर है।

**श्री नाथूसिंह** : धारा 36 के अन्तर्गत नियुक्ति नहीं कर सकते।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय क्या, टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स हैं....

**श्री अध्यक्ष** : कानूनी प्रश्न पर विस्तृत चर्चा नहीं हो सकती, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मैंने व्यवस्था दे दी है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : क्या आपने टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स तय की हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। आर्डर। स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। कानूनी प्रश्न पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

## अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

### नगरपालिका मण्डावा को नयी टंकी बनाने व पाइप लाइन बिछाने हेतु स्वीकृत राशि

160. **श्री लच्छूराम** (मण्डावा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मण्डावा नगरपालिका को जल प्रदाय विभाग द्वारा नयी टंकी बनाने व पाइप लाइन बिछाने हेतु 15 लाख रुपये के अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ?

(2) यदि हां, तो निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**उत्तर**

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा मण्डावा कस्बे की पुनर्गठित जल योजना 15·76 लाख रुपये लागत की वर्ष 1980–81 में स्वीकृत की गई है जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 10·50 लाख रुपये का ऋण एवं राज्य सरकार द्वारा 5·26 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत दो कुओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं तीसरे कुएं में बोरिंग का कार्य प्रगति पर है। आर. सी. सी. उच्च जलाशय एवं क्वार्टर का कार्य प्रगति पर है व शेष कार्य आरम्भ करने के लिये कार्यवाही जारी है।

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**अपराधों की रोकथाम हेतु नियुक्त/पदोन्नत उप महानिरीक्षक, अधीक्षक तथा उप अधीक्षक**

106. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष से राज्य में अधीक्षक, उप अधीक्षकों तथा उप महानिरीक्षकों की नियुक्ति आरक्षी विभाग में की गयी है? यदि हां, तो उपरोक्त नियुक्तियां किस आधार पर की गईं? पदोन्नतियों की संख्या मय नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त पदोन्नतियां बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिये ही की गयी थीं? यदि हां, तो क्या अपराधों में कमी हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) गत वर्ष में उप अधीक्षक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्तियां की गई थीं और अधीक्षक पुलिस व उप महानिरीक्षक पुलिस के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की गईं। सूची संलग्न है।

(2) पदोन्नतियां कैडर में रिक्त स्थान होने पर की जाती हैं। 2 नये रेन्ज बनने के कारण उप महानिरीक्षक के दो नवीन पद सृजित किये गये थे, जिन्हें पदोन्नति से भरा गया। यह पद इसलिये सृजित किये गये कि अपराध एवं कानून व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण रहे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

**भेड़पालकों एवं ग्रामीणों में झगड़ों की घटनायें**

107. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष प्रदेश में भेड़पालकों एवं ग्रामीणों में झगड़ो की कुल कितनी वारदातें हुईं?

(2) इन वारदातों में कितने भेड़पालक व ग्रामीण मरे तथा कितने घायल हुए?

(3) ये घटनायें किन किन स्थानों पर हुईं?

(4) इन वारदातों के सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया?

उत्तर

(1) भेड़ पालकों एवं ग्रामीणों में झगड़ों की कुल 12 वारदातें हुई ?

(2) इन वारदातों में 7 भेड़पालक मरे व 36 घायल हुए तथा 24 ग्रामीण घायल हुए। कोई ग्रामीण नहीं मरा।

(3) ये घटनाएं मौजा पुलेवा जिला बून्दी, बोरावास जिला कोटा, कवारडिया, जीलेश्वर, जित्यास जिला भीलवाड़ा, मौजा लाम्बा, लोहडी, फतेहगढ़, मरकेडा जिला अजमेर तथा नेनिया जिला सवाई माधोपुर में घटित हुई।

(4) इन वारदातों में कुल 73 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें 59 ग्रामीण तथा 14 भेड़पालक हैं।

**राजस्थान वित्त निगम द्वारा वितरित ऋण की वसूली**

108. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम ने यह निश्चय किया है कि निकट भविष्य में जो भी कर्ज देगा वोह वसूल किये गये कर्जों से ही देगा ?

(2) यदि हां, तो निगम ने इस वर्ष कितने रुपयों का कर्जा वसूल किया तथा कितना ऋण वितरित किया ?

(3) राज्य सरकार ने इस वर्ष राजस्थान वित्त निगम को कितनी हिस्सा पूंजी प्रदान की तथा पिछले दो वर्षों में कितनी-कितनी हिस्सा पूंजी प्रदान की थी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(2) निगम ने चालू वर्ष के अन्तर्गत अप्रेल, 1981 से जनवरी, 1982 तक 9.62 करोड़ रुपये का कर्जा वसूल किया है तथा जनवरी, 1982 तक निगम द्वारा 23.30 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।

(3) इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम को 92.00 लाख रुपये हिस्सा पूंजी प्रदान की गई है तथा इसके अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये पूंजी अंशदान के रूप में 1981–82 में देना स्वीकार किया है। पिछले दो वर्ष 1979–80, 1980–81 में क्रमश: 100 लाख रुपये तथा 160 लाख रुपये हिस्सा पूंजी प्रदान की थी।

**अलाय-भदवासी जल योजना पंचायत समिति क्षेत्र नागौर**

109. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलाय-भदवासी जल योजना पंचायत समिति क्षेत्र नागौर का पानी ग्राम अलाय की सरहद में बसी अन्य आबादी (ढाणियों) में भी दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) अलाय-भदवासी जल योजना पाइप से ग्राम सथरण की सरहद ढाणियों

(श्री महाराम चौधरी)
में कितने पाइंट पानी दिया जाता है ? क्या सरकार इसी पाइप लाइन पर अनुसूचित जाति की रामतलाई की आबादी की हौज बनाकर पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या अलाय-मदवासी पाइप लाइन के साइड में आबादी, (i) नाई टौंक की आबादी सरहद अलाय, (ii) पाडाण नाडी के पास की आबादी सरहद अलाय, (iii) मोहल्ला भाकरी के पास आबादी सरहद 36 वालिया, जहां पर अनुसूचित जाति की भी आबादी करीब 500 के आसपास है, को पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि है, तो कब तक ?

(4) उक्त जल योजना से उक्त आबादी को पानी पिलाने के लिये जिला स्तर से आंकलन बनकर कब आया ?

**उत्तर**

(1) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना अलाय मदवासी के अन्तर्गत ग्राम अलाय की सरहद में बसी अन्य आबादी (ढाणियों) में पानी की आपूर्ति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नहीं की जाती है। वित्तीय साधनों को देखते हुये राज्य सरकार पहले सभी समस्याग्रस्त (ENSUS) गांवों में जल आपूर्ति छठी योजना में करना चाहती है। ढाणियों को प्राथमिकता धन उपलब्धि को देखते हुये बाद में दी जा सकेगी।

(2) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना अलाय ऊंटवालिया के अन्तर्गत ग्राम सथेरन में दो स्थानों, सथेरन स्कूल नं. एक व स्कूल नं. दो पर हौज बनाकर जलापूर्ति की जाती है। ग्राम सथेरन में पाइप लाइन के निकट अनुसूचित जाति की रामतलाई की आबादी में हौज बनाकर पेयजल उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव पर वित्तीय साधनों को देखते हुए कार्यवाही की जायेगी।

(3) 1) नाई टौंक की आबादी, 2) पाडाण नाडी के पास की आबादी तथा 3) मोहल्ला भाकरी के पास की आबादी उक्त तीनों ढाणियां ग्राम अलाय से ऊंटवालिया की ओर आ रही मुख्य नल शृंखला (राईजिंग मैन) के नजदीक पड़ती है। वित्तीय साधनों के अभाव में वर्तमान में सारी ढाणियों के लिए प्रावधान करना व कुछ समस्याग्रस्त गांवों को बिलकुल ही छोड़ देना उचित नहीं रहेगा।

(4) जिला अकाल सहायता परामर्शदात्री समिति के निदेशानुसार अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नागौर के तकमीने माह मार्च, 81 में बनाये थे परन्तु सहायता विभाग द्वारा इनकी स्वीकृति धन के अभाव में जारी नहीं की जा सकी।

**तहसील शिव (बाड़मेर) के ग्रामों के नलकूपों को चालू कराना**

110. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बाड़मेर की तहसील शिव के ग्राम खुड़ाल, धारवी व बिसू कलां में नलकूप खुदे हुए हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(श्री अमीन खां)

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों में पीने के पानी के गम्भीर संकट को महसूस करते हुए इस अकाल में उक्त नलकूपों को चालू कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ग्राम बिसू, घारवी में राजस्थान भू-जल विभाग द्वारा सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूप खुदे हुए हैं एवं खुड़ाल गांव में नलकूप नहीं खुदा हुआ है। बिस्सू का नलकूप वर्ष 79–80 में खुदा हुआ है एवं घारवी का नलकूप वर्ष 69–70 में खुदा हुआ है।

(2) घारवी नलकूप भू-जल विभाग के पास है एवं गत अकाल वर्षों में यह नलकूप अकाल सहायता मद की धनराशि से भू-जल विभाग द्वारा चलाया गया था।

बिस्सू का नलकूप गत वर्ष की अकाल स्थिति में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा हस्तान्तरण कर चालू कर दिया गया था एवं इस वर्ष की अकाल स्थिति में भी अकाल सहायता मद के तहत चालू रहेगा।

**अजासर-ताड़ाना पाइप लाइन से जलप्रदाय**

111. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर की जल वितरण योजना के अन्तर्गत अजासर से ताड़ाना पाइप लाइन कब बिछाई गई ? क्या यह सही है कि जब से यह पाइप लाइन बिछी है इसमें पानी बिलकुल नहीं आया ? यदि हां, तो कब तक यह योजना सुचारू रूप से कार्यशील होगी ?

**उत्तर**

(1) अजासर से ताड़ना पाइप लाइन माह नवम्बर, 1980 में बिछाई गई है साथ ही माह नवम्बर, 1980 में गांव ताड़ाना को जल वितरण से लाभान्वित किया जा चुका है परन्तु उक्त गांव योजना में अन्तिम छोर पर है व काफी ऊँचाई पर स्थित है, इसलिए इस गांव में जल वितरण अनियमित रहता है। ताड़ाना गांव में जल वितरण सुचारू रूप से करने के लिए गांव सत्याया में एक बूस्टर पम्प लगाया जा रहा है जिसे माह मार्च, 82 के अन्तिम सप्ताह तक पूर्ण कर नियमित जल वितरण की व्यवस्था हो जाने की आशा है।

**ग्राम पंचायत रामसर (बाड़मेर) के रेलवे स्टेशन और ग्राम विकास हेतु गोचर भूमि की किस्म में परिवर्तन**

112. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर की तहसील बाड़मेर में ग्राम पंचायत रामसर के रेलवे स्टेशन और ग्राम विकास हेतु गोचर भूमि की किस्म परिवर्तन के लिए पंचायत का प्रस्ताव जिलाधीश ने राज्य सरकार के पास भेजा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर

(श्री अमीन खां)
दिया है ? यदि हां, तो बढ़ती हुई आबादी व बढ़ते हुए विकास कार्यों को देखते हुए क्या राज्य सरकार भूमि की किस्म में परिवर्तन पर पुनः विचार करेगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां। ग्राम रामसर की आबादी 2599 है व वर्तमान में उपलब्ध आबादी का क्षेत्रफल 361 बीघा 14 बिस्वा है, जो पर्याप्त है। पुनः विचार हेतु कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

## सिकराय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

113. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिकराय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत किस-किस योजना में कितने-कितने गांव कब कब विद्युत देने हेतु स्वीकृत हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) गांव की स्वीकृति दिनांक व उस गांव में विद्युत प्रवाह के दिनांक की सूची भी कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार के पास सिकराय क्षेत्र में कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक मंजूरी दे दी जावेगी ?

**उत्तर**

(1) सिकराय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में विद्युत देने हेतु 99 ग्राम स्वीकृत हुए हैं, जिसकी सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त ग्रामों की स्वीकृति दिनांक व विद्युत प्रवाह का दिनांक । उक्त सूची में अंकित कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। सिकराय क्षेत्र में अस्वीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण करने की अभी कोई योजना मण्डल के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

## जिला टोंक में बाढ़ से क्षतिग्रस्त जमीन व कुओं की मरम्मत

114. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला टोंक में किन-किन व्यक्तियों की जमीन व कुएं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं ?

(2) जमीन व कुओं की मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? कृपया व्यक्तिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) टोंक जिले में बाढ़ के कारण जिन व्यक्तियों की जमीन व कुएं क्षतिग्रस्त हुये हैं उनका विवरण तहसीलवार निम्न प्रकार है :

(अकाल राहत मंत्री)

| क्र. सं. | नाम तहसील | प्रभावित व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | देवली | 167 |
| 2. | निवाई | 202 |
| 3. | अलीगढ़ | 395 |
| 4. | टोंक | 865 |
| 5. | मालपुरा | 76 |
| | योग | 1705 |

प्रभावित व्यक्तियों की सूची तहसील-वार संलग्न है।

(2) टोंक जिले में भूमि सुधार हेतु राज्य सरकार ने 22.32 लाख का अनुदान स्वीकृत किया है जिसके विपरीत अब तक 273 कृषकों के 9.00 लाख रुपये के ऋण आवेदन पत्र तैयार किये जा चुके हैं। कुओं से मिट्टी निकालने एवं मरम्मत हेतु राज्य सरकार ने टोंक जिले के लिए 3.33 लाख का अनुदान स्वीकृत किया है, जिसके विपरीत अब तक 49 कृषकों के 2.44 लाख के ऋण प्रार्थना पत्र तैयार कर विभिन्न बैंकों में स्वीकृति हेतु भिजवाये गये हैं। शेष राशि के आवेदन पत्र तैयार किये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**कोटा नगर के उद्योगों में बकाया बिक्री कर की वसूली**

115. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) व **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर के किन-किन उद्योगों पर कब कब से कितनी कितनी धनराशि बिक्री कर की बकाया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उसे वसूल करने हेतु विभाग ने क्या क्या कार्यवाही कब कब की?

(3) क्या सरकार ने बिक्री कर की बकाया राशि को गम्भीरता से वसूल करने हेतु कोई योजना बनाई है?

**उत्तर**

(1) कोटा नगर के 13 उद्योगों पर 5,24,503.40 रुपया बिक्री कर का दिनांक 30.1.82 तक की बकाया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। छोटे उद्योगों के बारे में कम समय में सूचना देना असम्भव है क्योंकि ऐसे उद्योगों की संख्या हजारों में है।

(2) वसूली की कार्यवाही का वर्णन सूची में अंकित है।

(3) जी हां। नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। विशेष प्रमाण भी दिये जाते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

**सवाई माधोपुर में स्टाम्प विक्रय की सीमा**

116. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई-माधोपुर में स्टाम्प बेचने वालों की सीमा निर्धारित की हुई है ? यदि हां, तो यह सीमा किस समय निर्धारित की गई थी और कितनी रखी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि अब स्टाम्पों की लागत राशि सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है ? यदि हां, तो फिर स्टाम्प विक्रेताओं को अधिक स्टाम्प क्यों नहीं दिये जाते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय पर स्टाम्प बिक्री करने वालों को सरकारी नियमों के अनुसार स्टाम्पस मिलते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अधिक राशि के बेचने का अधिकार देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कितनी राशि तक तथा कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां। प्रथम सीमा निर्धारण 1978 में और इसमें वृद्धि 1978 में की गई थी। 1975 में सीमा 23 थी। 1978 में 6 की वृद्धि की गई। इस समय 29 मुद्रांक विक्रेता नियुक्त हैं।

(2) जी नहीं। वरन् मुद्रांक कर में वृद्धि की गई थी। स्टाम्प विक्रेता अपनी इच्छानुसार मुद्रांक प्राप्त कर सकते हैं ?

(3) जी हां। 400 रुपये की सीमा को 1000 रुपये तक बढ़ाये जाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

**राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय प्रतापगढ़ का भवन**

117. **श्री नन्दलाल मीणा** (सिकराय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय प्रतापगढ़ में बालिकाओं के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो विद्यालय भवन में वर्ष 1981-82 में कितनी बालिकाओं को किस किस कक्षा में प्रवेश दिया गया ?

(2) क्या विद्यालय भवन शहर के मध्य है एवं अपर्याप्त है तथा इसकी जानकारी राज्य सरकार को है ? यदि है, तो पर्याप्त भवन बनवाने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। बैठने की व्यवस्था पर्याप्त है। वर्ष 1981-82 में कक्षावार नये प्रवेश निम्न प्रकार दिये गये :—

| कक्षा | छात्र |
|---|---|
| 6 | 30 |
| 7 | शून्य |
| 8 | 1 |
| 9 | 65 |
| 10 | शून्य |
| 11 | 2 |
| कुल | 98 |

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं। विद्यालय भवन शहर के मध्य में नहीं है। विद्यालय में बालिकाओं के बैठने की व्यवस्था पर्याप्त है।

**गंगाशहर भीनासर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्रायें) को क्रमोन्नत करना**

118. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या गंगाशहर भीनासर में छात्राओं के उच्च माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का राज्य सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

10 जमा 2 प्रणाली को लागू करने के परिप्रेक्ष में गंगाशहर तथा भीनासर अथवा अन्य किन्हीं भी माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अभी क्रमोन्नत नहीं करने का राज्य सरकार का नीति निर्णय है।

**वनस्थली में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करना**

119. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार वनस्थली में महिला विश्वविद्यालय खोलने का विचार कर रही है?

(2) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

**उत्तर**

(1) जी, नहीं।

(2) उपरोक्त जवाब से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**जिला भीलवाड़ा में पोलीटेक्निक संस्थान खोलना**

120. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने भीलवाड़ा जिले में पॉलीटेक्निक संस्थान खोलने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस आशय की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री ने 6 जनवरी, 1982 को भीलवाड़ा में की?

(3) यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा आयेगा तथा कब प्रारम्भ होगा एवं कितने लोगों को प्रवेश मिलेगा?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) लगभग 1 करोड़ 15 लाख का खर्च आयेगा। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर भविष्य में विचार किया जा सकेगा। इसमें प्रथम वर्ष 60 छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

**बारां (कोटा) में आवासन मंडल द्वारा मकानों का निर्माण का मामला**

121. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या बारां जिला कोटा हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब लिया जायेगा ? इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई ?

**उत्तर**

जी हां। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन है। भूमि अवाप्त होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।

**जयपुर नगर में यातायात समस्या के समाधान हेतु प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट पर कार्यवाही**

122. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या नगर नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में यातायात की समस्या हल करने हेतु नगर नियोजन विभाग ने एक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो कृपया प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) यह व्यवस्था कब तक लागू करदी जायेगी एवं इसमें लगभग कितनी लागत आयेगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां। लेकिन केवल निम्नलिखित क्षेत्रों का ही यातायात सम्बन्धी अध्ययन व सर्वेक्षण कर यातायात सुधार योजना तैयार की गई थी :—

1) एम. आई. रोड अजमेरी गेट से खासाकोठी तीन भागों में।

2) चांदपोल बाजार से कोतवाली चौपड़ से चांदपोल दरवाजा तक।

3) जयपुर रेलवे स्टेशन (स्क्वायर)

उपरोक्त क्षेत्रों की अध्ययन एव सुधार योजना की रिपोर्ट की प्रति मय मानचित्र के सदन की मेज पर रखदी है।

(2) यह मामला अभी विचाराधीन है। लागत के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें).

(मानचित्र विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

**बीकानेर नगर बस डिपो में तैनात निगम की बसेज का लेखाजोखा**

123. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर शहर बस डिपो में राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें किस-किस मॉडल की हैं व डिपो में इनकी मरम्मत व रख-रखाव पर कितना खर्चा सन् 1980 व 81 में हुआ ?

(2) डिपो की बसों के पिछले दो सालों

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1980 व 81) में प्रत्येक वर्ष गन्तव्य स्थान पर पहुंचने से पूर्व रास्ते में कितने ब्रेक डाउन हुए ?

(3) क्या डिपो की बसों में शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका और प्राथमिक चिकित्सा का सामान उपलब्ध होता है ?

(4) बीकानेर शहर बस डिपो ने वर्ष 1981 में कितनी बार कहां-कहां की बस सेवायें रद्द की हैं और किन कारणों से ?

उत्तर

(1) बीकानेर शहर बस डिपो में निगम की मॉडल वाइज वाहनों की संख्या सदन के पटल पर रख दी गई है। डिपो में इनकी मरम्मत एवं रख-रखाव पर निम्न राशि खर्च हुई है :—

| वर्ष | खर्चा |
|---|---|
| 1980 | 19,08,963·41 |
| 1981 | 24,99,567·47 |

(2) वर्ष 1980 व 81 के दौरान बीकानेर आगार की वाहनों के मार्ग पर हुए ब्रेक-डाउन की स्थिति निम्न प्रकार है :

| वर्ष | ब्रेक डाउन की संख्या |
|---|---|
| 1980 | 417 |
| 1981 | 383. |

(3) जी हां।

(4) बीकानेर आगार द्वारा निम्न मार्गों पर वाहन संचालन किया जाता है :—

1. बीकानेर–नापासर–सथल
2. बीकानेर–खाजूवाला–रावला
3. बीकानेर–अनूपगढ़–विजयनगर
4. बीकानेर–सूरतगढ़–गंगानगर–हनुमानगढ़
5. बीकानेर–सालासर–सीकर–जयपुर
6. बीकानेर–रतनगढ़–चूरू–जयपुर
7. बीकानेर–डूंगरगढ़–राजगढ़–दिल्ली
8. बीकानेर–नागौर–अजमेर–कोटा

वर्ष 1981 में उक्त मार्गों पर संचालन हेतु निर्धारित कुल 748 अनुसूचित सेवाओं में से 206 सेवाएं माहवार निम्न प्रकार उनके सामने अंकित कारणोवश निरस्त रहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

**बीकानेर नगर में प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर**

**124. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :** क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बीकानेर के प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर का स्थान वहां नजदीक बसी हुई आबादी, शिक्षण संस्थाओं एवं कृषि उपज-मण्डी से प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर के बीच की लम्बी दूरी को देखते हुए उचित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस स्थान के बदले किसी अन्य स्थान के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

जी हां। मास्टर प्लान में ट्रान्सपोर्ट नगर का प्रावधान करते समय हर प्रकार के बिन्दुओं पर पूरे विचार विमर्श करने के पश्चात् ही प्रस्तावित किया गया है।

Page No 32

(32)



**नगरपालिका प्रतापगढ़ के टाउन हाल निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा**

**125. श्री नन्दलाल मीणा** (सिकराय) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका प्रतापगढ़ के टाउन हाल के लिए अवाप्त की गयी भूमि के मुआवजे का भुगतान खातेदार को अब तक इसलिए नहीं किया गया है कि भूमि धारी को मुआवजा उपयुक्त नहीं दिया जा रहा है ?

(2) क्या राज्य सरकार भूमिधारी को मुआवजा भुगतान के लिए पुनः कानूनी राय प्राप्त करना चाहती थी ? यदि हां, तो क्या भुगतान के संबंध में कानूनी राय प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को किस आधार पर भुगतान किया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) नगरपालिका प्रतापगढ़ खातेदार को 1,400/–रुपये बीघा की दर से मुआवजा भुगतान करने को तैयार है। परन्तु भूमिधारी इस मुआवजे को अनुपयुक्त मानते हुये मुआवजा लेने से इन्कार कर रहा है।

(2) जी हां। कानूनी राय अभी प्राप्त नहीं हुई है। भूमिधारी श्री मांगीलाल पुत्र श्री नाथूजी जैन निवासी प्रतापगढ़ है।

**उदयपुर नगर परिषद् के टेलीफोन्स पर व्यय**

126. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर परिषद् के पास कुल कितने टेलीफोन्स हैं तथा उनमें से अधिकारियों के निवास स्थानों पर कितने हैं ? कृपया सूची नम्बर सहित अलग अलग सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त सभी टेलीफोन का लोकल काल एवं ट्रंककाल का 1 जनवरी, 1981 से 31 जनवरी, 1982 तक का खर्च का विवरण, बिल की प्रतिलिपि सहित कृपया सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) उदयपुर नगरपरिषद् के पास कुल 12 टेलीफोन है, इनमें से अधिकारियों के निवास स्थान पर पांच टेलीफोन हैं। अगस्त, 1981 तक एक टेलीफोन और प्रशासक का स्वयं का था जो अब नहीं है। सूची नम्बर सहित सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) उपरोक्त सभी टेलीफोन का 1 जनवरी, 81 से 31 जनवरी, 82 तक खर्चे का विवरण, बिल की प्रतिलिपि सहित सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

(बिलों की प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा तथा पुस्तकालय में रखी गई)

**नगर परिषद् उदयपुर द्वारा अपने स्टाफ को स्वीकृत ऋण**

127. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद् उदयपुर ने अपने कर्मचारियों को मकान बनाने, वाहन, शादी विवाह एव अन्य कार्यों हेतु जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक कितना कितना ऋण स्वीकृत किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) नगर परिषद् द्वारा ऋण स्वीकृति के नियम क्या हैं ?

(3) क्या नगर परिषद् अपने कर्मचारियों को सस्ती जमीन एवं मकान बना कर देने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक उसे पूर्ण करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) उदयपुर नगर परिषद् के कर्मचारियों को जनवरी, 81 से 31 दिसम्बर, 81 तक स्वीकृत किये गये ऋण की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। परिशिष्ट 'क' 'ख' एवं 'ग'।

(2) नगर परिषद् द्वारा ऋण राजकीय भवन निर्माण अग्रिम नियम, 1970 शादी एव अन्य कार्यो के लिए उदयपुर सिटी कार्पोरेशन प्रावधायी नियम, 1953 तथा राजस्थान म्यूनिसिपल प्रोविडेंट फंड एण्ड ग्रेच्यूटी नियम, 1949 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

**राष्ट्रीय मरु पार्क**

129. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में राष्ट्रीय मरु पार्क बनाने का सरकार विचार कर रही है ?

(2) यह मरु पार्क कब तक बन कर तैयार हो जायेगा तथा इस पर कितना खर्चा बैठेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उस क्षेत्र के किसानों ने जिनका मुख्य धन्धा पशुपालन है, इस पार्क को बनाने का विरोध किया है ? यदि हां, तो सरकार ने उनकी कठिनाइयों का क्या समाधान निकाला ?

(4) इसके लिए किन-किन संस्थानों से धन प्राप्त होगा एवं इस वित्तीय वर्ष में कुल कितना धन इस पर व्यय किया जा रहा है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। इस आशय की घोषणा राज्य सरकार की विज्ञप्ति सं. एफ 3/1/73/ राज. 8/73 दि. 8.5.81 द्वारा की जा चुकी है।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए छठी पंचवर्षीय योजना काल के लिए कुल

(वन मंत्री)

2·47 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

(3) इस तरह की क्षेत्रीय कठिनाइयों के समाधान हेतु सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 21 के प्रावधानों के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(4) इस मरु पार्क के लिए केन्द्र सरकार से 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार से 50 प्रतिशत धन प्राप्त होगा। इस वित्तीय वर्ष में कुल 45·67 लाख रुपया व्यय किया जा रहा है।

**इन्द्रगढ़-उनियारा सड़क की मरम्मत**

130. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़ से उनियारा सड़क खराब होने की वजह से जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(2) यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत के लिए अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा अब इसमें क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

(3) क्या सरकार जनहित को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र ही उक्त सड़क के पुनः निर्माण के आदेश प्रदान करेगी ?

**उत्तर**

(1) कुछ हिस्से में सड़क खराब है जिसकी वजह से कठिनाई स्वाभाविक है।

(2 एवं 3)

सड़क की मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। पुनः निर्माण की आवश्यकता अभी महसूस नहीं की जा रही है।

**ग्राम भगवतगढ़ से ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा तक सड़क का निर्माण**

131. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भगवतगढ़ जिला सवाईमाधोपुर से ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा तक कच्चा रास्ता है ? यदि हां, तो क्या इसको पक्का रास्ता बनाने का एस्टीमेट बना कर विभाग को भेजा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि यदि इस रोड को बना दिया जावे तो 4 ग्राम पंचायतों का रोड से सम्बन्ध जुड़ जावेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार का इस रोड को बनाने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक इसे बना दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 18-3-1981 को उपर्युक्त रोड का एस्टीमेट 4,10,292 रुपये बना कर राज्य सरकार के पास भेजा गया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में ग्राम भवगतगढ़ से ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा तक कच्चा रास्ता है। पक्का रास्ता बनाने का कोई एस्टीमेट विभाग को नहीं भेजा गया है।

(2) यह सही है कि यदि इस रोड को बना दिये जाय तो 4 ग्राम पंचायतों का रोड़ से संबंध जुड़ जावेगा। इस रोड को बनाने की योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

(3) इस विभाग को उपरोक्त रोड का एस्टीमेट प्राप्त नहीं हुआ।

**पोकरण-सांकड़ा व पोकरण-श्रोला सड़कों का डामरीकरण**

132. **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पोकरण से सांकड़ा व पोकरण से श्रोला की सड़क पर गत कई वर्षों से डामर नहीं बिछाया गया ? क्या यह सही है कि इन सड़कों की स्वीकृति हुए कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है ? इन सड़कों पर कब तक यह कार्य पूर्ण करा दिया जावेगा ?

उत्तर

यह सही है कि पोकरण से श्रोला वाया सांकडा सड़क पर पोकरण छोर से 6 कि. मी. छोड़कर बाकी 73 कि. मी. में डामर नहीं बिछाया गया है। इस सड़क पर डामर बिछाने की कोई स्वीकृति योजना मद में नहीं दी गई परन्तु अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 6 कि. मी. लम्बाई में डामरीकरण, 38 कि. मी. में मेटल रोड एवं 35 कि. मी. में ग्रेवल सड़क बनाई गई। इस पूरी सड़क के डामरीकरण की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

**समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एवं अनुदानित छात्रावासों की व्यवस्था**

133. **श्री नन्दलाल मीणा** (सिकराय) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाने वाले एवं अनुदानित छात्रावासों की व्यवस्थाओं में कानून द्वारा आमूल चूल परिवर्तन किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में विभिन्न छात्रावासीय बालक, बालिकाओं के खाद्य, आवास एवं वस्त्र तथा पाठ्य पुस्तकों पर जो राशि व्यय की जाती रही है उसकी तुलना में परिवर्तित व्यवस्था में छात्रों पर राशि काफी कम व्यय की जायेगी ? यदि नहीं, तो प्रति छात्र वर्षवार कितनी राशि व्यय की जायेगी ? परिवर्तन के पूर्व की व्यवस्था में कितनी राशि व्यय की जाती थी ?

उत्तर

(1) छात्रावासों की व्यवस्था में परिवर्तन 1-2-82 से किया जा चुका है।

(समाज कल्याण मंत्री)

जी नहीं। वर्ष 80-81 एवं 81-82 हेतु राजकीय छात्रावासों की सूचना निम्न प्रकार है :–

| वर्ष | स्वीकृत छात्र संख्या | खाद, वस्त्र, तथा पाठ्यपुस्तक पर कुल व्यय (राशि लाखों में) | प्रति छात्र औसत व्यय (वार्षिक) |
|---|---|---|---|
| 1980-81 | 9,100 | 78.27 | 860.00 |
| 1981-82 | 9,250 | 80.03 (सम्भावित) | 865.00 |

(2) परिवर्तन के पूर्व व्यय की जाने वाली राशि वर्ष 80–81 के उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार है। उक्त सुविधाओं पर परिवर्तन के पश्चात् प्रति छात्र प्रति माह 87.50 रु. औसत व्यय होगा।

अनुदानित छात्रावासों हेतु पूर्व में औसतन रु. 97.50 प्रति छात्र प्रति माह दिया जाता था। अब 87.50 रु. प्रति माह दिया जाएगा। पूर्व में दी जाने वाली राशि में स्टाफ आदि का व्यय सम्मिलित था। अब यदि स्टाफ, शिक्षक एवं अन्य सुविधाओं को जोड़ा जाए तो प्रति छात्र रु. 100.00 प्रति माह से अधिक का व्यय सरकार द्वारा किया जाएगा।

## मेहतर जाति के छात्रों के छात्रावास

134. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में मेहतरों के छात्रों के लिए कितने छात्रावास खोले गये हैं ? कृपया जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में किस कक्षा के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तथा क्या पहली कक्षा के छात्रों को भी प्रवेश दिलाने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कबसे ? नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) राज्य में मेहतर छात्रावासों के लिए 37 छात्रावास खोले गये हैं। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखदी गई है। (परिशिष्ट 'क')

(2) इन छात्रावासों में कक्षा 6 से 11 तक के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत इन्हीं कक्षाओं के छात्रों का प्रावधान है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

## सवर्णों द्वारा हरिजनों से विवाह करने हेतु प्रोत्साहन राशि

135. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी सवर्ण द्वारा किसी हरिजन से विवाह करने पर सरकार द्वारा 5 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जायेंगे ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) यदि हां, तो अब तक सरकार के पास ऐसे कितने मामले आये ?

(3) क्या किसी हरिजन द्वारा सवर्ण महिला से शादी करने पर भी प्रोत्साहन राशि दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां । नियम बनाये जा रहे हैं ।

(2) अभी तक राज्य सरकार के पास ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

(3) जी हां ।

**जनजाति लघु खंडों के विकास हेतु स्वीकृत धनराशि**

136. **श्री नन्दलाल मीणा** (सिकराय) : क्या जन जाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980–81 एवं 1981-82 के लिये राज्य में जनजाति लघु खण्डों के विकास के लिये राज्य सरकार एवं भारत सरकार से कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) राज्य द्वारा स्वीकृत राशि का बंटवारा विभिन्न लघु खण्डों के लिये किस आधार पर किया जाता है ?

(3) जिला चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर में कितने कितने लघु खण्ड बनाये गये हैं और इन लघु खण्डों को गत दो वित्तीय वर्षों में कितनी कितनी राशि आवंटित की गयी ?

(4) अब तक आवंटित राशि का कितना प्रतिशत उपयोग हुआ ?

(5) जनजाति लघु खण्डों के विकास के लिये व्यावहारिक योजना बनाने के लिये क्या कोई राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है ? यदि हां, तो गठित कमेटी की बैठकें कब कब होती हैं और इनके कौन-कौन सदस्य हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) जनजाति लघु खण्डों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जाती है । इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1980–81 में 190 लाख रुपये तथा वर्ष 1981–82 में 197·99 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई ।

(2) विभिन्न जिलों से चयनित लघु खण्डों के संबंध में सम्बन्धित जिला अभिकरण से माडा कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत प्रयोजनों के लिये प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं । विभिन्न जिलों में जनजाति लघु खण्डों की जनजाति संख्या एवं जनजातियों के विकास के लिये स्वीकृत प्रयोजनों के लिये अभिकरण के प्रस्तावों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की जाती है ।

(3) जिला चित्तौड़गढ़ में दो तथा उदयपुर में तीन लघु खण्डों का निर्माण किया गया है । गत दो वर्षों (1979–80 एवं 1980-81) में निम्नानुसार धनराशि आवन्टित की गई :—

| जिला | लघुखण्ड संख्या | आवन्टित धनराशि 79–80 | 80–81 |
|---|---|---|---|
| चित्तौड़गढ़ | 2 | 10·14 | 10·09 |
| उदयपुर | 3 | 16·96 | 16·83 |

Page No 38

(38)



(जनजाति विकास मंत्री)

(4) जिला चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर के लघु खण्डों के विकास के लिये 78–79 से 81–82 तक कुल क्रमशः 31·84 लाख एवं 56·60 लाख रु. का आवन्टन किया जिसके विपरीत जनवरी, 82 तक क्रमशः 44·49 प्रतिशत व 57·92 प्रतिशत उपयोग हुआ है।

(5) जनजाति के लघु खण्डों की व्यावहारिक योजनाएं बनाने के लिये राज्य स्तर पर कोई समिति गठित नहीं की गई है।

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

**श्री अध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीम का थाना निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम मोठूका की श्रीमती किरणदेवी की उनके ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर हत्या कर देने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा के श्रमिकों को नौकरी से अलग कर देने के विषय में।

(3) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर स्थित बेंकन फैक्ट्री में पशुओं की कटाई अस्वास्थ्यकारक तरीके से करने के विषय में।

(4) श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से 25 फरवरी को जिला झुन्झनू तहसील उदयपुरवाटी के ग्राम मोंडकी में कुआं खोदते समय दो व्यक्तियों की मिट्टी में दबने से हुई मृत्यु के विषय में।

(5) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर की बिरसलपुर ब्रान्च में 3 व्यक्तियों की डूबने के कारण हुई मृत्यु के विषय में।

(6) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, को विधान सभा की ओर से गत 27 फरवरी राजस्व विभाग की कृषि भूमि के नियमितिकरण के सम्बन्ध में प्रकाशित एक विज्ञप्ति के विषय में।

7. श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर नगर में पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी व सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 28 फरवरी की शाम को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भगदड़ मच जाने के कारण एक बालक की मृत्यु हो जाने व 5 व्यक्तियों के घायल हो जाने के विषय में।

मैं चाहूंगा कि इस विषय में सरकार की ओर से आज ही सदन में एक वक्तव्य दिया जाय। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

# Page No 39

(39)



(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 26 फरवरी को जयपुर में पांच बत्ती पर एक एक्सीडेन्ट से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के विषय में।

(3) श्री रघुवीर सिंह कौशल व श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा झालावाड़ क्षेत्र में गत 15–20 दिनों से प्रतिदिन विस्फोटों की आवाज सुनाई देने के विषय में।

ये स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री मेघराज तावड़ व श्री गोपाल पचेरवाल: जिला बांसवाड़ा के पीपलदा ग्राम में पुलिस की पिटाई से खातिया नामक एक आदिवासी की कथित मृत्यु के विषय में।

मैं चाहूंगा कि इस विषय में राज्य सरकार की ओर से एक वक्तव्य सदन में दिया जाय।

(2) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले में तहसील कोलायत के ग्राम गजनेर की रोही में एक व्यक्ति द्वारा लगभग 8 हजार पेड़ों की कटाई करने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(3) श्री देवीसिंह भाटी, जिला बीकानेर में भेड़ों की डकैती व डा. चन्द्रप्रकाश की हत्या के विषय में।

सरकार ने सूचना दी है कि भेड़ों की चोरी के सम्बन्ध में अभियोग का अन्वेषण जारी है और डा. चन्द्रप्रकाश की हत्या के मुल्जिम को जमानत पर छोड़ दिया गया है तथा इसमें भी अन्वेषण जारी है।

(4) श्री गुलाबचन्द कटारिया : उदयपुर विश्व-विद्यालय में गत 26 जनवरी को राष्ट्रीय झण्डा उल्टा लगाने के विषय में।

इस संबंध में सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि यह एक आकस्मिक घटना थी और भविष्य में संबंधित कर्मचारियों को गफलत न करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(5) श्री रतनलाल ताम्बी : भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में चुनाव के दौरान लाठी-चार्ज व तनाव।

सरकार ने सूचित किया है कि अभियोग का अन्वेषण जारी है।

(6) श्री मोहनलाल मोदी : श्री माधोपुर कस्बे में ग्राम अजीतगढ़ में एक महिला की नसबन्दी करते समय हुई मृत्यु के संबंध में।

इस संबंध में राज्य सरकार ने सूचना दी है कि आरोप की जांच चल रही है और मृतक महिला के वारिस को सरकार की ओर से 5000 रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

(7) श्री बालचन्द्र आर्यवीर : झालावाड़ जिले में भवानी मण्डी में लेडी डाक्टर व रायपुर कस्बे में डाक्टर का न होना।

(8) श्री कैलाश मेघवाल : आयुर्वेद विभाग के निदेशक के विरुद्ध जांच के दौरान पत्रावलियों को गायब करना।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री बंशीलाल पटवा : भीलवाड़ा नगर में सफाई व रोशनी आदि की कमी के विषय में।

उक्त स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से प्राप्त तथ्यों के अध्ययन से प्रकट होता है कि इन विषयों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। ये स्थगन प्रस्ताव के विषय भी नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये हैं अथवा राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् अस्वीकार किये गये हैं, उन पर माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने का समय दिया जा रहा है।

### स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : कल जो दुर्घटना हुई स्टेडियम में जहां दो जने मारे गये हैं उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आज ही वक्तव्य देने को कहा है।

**श्री मालाराम** (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं करना चाहता हूं। जब सत्र चल रहा हो तब जिलाधीशों द्वारा किसी ऐसी समिति मीटिंग नहीं बुलायी जाती जिसमें विधायक शामिल हों। मुझे कहते हुए खेद है कि हमारे कांग्रेस के प्रभारी मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा के आदेश से 4 मार्च को कोटा में पिछड़े को पहले कार्यक्रम के लिये जो समिति बनाई थी उसकी मीटिंग बुलायी गई थी।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : मैंने इन्फार्म कर दिया है कि वहां पर ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं बुलायी गई थी।

**श्री मालाराम** : तीन मीटिंग रद्द कर दी गई। 4 मार्च की इसलिये बुलाना चाहते हैं कि वे अटेंड नहीं कर सकें।

**श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : यह सात बार मीटिंग रद्द हो चुकी है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। जहां तक मीटिंग बुलाने का प्रश्न है, मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया कि मीटिंग नहीं बुलायी गई थी। इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य यह कोई तरीका नहीं है कि....

(व्यवधान)

आर्डर, प्लीज। मैं इस वक्त किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं। श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

(व्यवधान)

कृपया, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री मालाराम** : अध्यक्ष मदोहय, मैं निवेदन करना....

**श्री अध्यक्ष** : मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह विचारणीय विषय नहीं है सदन के सामने इसलिये इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

**श्री मालाराम** : भूमि सुधार के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है मैं यह पूछना चाहता हूं ।

**श्री ग्रध्यक्ष** : इस पर जानकारी मंगवा दी जायेगी ।

**श्री मालाराम** : कब तक जानकारी दे दी जायेगी । मेरे पास ग्रभी तक इसकी सूचना नहीं ग्रायी है । मैंने दो-तीन दफा निवेदन किया है ।

**श्री कैलाश मेघवाल (ग्रजमेर पूर्व)** : परसों जब राज्यपाल के ग्रभिभाषण पर बहस का उत्तर दिया जा रहा था तब मंत्री महोदय सो रहे थे । सोना नियमों के विरुद्ध नहीं है ? मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है 265 के ग्रन्तर्गत जो नियम है उसमें है कि नींद नहीं ले सकते ।

**श्री ग्रध्यक्ष** : नियमों का दुवारा जब कभी हनन हो तो ध्यान में लायें ताकि मैं व्यवस्था दे सकूं ।

(व्यवधान)

दुबारा कोई माननीय सदस्य सो तब यह व्यवस्था दी जायेगी ।

(व्यवधान)

कृपया समय न लें । श्री वालचन्द्र ग्रार्यवीर ।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : मेरा प्रश्न है कि कोटा जिले में....

(व्यवधान)

कहना ग्रावश्यक है ।

(व्यवधान)

**श्री ग्रध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि किसी विषय को मेरी इजाजत से नियमों के ग्रनुसार उठाया जा सकता है । ग्रापने, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था । मंत्री ने कहा कि मीटिंग कैंसिल कर दी गई है, उसके बाद यदि कोई ऐसी शिकायत है तो....

(व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा** : जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मीटिंग बुलाई गई थी । विधि मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि नहीं बुलाई गई है । यह कहा है कि जब सत्र चल रहा हो तो जिलाधीश ऐसी समिति की मीटिंग नहीं बुला सकता, जिसमें विधायक सम्मिलित हों । राजस्थान सरकार ग्रादेश दे रही है ।

(व्यवधान)

**श्री ग्रध्यक्ष** : ग्रार्डर, ग्रार्डर । थोड़ा नियमों का ध्यान रखें, माननीय सदस्य । श्री वालचन्द्र ग्रार्यवीर ।

**श्रीमती विद्या पाठक** : ग्रगर कोई मंत्री सोता है तो बाकी ग्रलर्ट हैं कम से कम वह तो जवाब दे सकते हैं । ग्राप उनके ग्रधिकारों का हनन क्यों करते हैं ? माननीय ग्रध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

**श्री ग्रध्यक्ष** : ग्रार्डर प्लीज, श्री वालचन्द्र ग्रार्यवीर ।

**श्री बालचंद्र आर्यवीर (डग)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा स्थगन प्रस्ताव रोडवेज की सिटी बस के ऊपर था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2 जनवरी, 82 को जब सिटी बस डिपो से निकल कर आ रही थी प्रातः 6 बजे तो उसका एक कार से एक्सीडेंट हुआ। जब वह डिपो से निकली तो उसका ब्रेक न लगने से कार से एक्सीडेंट हुआ जिससे कार में बैठे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अफसरों की इसमें लापरवाही है। चालक और परिचालकों के कहने पर कि बस खराब है उन्होंने कहा कि आप यह बस ले जाइये। यह मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं की ओर आप ध्यान दें। अफसरों को आप ताड़ना दें, जिससे आगे से ऐसी लापरवाही न हो।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रघुवीर सिंह कौशल। विस्फोटों के बारे में कोटा व झालावाड़ जिले में।

**सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : इस पर मेरा भी एडजोर्नमेंट मोशन है।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)** : आप भी बोल लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत 15–20 दिनों से कोटा झालावाड़ और मध्य प्रदेश के मानसोर क्षेत्र में दिन में एक बार, कभी दो बार कभी दो दिन में एक बार भयंकर विस्फोट होता है जिससे जन-जीवन ग्रस्त व्यस्त हो रहा है। प्रशासन भी इस संबंध में जानकारी देने में असमर्थ है। होता यहां तक है कि सब-इन्सपेक्टर्स अपने अपने क्षेत्र में दौड़ते हैं कि कहीं कुछ गिरा है क्या। कई गांवों में जाते हैं। जब गांव वालों को मालूम पड़ता है कि प्रशासन को भी यह विदित नहीं है कि होता क्या है तो उससे जन जीवन ग्रस्त-व्यस्त हो जाता है। अभी गांधी सागर से समाचार आया है, पी. टी. आई. ने न्यूज दी कि वहां धमाकों से इंजीनियर्स में खलबली मच गई। उन्होंने गांधीसागर की देखरेख तुरंत शुरू की कि कहीं इसमें क्रेक्स तो नहीं आ गये। उस क्षेत्र के कई मकानों की दीवारों में क्रेक्स आ गये हैं। जब डी. आई. जी. से बातचीत हुई तो कहने लगे, मेरे लड़के ने भी कहा है कि आज जब विस्फोट हुआ था तो हमारी खिड़कियां हिल गई। ऐसी स्थिति उस समूचे क्षेत्र में है। एक एक गांव में काफी व्याकुलता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। कभी बताया जाता है कि सुपरसोनिक जेट्स का अभ्यास कर रहे हैं, कभी समाचार अखबारों में आ रहा है अन्डरग्राउण्ड विस्फोट किये जा रहे हैं। जो कुछ भी है, सरकार को चाहिये कि स्पष्टीकरण दे। इतने दिनों तक यह घटना घट रही है, लोगों में बेचैनी हो रही है और सरकार अभी तक कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। इस कारण जन-जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, बड़ी व्याकुलता है। तहसीलदार, एस. पी. व सब-इन्सपेक्टर यह कहते हैं कि हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है। यह कैसी अजीब बात है, कितने दिनों से हो रहा है। डी. आई. जी. पुलिस

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)
स्वयं कहते हैं कि मेरे मकान की खिड़कियां हिल गईं। ऐसी स्थिति है। ऐसी महत्वपूर्ण घटना घट रही है जिससे व्याकुलता हो रही है, सरकार इस संबंध में जानकारी जनता को दे कि आखिर यह क्या चीज है।

**श्री अध्यक्ष** : आपने सुना नहीं कोई विस्फोट ?

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : मैंने सुना है, बड़े जोर से धमाके होते हैं। कोटा जिले के एक गांव में क्रेक्स आ गये। सदन के भूतपूर्व माननीय सदस्य, श्री भंवरलाल शर्मा ने मुझे बताया, दाऊ दयालजी मत जाना, मकानों में क्रेक्स आ गये। मेरा निवेदन है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर जिस प्रकार का आज आतंक है विस्फोट के कारण, यह चिन्ता का विषय है। आये दिन एक एक दिन में तीन तीन बार तारीख 25 को तीन बार 10 बजे, 11॥ बजे और फिर दिन में 3 बजे इस प्रकार के विस्फोट हुये। उसके बाद झनझनी पैदा हुई। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने आज तक इस संबंध में कोई वक्तव्य क्यों नहीं दिया ? इस सारे मामले को मध्य प्रदेश विधान सभा में जोर से उठाया गया, वहां भी सरकार किसी प्रकार का सही सही उत्तर देने में असमर्थ रही, मेरा निवेदन है ....

**श्री अध्यक्ष** : राज्य सरकार का विषय नहीं है।

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : कोई तो जवाब दें। आतंक और भय जो व्याप्त है, उस विषय में जानकारी लोगों को देनी चाहिये। यही कहिये कि डरिये मत, आप घबराइये मत, हम फलां फलां कार्य कर रहे हैं इसलिये चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी पदाधिकारी ने कोई भी वक्तव्य या इस प्रकार की बात नहीं की। मैंने डी. आई. जी. से पूछा तो उन्होंने कहा, मैं खुद जानता हूं मेरे लड़के ने आज अखबार में पढ़ा। उन्होंने जानकारी दी यह सुपर सैनिक विमान के कारण हुआ है। गांधी सागर डेम जहां पर 23 मेगावाट की 5 इकाइयां हैं वहां पर मुख्य इंजीनियर स्वयं चलकर आये हैं और वह सारी देख रेख कर रहे हैं, उनमें भय व्याप्त है। राणा प्रताप सागर जहां बिजली पैदा होती है वहां पर उस कम्पन के कारण भय व्याप्त है। पूरा हाडौती क्षेत्र इस कारण से चिन्तित है। आपके माध्यम से प्रशासन के जिम्मेदार मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं, अलग अलग लोगों की राय प्रकट हो रही है। कोई कहते हैं भूजल का परीक्षण हो रहा है, कोई कहते हैं पृथ्वी की तरंग उठ रही है। कोई कहते हैं सुपर सैनिक विमान के कारण यह हो रहा है। कोई कहता है ग्वालियर में मिग 25 की उड़ान के एक्सपेरीमेंट के कारण यह हो रहा है....

**श्री अध्यक्ष** : ये सभी कारण ऐसे हैं जो शायद बताये नहीं जा सकते।

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : सरकार यह तो कह दे कि आप डरिये मत। हाडौती क्षेत्र में लोगों को यह तो बताये कि आखिरकार कारण क्या है, आवाज क्यों आ रही है, विस्फोट क्यों हो रहे हैं। वक्तव्य जारी हो जाय, जिन सम्पर्क विभाग द्वारा राजस्थान का करोड़ों रुपये का व्यय होता है, जहां

(श्री दाऊदयाल जोशी)

इस प्रकार का टेरर व्याप्त है, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर....

**श्री ग्रध्यक्ष** : समाप्त किया जाय।

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : राज्य सरकार कोई ग्राज ही वक्तव्य दे कि कोई भय की बात नहीं है, यह मेरा निवेदन है।

**सुश्री पुष्पा जैन** : ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे विशेष तो कुछ नहीं कहना। जैसे की दोनों माननीय सदस्यों ने तथ्य सदन में रखे, उसके मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि मैंने 23 तारीख को एक एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया था, ग्रापकी तरफ से कहा गया था कि सरकार इसमें जवाब देगी। इसका मुझे बड़ा ग्रफसोस है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार ग्रपनी ग्रोर से जवाब देती ग्रौर जनता को ग्रागाह करती कि इन धमाकों से कोई नुकसान नहीं है, वे नहीं डरें तो ग्रच्छा होता। सरकार की लापरवाही की प्रवृत्ति, जनता के प्रति उपेक्षा की प्रवृत्ति उचित नहीं है। लिहाजा मुझे इस एडजोर्नमेंट मोशन के थ्रू ग्रापके माध्यम से सरकार से इतना ही कहना है कि इन विस्फोटों के बारे में सरकार जल्दी ग्रपना बयान जारी करे, जो कुछ उनके मुताल्लिक जानकारी प्राप्त की है ये विस्फोट क्यों हो रहे हैं, धमाके क्यों हो रहे हैं, जनता को इनसे खतरा है या नहीं, सदन में बयान जारी कर जनता को संतुष्ट करें कि भविष्य में ऐसे धमाकों से सतर्क रहने की ग्रावश्यकता है ग्रथवा नहीं।

**श्री ग्रध्यक्ष** : श्री देवी सिंह भाटी।

**श्रीमती उजला ग्ररोड़ा** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। केवल 12 सदस्य सत्ता पक्ष में बैठे हैं। क्या विधान सभा में बैठने की उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई? ग्राप व्यवस्था करायें, बेंचें खाली पड़ी हैं।

**श्री ग्रध्यक्ष** : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, ग्रापत्ति को निरस्त किया गया।

श्री देवीसिंह भाटी। बीकानेर जिले की तहसील कोलायत के ग्राम गजनेर में एक व्यक्ति द्वारा लगभग 8 हजार पेड़ों की कटाई।

**श्री देवीसिंह भाटी** : ग्रध्यक्ष महोदय, तहसील कोलायत ग्राम गजनेर के पास एक तीतरों का बाड़ा है जिसमें हजारों पेड़ हैं ग्रौर वह विवादास्पद भूमि है, उसका सीलिंग एक्ट के तहत मामला चल रहा है। मेरा निवेदन है कि राजस्व विभाग में हर हल्के में एक पटवारी नियुक्त है। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी पेड़ को काटता है, पटवारी को उसकी सूचना मिले वह तुरत तहसीलदार को दे ग्रौर थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाये। ग्रध्यक्ष महोदय, दो माह पूर्व तीतरों के बाड़े के ग्रन्दर 8–9 हजार पेड़ एक करोड़पति सेठ ने सरकारी ग्रधिकारियों पर ग्रपना दबाव डालकर कटवाये, ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास किया। 19 तारीख को जो पंचायत समिति की कोलायत में मीटिंग हुई थी उसके ग्रन्दर प्रस्ताव की प्रतिलिपि दी। गजनेर के ग्रामीणों ने मुख्य मंत्री जब गजनेर पधारे उस बारे में निवेदन किया ग्रौर जिलाधीश को भी उस बारे में निवेदन किया। मेरा निवेदन है कि एक तरफ तो पश्चिमी राजस्थान में पेड़ों की कमी है ग्रौर वन विभाग द्वारा जंगल में मगल कार्यक्रम चलाकर पेड़ लगाने का कार्यक्रम चल रहा

(श्री देवीसिंह भाटी)

है, दूसरी तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं। इस संबंध में, अध्यक्ष महोदय, आपने भी बार बार जन सभाओं में कहा है पेड़ की कटाई की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये इसको रोका जाय। मेरा निवेदन है कि राजस्व मंत्री इस बारे में तुरंत कार्रवाही करायें, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर पेड़ काटता है तो उस आदमी के जुर्म को कतल के बराबर जुर्म मैं मानता हूं। इस प्रकार 8-8, 9-9 हजार पेड़ों की कटाई हो रही है अनियमित रूप से भूमि पर कब्जा कर लिया है, पूर्व में भी 3 हजार बीघा भूमि थी जिस पर कब्जा कर लिया है। फिर उसने करीब 1600 बीघा जमीन पर कब्जा करके कटाई करवा ली और लकड़ी काटकर बीकानेर धर्म कान्टे को बेच दी। इस सम्बन्ध में बार बार निवेदन किया गया फिर भी इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? जैसे ही सूचना मिलती है उस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिये। आपने आसन से व्यवस्था दी है कि इसमें कार्यवाही चल रही है। मैंने निवेदन किया अगर किसी का प्रूव हो चुका और बाद में शिकायत देने पर एस. डी. ओ. ने कब्जे में लेकर सुपुर्दगी में दे दिया उसके उपरांत वह लकड़ी उठा कर बाजार में दे आये....

**श्री अध्यक्ष** : चोरी का केस दर्ज हुआ है।

**श्री देवीसिह भाटी** : लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज तक न तो कोई गिरफ्तारी हुई न ही कुछ पता चला कि इसमें क्या हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक नहीं 8-8 और 9-9 हजार पेड़ काट दिये गये हैं। वह पेड़ एक करोड़पति सेठ ने कटवाये हैं लेकिन नाम पता होने पर भी उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यह तो बड़े शर्म की बात है। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में जहां पेड़ों की कमी है और लोग पेड़ों की छाया के लिए तड़पते हैं उनको पेड़ों की छाया नहीं मिले तो इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी काफी तादाद में पेड़ों की कटाई हुई है और पेड़ों को काट कर सारे जंगल का सत्यानाश कर दिया गया है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपका विषय और है उस पर बोलें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़े शर्म की बात है। यहां पर गृह राज्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने उन पेड़ों को कटवाया है उसको तुरन्त गिरफ्तार करके उसके खिलाफ में कार्यवाही की जाय।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप अपने विषय पर आ जायें। आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है, डाक्टर चन्द्रप्रकाश की हत्या के बारे में।

**श्री देवीसिह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, पिछले माहों में काफी संख्या में हत्यायें बीकानेर में हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, यह हत्यायें एक नहीं बीसियों हत्यायें हुई हैं। मुझे स्पेसिफिकली तीन हत्याओं के बारे में मालूम है। जो तीन मुकदमे हैं उनके बारे में एडजोर्नमेंट मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय, पूगल थाने में गांव

(श्री देवीसिंह भाटी)

दर्वेर, जो दूर दराज क्षेत्र में बसा हुआ है, बोर्डर के पास है, के अन्दर एक संगठित गिरोह ने रात को पहुंच कर हमला किया जिसके अन्दर मुसम्मात नूरा को हत्या की गई। पता नहीं वह किस प्रकार के बम्ब बना कर वहां पर लाये थे। वह हैण्डग्रेनेड था या बारूद का गोला बना कर उन्होंने फेंका जिससे मुसम्मात नूरा की उसी वक्त मृत्यु हो गयी और तीन व्यक्ति घायल हो गये। अध्यक्ष महोदय, पूगल थाने में उसी वक्त पता चलते ही रिपोर्ट कराई गई। अध्यक्ष महोदय, नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसमें कहा गया था कि फलां फलां व्यक्ति है जिसने आकर हत्या की, जिसको हमने पहचाना है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। वह मुल्जिम वहां पर खुले आम सड़कों पर घूम रहे हैं पर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यह बड़े शर्म की बात है। यह तो नहीं है कि मुल्जिमों का पता नहीं हो। जब मुस्तगीस के ऊपर हमला किया है उस मुस्तगीस ने खुदने पहचाना है, उन दो तीन व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवायी हुई है, पुलिस को इतला दी है उसके उपरांत पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, घटना 3-8-81 की है, बड़े ही दुख की बात है गृह राज्य मंत्री यहां विराज रहे हैं आज तक एक भी मुल्जिम को बुला कर न तो पूछताछ ही की गई और न गिरफ्तारी ही की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और निवेदन कर दू कि राज्य मंत्री, गृह विभाग से मैं दो बार इस सम्बन्ध में मिला भी। इस एक्सीडेन्ट के बारे में उन्हें बताया भी और दरख्वास्त भी इसके उपर कार्यवाही करने के लिए दी। गृह राज्य मंत्री जी ने डी.आई.जी.पी., बीकानेर को लिखा कि इसके अन्दर तुरंत कार्यवाही की जाय पर अभी तक, अध्यक्ष महोदय, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और न उसका उत्तर गृह राज्य मंत्री महोदय को दिया गया है कि मुल्जिमों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है।

इसी प्रकार दूसरा मामला है गांव जालवाली का।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, यह आपका एडजोर्नमेंट मोशन नहीं है। आपका चन्द्रप्रकाश की हत्या के बारे में स्थगन प्रस्ताव है उसके बारे में बोलें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, दर्वेर का मामला है, इसमें मैंने तीन हत्याओं के बारे में स्पेसिफिकली मेन्शन किया है। आज 6–6 महीने होने को हैं पर कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस प्रकार पूगल थाने में जालवाली थाने के अन्दर कोई व्यक्ति आये। रोई के अन्दर लोग अपनी भेड़ों की रेवड़ को चरा रहे थे। उन दो व्यक्तियों की हत्या करके वह लोग 400 भेड़ों की रेवड़ को पैदल 60 मील तक ले गये। आगे जाकर उन्होंने, अध्यक्ष महोदय, उन भेड़ों को ट्रक में चढ़ाया और उनको लेकर देहली की तरफ रवाना हो गये। अध्यक्ष महोदय, बाद में जैसे ही लोगों को पता चला वह थाने में गये और वहां पर इत्तला की उसके बाद में मुस्तगीस, जिसने रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवायी थी, भी पुलिस के साथ था लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वह जब तारा नगर पहुंचे तो थानेदार ने

(श्री देवीसिंह भाटी)

मुस्तगीस को कह दिया कि आप अब वापस चले जाय हम देहली जा रहे हैं। वहां पर पूछताछ कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, उस मुस्तगीस को क्यों वापस भेजा गया? क्या कारण था? जब रिपोर्ट दर्ज करायी, उसे हालात का पता था, वह अपनी भेड़ों को पहचानता था परन्तु उसको वहीं छोड़ दिया गया और पुलिस अकेले गई। उनको पता था कि जो बड़े बड़े भेड़ों के व्यापारी हैं, बड़े बड़े दलाल हैं उनसे अगर हम पूछताछ करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा और रिश्वत मिलेगी। यही कारण था कि मुस्तगीस को वहां छोड़ दिया गया। पुलिस वहां से देहली की तरफ गई और वहां पर व्यापारियों को पकड़ा। जिन लोगों ने भेड़ों की चोरी की थी वह वहां पर चार दिन तक अपना माल बेचते रहे और मुल्जिम पैसा ले जाते रहे परन्तु किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके अलावा जिस ट्रक पर वह माल ले गये थे उस ट्रक को भी दो महीने तक नहीं पकड़ा और न ही उस ट्रक ड्राइवर को ही गिरफ्तार किया गया। अध्यक्ष महोदय, बाद में जब ज्यादा दबाव डाला गया तब उस ट्रक ड्राइवर को बुलाया गया। अध्यक्ष महोदय, उस करोड़पति दिल्ली के सेठ, जो कि भेड़ों का व्यापार करता है दलाली करता है, को आज तकगिरफ्तार नहीं किया गया और न ही उसके खिलाफ कोई कार्यवाही ही की गई है, जबकि, अध्यक्ष महोदय, पुलिस नियमों में यह प्रावधान है कि जो व्यक्ति मुल्जिम को सहायता देता है शरण देता है या जिसका उसके अन्दर योगदान होता है उसको तुरन्त गिरफ्तार किया जाता है परन्तु आज तक इस केस में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त दुख की बात है। आज हमारे क्षेत्र में बहुत ही आतंक फैला हुआ है और स्थिति यह है कि पुलिस पर जनता का कोई विश्वास नहीं रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : कोरम के अभाव के कारण आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

(गण पूरक घंटी)

(गनपूर्ति के पश्चात्)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, आप इनको ताड़ना दीजिये।

**श्री दिनेश डांगी** : आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा।

**एक माननीय सदस्य** : यह सरकार पक्ष की तरफ से सदन का अपमान है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय इसी तरह जालवाली गांव में एक हत्या हुई। उसका मुकदमा 8-11-81 को पुलिस थाने में दर्ज हुआ परन्तु आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। न ही उन भेड़ों की खालों को, जो वहां पर मौजूद है, जब्त किया गया है और न ही उस महत्वपूर्ण सेठ को ही गिरफ्तार किया गया है। केवल दलालों की गिरफ्तारी हुई है।

इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, महाजन गांव में डाक्टर चन्द्रप्रकाश की 21-11 को हत्या कर दी गई। जब ग्रामीण जनता को पता चला तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। उन्होंने यह कहा कि फलां फलां व्यक्ति संदिग्ध हैं, हत्या में शामिल हैं। उन लोगों को विश्वास है कि इस हत्या में

# Page No 48

(५४)



(श्री देवीसिंह भाटी)

फलां व्यक्ति शामिल हैं इसके उपरान्त भी मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही उनसे पूछताछ की गई है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, मूलतः कहना यह है कि आज 6–6 महीने 4–4 महीने हत्यायें हुए हो जाते हैं और लोगों को नामजद किया जाता है रिपोर्ट में, फिर भी पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने तीन-तीन उदाहरण पेश किये हैं। पिछले 8–9 महीनों का आप वहां के पुलिस थानों का रिकार्ड मंगा कर देखिये। थाने के अन्दर हत्या की सूचना मिली है, पुलिस ने केस रजिस्टर किया है पर आज तक किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन बिलकुल फेल रहा है। जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। लोगों पर संगठित होकर हमला किया गया और हत्या हुई लेकिन न तो पुलिस कोई कार्यवाही ही कर रही है और न लोगों को गिरफ्तार ही कर रही है। बड़े दुख की बात है हत्या जैसे संगीन मामलों में इस प्रकार पुलिस निष्क्रिय रहे।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा गृह राज्य मन्त्री यहां विराजे हुए हैं वह दो शब्द फर्मा दें कि इन मामलों में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ताकि जनता को सन्तोष हो जावे।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। मैंने मंजूरी नहीं दी है, आप स्थान ग्रहण करें। इस पर वाद-विवाद नहीं होगा।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, बड़ी मेहरबानी होगी यह तो हत्या के मामले हैं इन पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है, गृह राज्य मंत्री यहां स्थिति स्पष्ट कर दें तो उचित होगा।

**श्री अध्यक्ष** : आप, माननीय सदस्य, नियमों से परिचित हैं। मैंने जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार आपको बोलने की अनुमति दे दी और आपने फर्मा दिया। अब चर्चा समाप्त हुई।

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल ताम्बी।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल मादी।

(अनुपस्थित)

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : आॅन एक पाइंट आफ आर्डर। एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, आप थोड़ी देर ठहरें। श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : कौन से विषय पर है, साहब।

**श्री अध्यक्ष** : झालावाड़ जिले में भवानी मण्डी में लेडी डाक्टर व रायपुर कस्बे में डाक्टर

(श्री अध्यक्ष)

न होना। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी आप फर्मावें। क्या है पाइन्ट आफ आर्डर ?

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न के बाद 12 बजे आप द्वारा स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी जाती है कि आज इन इन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। दो मिनट का समय आप बोलने का संबंधित माननीय सदस्य को देते हैं। उस माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं होता है कि आज मेरे स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था इस प्रकार की जा रही है। यह आवश्यक भी नहीं होता कि उस वक्त संबंधित माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित ही हों क्योंकि माननीय सदस्य को यह पता नहीं होता इसलिये वह कुछ भी कहने से वन्चित रह जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो व्यवस्था देने जा रहे हैं उसकी जानकारी माननीय सदस्य को हो जाय कि आज मेरा स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट होने जा रहा है। उन्हें उस स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर आप दे रहे हैं। जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिये जाते हैं वह बहुत दिन पहले के होते हैं आप कभी भी उनको एवरप्टली ले लेते हैं और अपनी व्यवस्था दे देते हैं। वह माननीय सदस्य उस वक्त अगर आधे घन्टे के लिये बाहर रह जाय तो उसको अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं रहता है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य को मेरा नम्र निवेदन है कि जो मेरी व्यवस्था है वह नियमों से अलग हटकर है, माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये है ताकि उन महत्वपूर्ण विषयों पर, अस्वीकृत स्थगन प्रस्तावों पर माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकें। आप जो फर्मा रहे हैं वह उस परिस्थिति में है जबकि सरकार से जानकारी न ली हो और बोलने की अनुमति नहीं दी हो तो यह होता है। मैंने निवेदन किया कि रिजेक्ट कर दिया वह कर दिया। दो मिनट की सुविधा है, नियमों से हटकर मैंने यह सुविधा दी है। इसलिए जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि हमें तो कुछ बोलना है वह बोल सकते हैं।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कैसे पता लगेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : यह दो मिनट वाला नियमों में प्रावधान ही नहीं है। मैंने यह माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिये किया है। यदि माननीय सदस्य इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो उनको उपस्थित रहना चाहिए। इसके अलावा भी अगर और कोई व्यवस्था हो सकती है तो आप अलग से बात करें। आप सुझाव देंगे तो मैं उसके अनुसार भी कार्यवाही करूंगा। लेकिन हम सूचना दें माननीय सदस्य को कि उनके स्थगन प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर आ चुका है और अब मैं कल व्यवस्था दूंगा, यह सम्भव नहीं है। मैंने निवेदन किया कि स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत होने के पश्चात् नियमों के अन्तर्गत बोलने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए मैंने यह किया है। यह निवेदन किया कि यह व्यवस्था यहां पर चली आ रही है आप चाहें तो दो-दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं। उसमें आवश्यक नहीं है कि वह कहें ही। जो कहना चाहते हैं उनको

(श्री अध्यक्ष)
उपस्थित रहना चाहिए। इससे अच्छा सुझाव, जिसको हम क्रियान्वित कर सकते हैं, आपके पास हो तो आज ही मिलें, मैं उस पर विचार कर लूंगा। अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : आप मेरी बात समझे नहीं हैं....

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया। इस पर आगे चर्चा नहीं होगी।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : आप यह कहें कि चार दिन बाद व्यवस्था दूंगा तो वह चौथे दिन उपस्थित रहें। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : यह मेरे लिए सम्भव नहीं है। एक प्रश्न चार दिन नहीं ठहर सकता उस पर तत्काल व्यवस्था देनी पड़ती है। कई ऐसे होते हैं जिनकी ओर से मांग हो गई है और हमने भी यह महसूस किया कि इस पर आज ही व्यवस्था देनी है तो देते हैं। सबकी उपस्थिति में ही सब कुछ किया जाय यह सम्भव नहीं है, यह मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। जो माननीय सदस्य उसके उपरान्त भी चाहते हैं कि जो विषय उन्होंने प्रस्तुत किया है उस पर बोलने का अवसर मिले वह स्वयं उपस्थित रहें घण्टे दो घण्टे।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : उपस्थित किस दिन रहें, प्रश्न यह है ?

**श्री अध्यक्ष** : सदैव। कम से कम जीरो आवर और प्रश्नकाल में सदैव उपस्थित रहें।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : आपका कहना बिलकुल ठीक है।

**श्री अध्यक्ष** : उसके बाद भी कोई कठिनाई हो तो मैंने अर्ज कर दिया कि मैं उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकता हूं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर भवानी मण्डी में लेडी डाक्टर व रायपुर कस्बे में डाक्टर का अभाव।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने झालावाड़ भवानी मण्डी कस्बे में लेडी डाक्टर और रायपुर कस्बे में डाक्टर नहीं होने के विषय में यह स्थगन प्रस्ताव दिया है। अध्यक्ष महोदय, आपने सरकार को इसको भेजा। सरकार का उत्तर इस प्रकार से आया है कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार में जो मंत्रिगण बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप बीमार पड़ जायं, आपके परिवार का कोई आदमी बीमार पड़ जाय और डाक्टर उपलब्ध नहीं हो तो क्या स्थिति होगी ? मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय का थोड़ा उस तरफ ध्यान दिलाऊं। माननीय मंत्री महोदय, यह तो बाद में ही पढ़ लेना, माननीय मंत्री महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : आप अपनी बात जारी रखें।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : उनका पढ़ने में ध्यान है....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। आप आसन को संबोधित करके बात कहें।

# Page No 51

(51)



**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : तो आपके माध्यम से मैं पहले ही निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि रायपुर कस्बे में आठ दस महीनों से डाक्टर उपलब्ध नहीं है। वहां की जनता उपचार के अभाव में पीड़ित है और मृत्यु का शिकार हो रही है। इसी प्रकार की स्थिति भवानी मण्डी कस्बे में है। वहां पर भी लेडी डाक्टर कई महीनों से नहीं है। जो महिलायें उपचार करना चाहती हैं वह नहीं करा सकती हैं और मृत्यु का शिकार होती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय पर खुला खुला आरोप लगाना चाहता हूं कि वह × × × भी वहां डाक्टर की नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर....

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : मैं नाम नहीं ले रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह जो चिकित्सा मंत्री हैं इनके ऊपर यह मेरा खुला आरोप है....

**श्री अध्यक्ष** : आरोप लगाने के कुछ नियम हैं, सदन में यदि आप आरोप लगाना चाहते हैं तो....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। इस तरह आरोप नहीं लगा सकते, माननीय सदस्य, नियमों का उल्लंघन है।

(व्यवधान)

समाप्ति कीजिए, माननीय सदस्य।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है। मंत्री महोदय, थोड़ी मेरी बात सुनें....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय को सुनाने का यह तरीका नहीं है....

(व्यवधान)

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : मैं कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, इस तरह से सदन पर कार्यवाही थोप नहीं सकते।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी अपनी बात कह दूं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों का इस नियम की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कोई भी यहां चर्चा होती है आसन के माध्यम से होती है। यदि आप यह कहें कि फलां सदस्य या मंत्री सुन नहीं रहा है तो यह नहीं होना चाहिए। अगर मैं नहीं सुन रहा होऊं तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि आसन मेरी बात को नहीं सुन रहा है। जो बात मेरे माध्यम से कही जाती है उसको हम यही मान करके चलते हैं कि सारा सदन सुन रहा है। इसलिए आप आसन के माध्यम से बात कहें।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकि-

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)
त्सा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भवानी मण्डी में लेडी डाक्टर तथा कई महीनों से रायपुर कस्बे और झालावाड़ मुख्य जिला केन्द्र पर डाक्टर नहीं होने, जनता को उपचार नहीं मिलने के कारण काफी मुसीबत का सामना उठाना पड़ रहा है। इसके लिए शीघ्रातिशीघ्र आप कार्यवाही करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री कैलाश मेघवाल

**श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी व्यवस्था के बारे में बहुत विनम्र निवेदन करना है यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं था आपने बताया, मैं निवेदन करूं कि जिस समय मैं लिख रहा था तो मुझे भी ऐसा लगा कि यह ऐसी स्थिति है। बाद में मैंने सोचा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछूं कि महत्वपूर्ण एक छोटा सा कागज भी आपके सचिवालय से गायब हो जाय....

**श्री अध्यक्ष** : हमारे सचिवालय को आप छोटा समझते हैं क्या ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : नहीं, नहीं....

**श्री अध्यक्ष** : आपके सचिवालय से भी गायब हो जाय, इसका मतलब यह है कि कोई बहुत बड़ी जगह है वहां से तो गायब हो जाय....

**श्री कैलाश मेघवाल** : यह सचिवालय सुप्रीम है लेकिन गायब होते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाना मेरा परम कर्त्तव्य है, वैसे मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो।

जो मुद्दे मैंने उठाये उन मुद्दों के ऊपर सरकार का जवाब भी आया। जवाब में यह आश्वासन भी आया कि भ्रष्टाचार की जांच होगी जो कि आयुर्वेद विभाग में चल रही है। यहां तक ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। एक-एक, डेढ़-डेढ़ साल से फाइलें इधर से उधर चल रही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फाइल जो भ्रष्टाचार स्वरूप सामने आ सकती हैं वह गायब की जा रही हैं और की हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आपके रिकार्ड में आ जाय। मैंने इसलिए निवेदन किया है और स्थगन प्रस्ताव देने का मेरा उद्देश्य यही था। जो कार्यवाही हो रही है वह नहीं हो यह मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कार्यवाही हो। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इसके बावजूद भी चिकित्सा मंत्री ने जवाब दिया था कि जांच जारी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक फाइल पर सचिवालय में नोट बन चुका है, कांग्रेस के 21 विधायकों ने जो रिप्रेजेन्टेशन दिया उस पर इसके बाद चार केसेज में चार्ज शीट धारा 16 के अन्तर्गत दी है उसमें अधिकतम दण्ड देने का है। यह चार केसेज हैं, मंत्री महोदय, इसमें किस की फाइल गायब हुई है वह भी मैं बता सकता हूं। अच्छा हो वह सामने आ जाय और गायब नहीं हो। महेन्द्रपाल सिंह, लिपिक को अनुचित लाभ पहुंचाकर सरकार को 60 हजार रुपयों की हानि पहुंचना–यह चार्जशीट इश्यू हो चुकी है, एक्सप्लेनेशन काल हो चुका है, यह सारी जांच हो रही है और फाइल गायब....

**श्री अध्यक्ष** : विस्तार में न जायें, माननीय सदस्य।

**श्री कैलाश मेघवाल** : वह गायब हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसी तरह से एक फाइल जो गायब हुई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह है ग्राम जटावनी, जयपुर में 15 वर्ष पूर्व तक फर्जी दवाखाने के नाम पर आयुर्वेद विभाग से अनुदान दिया गया व दोषी पाये जाने पर इन्होंने निदेशालय की तत्संबंधी पत्रावली गायब कर दी। यह नीचे नोट है। यह मेरा निवेदन है। मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया है। फाइलें जो गायब हुई हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ इन्क्वायरी है वही व्यक्ति उस स्थान पर बैठा है जिसके अधिकार में वह फाइल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां बिराज रहे हैं, आपके माध्यम से सुन लें यह बात, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, कि आयुर्वेद की फाइल हैं वह गायब की। वह आपके विभाग का आदमी है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने का निर्णय लिया है उसमें से चार पाइन्ट पर तो चार्ज शीट दे चुके हैं। पत्रावलियां गायब न हों, किसी तरह के प्रमाण नष्ट न किये जायं यही मेरा, अध्यक्ष महोदय, निवेदन है। निश्चित रूप से ये प्रमाण गायब होने की आशंका है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री बंसीलाल पटवा।

(अनुपस्थित)

**श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की सूचना के लिये जो नाम पुकारे जाते हैं या जो नाम दिये जाते हैं उसमें आदर सूचक शब्द न होकर....

**श्री अध्यक्ष** : विधान सभा में किस तरह की व्यवस्था हो, उसमें यदि कहीं कुछ खामी है तो उसको यहां चर्चा में न उठायें। चेम्बर में बात कर लें।

**श्री महाराम चौधरी** : किस तरह से नाम पुकारें 'जी' या अन्य शब्द....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, यह चर्चा का विषय नहीं होगा।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** (दौगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रसिंह का मामला पिछले सदन में भी बहुत जोरों से उठाया गया था....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर प्लीज।

मुख्य मंत्रीजी का वक्तव्य।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, अहम् प्रश्न है। फाइलें गायब हो रही हैं।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने नाम पुकार लिया....

(व्यवधान)

**श्री मोहनलाल मोदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था। मैं थोड़ा लेट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह स्थगन प्रस्ताव दिया था कि अजीतगढ़ में नसबन्दी शिविर के अन्दर एक महिला की नसबन्दी करते समय टेबल पर डैथ हो गई। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम यह चाहते हैं कि जनसंख्या घटे और अधिक से अधिक आपरेशन लोग करायें। वहां लोगों में इस प्रकार की गलत भावना पैदा हो गई है कि वह नसबन्दी कराने से भयभीत

(श्री मोहनलाल मोदी)

हैं। 30 वर्ष की महिला को नसबन्दी के लिए लाया गया था। नसबन्दी की टेबल पर डाक्टर इन्चार्ज चन्द्रकला शर्मा की लापरवाही से उस महिला की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद डेड बॉडी को सीकर ले गये। यह कह कर ले गये कि टेबल पर डैथ नहीं हुई। सीकर ले जा करके बाद में उसका डैथ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बनाया है। उसके बाद लाश उसके घर वालों को भेज दी। गांव वालों में इस बात को लेकर बहुत बड़ा आक्रोश था। लाश लेकर अजीतगढ़ के हॉस्पिटल में आये अजीतगढ़ के डाक्टर उस लाश को एस.एच.ग्रो. के साथ थाने में ले गये। उसके बाद लाश घर वालों को मिली। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम चाहते हैं कि देश की जनसंख्या घटे और आपरेशन सही ढंग से हों दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही बरती जाय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस डाक्टर की लापरवाही की वजह से यह केस हुआ है उसे तुरन्त सस्पेन्ड करें। हाउस में तुरन्त इस बात का आश्वासन दें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सरकार लाखों, करोड़ों रुपये खर्च करती है, हम कोशिश करते हैं कि लोग नसबन्दी करवायें। आप स्वयं समझ सकते हैं कि उसके घर का क्या होगा। 30 वर्ष की महिला, रैगर महिला....

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त कीजिये।

**श्री मोहनलाल मोदी** : अध्यक्ष महोदय, मैं नाम भी बता दूं, भवानी देवी स्त्री ग्यारसी लाल हरिजन।

**श्री अध्यक्ष** : जब मैंने व्यवस्था दी थी उस समय आप उपस्थित नहीं थे....

(व्यवधान)

**श्री मोहनलाल मोदी** : अध्यक्ष महोदय, कम से कम....

**श्री अध्यक्ष** : पांच हजार रुपये की सहायता दी गई है। जिस डाक्टर की लापरवाही रही है उसके खिलाफ इन्क्वायरी की जा रही है। इन्क्वायरी करके ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

**श्री मोहनलाल मोदी** : इन्चार्ज डाक्टर को तुरन्त सस्पेन्ड करना चाहिये। इन्क्वायरी में तो आप जानते हैं चिकित्सा मंत्री जी के जो हालात हैं....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : वह अभी चर्चा का विषय नहीं है।

**श्री मोहनलाल मोदी** : वह आपको मालूम है। सारा मामला मंत्री जी से लिंक्ड है। कोई कार्यवाही नहीं होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं, इस समय ही अनाउन्स करना चाहिये कि डाक्टर को सस्पेन्ड कर दिया जायेगा, नहीं तो हमको बिलकुल भी भरोसा नहीं है कि डाक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही होगी। चिकित्सा मंत्री जी का व्यवहार आप सदन में देख रहे हैं। उनका जो व्यवहार है या तरीका है उससे तो सारे सदस्य असन्तुष्ट हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त इस वक्त ही सस्पेन्शन के आर्डर जारी किये जायं।

**श्री अध्यक्ष** : मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

(श्री अध्यक्ष)

मुख्य मंत्री, माननीय शिवचरण माथुर द्वारा अस्थायी जनगणना कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के सम्बन्ध में वक्तव्य ।

**शासकीय वक्तव्य**

**समेकित वेतन पर नियुक्त जनगणना कर्मचारियों की सेवाएं**

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जनगणना विभाग में लगे हुए कर्मचारियों....

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था 28 तारीख को यह घटना घटने वाली है और आज एक तारीख को वक्तव्य दे रहे हैं । यह कह रहे हैं कि उनकी सेवायें समाप्त की जा रही हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : आप सुन लीजिये मंत्रीजी का वक्तव्य ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, सन् 1981 की जनगणना हेतु 280) रु. से 380) रु. के मासिक नियत वेतन पर कुछ कर्मचारियों को अल्पकालिक नियुक्ति. भारत सरकार के जनगणना विभाग द्वारा प्रदान की गई थी । पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार 28 फरवरी, 1982 और 30 अप्रेल, 1982 के मध्य लगभग 1300 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा रही हैं । इनमें से केवल 276 व्यक्ति नियोजन कार्यालय के माध्यम से भर्ती किये गये थे बाकी सीधी भर्ती द्वारा नियोजित किये गये थे । इनमें से लगभग 25 व्यक्ति सेवा निवृत्त थे तथा लगभग 97 व्यक्ति राजकीय सेवा की निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके थे ।

फिर भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य सरकार योग्य कर्मचारियों को राज्य सेवा में लेने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है । नियोजन कार्यालय द्वारा पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों को पुरानी वरीयता प्रदान कर पंजीकृत किये जाने हेतु भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । इसके साथ ही स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में भी इन कर्मचारियों को नियुक्ति में प्राथमिकता देने एवं आयु सीमा में कुछ शिथिलता प्रदान करने हेतु भी राज्य सरकार विचार कर रही है ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मुद्दा तो मानवता का है, एक पाइन्ट तो यह था और दूसरा भारत सरकार द्वारा निर्देशित नियमों के आधार पर सन् 1971 में सबको रख लिया गया था तो इस समय भी रख लिया जाय । उनमें से कुछ लोग, जो हैण्डीकेप्ड थे, ले लिये थे, कुछ लोग वे थे जिनकी आयु सीमा समाप्त होने जा रही थी, कुछ की हो चुकी थी । मेरा निवेदन है जिस तरह 25 प्रतिशत के आधार पर पूर्व में लिया जा चुका है उसी तरह माननीय मंत्री महोदय उनको लेने की क्या कृपा करेंगे तो मुझे बोलने की गुंजाइश ही नहीं है । मेरा तो कहना है कि पूर्व में भी केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा आदेश देकर ले लिये गये थे । 70–71 में इस बात को कहा है तो, गृह मंत्री जी, उसी आधार पर इनको प्राथमिकता देकर विभिन्न विभागों में ले लिया जाय । एक तो मेरा यह आग्रह है । दूसरे उसमें यह भी ध्यान रखें कि एस. सी. और एस. टी. के लोग हैं, कुछ हैण्डीकेप्ड हैं, अगर सरकार यह चाहती है कि उनकी परीक्षा ले तो परीक्षा ले ली जाय । कहीं तो कोई आधार हो । विचाराधीन है, इस आधार पर वे लोग लटके रहेंगे । जो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आयु सीमा पार कर चुके हैं या करने वाले हैं इस साल में–पूरे साल में कहीं और उन्होंने प्रयत्न नहीं किया इसलिये मेरा निवेदन है कि 25 प्रतिशत का जो पहले का आधार रहा है उस आधार पर लोगों को ले लें। आर. पी. एस. सी. से जो सन् 81 में परीक्षा पास कर चुके हैं उनको ले लिया जाय। पोस्ट मास्टर जनरल कुछ लोगों को ले लेगा, कुछ ए. जी. आफिस ले लेगा। आपके पास बचेंगे 800 लोग तो उनको 25 प्रतिशत के आधार पर लेकर उनकी नियुक्तियों के आदेश निकालें। इस कार्य को आप प्राथमिकता दें। मेरा आपसे आग्रह है इनको लिया जाय। मंत्री महोदय, कोई निश्चित आश्वासन दे सकते हैं क्या?

**श्री अध्यक्ष** : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, आपको यह पता है आर. एस. ई. बी. में और दूसरे संस्थानों में बहुत स्थान रिक्त पड़े हैं। 28 फरवरी, 1982 इनकी अन्तिम तिथि थी। क्या राज्य सरकार को आज से एक महीने पहले, जब से इनका आन्दोलन शुरू हुआ, इस प्रकार की प्रक्रिया प्रारम्भ कर जिन संस्थानों में स्थान खाली हैं उनमें भर्ती नहीं करनी चाहिए थी? क्या इनकी भर्ती की व्यवस्था नहीं करनी चाहिये थी? माननीय गृह मंत्री जी के पास भारत सरकार का पत्र पड़ा है। 25 पर्सेन्ट लोगों को लेने का इनके सामने प्रश्न है। क्या राज्य सरकार इतनी निष्क्रिय है कि एक तरफ तो इन बेरोजगारों को भट्टी में झोंक रही है, उनके बाल बच्चों को भूखे मार रही है, दूसरी ओर यह भी अनिश्चितता की स्थिति है कि उनके जीवन के साथ कौनसा व्यवहार किया जायेगा। आज भी गोल मोल जवाब दिया जा रहा है कि प्रयत्न किये जा रहे हैं। कौनसी प्रक्रिया वे चाहते हैं? मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, मानवता का प्रश्न है; पुराने इस प्रकार के उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के आधार पर जो जगह खाली पड़ी हैं उन पर इनकी नियुक्ति कीजिये। इनके जीवन को इस प्रकार की स्थिति में मत आने दीजिए, इनके बच्चों को आप सरकार पर पड़ने मत दीजिए, तुरन्त अविलम्ब इनकी व्यवस्था कीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : श्री दाऊदयाल

**श्री अध्यक्ष** : आपको अवसर देने का तो कोई फायदा नहीं है। एक माननीय सदस्य को मैं अवसर दूंगा....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : बड़ी कृपा।

**श्री अध्यक्ष** : सिर्फ दो या तीन मिनट के लिए। श्री कैलाश मेघवाल।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : इनकी जगह, साहब, मुझे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : एक प्रश्न ही पूछूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : दाऊ जी प्रश्न तो पूछेंगे नहीं लम्बा भाषण देंगे।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : नहीं, भाषण नहीं दूंगा, अध्यक्ष, महोदय।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनगणना वालों ने ही दिया था अवसर । जनगणना....

**श्री अध्यक्ष** : श्री दाऊदयाल जोशी, आपको यही मालूम नहीं है कि विचारणीय विषय कौन सा है ?

**श्री दाऊदयाल जोशी** : हां, जनगणना ।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्य मन्त्रीजी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जनगणना कर्मचारियों ने जो काम किया है वह कम्प्यूटराइजेशन का काम है । राजस्थान के सांख्यिकी और मूल्यांकन विभाग में अभी 400 भर्तियां हो रही हैं । कम्प्यूटर की जगह भर्ती की जानी हैं। यही समानता है । एक ही तरह का कार्य है । आपके द्वारा मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वहां पर अगर इनको लगाया जाय तो सरकार को क्या एतराज है ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री दाऊदयाल जोशी ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : वे इस विषय पर नहीं बोलना चाह रहे हैं । इस विषय का उत्तर हमें मन्त्री महोदय से दिलवा दें कि क्या हमारे प्रश्न का कोई समाधान सोचा है ?

**श्री अध्यक्ष** : मन्त्री महोदय ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : क्या उनको नियुक्ति देते समय निदेशक महोदय ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया था कि उनको समायोजित कर लिया जायेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : मन्त्री महोदय ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को, जो लोग बेरोजगार हुए हैं, के प्रति पूरी सहानुभूति है । मैं पूर्व में ही कह चुका हूं और सप्लीमेन्ट्री इन्फार्मेशन के रूप में भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा । लेकिन ये बात भी साथ साथ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब उनको एम्प्लायमेन्ट दिया गया था, उस वक्त भी इनको मालूम था कि कैजुअल एम्प्लायमेन्ट इनको दिया गया है, अवधि जो थी विभिन्न कर्मचारियों ने 6 माह से लेकर करीब डेढ़ वर्ष की अवधि तक काम किया । कुछ लोग ऐसे थे जो सेवा निवृत्त थे, उनको भी अपाइन्ट किया गया था, कुछ लोग ऐसे भी थे जो ओवर एज हो रहे थे, सर्विस के लिए । ये नियुक्ति होंगे भारत सरकार के सेंसस विभाग के अधिकारियों के द्वारा की गई थीं । पूर्व में 1971 के अन्दर भी इन लोगों के लिए सरकार ने आदेश निकाले थे कि इनको वरीयता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर जब स्थान रिक्त हों अवसर दिया जाय । यह पूरा मामला इस समय मन्त्रिमण्डल के विचाराधीन है, यहां पर । मन्त्रिमण्डल में इस पर विचार हो चुका है । यह बात निश्चित है 1971 में भी जब ये लोग बेरोजगार हुए थे, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ये लोग जिस तारीख को बेरोजगार हुए थे, उसी तारीख को सभी लोगों को रोजगार दे दिया गया था, धीरे धीरे लोगों को एब्जोर्ब किया गया था । जहां तक मुझे डिप्टी डायरेक्टर, सेन्सस ने बताया है, वे भी अपनी तरफ से प्रयत्नशील हैं कि जो भारत सरकार के कार्यालय हैं, उनमें भी प्राथमिकता के आधार पर इनको अवसर दिया जाय और राज्य सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों को जहां तक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

खपाया जा सके, खपाया जाय। इस बारे में अभी चूंकि मन्त्रिमण्डल के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और मन्त्रिमण्डल को ही अन्तिम निर्णय इस बारे में लेना है इसलिए आज मैं यहां पर कोई एश्योरेंस देकर नहीं चल सकता कि ऐसा हम करने जा रहे हैं। ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है मन्त्रिमण्डल में विचार-विमर्श होगा, कैसे इस बारे में क्या इनके लिए किया जा सकता है, वह मामला विचाराधीन है। मैं पूर्व में ही आपसे निवेदन कर चुका हूं कि राज्य सरकार की इनके प्रति सहानुभूति है। जहां तक 1971 का हवाला दिया गया, एक बात और है, अध्यक्ष महोदय, 1971 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था एल. डी. सीज. का और आज स्थिति यह है कि एल. डी. सी. का अपाइमेंट चाहे सैक्रेटेरियेट में हो या और जगह हो, रेगूलर अपाइन्टमेंट के लिए हमको पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से परीक्षायें लेनी पड़ती हैं। और कई मुद्दे हैं। तो यह निर्णय लिया कि जो उनकी सीनियोरिटी थी, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में, मान लीजिए, डेढ़ वर्ष पहले उनको एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के मार्फत नौकरी में लिया गया था। अब उनकी सीनियोरिटी समाप्त हो गई क्योंकि नौकरी में आ गये। वहां से नाम कट गया तो यह निर्णय भी लिया गया है कि उनको वही सीनियोरिटी दे दी जायेगी, जो उस समय थी जब इनको नियुक्ति दी गई थी। तो सरकार का इस बारे में पूरा मानवता का दृष्टिकोण है, जितनी चिन्ता आपको है, उतनी ही चिन्ता हमको भी है इस बारे में। लेकिन मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आज आपको निश्चित कोई एश्योरेंस देने की स्थिति में यहां पर नहीं हूं। इतना कह सकता हूं सरकार की सहानुभूति है, सरकार इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

**श्री अध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई।

आयुर्वेद मन्त्री जी का वक्तव्य। राजकीय आयुर्वेद उप वैद्य एवं प्रशासन के मध्य हुए समझौते का क्रियान्वयन न होने व उनकी अन्य मांगों के सम्बन्ध में आयुर्वेद मंत्री वक्तव्य देंगे।

## राजकीय उपवैद्य संघ एवं प्रशासन के मध्य हुए समझौते की क्रियान्विति

**श्री सी. एल. कवरिया** (आयुर्वेद मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12 अगस्त, 1980 को तत्कालीन आयुर्वेद मंत्री महोदय के कक्ष में कल्पद/धात्री संघ की 28 सूत्री मांगों के सम्बन्ध में संघ के प्रतिनिधि व राज्य अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। स्वीकृत मांगों के बारे में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है:—

मांग संख्या 1, 6, 7; 8, 10, 17, 18, 23 एवं 25 क्रियान्वित की जा चुकी हैं। मांग संख्या 3, 19, 20 व 21 वेतन आयोग से सम्बन्धित हैं, अत: उन पर विचार वेतन आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय के पश्चात् ही सम्भव हो सकेगा।

मांग संख्या 2-ढाई वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय से कराये जाने हेतु उप समिति के निर्णयानुसार 16 जनवरी, 1982 को विश्वविद्यालय को लिखा जा चुका है। उत्तर अपेक्षित है।

मांग संख्या 4-इस मांग पर गठित उप समिति के प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान विश्वविद्यालय को लिखा जा रहा है। यदि विश्वविद्यालय सहमति दे देगा तो प्राकृतिक

(श्री सी. एल. कंवरिया)

यूनानी, एवं होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली का पाठ्यक्रम में समावेश कर लिया जावेगा।

मांग संख्या 5 संघ की मांग संख्या 15 के साथ जुड़ी हुई है। मांग संख्या 9–इस मांग के क्रियान्वयन हेतु कार्मिक विभाग की सहायता से नियमों में संशोधन करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मांग संख्या 11 एक वर्षीय प्रशिक्षित और 8 वर्षीय कार्यानुभव वाले धात्री/कल्पदों के वरिष्ठ वेतन शृंखला के योग्य मान लेने के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में नियमों में पहले से ही प्रावधान है। जैसे जैसे वरिष्ठ पद उपलब्ध होंगे वरिष्ठ वेतन शृंखला दी जावेगी। पदोन्नति के अवसर देने हेतु 194 कनिष्ठ कल्पद/धात्री के पदों को वरिष्ठ कल्पद/धात्री के पदों में दिनांक 8 अक्टूबर, 1980 को क्रमोन्नत भी किया जा चुका है।

मांग संख्या 12 सलाहकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारत सरकार की राय के अनुसार मानने योग्य नहीं है।

मांग संख्या 13–इस मांग के बारे में वांछित स्पष्टीकरण कार्मिक विभाग से प्राप्त कर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16–12–81 को निदेशालय को सूचित किया जा चुका है।

मांग संख्या 14 व 27 के बारे में संघ से और जानकारी मांगी गई थी जो अपेक्षित है।

मांग संख्या 16 के अनुपालनार्थ दिनांक 6–9–80 को निदेशालय द्वारा परिपत्र जारी किया जा चुका है।

मांग संख्या 22–इसके अनुपालनार्थ निदेशालय के पत्र दिनांक 27–6–81 के द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।

मांग संख्या 26–निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही निदेशालय स्तर पर की जा रही है।

मांग संख्या 28–इसके पालनार्थ राजस्थान देशी चिकित्सा अधिनियम, 1953 में आवश्यक संशोधन कराने हेतु रजिस्ट्रार, इण्डीयन मेडिसन बोर्ड को पत्र लिख दिया गया है।

संघ की मुख्य मांग संख्या 15 है कि कल्पद/धात्री पद नाम के बजाय उपवैद्य रखा जावे। इस सम्बन्ध में दिनांक 19 मार्च, 1981 को विधान सभा में तत्कालीन आयुर्वेद मंत्री ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि इस बारे में वित्त विभाग की राय प्राप्त कर आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे। अतः वित्त विभाग की राय मांगी गई है। वित्त विभाग ने इस मांग को मानने में कठिनाई बतलाई क्योंकि यदि इसको मान लिया जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो कि दूसरी सेवा पर प्रभाव डाल सकते हैं तथा भविष्य में इस पदनाम के आधार पर उच्च वेतनमान व वैद्यों के पद पर अनुभव के आधार पर पदोन्नति आदि की मांग की जा सकती है। अतः इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गम्भीरता से इस मांग पर पुनर्विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि इस मांग को क्रियान्वित

(श्री सी. एल. कंवरिया)
करना जनहित में नहीं है। तद्नुसार संघ के महामंत्री को विभाग द्वारा दिनांक 26–10–81 को सूचित कर दिया कि वर्तमान पदनाम को 'उपवैद्य' में परिवर्तित करना सम्भव नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि कल्पद/वात्री संघ की 28 सूत्री मांगों के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं संघ के प्रतिनिधियों के मध्य हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है या कर दी गई है। मांगों के प्रति राज्य सरकार पूर्णतया सजग है तथा जहां तक सम्भव है सहृदयता से विचार कर रही है। अतः मुझे आशा है कि उपरोक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए संघ अपने धरने को समाप्त करेगा।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने दिनांक 12 अगस्त, 1980 को जो 28 सूत्री मांग पत्र पर अपने विचार प्रकट किये हैं और कार्मिक विभाग की जो आपत्तियां प्रस्तुत की हैं, मेरा निवेदन करना है....

**श्री अध्यक्ष** : आपका कोई प्रस्ताव नहीं है।

**श्री महेन्द्रसिंह** : अध्यक्ष महोदय, क्या आप वैद्य हैं?

**श्री दाऊदयाल जोशी** : वैद्य के नाते मैं ही हूं यहां।

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : बहुत संक्षेप में।

मेरा निवेदन करना यह है कि 16 व्यक्ति उस समय उपस्थित थे। श्री सुधीर वर्मा, विशिष्ट शासन सचिव, कार्मिक व प्रशासनिक विभाग, कुमारी आहूजा, उप सचिव वित्त, मांगीलाल गौड, उप शासन सचिव वित्त, ये सब वहां मौजूद थे। मांग संख्या 15 के विषय में जो निर्णय हुआ, वह मैं पढ़ कर सुना रहा हूं।

"चिकित्सा संघ के प्रस्ताव पर एवं संघ के पदाधिकारियों के प्रभाव में आकर तत्कालीन उपवैद्यों ने उपवैद्यों को मूल कल्पद में परिणत करने हेतु राज्य सरकार को अनुमोदन करा उप वैद्य को कल्पद सम्बोधन किया जावे।" वर्तमान में जो मांग मंजूर की है, वह वर्तमान में उपवैद्यों के पदों को परिभाषित करते हुए प्रचलित नियमों में कल्पद के स्थान पर उपवैद्य कहा जाएगा।"

यह मांग मानी है कार्मिक विभाग और वित्त विभाग ने। उसके बाद भी यहां शंका उठी, यह मांग मानी जाएगी या नहीं? यह हमारे तत्कालीन आयुर्वेद मंत्री जी से कहा तो उन्होंने बड़े जोश में आकर कहा–"अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि कल मैंने 5 घण्टे, 4 बजे से 9 बजे तक उनकी मांगों के सम्बन्ध में विचार किया है और उनकी मुख्य मांग कल्पद की जगह उपवैद्य बनाया जावे जिसके लिए ऐलान कर दिया गया है कि उनको उपवैद्य बनाया जाएगा।" यह माननीय घासीराम जी ने कहा है।

इस पर फिर दुबारा आपने स्वयं ने कहा है, 'मैं निवेदन कर दूं, यह प्रश्न इतना सही है'....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैंने कुछ कहा है?

**श्री दाऊदयाल जोशी** : "जो मंत्री महोदय का वक्तव्य है जो घोषणा मंत्री महोदय ने की है उसका पालन करते हैं तो आप संतुष्ट

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हैं। मंत्री महोदय, जो आपने घोषणा की है उसका पालन क्या आप करेंगे, पिछली विधान सभा में की गई घोषणा के अनुसार।" इस पर घासीराम जी ने कहा–"अध्यक्ष महोदय, कई का तो यहां ऐलान कर दिया है और बहुत सी बातों पर कार्यवाही चल रही है।"

"अब जो आपने घोषणा की है क्या उसका पालन किया जाएगा"–यह आपके द्वारा कहा गया है।

घासीराम जी ने कहा–"पूरा पूरा पालन किया जाएगा।"

इस पर फिर मैंने कहा, "जो कल्पद हैं उसके सम्बन्ध में क्या हुआ ?"

घासीराम यादव—"उनको उपवैद्य बनाया जाएगा। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।"

इसके बाद भी श्री रतनलाल ताम्बी ने फिर आपत्ति की थी और उस पर आसन की तरफ से कहा गया कि "यह आश्वासन पक्का है ?"

तो मंत्री महोदय ने कहा कि "अबकी बार मैं आपको पूरा-पूरा आश्वासन दे रहा हूं। यह आश्वासन का पूरा पूरा पालन होगा।"

यह स्थिति गत सत्र में बन चुकी है। माननीय मंत्री महोदय कहते हैं, कल्पद में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कल्पद क्या हैं ? कल्पद का मतलब क्या है ?

**श्री सी. एल. कंवरिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल्पद का मतलब है, दवा और धात्री का मतलब है देने वाला। जो दवाई का वितरण करता है, वह कल्पद है। जो दवाई का वितरण करता है उसको कल्पद कहते हैं।

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उपवैद्य हैं....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि साहब फाइनेंस ने आपत्ति खड़ी की है इसके कारण उनको हम उपवैद्य नहीं कह सकते क्योंकि इसके आगे चल करके दुष्परिणाम होंगे। डाक्टर की जगह कम्पाउण्डर कहेंगे, उनको उप चिकित्सक कहा जाएगा इसलिए विवाद हो सकता है। इस पर राजस्थान राज्य आयुर्वेद धात्री उपवैद्य संघ ने 11-8-81 को माननीय मंत्री महोदय की सेवा में स्पष्ट रूप से लिख कर प्रार्थना पत्र दिया है उसमें लिखा है कि वर्तमान धात्री उपवैद्यों को उपवैद्यों के नाम से सम्बोधित करने के फलस्वरूप संघ की तरफ से हम इस समय अथवा भविष्य में कभी भी वैद्य के पदों की या पदोन्नतियों की मांग नहीं करेंगे और न ही उपवैद्य पद का नाम वैद्य की पदोन्नतियों के लिए कोई आधार होगा। फिर उन्होंने कहा कि हमें पता लगा है कि फाइनेंस विभाग ने इस प्रकार की अडंगेबाजी लगाई है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उपरोक्त स्पष्ट फैसला हो जाने के फलस्वरूप न तो उपवैद्य वैद्य पर पदोन्नति के लिए कभी हकदार भी हो सकेगा और न चिकित्सकों के कार्य को ही कर सकेगा। इसके

(श्री दाऊदयाल जोशी)

बाद क्या बात रह जाती है ? वह गरीब बेचारे कह रहे हैं। एक बार सदन में आश्वासन दे दिया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक बार नहीं, तीन तीन बार उपवैद्य यहां सदन के सामने आन्दोलन कर रहे हैं। उनकी मांग भी कुछ नहीं है। कोई पैसा देने की बात हो, राजस्थान सरकार दिवालिया हो रही हो और इसलिए आप कहें कि पैसा कहां से देंगे। पैसा नहीं मांग रहे हैं। केवल नाम का झगड़ा है कि हमें उपवैद्य कहा जाय। कोई नाम गलत चला गया उसको सही कराना चाहते हैं तो अखबारों में प्रकाशित करा दिया जाता है। एक बार मैंने नाम रख दिया सुशीलकुमार और वह चाहता है कि उसको सुरजीतलाल कहो तो उसने अखबार में निकलवा दिया और वह सुरजीतलाल हो गया। सुरजीतलाल होने पर बड़ा एप्रिशियेट किया। जब वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं तो कोई कारण नहीं उठता।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि ढाई साल का आयुर्वेद का पाठ्यक्रम है। पांज हजार से लेकर सात हजार तक गरीब व्यक्ति खर्च कर आयुर्वेद का पाठ्यक्रम पास करता है। राजस्थान में 47 लोग ढाई साल के पाठ्यक्रम किये हुए बेकारी से ग्रस्त हैं। राजस्थान में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आयुर्वेद चिकित्सकों के साथ कम्पाउण्डर्स नहीं हैं। इमर्जेन्सी में एक वर्ष का पाठ्यक्रम चालू किया था, 149 लोगों का पहला बैंच निकला। ढाई साल में एक को भी नौकरी नहीं दी, वह बेकारी से ग्रस्त हैं।

आप कहते हैं कि इस विषय में जानकारी लेने के लिये, वेतन शृंखला और नियमों में संशोधन के लिये पत्र लिखा है। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, एक साल दो महीने हो गये। इस पत्र को गये 147 लोगों ने ईमानदारी से हजारों रुपये खर्च किये। ट्रेनिंग में नाम लेने के लिये पांच पांच हजार रुपये खर्च किये। साढ़े पांच पांच हजार रुपये खर्च किये। आज उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आयुर्वेद में औषधालय खाली पड़े हैं वैद्यों के बिना। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी तरफ, ढाई साल पहले जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली, वह ओवर ऐज पड़े हैं। उनको नौकरी नहीं दी। क्या माननीय मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि जो ओवर ऐज पड़े हुए हैं, उनको नौकरी दिलायेंगे ? आपने ट्रेनिंग दिलायी, इमर्जेन्सी में कोर्स किया और कोर्स करने के बाद 149 लोगों का बैंच बैठा हुआ है। 47 लोगों का दूसरा बैंच पड़ा है। उनका क्या होगा ?

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : माननीय मंत्री महोदय ने बात तक नहीं की। मेरा निवेदन करना है कि इस पर मानवता की दृष्टि से विचार करें। क्या माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से तारीख 11·8·81 के पत्र के आधार पर उनको उपवैद्य मानेंगे ? मैं भी आयुर्वेद की तरफ से आपको पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूं, उन्होंने जो उपवैद्य से वैद्य की मांग की....

**श्री अध्यक्ष** : यह बात तो आप पहले कह चुके हैं। मंत्री महोदय।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : एक तो नियुक्ति हो जाय। एक बात और रह गई है।

**श्री अध्यक्ष** : एक बात और रह गई है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आयुर्वेद विभाग ने इस आन्दोलन के बाद एक और पत्र भेजा है नियोजन कार्यालय में। वहां पर यह चिट्ठी दी गई कि हम उपवैद्यों को लेने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह लोग यहां पर बैठे हुए हैं। इनको पत्र का ध्यान नहीं है। आज अचानक नियोजन कार्यालय से चिपका हुआ कागज मिल गया। वह लोग उसको लेकर सुबह सात बजे मेरे पास आये। मेरा निवेदन है जो लोग ओवर ऐज हो गये हैं, उनको नौकरी दिलवानी पड़ेगी क्योंकि आपने ट्रेनिंग दिलायी है। उन्होंने साढ़े पांच हजार रुपये खर्च किये हैं इसलिये नौकरी देने की गारन्टी आप दें। एडहॉक बेसेस पर, कोई कायदे कानून आड़े आते हैं, तत्काल घोषणा करे कि ढाई साल की ट्रेनिंग वालों को और एक साल की ट्रेनिंग वालों को नियुक्त कर देंगे। माननीय मंत्री महोदय, इस बात पर निश्चित तौर से ध्यान दें।

**श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ?

**श्री अध्यक्ष** : अनुमति नहीं दूंगा किसी विषय पर। आप सुनें पहले।

**श्री मेघराज तावड़** : अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री आते हैं, वह घोषणा कर देते हैं। दूसरे मंत्री आते हैं तब वह लागू नहीं करते हैं। आप भी इस पद पर विराजे हुए हैं। पीछे आने वाला आपके नियमों का पालन करेगा या नहीं करेगा ?

अध्यक्ष महोदय, कल्पद आयुर्वेद में शब्द है क्या ? दूसरा, उपवैद्य कहने में सरकार का कौनसा वजन बढ़ रहा है, जैसा माननीय सदस्य जोशी जी ने कहा मैं कहना चाहता हूं इसमें आपको आपत्ति क्या है ?

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

**श्री सी. एल. कंवरिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री दाऊदयाल जोशी खुद भी एक अच्छे वैद्य हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आप इलाज मत करवा लेना।

**श्री सी. एल. कंवरिया** : इलाज तो मैंने नहीं करवाया लेकिन आपकी तारीफ सुनी है।

आपने इस बात की पुरजोर वकालत की है कि एक कम्पाउण्डर और धात्री, यानि कम्पाउण्डर की बजाय कल्पद और धात्री कोर्स, जिसका ढाई साल का कोर्स होता है, को पास किया हुआ व्यक्ति और स्त्री, मतलब धात्री को उपवैद्य मानने में क्या आपत्ति है ?

क्या जनता इस बात को स्वीकार करेगी और क्या लोग इससे मिस गाइड नहीं होंगे ? जो केवल कम्पाउण्डर है, धात्री है या नर्स है, तो क्या वह उपवैद्य अपने आप को लिखकर लोगों को मिस गाइड नहीं करेंगे ?

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय मंत्री महोदय, कायदे जानते नहीं हैं....

(व्यवधान)

**श्री मेघराज तावड़** : जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं उनसे आप मिसगाइड हो रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : बाधा नहीं डालें, माननीय सदस्य।

**श्री सी. एल. कंवरिया** : मेरी बात सुन लीजिये।

**श्री बुलाराम** : बूढे आदमी हैं, सुन लें।

**श्री सी. एल. कंवरिया** : मैं अभी पूर्ण सशक्त हूं बूढ़ा नहीं हूं। इस बात पर आश्वासन दिया था। तत्कालीन मंत्री, श्री घासी राम यादव के आश्वासन के संबंध में बात कही है, यह 19 मार्च की कार्यवाही की नकल मेरे पास में है। उसमें जो मुख्य आश्वासन है....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : 19 मार्च, 1980 या....

**श्री अध्यक्ष** : 19 मार्च, 1980 को यहां कहा थे। मई में चुनाव हुए थे।

**श्री सी. एल. कंवरिया** : मांग संख्या–15, वित्त विभाग को भेजकर उनकी राय प्राप्त करके आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे। मांग संख्या–5 यह दूसरी मांग है। जो मुख्य मांग है वह है मांग संख्या–15। इसके बारे में उन्होने यह आश्वासन दिया था कि वित्त विभाग की इस संबंध में राय मांगी जायेगी और राय लेने के बाद ही इस संबंध में उचित आदेश कर दिये जायेंगे। आगे जाकर आपने पढ़ा, हां आदेश कर दिये जायेंगे।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : ट्रांसफर के बारे में....

**श्री अध्यक्ष** : बाधा नहीं डालें, माननीय सदस्या।

**श्री सी. एल. कंवरिया** : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं यह आश्वासन जो गोल पड़ा है, मुख्य आश्वासन तो यह है कि इस बात के लिये वित्त विभाग को यह मामला रेफर कर दिया जायेगा और उनकी राय के बाद आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे। इसके बाद वित्त विभाग को यह मामला दो दफा भेजा जा चुका है। वित्त विभाग ने इस मांग को स्वीकार करने में असमर्थता जाहिर की है। उन्होंने कहा है इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आगे जाकर उपवैद्य शब्द पहले तो मिस लीड करेगा। जो आगे पढ़ेंगे उप वैद्य वह समझेंगे वैद्य नहीं हैं। उसको कोई नहीं समझेगा, यह समझेंगे छोटे वैद्य हैं। एक तो उन्होंने यह एतराज किया है।

दूसरा आगे जाकर एक्सपेरीयेन्स के आधार पर वैद्य बनाने की मांग करेंगे। जैसा कि मांगों में भी है। आगे जाकर इन्होंने रिजर्वेशन कराने की मांग की थी कि हमको इतने साल के बाद वैद्य बनाया जाय, यह उनकी मांगों में भी है। यह तो आश्वासन नहीं है, उनकी उचित बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा, और फिर आदेश दिये जायेंगे। तो इसके साथ मिलाकर इसको पढ़ें। मुख्य आश्वासन तो यह है कि वित्त विभाग को इस मामले को भेजा जायेगा, उसकी जो राय होगी, उसके अनुसार हम आदेश जारी कर देंगे। तो वित्त विभाग ने चूंकि इसमें सहमति प्रकट नहीं की है और उसके

(श्री सी. एल. कंवरिया)

दूरगामी परिणाम होना बताया है इसलिये अभी तक राज्य सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। यह चूंकि मिस-लीडिंग है इसलिये आगे जाकर दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे और यह जनहित में नहीं समझा जाता है इसलिये इस मांग के संबंध में विचार करने को राज्य सरकार अभी तैयार नहीं है। 1974 और 1975 से धात्री और कल्पद को उपवैद्य माने जाने हेतु मांग की हुई है। 1974-75 के बाद 77–79 जनता पार्टी का राज आया। श्री दाऊदयाल जी जोशी जो इस, वक्त पुरजोर वकालात कर रहे हैं उस वक्त आप लोगों ने इनकी मांग क्यों नहीं स्वीकार की ? आप यह बात इस वक्त कर रहे हैं। यदि उपवैद्य बना दिया तो इससे सारे लोग भ्रमित होंगे। यह भी एक्सप्लोइट करेंगे, बल्कि नाम भी लोगों को मिसलीड करेगा। इसलिये इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है। मुख्य मांग यही है जिसके ऊपर मैंने स्पष्टीकरण दिया है।

दूसरी बात जो आपने एक साल के कोर्स के लिये कही। इस तरह के कल्पद, जिनको एक साल की ट्रेनिंग दी गई थी इमरजेंसी में ट्रेनिंग दी गई थी उनको अभी नौकरी में नहीं लगाया गया है। तो वह एक साल का कोर्स तो बन्द कर दिया गया लेकिन लगभग 145 ऐसे व्यक्ति हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं कि उनको नौकरी पर लगाया जाय। इस पर विभाग सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है और कोशिश की जा रही है। उनका मामला डी. ओ. पी. और वित्त विभाग में भेजा जायेगा और उनसे सहमति और स्वीकृति प्राप्त हो गई तो नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है क्योंकि एक साल के. कोर्स वालों को नियुक्ति देनी है, इसलिए डी. ओ. पी. को भेजते हैं फिर वित्त विभाग है, दोनों की सहमति हो गई तो नियुक्ति देने पर विचार करेंगे। विभाग ने लिखा है कि एक साल के पाठ्यक्रम के ऊपर कोर्स करने की स्वीकृति दी गई थी। इसलिए हमारी सहानुभूति है कि नियुक्ति दी जाय लेकिन इनकी सहमति प्राप्त हो गई तो नियुक्ति देने पर अवश्य विचार करेंगे।

**श्री महाराम चौधरी** : फिर तो उनका रिटायरमेंट का टाइम हो जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : मेरा निवेदन करना यह है कि अभी जो फैसला राज्य सरकार का है 12 अगस्त, 1981 का श्रीमान् मंत्री महोदय ने अपना जो उत्तर मांग सं० 15 के विषय में दिया....

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण कीजिये। इस पर पूरी चर्चा हो चुकी है। इसके बाद माननीय सदस्य आपत्ति उठाना चाहते हैं तो इस प्रश्न को किसी अन्य तरीके से उठायें। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

**श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिये।

(व्यवधान)

**श्री मोहनलाल मोदी** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने का अधिकार तो है।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : यह सरकारी पेपर हैं जिनमें लिखा हुआ है....

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

**श्री मेघराज तावड़** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है....

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण कीजिये। आसन पैरों पर है। चर्चा समाप्त हुई। मैं इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : यह जीवन-मरण का प्रश्न है....

(व्यवधान)

तारीख 9 को एक व्यक्ति विधान सभा के सामने तेल डाल कर जल मरेगा।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर। जो महत्वपूर्ण विषय था उसका उत्तर मंत्री महोदय ने दे दिया। चर्चा समाप्त हुई। अंकित न हो।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : × × ×

**श्री अनंगकुमार जैन** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं इजाजत नहीं दूंगा। एक अन्य वक्तव्य दिया जा रहा है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। यह कोई तरीका नहीं है। माननीय सदस्य, आपका नाम होता, समय पर मांग करते तो मैं आपको इजाजत देता।

**श्री अनंगकुमार जैन** : अध्यक्ष महोदय, बीच में बोलते हैं....

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : यह आयुर्वेद के विद्यार्थियों के हितों, आयुर्वेद के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार है। माननीय मंत्री महोदय ने गुमराह किया है। गरीब विद्यार्थियों से पैसा लेने के बाद भी उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। ऐसे निर्णय के खिलाफ मैं सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करता हूं।

(बहिर्गमन)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 19 तारीख की कार्यवाही खुद पढ़ें, आप खुद जानकारी करें....

(व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय इसको छिपा रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं इसके विरोध में मैं इस सदन का बहिष्कार करती हूं।

(बहिर्गमन)

**श्री अनंगकुमार जैन** : 142 ग्रामीण विद्यार्थियों को आपातकाल में शिक्षा दी

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अनंगकुमार जैन ।)

गई थी उनका भविष्य अंधकार में है, उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। 142 व्यक्ति आज भूख-हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया स्पष्ट।

**श्री अध्यक्ष:** अंकित न हो।

**श्री अनंगकुमार जैन :** × × ×

**श्री अध्यक्ष:** अब राज्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे कल की दुर्घटना के सम्बन्ध में।

**जयपुर स्टेडियम में कुश्ती के दंगल के समय दिनांक 28 फरवरी, 1982 को भगदड़**

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राज्य मंत्री, गृह) अध्यक्ष महोदय, दिनांक 28-2-82 को राजस्थान कुश्ती संघ द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम पर सायं 5-00 बजे कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया था, इस कुश्ती दंगल में स्थानीय पहलवानों के अलावा भारत के प्रसिद्ध पहलवानों के अलावा भारत के प्रसिद्ध पहलवान भारत केसरी सतपाल एवं पाकिस्तान के मशहूर पहलवान बिल्ला ने भी भाग लिया। कुश्तियों को देखने के लिये करीब 15 हजार दर्शकों की भीड़ एकत्रित थी। जैसे ही यह कुश्तियां समाप्त हुई एकत्रित दर्शकगण बाहर निकलने के लिये उतावले होने लगे क्योंकि मौसम खराब था। उसी समय तेज आंधी एवं वर्षा शुरू हो गई. इससे भगदड़ मच गई। दुर्भाग्यवश बिजली के बन्द हो जाने से अन्धकार हो गया। अधिकांश लोग दौड़ कर पेवेलियन की ओर गये तथा शेष भीड़ गेट नं. 1, 3 व 6 से निकलने की कोशिश करने लगी। गेट नं. 3 पर जहां सीढ़ियों से उतर कर बाहर जाने का रास्ता है और दरवाजे पर लोहे की दो चक्रियां (रिवाल्विंग गेट्स) लगी हुई थी। उनमें से भीड़ ने निकलने का प्रयास किया। हड़बड़ाहट के कारण भीड़ उन चक्रियों से आसानी से बाहर नहीं निकल सकी और कुछ लोग गिर गये एवं भीड़ एक दूसरे को कुचलते हुए निकलने लगी। इस दरवाजे पर तैनात पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की भरपूर कोशिश की लेकिन अंधेरा, बारिश व तेज आंधी और हड़बड़ाहट के कारण चार व्यक्ति घायल हो गये। भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में कां. रिसालसिंह नं. 3000, भी बुरी तरह घायल हो गया। इसके अलावा भी पुलिस जवानों के मामूली चोटें आई। एक 13 वर्षीय लड़का भी भीड़ से कुचल गया जिसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस लड़के व अन्य घायलों को 20 मिनट में ही अस्पताल पहुंचा दिया गया। इस दंगल में भारी संख्या में दर्शकों की भीड़ होने की संभावना को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर द्वारा पुलिस की विस्तृत व्यवस्था की गई थी। कुल मिलाकर 2 ए. एस. पी., 5 डी.एस.पी. 9 इंसपेक्टर, 39 थानेदार, 24 सहायक थानेदार, 44 हैड. कां. एवं 550 कांस्टेबलों तथा 8 घुड़सवार पुलिस का जाब्ता लगाया गया था। गेट-3 पर जहां यह घटना घटित हुई एक डी.एस.पी के साथ एक निरीक्षक 2 थानेदार, 2 हैड कां. 25 कांस्टेबलों का जाब्ता लगाया था, व्यापक पुलिस व्यवस्था होने के कारण ही भीड़ को तुरन्त नियंत्रित कर लिया गया, यह दुखद घटना अप्रत्याशित प्राकृतिक कारणों के कारण घटित हुई है। राज्य सरकार को इस घटना का गहरा दुख है। घटना की कार्यपालक मजिस्ट्रेट से जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं। मुख्य मंत्री सहायता कोष से मृतक के परिवार को रु. 2000) तथा घायल व्यक्तियों को 200-200 रुपये की सहायता देने के आदेश दिये जा चुके हैं।

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(1.36म. प.)

(श्री अहमद बक्स सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सवाल माननीय मंत्री महोदय से करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, शेष सारा मंत्री मण्डल, राजस्थान में जो बिजली की स्थिति है जिस प्रकार आंख मिचौनी चलती है उससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार इस प्रकार की स्थिति बिजली गुल होने की प्रदेश में होती रहती है तो क्या कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था, कोई जनरेटर व्यवस्था 20 हजार की भीड़ जहां इकट्ठी हो वहां सरकार ने की थी? क्या आल्टरनेटिव व्यवस्था, पैट्रोमेक्स की व्यवस्था वहां पर की गई थी? और की गई थी तो पेट्रोमैक्स कितने थे? मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पश्चिमी छोर का दरवाजा है जिस पर सांकल लगी हुई थी, जिस पर ताला लगा हुआ था जब लोग भागने लगे तब किसी के पास उस स्थान की चाबी अवेलेबल नहीं हुई, न कोई चपरासी था, न व्यवस्थापक। यहां तक कि लोग जो अन्दर से....

**श्री उपाध्यक्ष** : सवाल करें, माननीय सदस्य, सवाल।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : पत्थर मार कर उस ताले को तोड़ना पड़ा। उस के कारण बाहर जाने का अवसर नहीं मिला। मंत्री महोदय इसका उत्तर दें। वहां पर बिजली की आल्टरनेटिव व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या बाहर जाने और अन्दर जाने के मार्ग पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध थी? पुलिस की संख्या आपने बताई है। मैं तो यह आरोप लगा रहा हूं कि यह दो अव्यवस्थाएं थीं जिसके कारण राजस्थान के मंत्री मण्डल ने कुतुबमीनार काण्ड की दुर्घटना की याद दिलाई है। कोई व्यक्ति कुचल कर मर जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति कुचल कर मर जाय उसकी कैसी हालत होती है। यह सामान्य स्थिति है? दिल्ली के अन्दर जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति राजस्थान के अन्दर हुई। यह दोनों अव्यवस्थाओं के कारण हुई। इन दो स्पेसिफिक अव्यवस्थाओं के बारे में मैंने प्रश्न उठाया है। इसका उत्तर देने की कृपा करें।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : पहले एक जवाब आने दीजिये।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : इसके बाद मुझे अवसर दें।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस घटना का चित्रण माननीय सदस्यों ने किया है, पुलिस की व्यवस्था की थी। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। पुलिस की समुचित व्यवस्था थी...

(व्यावधान)

वहां पैट्रोमेक्स नहीं थे। सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी पेट्रोमेक्स की व्यवस्था करने की। राजस्थान के कुश्ती संघ द्वारा इसका आयोजन किया गया था।....

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : वीस हजार लोग इक्ट्ठे हो जहां पर उसके लिये हमारे मंत्री महोदय यह कहें। लॉ एण्ड ग्रार्डर की सिचुएशन वहां पर बिगड़ गई, एक व्यक्ति कुचल कर मर गया तो यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : ग्राप इस तरह उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : ग्रार्डर प्लीज। माननीय सदस्य। उत्तर ग्राने दीजिये ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : ग्राप इस तरह से उत्तेजित होकर जोर से बोलें....

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : जिसका लड़का मर गया वहां पर, उससे जाकर पूछिये।....

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : उहाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापको निवेदन कर दूं, राज्य सरकार की ग्रोर से, ग्रपनी ग्रोर से इस घटना पर दुख प्रकट किया है। हुग्रा वहुत बुरा हुग्रा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वहुत ग्रच्छा हुग्रा। हम को, सरकार को दुख है। ग्रपने वक्तव्य में भी मैंने इस बात को कहा है। जो घटना घटित हुई है उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। किसी को कल्पना नहीं थी कि यकायक मौसम खराव होगा

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : विना पूरे इन्तजाम के ग्रापने ग्रलाऊ कैसे किया ?....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कुश्ती संघ ने वहां पर ग्रायोजन किया। उन्होंने पुलिस व्यवस्था की मांग क मुचित व्यवस्था की। ग्रब यकायक मौसम खराव हुग्रा, जैसा ग्रापको मालूम है, ग्राप भी यहीं थे, यकायक मौसम खराब हुग्रा, ग्रन्धड़ ग्राया, बादल गरजे, वारिश शुरू हो गई ग्रौर उस वक्त ग्रनफारचुनेटली बिजली चली गई। यह सही बात है कि वहां पर पेट्रोमैक्स की व्यवस्था नहीं थी, इमर्जेन्सी लाइटस् की व्यवस्था नहीं की गई थी। यह मैं स्वीकार कर रहा हूं। हमें जिस बात की व्यवस्था करनी थी, जिसके लिये राजस्थान कुश्ती संघ ने कहा था, उस बात की व्यवस्था हमने कर दी। उसके वाद यह दुखद घटना घटित हुई। ग्राप सही फर्मा रहे हैं इसलिये मजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी के हमने ग्रादेश दे दिये ताकि भविष्य के ग्रन्दर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, बीच में इस प्रकार के ग्रायोजन हों तो शुरू में ही प्रिकाशन लिये जायं। इसके लिये मजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी के ग्रादेश दे दिये हैं। यही वात मैं निवेदन करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : काफी हो गया....

**श्री नाथूसिंह** : हमने नोटिस दिया है।

**श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर** : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न....

**श्री नाथूसिंह** : ग्राप पहले सुन लीजिये।

**श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या वेंद, पर, इस कार्यक्रम में माननीय चन्दनमलजी वित्त मंत्री गये थे? क्या वे वहां पर पधारने वाले थे....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपकी सीट कहां पर है ?

आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये ।....

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वहां पर माननीय चन्दनमल जी प्रत्यक्षदर्शी थे....

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका सवाल क्या है ?

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : मैं यह पूछना चाहता हूं, चन्दनमल जी पधारने वाले थे, वे गये थे और विलम्ब से पहुंचे इसलिये यह कार्यक्रम विलम्ब से प्रारम्भ हुआ। साढ़े छः बजे वे वहां पर पहुंचे। क्या यह सही है ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी यह है कि चन्दनमलजी वहां पर जाने वाले थे। वे वहां पहुंचे। अब इस दुर्घटना से इसका क्या मतलब है ?

**श्री बालचन्द आर्यवीर** : कितने बजे पहुंचे....

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित न हो।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ।

आसन पैरों पर है। आप खड़े हैं। यह सदन की मर्यादा है ? माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण कीजिये। उत्तर की जरूरत नहीं है।

**श्री दुलाराम** : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने राजस्थान के वित्त मंत्री पर आरोप लगाया है कि वे 5 बजे जाने वाले थे और 5 बजे न जाकर 7 बजे गये। इस वजह से यह दुर्घटना हुई है। मेरा निवेदन इतना ही है, क्या यह सही है, उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है इस वजह से दुर्घटना हुई ? इसका स्पष्टीकरण आना चाहिये। यह मामला अखबार में आयेगा और इससे सरकार की छवि बिगड़ेगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री प्रद्युम्न सिंह**: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली है, जो जानकारी मैंने प्राप्त की है, कुश्तियों का कार्यक्रम 5 बजे शुरू होने वाला था। माननीय वित्त मंत्रीजी को पाकिस्तान के पहलवान और सतपाल के बीच होने वाली कुश्ती के अवसर पर पहुंचना था, ऐसी मुझे मेरे विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है। कुश्तियां ठीक पांच बजे शुरू हो गई। यह कहना गलत है कि उनके देर से पहुंचने की वजह से ऐसा हुआ।

(व्यवधान)

**श्री अनंगकुमार जैन** : कुश्ती साढ़े 6 बजे शुरू हुई। मैं चैलेन्ज करता हूं। चन्दनमल जी ने दोनों के हाथ मिलाये।

(व्यवधान)

मैं चैलेन्ज करता, हूं मंत्री महोदय अगर कुश्ती पांच बजे शुरू हुई हो तो....

---

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित न हो।

**श्री अनंगकुमार जैन** : + + +

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपको नाम से सम्बोधित करूंगा, नाम से। मुझे सहयोग दीजिये ताकि कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, कुश्तियां समय से शुरू हुई। कई कुश्तियां हुई। एक कुश्ती नहीं थी। लोकल पहलवान आपस में भिड़े थे और इस प्रकार बड़ी कुश्ती थी इसलिए यह आवश्यक नहीं था कि सभी कुश्तियां पांच बजे हों। उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य अतिथि होता है वह बड़ी कुश्ती के लिये ही आता है। आपने तो कई दंगल देखे होंगे और माननीय सदस्यों ने भी देखे होंगे। इसलिये कुश्ती ठीक पांच बजे शुरू हो गई थी।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : चन्दनमल जी ने किससे कुश्ती लड़ी ?

**श्री उपाध्यक्ष** : बिना आज्ञा के ही बोलने को खड़े हो गये।

**श्री दीपेन्द्र सिंह** : × × × से।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से अनुमति मांग रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री नाथूसिंह** : परमिशन लेकर पूछ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री दीपेन्द्र सिंह** : × × ×।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह जानकारी देंगे कि अंतिम कुश्ती समाप्त होने वाली थी उस समय सवा सात साढ़े सात का समय हो गया था, अंधेरा हो गया था....

**एक माननीय सदस्य** : अंधेरा तो होगा ही, नहीं तो क्या उंजाला होगा।

**श्री नाथूसिंह** : उस स्थिति में पहले से कार्यक्रम होते रहें। आप भी, उपाध्यक्ष महोदय, गये होंगे इस तरह के कार्यक्रमों में। विशेष रूप सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो गेट बने हुए हैं, बड़े गेट हैं और छोटे गेट हैं। वहां पर पहले भी ऐसे कई कार्यक्रम हुए हैं। वहां पहले से आकर खड़े हो जाया करते थे और पहले ही पब्लिक को निकालने की व्यवस्था हो जाती थी। इमर्जेन्सी लाइट की व्यवस्था हो जाया करती थी लेकिन यह जो कार्यक्रम हुआ....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप वापस रिपीट कर रहे हैं, यह पहले कह चुके हैं।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं और मंत्री महोदय बात कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : वह जवाब दे देंगे आप कहें।

**श्री नाथूसिंह** : क्या यह सही है कि जिस समय कुश्ती समाप्त हुई उस समय बाहर निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी? एक, दूसरी तरफ मंत्री महोदय के विरुद्ध बहुत सारे विद्यार्थी नारे लगा रहे थे और सारी पुलिस वहां पर चली गई थी, नारे लगाने से रोकने के लिये वहां पर चली

+ + + माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

# Page No 72

(72)



(श्री नाथूसिह)

गई थी। सारी जगह खाली हो गई थी इसलिये कोई व्यवस्था निकालने की नहीं रही थी उसी के कारण यह काण्ड हुआ ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : यह आरोप सही नहीं है।

**श्री नाथूसिह** : किस तरह कह रहे हैं कि यह आरोप सही नहीं है ? उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर भीड़ निकालने के लिये कोई नहीं था।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री नाथूसिह** : चन्दनमल जी को छोड़ने चले गये थे।

**श्री दुलाराम** : आप कहां कहां रोकेंगे। नारे तो हर जगह लग रहे हैं।

**श्री रामकंवार बैरवा** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि 30 हजार जनता वहां पर जमा थी। मैं एक तो यह जानना चाहता हूं....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैंने 30 हजार नहीं कहा था, मैंने 15 हजार के बारे में कहा था।

**श्री रामकंवार बैरवा** : मैं यह कह रहा हूं कि आपने तीस हजार के लिये कहा....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैंने 15 हजार के लिये कहा था, माननीय सदस्य।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें।

**श्री रामकंवार बैरवा** : मैं यह पूछ रहा हूं कि कितने पास जारी किये गये थे ? दूसरा, यह जानना चाहता हूं कि जो चकू वाला मेन गेट है उनको वहां से निकाला गया और जिन लोगों को वहां से निकाला गया क्या वे सब लोग पहले अन्दर उसी रास्ते से गये थे ? जितने लोग अन्दर गये उतने पास इश्यू नहीं किये गये थे ज्यादा लोग कैसे गये ? क्या वे इस सब दुर्घटना के लिये जिम्मेदार नहीं थे ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर सुना नहीं है, या मैं उनको समझा नहीं पाया हूं या वे ठीक प्रकार से सुन नहीं सके, समझ नहीं सके या मैं समझा नहीं पाया ठीक तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जब यह बात....

**श्री उपाध्यक्ष** : जब कभी ऐसा होता है आम तौर पर ऐसा हो जाता है इसमें ऐसी कौनसी बात है। गड़बड़ हो ही जाती है, इसमें कोई खास बात नहीं है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : यह बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, वैकल्पिक व्यवस्था की खराबी के कारण से इस प्रकार की घटना हुई।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : पाइन्ट आफ आर्डर।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि यदि आपने अपने वक्तव्य में ऐसा कहा कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है वहां पर सरकार की....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैंने केवल यह बात पैट्रोमेक्स के लिये कही है....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : पैट्रोमेक्स के लिये नहीं कहा है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : बिलकुल यही बात है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह बात नहीं है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : No. No.

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : No. No. करने से काम नहीं चलेगा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : विपक्ष के नेता महोदय, मैं क्लेरीफाई कर रहा हूं। मैंने पैट्रोमेक्स की व्यवस्था करने की बात कही है, इमर्जेंसी लाइट की व्यवस्था करने की बात कही है, यह मैंने उत्तर में कहा है। यह उत्तर नहीं दिया कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं इसको और क्लेरीफाई करता हूं कि मैंने पैट्रोमेक्स के संबंध में ही कहा है। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था उसका जवाब दिया था।

**श्री उपाध्यक्ष** : जब मजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी के आदेश दे दिये गये हैं तो तथ्य सामने आ जायेंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उसमें क्या दिक्कत आ रही है वह जान रहा हूं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, जानता हूं कि आपकी स्मरण शक्ति तो तेज है, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है....

**श्री दीपेन्द्र सिंह** : × × × दे रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : माननीय राज्य मंत्री ने जवाब दिया था उस जवाब के बाद में पैट्रोमेक्स का सवाल उठा था।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैं एक मिनट में निवेदन कर दूं....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आप पूछ लेना। जिस समय मैंने वक्तव्य पढ़कर समाप्त किया उस समय कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, चतुर्वेदी जी ने कुछ प्रश्न उठाये थे कि सरकार जब यह जानती थी कि बिजली की इतनी अव्यवस्था है तो वहां पर पैट्रोमेक्स की व्यवस्था करने की सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। इमर्जेन्सी लाइट की व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं थी उनके इस सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी।

**श्री दुलाराम** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह....

**श्री उपाध्यक्ष** : लीडर ऑफ दी अपोजिशन।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूं। मेरा प्रश्न यह था कि जिस वक्त माननीय सदस्य ने भाषण पढ़ा....

**श्री यदुनाथ सिंह** : होने वाले माननीय सदस्य।

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(74)



**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : माननीय मंत्री ने भाषण पढ़ा । मेरा प्रश्न बिलकुल सीधा सा है कि जिस समय ललित किशोर चतुर्वेदी ने यह बात सामने रखी माननीय राज्य मंत्री यह कह चुके थे कि इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : एक मिनट ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप सुन लें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप फर्माइये ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आप प्रोसिडींग्स देख लें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप फर्माइये ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ये बोलने दे तो ना ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको बोलने देंगे । मैं इनको बीच में नहीं बोलने दूंगा । आप चुप रहियेगा, जनाब ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि इसकी सारी व्यवस्था स्पोर्ट्स कौंसिल की तरफ से की गई थी । यह जो अव्यवस्था रही इसकी जिम्मेदारी स्पोर्ट्स कौंसिल की ही थी । यह कहा कि यह सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी स्पोर्ट्स कौंसिल की थी, पैट्रोमेक्स की व्यवस्था करना ताले खुलवाना बंद करवाना किसके पास चाबी रहेगी, पता नहीं । मेरे कहने का मतलब यह है कि स्पोर्ट्स कौंसिल....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : यह मैंने नहीं कहा है स्पोर्ट्स कौंसिल के बारे में ।

**श्री उपाध्यक्ष** : पूरी बात कहने दें ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैं यह कह रहा हूं कि पूरी बात कहने से पहले....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप पहले पूरी बात सुन लें ।

**श्री यदुनाथ सिंह** : बाहर निकालें, साहब ।

**एक माननीय सदस्य** : आप बहुत बढ़िया कंट्रोल कर रहे हैं ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, देखें आपकी दृढ़ता के ऊपर सब तालियां बजा रहे हैं । अगर आप इसी तरह से मंत्रियों को × × × रहे तो रोज तालियां बजेंगी आपके पक्ष में ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी कर रहा था कि आपको ज्ञान नहीं था जो कुछ अव्यवस्था रही पैट्रोमेक्स के संबंध में, या इमर्जेंसी लाइट के संबंध में, गेट खुलवाने के संबंध में । यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, यह सारी जिम्मेदारी स्पोर्ट्स कौंसिल की थी, गवर्नमेंट की नहीं थी ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैंने अपने वक्तव्य में स्पोर्ट्स कौंसिल का कहीं नाम नहीं लिया है ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कुश्ती संघ ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : यह सारी बात थी इसलिए मैं कह रहा था और आपने उपाध्यक्ष महोदय से × × × पढ़वा दी ।

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

**श्री मेघराज तावड़** : इनकी तो × × × रही है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह बात तो आपने कही थी कि स्पोर्ट्स वालों का इन्तजाम था ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने अपने वक्तव्य में कुश्ती संघ का ज़िक्र किया था । मैंने यह साफ कहा है, उपाध्यक्ष महोदय, इसका आयोजन कुश्ती संघ ने किया था । उन्होंने हमसे पुलिस व्यवस्था करने के लिये कहा था । उसके लिये जिला प्रशासन ने माकूल व्यवस्था की थी, 550 पुलिस के जवान वहां पर थे ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ये रिपीट कर रहे हैं ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : करना पड़ेगा अगर आप इस तरह पूछेंगे तो ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अगर रिपीट करेंगे तो फिर सवाल खड़ा होता है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अगर जवाब माकूल नहीं होगा तो दुबारा मौका दूंगा ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में मुझे यह कहना पड़ेगा, इस तरह के आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो यह कहना पड़ेगा ।

मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि वहां पर पुलिस की पूरी माकूल व्यवस्था थी । आप यह जानते हैं कि यकायक कोई प्राकृतिक आपदा आ जाये तो उसके लिये तो न तो प्रशासन कुछ कर सकता है और न ही हम कुछ कर सकते हैं । जो कुछ हैपनिंग हुई उसे एक एक्सीडेंट कह सकते हैं । अकस्मात दुर्घटना घट गयी, इसके लिए मैं राज्य सरकार की तरफ से दुख भी प्रकट करता हूं । मैंने इसकी इन्क्वायरी के आर्डर भी दे दिये ।

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, आप भी संतुष्ट हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : जवाब माकूल आ गया ।

**श्री भैरूं सिंह गुर्जर** : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं तो बहुत कम बोलता हूं । अब की बार तो पहली बार बोल रहा हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : बाद में मौका दे दूंगा । अभी बैठ जाइयें ।

**श्री भैरूं सिंह गुर्जर** : माकूल प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा ।

**श्री भैरूं सिंह गुर्जर** : आप चाहे मुझे बाहर निकाल दीजिए । क्या मैं व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं पूछ सकता ? कौन से कानून में है कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : पहले आप बैठ जाइये । बस ठीक है ।

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

**श्री मोहनलाल मोदी** : प्रश्न पूछने का हरेक को अधिकार है। व्यवस्था का प्रश्न डिसअलाऊ नहीं किया जाता। व्यवस्था का प्रश्न आपको सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं जानता हूं सदन की प्रक्रिया को।

**श्री मोहनलाल मोदी** : उपाध्यक्ष महोदय, आसन को व्यवस्था का प्रश्न सुनना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप लोगों ने तो मुझे डिस्क्रिशन दिया है उसका मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूं।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, आप, माननीय सदस्य।

**अनुपस्थिति अनुमति**
**श्रीमती समंदर कौर को दिनांक 23 फरवरी, 1982 से सत्रांत तक सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति**

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्रीमती समंदर कौर, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 23 फरवरी, 1982 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठक में अनुपस्थित होने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि 23 फरवरी, 1982 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठक में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

**जयपुर स्टेडियम में कुश्ती के दंगल के समय दिनांक 28 फरवरी, 1982 को भगदड़**

**श्री भैरूंसिह गुर्जर** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब कुश्ती संघ का मामला....

**श्री उपाध्यक्ष** : कुश्ती संघ का मामला खतम हो गया। व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? आप वह बतायें।

**श्री भैरूंसिह गुर्जर** : उस समय व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था, सवाल पूछना चाहता था लेकिन आपने उसके बाद बयान दे दिया। मेरे सारे सवाल की ××× हो गयी, उपाध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : व्यवस्था का प्रश्न हो तो कहिये।

**श्री भैरूंसिह गुर्जर** : गृह राज्य मंत्री जी के बयान पर कुछ पूछना चाहता हूं। उस समय आपने बीच में दूसरा आइटम ले लिया। आम तौर पर ऐसा पाया जाता है कि जहां जहां चन्दन मल जी जाते हैं वहां अव्यवस्था रहती है। शिक्षा में अव्यवस्था थी, वित्त में हैं तो ओवर ड्राफ्ट है। इसलिए उनको रोक क्यों नहीं दिया जाता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ××× शब्द को एक्सपंज कर दिया जाय।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया।

---

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

**श्री उपाध्यक्ष** : किसी के लिए भी प्रयोग किया गया हो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : सवाल के लिए कया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : असंसदीय शब्द है इसलिए....

**व्यवस्था का प्रश्न**

**शासकीय वक्तव्य पर अग्रेतर कार्यवाही**

**श्री नाथूसिंह** : पाइन्ट आफ आर्डर : उपाध्यक्ष महोदय, परसों माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था, वह बस के अपहरण का मामला था। मैं जानना चाहता हूं कि बस को थाने के अन्दर बन्द क्यों कर रखा है? वह आॅन कॉन्ट्रेक्ट है, 300 रुपये रोज पेनल्टी लगेगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : नोटिस देना चाहिए।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत मानवीय प्रश्न है। आप सोच लें। जो उन्होंने उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करायी, वह क्यों नहीं दर्ज की गई? बस को अब भी थाने में बन्द कर रखा है। ड्राइवर का पता नहीं है, कहां है। उसके खिलाफ क्या एफ. आई. आर. दर्ज करवायी? मंत्री महोदय, इस बारे में स्पष्ट तो करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसा नोटिस तो आपने दिया हुआ प्रतीत नहीं होता है लेकिन मैं आपको व्यवस्था दिये देता हूं। अगर बस को पकड़ लिया गया है तो वहां की अदालत से दरख्वास्त देकर छुड़ा सकते हैं।

**श्री नाथूसिंह** : कौन से कानून के अन्तर्गत ड्राइवर और बस को पकड़ रखा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कल बहस हो चुकी है। अब दोबारा नहीं उठाया जाय।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

**श्री नन्दलाल मीणा** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको ज्ञात है कि प्रोसिजर क्या है। बिराज जाइये।

**श्री यदुनाथ सिंह** : पाइन्ट ऑफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, जब यहां सदन में जानकारी आयी घटना की तो आपने स्वयं ने यह व्यवस्था दी थी कि सरकार इस बारे में वक्तव्य दे। उसके तहत दो बार प्रद्युम्न सिंह जी ने सदन को जानकारी दी। वक्तव्य में उन्होंने स्वयं ने यह स्वीकार किया था कि पुलिस से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने जो जानकारी यहां दी वह सिर्फ माननीय चेतराम जी के बयान के आधार पर उनको जो जानकारी मिली उसके आधार पर थी। पुलिस की क्या जानकारी है, क्या कार्यवाही हुई, क्या घटना थी, बस्सी थाने में क्या रिपोर्ट दर्ज हुई, जब तक इन तथ्यों को सदन के सामने नहीं लाया जाता....

(व्यवधान)

आपकी व्यवस्था ही पूरी नहीं हुई।

---

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह पाइन्ट ग्राफ आर्डर नहीं है। उन्होने कल बयान दे दिया। मैंने कहा था कि पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद बयान देंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप पहले विराज जाइये।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

**श्री नन्दलाल मीणा** : ×××

**श्री मेघराज तावड़** : ×××

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मैं नाम से सम्बोधित करूंगा अब आपको। माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मिस अंडरस्टेण्डिंग हो रही है। आपने परसों कार्यवाही समाप्त होते समय सदन से वक्तव्य दिलवाया था। जिस समय वक्तव्य दिलवाया उस समय माननीय सदस्य कुछ पूछना चाहते थे। चूंकि आप थके हुए थे और पहले काफी गरमा-गरमी भी थी....

**श्री दुलाराम** : आसन कभी थकता ही नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आसन सजीव है, निर्जीव नहीं। उस समय माननीय सदस्य कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे लेकिन उनके उतर नहीं आये। आपने एक व्यवस्था दी थी आप याद करें। माननीय सदस्य ने बताया बस्सी थाने में पुलिस ने क्या कार्यवाही की, उनकी जानकारी के आधार पर। माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने कहा कि बस्सी थाने में क्या कार्यवाही हुई इसकी मुझे जानकारी नहीं है। वह माननीय सदस्यों ने मांग की थी। आपने कहा कि पूरी जानकारी मांगी गई है। पूरी जानकारी कराने के लिए माननीय सदस्यों ने कहा है। आपके हुक्म की पालना नहीं हुई है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : आपके हुक्म की पालना नहीं हुई है इसकी हमको चिन्ता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : जिस वक्त यह सवाल उठाया गया था माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी, जो प्रभारी मन्त्री जी हैं, ने आसन की एडवाइस पर बयान दिया था। जिस पर मैंने उनसे कहा था कि आपके पास पुलिस की रिपोर्ट है या नहीं, उन्होंने कहा नहीं आई। मैंने कहा, आवे जब बयान देना। आखिर में जा करके जब सदन की कार्यवाही खतम होने वाली थी उस वक्त मैंने कहा बयान दीजिये, उस वक्त एकाध सवाल किये गये थे और उसके जवाब दे दिये थे, उनकी याददाश्त नहीं हो सकती लेकिन अब सवाल उठाया जाता है तो जो प्रोसिजर बना हुआ है प्रोसिजर को तकलीक करना होगा।

**श्री यदुनाथ सिंह** : प्रोसिजर यह है,

---

××× माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री यदुनाथ सिंह)
उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की अवहेलना हो रही है, अगर अपहरण किया....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। अंकित न हो।

**श्री यदुनाथ सिंह** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोल रहे हैं, आसन पैरों पर है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, आप ज्यादा खड़े रहेंगे तो थक जायेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : विधायी कार्य—विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्रीमती विद्या पाठक, श्री यदुनाथ सिंह, श्री कैलाश मेघवाल, श्री नाथूसिंह, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री बालचन्द्र आर्यवीर, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

**विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव नहीं रखा हो उनको भी विचार व्यक्त करने का अधिकार**

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : पाइन्ट आॅफ आॅर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर चर्चा हो उसके पहले मैं कल जो व्यवस्थायें हुई थीं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल आपने दो व्यवस्थायें दी थीं। एक तो जिस समय बिल विचारार्थ लिया जाय तो जिन माननीय सदस्यों ने दो प्रस्ताव रखे, एक सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय और दूसरा यह कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। उस वक्त जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव नहीं रखा उनको बोलने की अनुमति आपने नहीं दी। आपने यह कह कर अनुमति नहीं दी कि आपके नाम नहीं हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि....

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने अनुमति दी है जो नहीं थे उनको भी।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मतलब वह चालू है। अवसर आप देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं ऐसा नहीं है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : उसी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो माननीय सदस्य सलेक्ट कमेटी के लिए मूव करें और जनमत जानने के लिये परिचालित करने के लिए मूव करें उनके अलावा भी कोई बोल सकते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्लाज बाई क्लाज पर बोल सकते हैं। उस वक्त कोई मैम्बर बोलना चाहता है तो।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैं समझता हूं कि उनको भी अनुमति दी जायेगी। जिन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया वह तो बोलेंगे, जिन्होंने नहीं दिया और जो बिल के विरोध में या समर्थन में बोलना चाहें तो उनको भी अधिकार है। जिन्होंने सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का या जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव नहीं रखा है

---

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उनको भी अधिकार है। कल मैंने एक क्वेश्चन उठाया था उस पर आप विचार कर लें। मेरा निवेदन है कोई क्लाज ऐसा होता है जिसमें अमेण्डमेन्ट नहीं दिया जाता है लेकिन पूरे क्लाज का विरोध करना चाहते हैं। मैं अमेण्डमेन्ट देता, वह होता डिलीशन, डिलीशन करने का अमेंडमेंट, नेगेटिवेट करने का होता। अब तक सदन में यह व्यवस्था रही है कि जो डिलीट करने का प्रस्ताव है उसको देने की आवश्यकता नहीं है, माननीय सदस्य चाहें तो विरोध कर सकते हैं। मेरी मान्यता है कि जिन माननीय सदस्यों ने अमेण्डमेन्ट नहीं दिया और किसी क्लाज का विरोध करना चाहते हैं तो उन्हें भी बोलने का अधिकार है। कल ये दो बातें थीं उन पर आपकी व्यवस्था चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : कल की बात तो कल रह गई।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कन्सीडरेशन की स्टेज पर और बिल पारित करने की स्टेज पर जिन माननीय सदस्यों ने संकल्प दिया है, उनको बोलने का अधिकार है, अभी वह स्टेज नहीं आई। परिनियत संकल्प जो लोग लाये हैं, पब्लिक ओपिनियन को इलिसिट करने के लिये संशोधन लाये हैं उनके अलावा भी किसी आदमी को बोलने का अधिकार है या नहीं ? इस सदन की यह परम्परा रही है, सलेक्ट कमेटी का मोशन हो चाहे पब्लिक ओपिनियन इलिसिट करने का मोशन हो उन्हीं माननीय सदस्यों को अवसर मिला है। जहां तक कन्सीडरेशन की स्टेज पर या पारित करने की स्टेज पर बिल आता है उस समय उसको एक्सेप्ट करने या सपोर्ट में बोलने का अधिकार है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उसी के अधिकार के लिए मैंने कहा।

**श्री परसराम मदेरणा** : वह स्टेज अभी नहीं आई।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अभी तो मैंने रेज नहीं किया।

**श्री उपाध्यक्ष** : Questions, which have already been decided, cannot be re-opened.

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : The question has not already been decided.

यदि किसी क्वेश्चन का डिसीजन सही नहीं हो तो उसको चैलेन्ज किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : किसी ने चैलेन्ज नहीं किया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : डिसीजन सही नहीं हुआ हो तो उसको अमेण्ड किया जा सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : That is the procedure.

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : क्वेश्चन क्या अमेण्ड हुआ, जो भी कल व्यवस्था दी।

**श्री उपाध्यक्ष** : No, no, you have a right.

मामला डिसाइड हो गया है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत**: मामला कहां डिसाइड हो गया। इस बिल पर चर्चा हो उसके पहले स्पष्ट हो जाय। मान लीजिये मैं बोलना चाहता हूं, मैंने अमेंडमेंट नहीं दिया, पब्लिक ओपिनियन्स इलिसिट करने का, पूरा क्लाज डिलीशन का प्रश्न है।

**श्री उपाध्यक्ष**: ठीक है। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

## विधेयक पर विचार
## राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक 1982 परिनियत संकल्प

**श्री घनश्याम तिवाड़ी**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिनियत संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं। यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1981) व दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत (संशोधन, अध्यादेश 1981) (अध्यादेश संख्या 13 सन् 1981) को अस्वीकार करता है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत**: दोनों विधेयक एक साथ चलेंगे।

**श्री परसराम मदेरणा**: उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है दोनों आर्डिनेन्स के बिल आये हैं वह कन्सोलिडेटेड फोर्म में आये हैं जब बोलें तो कन्सोलिडेटेड फोर्म में बोलें। पूरे आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करने का संकल्प साथ ही चलेगा क्योंकि बिल एक ही है।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्रीमती विद्या पाठक।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी**: मैं बोल रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष**: अच्छा, आप बोल रहे हैं, बोलिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी**: उपाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा कि पिछले सत्र में रात को बारह बजे तक कार्यवाही चल रही थी, माननीय प्रभारी मन्त्री श्री शीशरामजी ओला ने पंचायत सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, उस विधेयक पर चर्चा हो रही थी। चर्चा और होती, परन्तु अचानक माननीय अध्यक्ष महोदय आये और चर्चा समाप्त करके सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय विधेयक पर चर्चा होती, उस समय प्रावधानों पर चर्चा होती तो कई माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये थे, उन सब पर हम विचार व्यक्त करते, विचार व्यक्त करने के बाद कानून बनता, राजस्थान की जनता के सामने जाता और उनकी भावनाओं का प्रतिबिम्ब उसमें होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और उसके बाद में अध्यादेश पारित किया गया। मैं यह निवेदन करूंगा, यह संसदीय इतिहास में एक अनोखी घटना है। अध्यादेश को न तो प्रकाशित करवाया गया, न पत्रकारों को दिया गया और प्रतियां गजट की लोगों को मिलीं तब पता चला कि इस प्रकार का कोई अध्यादेश जारी किया गया है। राजस्थान के प्रमुख दैनिक नवज्योति ने लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय, सम्पादकीय टिप्पणी में कि पंचायतों में मत देने के अधिकार को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। 1981 में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया है, जब कि प्रधान चुनाव में उसको कम किया गया है। इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सम्बन्ध में इस प्रकार की गुप-चुप कार्यवाही इतिहास में अनोखी घटना है। यह दिनांक 17 अक्तूबर के अखबार में लिखा है। वह आगे लिखता है कि इस प्रकार से राजस्थान में अनुसूचित व्यवस्था का सूत्रपात किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के सब दैनिक अखबारों में इस अध्यादेश के बारे में इस प्रकार की शिकायतें हैं। संसदीय प्रजातंत्र के इतिहास में यह एक अनोखा उदाहरण बताया गया है कि जब विधान सभा का सैशन था, इस पर चर्चा हो रही थी, चर्चा स्थगित कर दी गई और सदन की कार्यवाही अनिश्चित-काल के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद में कौन से ऐसे कारण पैदा हुए थे, कौन सी गतिविधियां हुई थीं कि समाचार-पत्रों को लिखना पड़ा कि राजस्थान के इतिहास में, भारत के इतिहास में इस प्रकार का गुपचुप कार्य हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की कार्यवाही पूर्व नियोजित थी। पंचायतो का कार्यकाल समाप्त नहीं होता था, उनका चुनाव पांच साल के लिये हुआ था उस समय ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, पंचायत समिति के सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी और विधान सभा में चर्चा प्रारम्भ हो चुकी थी, इसके बारे में विधान सभा में संशोधन प्रस्ताव आ चुके थे यह सारे मामले विधान सभा के सामने विचाराधीन थे तब सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया। उसके बाद में इस विधेयक को जारी किया, इसकी न तो पत्रकारों को सूचना दी, न जनता को बताया। हमारे मुख्य मंत्री जी की आदत है कि जहां जाते है अखबार बाजी के अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन न तो पत्रकारों को बताया गया, न जनता को विश्वास में लिया गया और अध्यादेश जारी कर दिया कि मताधिकार की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा, 18 साल के नौजवानों को अधिकार है। लाखों नौजवानों को वोट का अधिकार दिया गया है, उनके अधिकार को समाप्त करने के लिये इस प्रकार का कानून बनाया गया। पहले ऐसा प्रपोजल था कि 18 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया जाये, लेकिन उन नौजवानों की बात, जो उनके दिमाग में थी, नहीं सुनी गई और इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अध्यादेश है इसमें कई बातें कही गई, पंचायत राज में प्रथम सीढ़ी पूरी नहीं हुई, तीसरी नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 13 साल तक पंचायत चुनाव नहीं हुए। अधिकांश सरपंच मर चुके थे, उनकी जगह उप–सरपंच सरपंच का कार्य कर रहे थे। तब माथुर साहब भी मंत्रिमंडल में थे, अब के अधिकांश मंत्री भी तब मंत्री थे, विधायकों में से भी तब थे। लेकिन तीन साल के बाद पता नहीं क्यों इतनी जरूरत आ पड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इनको जरूरत इसलिए पड़ी कि आने वाले समय में इनको विधायकों का इलेक्टोरल बड़ा करना था। उपाध्यक्ष महोदय, यह मजाक नहीं है, आज राजस्थान के मंत्रिमण्डल में कोई अल्पसंख्यक प्रतिनिधि नहीं है। ऐसा राजस्थान में पहली बार हुआ है कि कोई अल्पसंख्यक मंत्रिमण्डल में न हो। सरकार ने अकाल की जो भयंकर स्थित राजस्थान में पैदा हुई थी, सकी तरफ ध्यान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं दिया। पीने के पानी की ओर लोगों का ध्यान न जाये, इन बातों को ध्यान में रख कर माथुर साहब ने यह किया। व्यक्तियों की ओर विशेषकर कांग्रेस की कोई मांग नहीं, प्रशासन की कोई मांग नहीं, प्रजातन्त्र की कोई मांग नहीं, उन्होंने चारों तरफ यह घोषणा करवाई और जब विधान सभा इसे पास नहीं कर सकी, तो विधान सभा को स्थगित कर दिया और इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया गया। पंचायती राज के लिये जो कांग्रेस सरकार ने कमेटियां गठित कीं जैसे गिरधारीलाल व्यास कमेटी का गठन किया, सादिक अली कमेटी का गठन किया। इन कमेटियों के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी भी सदस्य थे। उन्होंने रिपोर्ट दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातें कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं जिससे पता चलता है कि यह जो अध्यादेश जारी किया गया है, यह उन रिपोर्टों के खिलाफ है। उन रिपोर्टों के बाद भी इस अध्यादेश को जारी किया गया। गिरधारीलाल व्यास की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है :

"Composition of Panchayats...."

उसमें लिखा है :

"At present, representation of scheduled castes, scheduled tribes and women is ensured by co-option under certain circumstances. Co-option in fact is nothing but a corrosion and infringement of true democratic processes, and the representatives of the scheduled castes, scheduled tribes and women, getting a place through co-option in the Panchayats, Panchayat Samities or Zila Parishads are nothing but a creation of the generosity of members of those bodies and, consequently, their participation in the deliberations of such bodies is far from active, or objective The co-opted members, therefore, become 'Yesmen' of the majority faction which co-opts them and hardly represent the interest to which they belong."

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि इसमें कौनसी बात की गई। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में गिरधारी लाल व्यास की रिपोर्ट में कहा है कि इनके लिये सीट पंचायत के चुनाव में रिजर्व होनी चाहिये लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पीपुल रिप्रेजेन्टेशन एक्ट के अन्दर जो प्रावधान किया गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की सीटें रिजर्व हैं। गिरधारी लाल व्यास की रिपोर्ट भी उनके सामने थी, तो क्या कारण था, कौनसी ऐसी जल्दी थी कि इस अध्यादेश को लाया गया। आज कहा जा रहा है कि सरपंच के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में जिला प्रमुखों में एक पर्सेन्ट भी इन लोगों का नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ क्या कारण था कि इनके लिये सीटें नहीं दी गईं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा....

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय,

"Majority of the members of Panchayat Samiti, under the new pattern, now to be directly elected, we are of the view that Pradhan may now be elected only by the voting members of the Panchayat Samiti from amongst themselves. The Up-Pradhan would also likewise...."

यह व्यवस्था की गई थी कि प्रधानों के चुनावों में और पंचायतों के चुनाव में उनको वोट का अधिकार मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय ध्यान दें इस बात पर कि सरपंच उस केटेगरी में आता है जिसको दबाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहनी है। एक और बात कही, सादिक अली की रिपोर्ट में, जिसमें शिवचरण जी मैम्बर थे उन्होंने सिफारिश की थी यह बताते हुए "By and large, the Panchayat Raj institutions have not been able to devote...."

उसमें यह लिखा है। एक बात और कही है जो इनके लिये बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति को राजनीति से दूर रखना चाहिए, active party politics should be kept out of Panchayat Raj. तो यह बात उन्होंने कही, मुख्य मंत्री जी उसके सदस्य थे। उन्होंने कहा था, एक्टिव पार्टी पोलिटिक्स, पंचायत राज से दूर रखी जाये। उपाध्यक्ष महोदय, जब पंचायतों के चुनाव हो रहे थे तो पता लगा कि जो टिकट दिये गये कांग्रेस पार्टी की ओर से वह पार्टी के नाम पर दिये गये। उसके बाद लोगों को दबाकर, धमका कर अपने प्रधानों के पक्ष में वोट डालने के लिये उकसाया। माथुर साहब उस सादिक अली कमेटी के सदस्य थे, उसकी सिफारिश है कि एक्टिव पार्टी पोलिटिक्स पंचायतों से बाहर रखी जाय, उस बात को भूल गये तो जो संशोधन अध्यादेश सरकार ने जारी किया है वह बेमायने था, बेकार था। राज्य के साधनों पर आर्थिक बोझ को मैं समझता हूं। राज्य पर ओवर ड्राफ्ट पर और अधिक ओवरड्राफ्ट का माथुर साहब ने भार लगाया है। गिरधारीलाल व्यास कमेटी रिपोर्ट में वीकर सैक्शन्स के लिये कहा है और सादिक अली कमेटी रिपोर्ट में पंचायती राज को एक्टिव पार्टी पोलिटिक्स से दूर रखने की बात कही थी, दोनों को ताक पर रखा और राज्य सरकार ने अप्रजातांत्रिक व्यवस्था की। किस प्रकार से खरीद-फरोख्त करके प्रजातंत्र को कलंकित किया जा सकता है, उस प्रकार से कलंकित करने के लिये यह अध्यादेश जारी किया। समाचार पत्रों ने इसका विरोध किया, पत्रकारों ने विरोध किया और ग्राम जनता ने विरोध किया। सरकार ने सत्ता के दबाव में आकर इस प्रकार का अध्यादेश निकाला जिसके लिये मैं संकल्प प्रस्तुत करके निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के अध्यादेश को निरस्त किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती विद्या पाठक।

**श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1959 में पंचायतों के

(श्रीमती विद्या पाठक)
संबंधित एक्ट बना। 1979 में उन नियमों में कुछ संशोधन किये गये और जो संशोधन किये गये उसके कुछ कारण भी दिये गये। मैं यह कहना चाहती हूं कि कारण आज भी वही हैं जो उस समय दिये गये थे। संशोधन तब क्यों किया गया और क्या संशोधन किये गये, जो संशोधन किये गये उसके पीछे कारण क्या हैं? आज 1979 के उन कारणों में कोई परिवर्तन हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, 1979 में जो संशोधन किये गये उसके अनुसार इलेक्टोरल कालेज को छोटा बनाया गय। प्रधान और प्रमुख के लिये इलेक्टोरल कालेज छोटा किया गया, दोनों चुनावों के लिये कोआप्टेड सदस्य वोटर्स नहीं होंगे इस तरह का प्रावधान किया गया। पहले 60 दिन की अवधि में पंचायत चुनाव से लेकर प्रमुख तक चुनाव हो जाता था, अब उस अवधि को रेस्ट्रिक्ट किया गया कि यह 3 हफ्ते के अंदर अंदर चुनाव समाप्त करा लिये जायं।

इसके अलावा एक अमेंडमेंट यह भी किया गया, पहले यह था कि म्यूनिसिपल मैम्बर्स भी प्रमुख के चुनाव के लिये खड़े हो सकते थे जिनको कोई ग्राम, रूरल एरियाज की विशेष जानकारी नहीं होती थी। मगर इसके बाद रेस्ट्रिक्ट यह कर दिया गया कि ग्रामीण व्यक्ति, जो रूरल एरिया का है, ही प्रमुख चुनाव के लिये खड़ा हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे कारण आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनके पीछे उद्देश्य यह था कि समय कम लगाया जाय, लोगों को उचित समय पर उनके निर्णय प्राप्त हो जायं, इलेक्टोरल कालेज छोटा किया जाय क्योंकि इनडाइरेक्ट वोटिंग होता है तो इसलिये ज्यादा गुंजाइश नहीं। इलेक्टोरल कालेज छोटा किया गया और समयावधि को कम किया गया। परंतु 15 अक्टूबर और 10 नवम्बर को आर्डिनेन्स सरकार ने निकाले और इन रूल्स में वही परिवर्तन कर दिये गये जो 1959 के एक्ट के अनुसार हुये।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो इन्होंने 13 साल पंचायत चुनाव करवाये ही नहीं और फिर चुनाव करवाये गये और नियमों में परिवर्तन किया गया। सरकार ने आते ही पुनः आर्डिनेन्स की प्रक्रिया चालू कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, विचारणीय विषय यह है कि 6 अक्टूबर को विधान सभा का सत्र समाप्त हुआ और 15 अक्टूबर को आर्डिनेन्स लाया गया। 6 और 15 तारीख में कितना फर्क पड़ सकता है? इस अवधि में विधान सभा से अब पहले या बाद में, इतना सा तुरंत बाद में आर्डिनेन्स लाना क्या हमारे विधान सभा के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं है? उसके पीछे सरकार की इन्टेन्शन साफ दृष्टिगत नहीं होती? तो एक बात मुझे यह कहनी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल, वर्तमान में जो सरकार है यह सारी शक्ति कोई अपनी जनता के हित में नहीं लगा रही है, पुराने कार्यकलाप जो छोड़कर चले गये थे 1977 में और जिनकी वजह से गये थे उनकी प्रक्रिया पुनः उस स्थिति में कैसे आ जाय, सारी शक्ति इस तरफ लगा रहे हैं और जनता के हितों को राजस्थान के हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम हो, नेशनल सीक्योरिटी एक्ट हो,

(श्रीमती विद्या पाठक)

असेंसियल सर्विसेज एक्ट हो, सड़कों के नाम बदले गये, यूनीवर्सिटीज का डेमोक्रेटिक करेक्टर बदला गया, सत्ता को कुछेक हाथों में केन्द्रित किया जाय, सारी शक्ति इस पर लगाई गई है। इसमें जो परिवर्तन किये हैं उसके बाद चुनाव कराये। मैं एक ही उदाहरण दूंगी कि चुनाव किस प्रकार से हुये। कुछ दिन पहले आपने अखबारों में देखा होगा जयपुर जिले की एक पंचायत है....

**श्री उपाध्यक्ष** : अध्यादेश तक ही सीमित रहें।

**श्रीमती विद्या पाठक** : अध्यादेश की क्रियान्विति किस तरह से हुई, यह भी उसके आर्बिट में आता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : संबंधित विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा होगी।

**श्रीमती विद्या पाठक** : चुनावों में भयंकर अन्याय हुआ, मेनुपुलेशन हुआ, सारी प्रक्रिया के पीछे कारण सिर्फ पोलिटिकल था। सारे रेशनल कारण जिसकी वजह से इस एक्ट में परिवर्तन किया गया, नेशनल इन्ट्रेस्ट को नजरअंदाज करके सिर्फ पोलिटिकल दृष्टिकोण रखते हुये परिवर्तन किया गया वरना पंच और सरपंच अच्छा काम कर ही रहे थे। इन्होंने किया क्या है? जो सरपंच इनके विरोधी थे उन पर चार्ज लगाकर किसी को सस्पेंड किया, किसी के खिलाफ कार्यवाही की। नतीजा यह हुआ कि वे कोर्ट्स में गये, स्टे आये और सरकार को मुंह की खानी पड़ी। यह पोजीशन सरकार को टालरेट नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि आपने आर्थिक भार, ओवरड्राफ्ट, नेचरल केलेमिटीज और डेफीसिट फाइनेन्सिंग सबको नजरअंदाज करके सिर्फ पोलिटिकल दृष्टिकोण रखते हुये पंचायती चुनाव दुबारा कराये। जिस तरह से चुनाव हुये उसके लिये अभी मुझ से पूर्व माननीय सदस्य ने कहा, कितनी भयंकर ज्यादतियां हुई हैं और घोटाले हुये हैं, अखबारों ने दिये हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : Do not go to far. You are going far away from the subject.

**श्रीमती विद्या पाठक** : मैं एक जिक्र करती हूं। जो बैलट पेपर्स बैलट बाक्सेज में होने चाहिये थे उनकी फोटो प्रेस में छपी है। जिस जनता ने विश्वास करके जिसको सरपंच पंच बनाया उसकी कीमत इन्होंने 1500 और 5000 लगा दी। जिस जनता ने विश्वास किया उस पर इन्होंने अविश्वास किया। उसका नतीजा क्या हुआ? यह जनता के हितों के लिये कुठाराघात है, एक डेमोक्रेटिक प्रासेस का हनन नहीं तो क्या है? यह जन प्रतिनिधियों की अवमानना नहीं तो क्या है? इस मोटीवेशन से अमेंडमेंट्स आवश्यक समझा। आर्थिक भार को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। पंचायत समितियों के प्रमुख के चुनाव कराये जाते, अच्छा था, करवाये जाने चाहिये थे मगर उसके बावजूद पंचायतों को भी भंग किया गया। वह इसलिये कि पिछली पंचायतें इनको राजनैतिक रूप से सहन नहीं हुई। सरकार ने पोलिटिकल मोटीवेशन से ये सारे काम किये हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री यदुनाथ सिंह (अनुपस्थित)

श्री कैलाश मेघवाल । अध्यादेश तक ही सीमित रहें ।

**श्री कैलाश मेघवाल** : पूर्णतः अध्यादेश तक सीमित रहूंगा । अध्यादेश की परिधि से बाहर जाने का मेरा विचार कतई नहीं है ।

जो अध्यादेश जारी किया है उसके जो उद्देश्य बताये हैं वह मैं इसलिये पढ़ देना चाहता हूं कि मैं तर्क रखूंगा उन तर्कों का जवाब पंचायत मंत्री देंगे । उसके आधार पर यह अध्यादेश जारी क्यों हुआ और इस अध्यादेश को अस्वीकारने का क्यों संकल्प प्रस्तुत किया, यह आपके सामने है । पंचायत, पंचायत समिति की तथा जिला परिषदों की 5 वर्ष की वर्तमान अवधि काफी अव्यवस्थाप्य थी । अतः पंचायतों तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों की तीन वर्ष की अवधि करने के पहले के उपबन्धों को प्रत्यावर्तित करने के लिये, जिसमें एक वर्ष की वृद्धि की जा सके, राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 और राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया था । यह भी विनिश्चत किया गया था कि जून 1979 (5 जून 1979) से पहले के प्रधान और प्रमुख के निर्वाचनों के निर्वाचक मण्डल को पुनर्जीवित किया जाये । उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निश्चय किया गया था ।

**श्री परसराम मदेरणा** (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या पढ़ रहे है ? यह तो बिल के उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण पढ़ रहे हैं जब कि अभी तक बिल कन्सीडरेशन स्टेज पर भी नहीं है । इस पर चर्चा कैसे हो सकती है ।

**श्री कैलाश मेघवाल** : मैं तो अध्यादेश के कारणों को पढ़ रहा हूं ।

**श्री परसराम मदेरणा** : आप बिल के उद्देश्य तथा कारणों को कैसे पढ़ रहे हैं ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कारणों के बदले उद्देश्य शब्द बोल गया इसलिये मन्त्री महोदय को मौका मिल गया । उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी दृष्टि से सिंचाई मन्त्री जी ने जो एतराज उठाया है मैं सहमत हूं इसलिये मैं जो पहले उद्देश्य शब्द बोला उसको विथड्रा करता हूं । मुझे उसके कारण पढ़ने चाहिये थे इस स्थिति में इस बात को मानते हुए मैं आगे पढ़ रहा हूं । इसमें मैं निवेदन कर रहा हूं "जून 1979 (5 जून, 1979) से पहले के प्रधान और प्रमुख के निर्वाचनों के निर्वाचक मंडल को पुनः जीवित किया जाय जिससे प्रधान और प्रमुख के निर्वाचक मण्डलों को प्रधान के वर्तमान निर्वाचक मण्डल में ग्राम सभा के निर्वाचित और संयुक्त पंचों और अध्यक्षों को सम्मिलत करके और प्रमुख के वर्तमान निर्वाचक मंडल में विधान सभा सदस्यों, सरपंचों, पंचायत समितियों के संयुक्त और निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित करके बड़ा बनाया जा सके । "उन्होंने अंग्रेजी में शब्द यूज किया है "The existing term of five years...."

उपाध्यक्ष महोदय, जो बात हिन्दी में हैं वही अंग्रेजी में है । तो, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री कैलाश मेघवाल)

मैं सीधे सीधे सवाल पूछना चाहूंगा इसलिये कि वह मेरे सवालों का जवाब देंगे। जहां तक उनका अध्यादेश जारी करने का कारण था उसकी अब पृष्ठभूमि यह है कि सन् 1964 में पंचायतों के चुनाव हुए, पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव 1964 में हुए उस समय, जैसा इसमें कहा है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह प्रावधान था, तीन साल के लिये पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन किया जाय और यदि आवश्यक हुआ तो एक साल की अवधि आगे बढ़ायी जा सकेगी। यह बिल्कुल ठीक था, उपाध्यक्ष महोदय। इसी तरह सन 1970 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1970 में देश के अन्दर मध्यावधि लोकसभा के चुनाव हुए और विधान सभा के भी चुनाव हुए थे उस समय कोई आपातकाल की स्थिति नहीं थी जिसके कारण पंचायत संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये जा सके। सन् 1970 में चुनाव नहीं कराये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एक साल का प्रावधान था कि एक साल के लिये अवधि बढ़ायी जा सकती है उस प्रावधान के तहत पंचायत बिल में संशोधन किया गया कि दो साल के लिये अवधि बढ़ायी जाय। उस समय बिल में संशोधन करके दो साल अवधि बढ़ायी गई। कोई माननीय सदस्य उस समय के नहीं हैं, माननीय सिंचाई मन्त्री जी जरूर उस समय इसके सहयोगी थे। पहले एक साल अवधि बढ़ा दी गई, फिर सन् 1968 में भी चुनाव नहीं कराये और फिर आगे सन् 1969 में चुनाव नहीं कराये। इसके बाद उसकी अवधि तीन साल बढ़ा दी। तो इस प्रकार तीन साल की अवधि बढ़ायी और दो साल का एक्सटेन्शन हो गया फिर पांच साल हो गये। उस समय एक और संशोधन कर दिया गया, नया संशोधन पंचायत एक्ट में किया गया उसमें तो खेतसिंह जी सहयोगी थे। अब जो मैं निवेदन कर रहा हूं कि शक्ति का प्रयोग किया गया, उस समय एक संशोधन किया वह संशोधन क्या था। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की अवधि पांच साल के लिये बढ़ायी जाती है। पांच साल की अवधि बढ़ा दी, उपाध्यक्ष महोदय, वह जो संशोधन हुआ तो अवधि पांच साल की बढ़ा दी गयी और दो साल का एक्सटेंशन करने का अधिकार उनको मिल गया। तो सन् 69 में चुनाव नहीं कराये, सन् 1970 तक अवधि फिर बढ़ा दी तो 71 तक अवधि बढ़ गयी। इस प्रकार पूरे सात साल हो गये। सात साल हो जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराये। फिर आपने कह दिया कि हम दो साल और तीन साल और अवधि बढ़ा सकते हैं। फिर भी चुनाव नहीं कराये, उपाध्यक्ष महोदय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 71 में देश में लोक सभा के चुनाव हुए, मध्यावधि चुनाव हुए सन् 71 में उस समय भी मतदान नहीं कराया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, सन् 71 में कौनसी आपातकाल की स्थिति थी कि जिससे चुनाव नहीं कराये जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी चुनाव नहीं कराये जा सके। फिर उन्होंने एक साल और बढ़ा दिया। इस प्रकार 72 आ गया। सन् 72 में विधान सभा के चुनाव हुए, सारे राजस्थान में विधान सभा के चुनाव हुए, किन्तु पंचायती राज संस्थाओं

(श्री कैलाश मेघवाल)

के चुनाव उस समय भी नहीं कराये। उस समय चुनाव नहीं कराये और संशोधन कर दिया कि तीन साल नहीं, चार साल की अवधि तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह सन् 73–74 का साल आ गया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, सन् 74 के बाद में आपने उसमें एक और अमेन्डमेन्ट कर दिया कि हम 31–12–77 तक पंचायतों के चुनाव नहीं करायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पार्टी, जो कि एक ही कांग्रेस पार्टी थी, ने उस समय अपने ही लोगों को रखने के लिये चुनाव नहीं कराये। इस प्रकार की जो वस्तुस्थिति थी वह मैंने आपके सामने प्रगट की। फिर, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौनसे कारण थे कि जिससे आपने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये? मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत राज संस्थाओं को कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करती रही। उसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं की क्या स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में पंचायत व्यवस्था तो आदिकाल से ही चली आ रही है। यह कहावत भी है कि पंच परमेश्वर होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज नहीं आज से करीब 30–32 साल पहले जब मैं छोटा था तो मैं देखा करता था कि पांच पंच गांव में एक निश्चित जगह पर बैठकर फैसला कर देते थे जो कि पूर्णतया लागू होता था। उपाध्यक्ष महोदय, यह पंचायत व्यवस्था हमारे पौराणिक काल से चली आ रही है इसके कारण से सदियों तक हजारों साल तक इस देश में ही सामुदायिक विकास की भावना कायम रही। मैंने सामुदायिक भावना का शब्द इसलिये प्रयोग किया कि सामुदायिक विकास होता था, कम्युनिटी डवलपमेन्ट। तो सामुदायिक विकास होता था। अब चूंकि, उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी सन् 1970 में चुनावों में विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण पंचायत चुनाव नहीं करा पायी, मैं आपको पूरी पृष्ठभूमि के अन्दर नहीं ले जाना चाहता, एक मौके पर गोली काण्ड हुआ, उस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव नहीं करा कर राजनैतिक हथियार के रूप में काम में लिया। अब संशोधन की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माननीय गृह राज्य मन्त्री जी यहां पर नहीं बैठे हैं, अगर वह यहां पर होते तो मैं उनको पूछता कि क्या कारण था कि आपने पांच साल की अवधि तय की जब कि जनता पार्टी के शासन काल में उसी अवधि के लिये चुनाव सन् 1978 में पंचायतों के कराये। पांच साल में चुनाव कराने की जो अवधि थी उसमें जनता पार्टी के शासन काल में संशोधन नहीं हुआ था। आपने तीन साल की जगह पांच साल में चुनाव कराने की व्यवस्था की थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने राजनैतिक आधार पर यह निर्णय किया और इसलिये यह निर्णय किया कि उस समय यह कहा गया था हमारे द्वारा कि अभी आप पंचायतों के चुनाव नहीं करायें क्योंकि राजस्थान अभी अकाल की भयंकर चपेट में है, राजस्थान अभी बाढ़ की भयंकर चपेट में है। इस प्रकार

(श्री कैलाश मेघवाल)
पंचायतों के चुनाव हुए और इस पर करीब चार करोड़ रुपये का खर्चा हुआ।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : आपने जो अधूरा काम छोड़ दिया था उसको पूरा किया हमने।

**श्री कैलाश मेघवाल** : आप अपने आपको एम० ए० एल एल० बी० कहते हैं, आप सही तो बता दीजिये आपने किस विषय में एम० ए० किया है। उस विषय पर चर्चा तो कर लें। पता नहीं कैसे आपको एम० ए० का सर्टिफिकेट मिल गया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति बनी तीन साल के बाद चुनाव होने चाहिये किन्तु 3 के 13 और फिर 13 से 17 साल तक चुनाव नहीं कराये गये। अब यह कहते हैं कि हम सारे प्रावधान लाना चाहते हैं, यह राजनैतिक हथियार के रूप में इसको काम में लेना चाहते हैं। आज गांवों में इसको राजनैतिक हथियार के रूप में काम में लिया जा रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Better late than never.

**श्री कैलाश मेघवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है। अपनी राजनैतिक गोटी किस प्रकार इनके हित में फिट हो उस प्रकार यह करते हैं चाहे उसमें जनता का चार करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाय। आज सवेरे भी ओवर ड्राफ्ट के बारे में सदन में चर्चा हुई थी।

(2·48 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बीकानेर में तीन लाख रुपये पत्तल दोनों के खर्च हुए उसका भी बता दो।

**श्री खेतसिंह राठौड** : कौन से? कौन कौन थे वहां?

**श्री कैलाश मेघवाल** : आप थे, खेतसिंह जी साहब, वहां पर।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : आप भी शामिल थे और सारे सरपंच भी थे।

**श्री कैलाश मेघवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी पृष्ठभूमि रखी है। अगर आज भी यह महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी की कल्पना के अनुसार राजस्थान के अन्दर सामुदायिक विकास की भावना के लिये पंचायत राज को ठीक करना चाहते हैं तो राजनैतिक आधार पर अपनी गोटिया फिट नहीं करें। खेतसिंह जी, आपने चुनाव कराये हैं, आपने कभी अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा है? वह पढ़िये। हम तो उस अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे थे। संवैधानिक आधार किस तरह का पंचायत राज का हो उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट क्यों पढ़ूं, मैं तो गिरधारीलाल व्यास समिति का मैम्बर था। उसकी रिपोर्ट मानता हूं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अगर उस रिपोर्ट को मानते हो तो उसको लागू करो। उस पर जवाब दो।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : उसका तो पंचायत राज मन्त्रीजी जवाब देंगे।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : तो क्या आप उनको मानते हैं।

**श्री खेतसिह राठौड़** : मंत्री जी जवाब देंगे।

**श्री परसराम मदेरणा** : सिफारिशों को मानना नहीं माना, वह अलग से प्रश्न है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : उस सिद्धान्त से, जो गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट है, खेतसिह प्रमुख जोधपुर 13 वर्ष तक बने रहे....

**एक माननीय सदस्य** : 17 साल।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैं बहुत गलती कर गया। एक ही बार के चुनाव में 17 साल तक चिपके रहे। यह तो, सभापति महोदय, राजस्थान में एक ही उदाहरण है कि एक आदमी मंत्री भी रहे, एक आदमी जिला प्रमुख भी रहे और ग्राम पंचायत का पंच भी रहे।

**श्री कैलाश मेघवाल** : तो, सभापति महोदया मैं निवेदन कर रहा था कि आप यह बताइये कि आपातकालीन स्थिति में आपने निर्णय लिया था कि 5 साल के लिए जो लोक सभा और विधान सभा चुनी गयीं, इनकी अवधि सात साल तक होनी चाहिए। उसके बाद 6 साल का तो आपने संविधान में संशोधन कर दिया। यह तो हमारी महत्ता को देखिये कि हम 6 साल के लिए चुने गये थे और संविधान में संशोधन करके अपनी उम्र 5 साल कर ली। अब यह ठीक है कि ऊपर से नीचे आ गये। आप 5 साल से 3 साल कर रहे है....

**श्री खेतसिह राठौड़** : वही हम कर रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : आपने तो और नीची कर दी।

**श्री कैलाश मेघवाल** : कोई बात नहीं कर दी तो।

तो, माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज पंचायती राज का ढांचा जिस तरह का है मेरा सरकार पर आक्षेप है कि यह महात्मा गांधी की पंचायत राज की कल्पना नहीं थी और देश के पौराणिक इतिहास की पंचायती राज की कल्पना यह नहीं थी। सदियों तक देश की सामुदायिक भावना को जिन्दा रखने वाले जो थे उनकी यह भावना नहीं थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह सोचा, अशोक मेहता कमेटी की यह रिपोर्ट है, माननीय खेतसिह जी और ओला साहब पढ लीजिए, उसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार देने की बात कही गयी है। हम इस पर चिन्तन कर रहे थे, सारे देश के अन्दर चिन्तन हो रहा था, सारे देश का पंचायती राज का ढांचा इस प्रकार से खड़ा करना चाह रहे थे। यह बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, अगर चाहते हैं तो पंचायती राज को संवैधानिक आधार दो जिससे आप इस तरह का मजाक और मखौल नहीं कर सको कि जब चाहो तब सस्पेण्ड कर दो, जब चाहो तब उसको दो साल से पांच साल, दस साल और 17 साल बढ़ा दो। आज यह संशोधन लेकर आ गये। तो, माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन

(श्री कैलाश मेघवाल)
यह है कि आप इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार देना चाहते हैं या नहीं ?

दूसरे पंचायतों की आर्थिक स्थिति क्या है ? यह सबसे बड़ा सवाल है। सभापति महोदया, आप भी गांवों से आती हैं, गांवों के सरपंचों से भी आप मिलती हैं, गांव गांव में आप जाती भी हैं–आप स्वयं यह बात देखती हैं कि आज ग्राम पंचायतें किसी तरह से कोई काम नहीं कर सकतीं। आर्थिक दृष्टि से ग्राम पचायतें पूर्णतया सरकार पर निर्भर हैं। उसी का कारण है, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि यह जो ग्राम विकास की प्रशासनिक इकाई हैं, सरपंच जो चुने हुए हैं वह हमेशा सत्ता पर आधारित रहेंगे। सत्ता के साथ चलेंगे। उस समय, ऐसा कहा गया है कई लोग, जो किसी भी विचारधारा के हों, जीतने के बाद कांग्रेस के × × × में चले गये। उनको कहा गया कि अगर कांग्रेस में नहीं आये तो हम पैसा नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो ग्राम का विकास नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहले पंचायतों को 20 पैसा प्रति व्यक्ति देते थे। गांवों की उपेक्षा इतनी की कि ग्राम पंचायतों को पंचायती राज व्यवस्था में 20 पैसा मात्र देते थे आप एक आदमी के पीछे। और उस पैसे को 10 गुना बढ़ा करके, 12 गुना बढ़ा करके 2।।) रुपया देने की व्यवस्था, माननीय सभापति महोदया, जनता पार्टी की सरकार ने की थी जिससे यह अपने पैरों पर खड़ी हों और आगे बढ़ें। आखिर यह 2।।) रुपया भी कम होता है इसलिए ज्यादा दिया जाये, ऐसा जनता पार्टी का सोचना था। इसके साथ ही उनको स्टेचुटरी शक्तियां भी दीं। लेकिन गांवों में आय के कौन से स्रोत हो सकते हैं, गांवों में आय के कौन से साधन हो सकते हैं, ऐसी कौन सी आय है जो ग्राम पंचायतों को दी जाय ताकि यह अपने पैरों पर खड़े हो सकें, एम. एल. ए., एम.पी. या खेतसिंहजी जैसों से दबकर गांव के विकास को अवरोध नहीं करें और साथ ही स्वाभिमान से अपना काम चला सकें। माननीय सभापति महोदया, यह चिन्तन चल रहा था और इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे थे। राजनैतिक चिन्तन चल रहा था कि देश में विकेन्द्रीकरण आना चाहिए। डाक्टर लोहिया की कल्पना पर विकेन्द्रित जनतन्त्र आना चाहिए। माननीय सभापति महोदया, उस विकेन्द्रित जनतंत्र का सबसे बड़ा आधार ग्राम पंचायत व्यवस्था है। ग्राम पंचायत व्यवस्था आधार तो है लेकिन वह आधार बेकार है अगर उसको अधिकार आपने नहीं दिये तो क्या अधिकार हैं ग्राम पंचायतों को ? क्या स्थिति आज ग्राम पंचायतों की है ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्री यहां पर नहीं हैं इसलिये माननीय पंचायत राज्य मंत्री अब जवाब दें कि जब से ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, प्रधानों के चुनाव हुए, प्रमुखों के चुनाव हुए हैं यह अधिकार पंचायतों को दिये जायेंगे, यह विभाग पंचायतों को सौंपे जायेंगे यह कार्य पंचायतों को सौंपे जायेंगे—इसके बारे में एक निर्णय आज तक क्यों नहीं लिया गया है ? मुझे अफसोस है, सभापति महोदया, यह कहते हुए कि जनता पार्टी की सरकार ने 2।।) रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)
अनुदान देने की बात कही थी आज वह अनुदान नहीं देकर ओवरड्राफ्ट के नाम से पंचायतों का पैसा काट रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। यह आपके पंचायती राज की व्यवस्था है।

**एक माननीय सदस्य** : पांच पांच हजार मांग रहे हैं।

**श्री कैलाश मेघवाल** : हमारे विधायक बांसवाड़ा से आने वाले, आदिवासी इलाके से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पांच पांच हजार रुपया मांग रहे हैं....

**श्री शीशराम ओला** : यह गलत है। कोई नहीं मांगा रहा है।

**श्री कैलाश मेघवाल** : तो मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदया, आखिर क्या अधिकार हैं ? उन अधिकारों का निश्चय कीजिए। यह निश्चय आपने राजनैतिक आधार पर किये तो पंचायती राज व्यवस्था नहीं चलेगी। माननीय सभापति महोदया, आप भी जानती हैं तथ्य कहना चाहिए ईमानदारी से। आपको मालूम है कि जनतन्त्र में पहली बार गांव के व्यक्ति ने गांव की चौपाल पर बैठ कर, गांव के चौराहे पर बैठकर, ग्राम की ग्राम पंचायत में बैठकर यह फैसला दिया कि गांव में विकास के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। यह फैसला करने का अधिकार काम के बदले अनाज योजना में जनता पार्टी की सरकार ने ग्राम पंचायतों को दिया था कि सोचो, तुम्हारे काम में क्या कमी है। सोचो, गांव में आप क्या करना चाहते हैं, सोच करके मालूम करो। यह गेहूं लो, यह पैसा ले जाओ और किसी बात की चिंता मत करो। यह तीस बत्तीस साल तक गांवों की उपेक्षा करने वाली कांग्रेस नहीं है। हम गांवों में दृष्टिकोण बदलते हैं। माननीय खेतसिंह जी, बता तो दीजिए....

**श्री खेतसिंह राठौड़** : घोटाले ज्यादा हुए।

**श्री कैलाश मेघवाल** : आप बता तो दीजिए। पंचायती राज्य मंत्री से आंकड़े मंगा लें कि 2½ साल में जनता पार्टी के शासन में गांवों में कितने काम हुए। 66 हजार काम हुए हैं, 66 हजार। यह काफी है आपको शीशा बताने के लिए कि पंचायती राज के लिए क्या दृष्टिकोण है। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री खेतसिंह राठौड़** : फिर वहां कहां पधार गए ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : वह तो पधार गये। आपने शतरंज ठीक खेली और हमारे में फूट डाल दी लेकिन देश का आपने अहित किया, हमारे लोगों को लड़ाया। यहां तो आपने बहुत कोशिश की, उस समय माननीय भैरोंसिहजी शेखावत को कहा कि मुझे ले लो और यह ले लेते तो वहां थोड़े ही बैठे मिलते....

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैं नहीं लेता।

**श्री कैलाश मेघवाल** : तो, माननीय सभापति महोदया, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जनता पार्टी शासन में ग्राम पंचायतों के जो काम चालू हुए विकास के, जनता पार्टी का शासन जाने के बाद दो साल में कांग्रेस के पास एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है कि जिसके लिए यह कह सकें

(श्री कैलाश मेघवाल)
कि यह काम हमने चालू किया। जैसा दूसरा संशोधन आप करने जा रहे हैं दूसरे में आपने यह किया है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यही विषय है जिस पर जो निर्णय होगा वह राजस्थान के ग्रामीण आदमी को प्रभावित करेगा। इस पर विस्तार से चर्चा होगी....

**श्री सभापति** : काफी लम्बा काम है।

**श्री कैलाश मेघवाल** : बड़ा लम्बा चौड़ा काम है इसलिए ही लम्बा चौड़ा बोलने की इजाजत आपको देनी चाहिए।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदया, कोई काम इन्होंने नहीं बढ़ाया। आपने दूसरा एक निर्णय लिया है निर्वाचक मण्डल का। माननीय खेतसिंह जी बिराज रहे हैं और शीशराम जी हैं। 1959 और 1954 में जब चुनाव हुए थे और जिस समय प्रमुख बने थे जिला परिषद के....

**श्री खेतसिंह राठौड़** : सरपंच थे और पंच थे उसी से प्रमुख चुना जाता था। आपने पढ़ा नहीं है। यही था फर्स्ट इलेक्शन में।

**श्री कैलाश मेघवाल** : सन् 1959 में स्व० श्री जवाहरलाल जी नेहरू को नागौर में ले जा करके पंचायती राज व्यवस्था चालू कराई थी। वह प्रावधान निर्वाचक मण्डल का तो था, निर्वाचक मण्डल के जो कागज थे वे ठीक थे क्योंकि वह रेशनल था, उसके आधार पर व्यवस्था ठीक चलने की गुंजाइश थी। आखिर एक निर्वाचक मण्डल में एक अधिकारी, एक पदाधिकारी एक अध्यक्ष और एक मंत्री चुनते हैं। इसके साथ ही काम करने वाला निर्वाचक मण्डल कोई और, निर्णायक मण्डल कोई और के हाथ में है। यह कहीं नहीं है, यह अव्यवस्था है, सारी अव्यवस्था है....

(व्यवधान)

**श्री शीशराम ओला** : आपका निर्वाचक मण्डल काम थोड़े ही करता है।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय सभापति महोदया, सरपंच तमाम गांव के वोटों से चुना जाता है और सरपंच को हटाने के लिए केवल पंच काफी हैं। बहुमत सारा गांव का सरपंच के साथ लेकिन उसको हटाने की शक्ति केवल पंचों में निहित हो गई है। सभापति महोदया, आप इस बात को समझिये कि चुने कोई और, हटाये कोई और यह नहीं हो सकता है। हम तो चुनें और हटा कोई और दे, इसका क्या जवाब है? यही तर्क निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, आपके द्वारा कि वह रेशनल था। उसी के आधार पर पुरानी व्यवस्था सन् 1959 में कांग्रेस के उस समय के तपे तपाये हुए नेताओं ने चालू की थी, वह ठीक थी....

(व्यवधान)

और, माननीय सभापति महोदया, मुझे एक अफसोस, है क्या करें, कुर्सी का असर है या क्या, अपना सारा विवेक खो देते हैं। माननीय गिरधारी लाल जी व्यास कमेटी जो बनी थी उसमें आपने क्या किया था? उसमें पंचायती राज मंत्री ने यही निर्णय

(श्री कैलाश मेघवाल)

लिया था। यह प्रमाण स्वरूप ग्राप पढ़िये....

(व्यवधान)

**श्री शीशराम ग्रोला** : मैं ग्रापको उत्तर दूंगा। भैरोंसिंहजी को तो मेरा बड़ा भाई मानता हूं लेकिन मैं ग्रापको माकूल जवाब दूंगा।

**श्री कैलाश मेघवाल** : उत्तर तो ग्रापने जैसा लिखा है, वही देंगे। ग्रापके पास कोई तर्क नहीं है। ग्रापका उत्तर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसलिये तर्क तो बहुमत का है, सबसे बड़ा तर्क है, बहुमत लेकर बैठे हो। ग्राज की स्थिति में ग्रापके पास कोई विवेक नहीं है, ग्राज की स्थिति में बुद्धि का चिन्तन नहीं है, ग्राज की स्थिति में तो किसी भी पक्ष से ग्राने वाली ग्रावाज को कसना है ग्रौर इसके ग्रलावा ग्रापके पास कोई बात नहीं है। किसी भी तर्क पर ग्रा जायं, यहां पर, वहां पर, कहीं भी ग्रा जायं। 17 साल तक चलने वाली वही पार्टी कांग्रेस पार्टी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था, ग्राज इस ग्रध्यादेश को ग्रस्वीकार करने का संकल्प इसलिये लाये हैं। हमें खुशी होती कि संवैधानिक ग्रखण्डता को कायम रखते, हमें खुशी होती कि इनको ग्रार्थिक ग्राधार पर ग्रपने पैरों पर खड़ा करते, हमें खुशी होती ग्रामीण विकास योजना में ग्राप उनसे सहयोग करते, हमें खुशी होती कि उन्हें ग्रधिक ग्रधिकार प्रदान किये जाते, हमें खुशी होती, ग्राम पंचायतों के ग्रामदनी स्रोत बढ़ाने की बतलाते, हमें खुशी होती ग्राम पंचायतों को सामुदायिक विकास को एक ग्राधार बनाते। तो, माननीय सभापति महोदया, हम भी ग्रापके इस ग्रध्यादेश का समर्थन करते लेकिन ग्रापने तो ग्रपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिये, राजनैतिक लाभ के लिये ग्राम पंचायतों को पांच साल से तीन साल की ग्रवधि पर दी ग्रौर जब राजस्थान बाढ़ ग्रौर ग्रकाल की चपेट से जूझ रहा था, राजस्थान के कोने कोने में ग्रादमी रोटी के लिये रो रहा था, भूखे पेट को भरने के लिये रो रहा था, भूखे पेट सो रहा था, प्यास से तड़फ रहा था, उस समय राजस्थान के खजाने का चार करोड़ रुपया ग्रनावश्यक रूप से चुनाव करवाने में खर्च कर दिया। ग्रौर ग्राज कहते हैं ग्रध्यादेश पास करो। कोई रेशनल नहीं है, उससे ग्राप विमुख हो गये हो ग्रौर ग्राप कहते हैं कि ग्रध्यादेश को सहमति दी जाय।

सभापति महोदया, मैं विरोध करता हूं ग्रौर माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस ग्रध्यादेश को ग्रस्वीकार करके, जो कांग्रेस पार्टी की एक ग्रादत पड़ गई है, बहुमत के ग्राधार पर गलत काम करने की, गलत दिशा में ले जाने की, ग्रनावश्यक रूप से भार डालने की जो एक ग्रादत पड़ गई है ग्रापके द्वारा निवेदन करता हूं कि उस ग्रादत को दूर कीजिए। इसे ग्रस्वीकार किया जाय।

**श्री सभापति** : श्री नाथूसिंह।

**श्री नाथूसिंह** : सभापति महोदया, मैं परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि

(श्री नाथूसिंह)

यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1981) व दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 13 सन् 1981) को अस्वीकार करता है।

सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं इस मंत्रिमण्डल की भक्ति की सराहना करता हूं। साथ ही माननीय मंत्री महोदय की इन्दिरा भक्ति की भी सराहना करता हूं। सभापति महोदया, आपने 20 सूत्री कार्यक्रम पढ़ा होगा। उसका जो पहला सूत्र है उसमें इन्होंने कहा है....

**श्री सभापति :** आप तो 20 सूत्र पर नहीं बोल रहे हैं, बिल पर बोल रहे हैं।

**श्री नाथूसिंह :** सभापति महोदया, कहा गया है कि समय पर चुनाव करवायेंगे लेकिन क्या पंचायतों के चुनाव समय पर हुए। ये चुनाव इन्होंने समय से पहले करा दिये हैं, समय पर नहीं हुए, समय से पूर्व हुए। समय से पूर्व चुनाव करवाने में न तो इन्होंने नियमों का ध्यान रखा, न कानून का ध्यान रखा। सिर्फ इन्होंने स्वार्थ का ध्यान रखा है। इन्होंने सोचा, आज जितने पंच सरपंच हैं वे जनता पार्टी के हैं इसलिये इनको कैसे हटाया जाय....

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** जो आपने किया वही तो किया है....

**श्री नाथूसिंह :** आप हमारे फोलोअर है क्या ? जैसे हम चलेंगे वैसे ही आप चलेंगे तो हमें स्वीकार है यह बात।

(व्यावधान)

**श्री महेन्द्रसिंह :** चुनाव करवाकर जनतन्त्र की नींव मजबूत की है।

**श्री नाथूसिंह :** सरदार जी, आपने तो पढ़ा ही नहीं होगा।

**श्री महेन्द्रसिंह :** आपने तो पढ़ ही लिया है न ?

**श्री नाथूसिंह :** वह तो आप सुनेंगे तो पता लग जायगा।

सभापति महोदया, चुनाव कराते समय यह भूल गये कि नियमों का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है। हम किसी राजनैतिक दुर्भावना से नहीं करवा रहे हैं।

सभापति महोदया, तीन वर्ष की अवधि थी 1964 में उसको जब इन्होंने बढ़ाया, तीन साल के लिए चुनाव कराये तो 1969 में जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया, उस समय इन्होंने रीजन्स दिये हैं, 1968 में अवधि बढ़ाई उस समय टर्म बढ़ायी, टर्म बढ़ाई और वह कालावधि बढ़ाई, उसके रीजन्स दिये हैं, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। माननीय परसरामजी मदेरणा चले गए उन्होंने ये रीजन्स दिये हैं। मिनिस्टर इन्चार्ज श्री परसराम मदेरणा, अभी वे चले गए, उनसे पूछता। उन्होंने कहा है कि :

'With a view to effecting economy in the expenditure involved in the conduct of the panchayat

(श्री नाथूसिंह)

General Elections, it was considered expedient to extend the period of Panchayat Raj Institutions from 3 to 5 years and since the present term of these institutions was due to expire shortly and the Assembly was not in session, this was affected by means of promulgating the Rajasthan Panchayat Laws (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance 1 of 1969). The bill seeks to replace the said Ordinance.'

यह मैं नहीं बोल रहा हूं। यह श्रीमान परसरामजी मदेरणा बोल रहे हैं। कारण बताये हैं, ओब्जेक्ट्स बताये हैं कि तीन साल से पांच साल हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन, सभापति महोदया, इसमें वापस जो पांच साल से तीन साल का इन्होंने टर्म किया है उसके रीजन्स बताये हैं, उनको भी पढ़कर सुनाता हूं। उसमें उन्होंने क्या कहा :

"The Governor of the State of Rajasthan had promulgated the Rajasthan Panchayat Laws (Amendment) Ordinance, 1981 (Ordinance No. 10 of 1981) on 15th October, 1981. By clause 3 of the said Ordinance, amendment was made in sub-section (1) of Section 7 cf the Rajasthan Panchayat Act, 1953 whereby the term of all panchayats was reduced from five years to three years. After the promulgation of the said Ordinance, some writ petitions were filed in which the applicability of the amendments made in section 7 of the Rajasthan Panchayat Act, 1953 reducing the term of Pancahayts from five years to three years in relation to Panchayats existing before the commencement of the said Ordinance was challenged. In order to remove any doubt, the Rajasthan Panchayat (Amendment) Ordinance, 1981 (Ordinance No. 13 of 1981) was promulgated by the Governor on December, 1981 providing that the term of existing Panchayats shall be and shall always be deemed to be three years.

और उसके बाद उन्होंने जो ओब्जेक्ट्स बताये हैं....

(व्यवधान)

वही बता रहा हूं, सुनिये। एक ही बात है। जो टर्म तीन साल से पांच साल की और पांच साल से तीन साल की....

(व्यवधान)

आप पहले सुन लीजिए। इसके अन्दर रीजन्स दिये हैं। वह अगर आप पढ़ें तो, माननीय सभापति महोदया, It was decided....

**श्री शीशराम ओला** : यह तो पढ़ा हुआ मान लिया। आप तो अपनी बात कहिये।

**श्री नाथूसिंह** : उसमें उन्होंने यह बतलाया है कि यह उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है। उन्होंने यह कहा है। मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं....

**श्री सभापति** : मेहरबानी होगी।

**श्री नाथूसिंह** : इसलिए, सभापति महोदया, 1968 और 1969 में जो कुछ कहा है यह अपने कहे हुए से ठीक उल्टी बात कर रहे हैं तो इसमें तथ्य क्या है इनको भी पता नहीं। ये अंधेरे में घूम रहे हैं। वास्तविकता का इनको पता नहीं है लेकिन इससे हट कर इन्होंने अपनी भक्ति दर्शाने के लिए समय पर चुनाव क्या समय से पहले चुनाव करा दिये यह दिखाने के लिए कि श्री शिवचरणजी माथुर का प्रभाव राजस्थान में कैसा है, सारी पंचायत समितियों और पंचायतों में जीत कर आ गए। पार्टी के नाम से लड़ा नहीं गया, सरपंचों को डराया धमकाया गया और चुनाव करा कर यह दिखा आए कि हम जीत गए हैं। यह दिखाने के लिए इन्दिरा जी चुनाव की अवधि पांच साल थी उसको तीन साल कर दी। और पांच साल से तीन साल कर दी यह तो समझ में आता है कि अपनी स्वार्थपूर्ति कर दी, इन्दिराजी को भक्ति दिखा दी। इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि ये भक्ति दिखायें। दिन रात उनका ध्यान करें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सभापति महोदया, उसमें भी इन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। इन चुनावों को कराने में कई कानूनी खामियां इन्होंने रख दी। वह यह रख दी कि जो इलेक्टोरल है, पंचों की संख्या रखी, जो वार्ड बनाए पंचों के इसमें इन्होंने कानूनी खामियां रख दीं। उनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यदि ये थोड़ी एक्सरसाइज करते तो इन खामियों से बच सकते थे....

**श्री नारायण सिंह** : कोर्ट में चले जाओ।

**श्री नाथूसिंह** : हां, मैं बताऊंगा। कोर्ट में भी यह रिट पिटीशन्स कल परसों ही एडमिट हुई है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोर्ट में चले जाओ, माननीय सभापति महोदया, अभी दो तीन दिन पूर्व ही कोर्ट ने तीन रिट पिटीशन्स को विचारार्थ स्वीकार किया है और कोर्ट ने यह स्वीकार किया है इन रिट पिटीशन्स को स्वीकार करते समय कि जो इलेक्शन कराये वह नियमों के अन्तर्गत नहीं है। उनमें खामियां रही हैं। पंचों की संख्या ठीक ढंग से निर्धारित नहीं की है। ये तीन रिट पिटीशन जो उन्होंने, कोर्ट ने स्वीकार की हैं उनके बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे थे। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 24-2-82 को दो रिट पीटिशन्स स्वीकार की हैं रिजकाराम वर्सेस सरकार, और गिरधारी वर्सेस सरकार और 26-2-82 को रामेश्वर वर्सेज सरकार, ये तीन रिट पिटीशन्स स्वीकार की हैं। अब यदि ये चुनाव ठीक ढंग से करवाते तो रिट पिटीशन्स स्वीकार नहीं होतीं। और गलती क्या की है इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। गजट नोटिफिकेशन निकला अक्टूबर 1960 में उसके अनुसार 26 ही जिलों का नोटिफिकेशन निकाल कर पंचों की संख्या तय करने का फार्मूला तय किया और वह फार्मूला यह था कि दो हजार की पापुलेशन जहां होगी,

(श्री नाथूसिंह)

दो हजार से नीचे 2 जहां होगी वहां 8 वार्ड पंच होंगे। दो हजार एक से तीन हजार तक दस पंच होंगे। तीन हजार एक से चार हजार तक की जन संख्या पर 12 पंच होंगे। चार हजार एक से पांच हजार की जनसंख्या पर 14 पंच होंगे और पांच हजार से अबव होंगे तो 15 पंच होंगे। इसके बाद यह एक अमेंडमेंट लाए और अमेंडमेंट ला करके 1964 में उसके आधार पर उसके बारे में कह दिया कि पंचों की संख्या अधिक से अधिक लगभग पांच से लेकर बीस तक होगी। यह 1964 में इन्होंने एक अमेंडमेंट लाकर किया।

**श्री शीशराम ओला** : 1964 के बाद में तो आपकी सरकार आ गई। मौजूदा बात कीजिए ना।

**श्री नाथूसिंह** : हां वही मैं बता रहा हूं। उसकी भी चर्चा करूंगा, आप चिन्ता मत कीजिए।

**श्री सभापति** : उसी पर आ जाइये।

**श्री नाथूसिंह** : मैं बता रहा हूं कि क्या खामियां रही हैं। आर्डिनेंस क्यों कहता है और इन्होंने गड़बड़ क्या की है यह मैं बताना चाहता हूं, सभापति महोदया। उस समय इन्होंने 1965 में चुनाव कराए तो इन्होंने 1951 की सेंसस के आधार पर चुनाव कराए और उस फार्मूले के आधार पर इन्होंने इन पंचों की संख्या निर्धारित की है। उसके बाद 1961 में सेंसस हुई, 1971 में सेंसस हुई, 1981 में सेंसस हुई और 1981 में जो सेंसस हुई, 8 मार्च 1981 को सेंसस ओपरेशन समाप्त हो गया। 8 मार्च, 1981 और 23 मार्च 1981 को क्लेक्टर्स ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी कि 81 की सेंसस के अनुसार जनसंख्या यह है। यह सेंसस आफ इंडिया 1981, राजस्थान, फैक्ट्स एण्ड फिगर्स, डायरेक्टोरेट आफ सेंसस आपरेशन्स राजस्थान जयपुर है, उसकी तरफ से यह रिपोर्ट निकली है। इसमें उन्होंने कहा कि हमने 23 मार्च, 1981 को राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी। यह स्पष्ट रूप से कहा है।

**श्री शीशराम ओला** : यह कौनसी जनसंख्या के आधार पर कब चुनाव कराए, एक मिनट के लिए इसको अगर स्पष्ट कर सकें तो बड़ी कृपा होगी।

**श्री नाथूसिंह** : हां, मैं बता रहा हूं। आपने 1965 में जो चुनाव कराये वह आपने 1951 की सेंसस के आधार पर कराए। 1961 का ध्यान नहीं रखा जब कि 1961 की सेंसस उस समय हो चुकी थी और अब जो चुनाव कराये उस समय न तो 1971 की ओर ध्यान दिया, न 81 की सेंसस का ध्यान दिया और उस सेंसस के अन्दर 8 मार्च को आपरेशन्स समाप्त हो चुके थे और 23 मार्च 1981 को सेंसस की रिपोर्ट मिल गई थी। यह मैं नहीं कर रहा हूं। यह जो रिपोर्ट निकाली है इसके फर्स्ट पेरा में लिखा है :

'It may be recalled that within a period of a fortnight after the close of Census Operations, Paper 1 of 1981 Census– 'Provisional Polulation Totals' which presented some basic figures at the State and

(श्री नाथूसिंह)

district levels was released by the Directorate on March 23, 1981.' यह आपको दे दी गयी, अब आपने दिसम्बर में चुनाव कराये—

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : ये रिपोर्ट प्रोवीजनल रिपोर्ट थी, फाइनल रिपोर्ट नहीं है। अभी तक गवर्नमेन्ट के पास नहीं आयी है। आप तो पढ़े हुए हैं, यह फाइनल रिपोर्ट नहीं आयी है। उसमें अमेण्डमेन्ट किया गया हैं, कानून के अन्दर। अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आयी है। आप रेगुलर रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, आप गलत बात क्यों कह रहे हैं, हाउस के अन्दर। पंचायत समिति के समय फाइनल रिपोर्ट नहीं आयी थी। कानून की आप बात कर रहे हैं, आप जानते हैं क्या बात कर रहे हैं?

**श्री नाथूसिंह** : वही मैं बता रहा हूं। चुनाव तो आपने दिसम्बर में कराये हैं। इसकी रिपोर्ट नहीं आयी है सैन्सस से। यह आप 81 की बात नहीं कह सकते हैं।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : सभापति महोदय, सीनियर मैम्बर सही कह रहे हैं कि प्रोवीजनल रिपोर्ट है।

**श्री शीश राम ओला** : ये जो चुनाव हुए हैं, ये सैन्सस के आधार पर नहीं हुए हैं, ये 80 की लेटेस्ट वोटर लिस्ट पर हुए हैं, ये जनसंख्या के ऊपर नहीं हुए हैं। वार्ड लिस्ट से हुए हैं। वोटर लिस्ट समय समय पर बदलती रहती है, इसमें जितने सरपंच थे....

**श्री नाथू सिंह** : आप जल्दी मत कीजिए, मैं आपको बताता हूं। सभापति महोदय, 23 दिसम्बर को प्रोवीजनल रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी, 15 अक्टूबर को आर्डिनेन्स जारी किया और दिसम्बर में आपने चुनाव कराये।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि आसन की ओर देखकर बोलें।

**श्री नाथूसिंह** : मुझे खुशी होगी कि आपकी तरफ देखकर बोलूं।

सभापति महोदया, इन्होंने यह बात कही है, लेकिन सरकार को दिक्कत आ रही थी, ये स्वीकार करें। 1961 के आधार पर कराते, 1961 चला गया, 1971 चला गया, 1981 की प्रोवीजनल रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी, फिर 1971 की, 1961 की भी अनदेखी कर क्यों गये। सभापति महोदया, न इन्होंने जनसंख्या के आधार पर चुनाव कराये, न वोटर लिस्ट के आधार पर कराये, इन्होंने न तो पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर कराये और न नयी के आधार पर कराये, न तो पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर कराये न नये वार्ड बनाये। इन्होंने क्या किया, सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा, विधान सभा के जो चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनी थीं, आंख मींचकर इन्होंने वार्ड तय कर दिये, इतने से इतने तक ये, इतने से इतने तक ये। कोई ध्यान नहीं दिया गया कि पुराने वार्ड क्या थे, नये वार्ड क्या बने। सभापति महोदया, और उसमें क्या किया, उसमें अधिकार दिया, उस अधिकार के बारे में निवेदन

(श्री नाथू सिंह)

करना चाहता हूं। पंचायत एक्ट की धारा 4 के अनुसार स्टेट गवर्नमेन्ट को सैक्शन 4 बी पंचायत एक्ट की धारा के अनुसार ये पावर्स हैं कि पंचों की संख्या निर्धारित करे और वह वार्डों की संख्या निर्धारित करे। State Government shall determine the number of panchas. यह सैक्शन 4 के अन्तर्गत इनको पावर थी। मुझे इसमें आब्जेक्शन नहीं है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं इन्होंने इसकी पालना नहीं की। ये डिटरमिनेशन कैसे किया जायेगा, गवर्नमेन्ट कैसे डिटरमिनेशन करेगी, इसके लिए एक फार्मूला बना और उस फार्मूले का हवाला इस रिट पिटीशन में भी दिया गया है। एक बहुत अच्छे केस की ओर इस मामले में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, सभापति महोदया, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अपने फैसले में कहा है और हमेशा कहा है कि डिटरमिन स्टेट गवर्नमेन्ट कैसे करेगी। तो R.L.W. Vol. No. 9, 1958 यह जो निर्णय हुआ, उसको कोट करना चाहूंगा, सभापति महोदया, पैरा 9। यह है भोपाल सिंह वर्सेस स्टेट आफ राजस्थान, इसमें उन्होंने निर्णय देते हुए कहा है:

"The main criterion must be that there should be so many Panchas for so much population. That some such thing was present in the mind of the Government also seems to be clear from a reply which the applicant alleges was given on the floor of the Legislative Assembly when it said that the idea was that there should be one ward for a population of 250 to 400 persons electing one pancha...."

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, इतना लम्बा न पढ़कर आपको जो कुछ कहना है, वह कहें। यह प्रश्न नहीं है।

**श्री नाथूसिंह** : मैं क्लीयर कर दूंगा।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : यह तो लेजिस्लेचर से सम्बन्धित बात है।

**श्री सभापति** : यह आप ही लोगों का समय है।

**श्री नाथूसिंह** : सभापति महोदया, अगर मैं यह नहीं कोट करूंगा तो माननीय मन्त्री महोदय बाई पास करेंगे। मैं वह निर्णय पढ़ रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है उसमें तय किया है, इसमें क्राइटेरिया दिया है कि स्टेट गवर्नमेन्ट कैसे डिटरमिन करेगी–

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप पढ़ें।

**श्री नाथूसिंह** : In any case the result when it enacted secs. 4 & 5 and gave vide powers....

सैक्शन 4 और 5। सैक्शन 4 में पावर्स दी गयी हैं to the administration but expected that theadmin-

(श्री नाथूसिंह)

istration would exercise these powers fairly and on some principles and that the main basis of fixing the number of panchas for each panchayat circle and indelimiting wards would be necessarily the population.

अब पोपुलेशन का ध्यान करके ही वार्डों को तय कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं करते लेकिन इसमें पोपुलेशन का कोई ध्यान नहीं दिया। वे अब कैसे कह सकते हैं कि हमने पोपुलेशन के आधार पर किया, 1951 की पोपुलेशन के आधार पर। इसके ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा, यह पंचायत एक्ट है इस पंचायत एक्ट में कहा गया है, पोपुलेशन कौन सी होगी ? इस बारे में पंचायत एक्ट में क्लीयर किया गया है, इसमें कहा है।

'Population' used with reference to a panchayat circle or ward from all means the population of such circle or ward according to the returns of the latest Government census for the time being.'

लेटेस्ट पोपुलेशन ली जायेगी। वह पोपुलेशन समझी जायेगी, जो लेटेस्ट सेन्सस से तैयार की गयी है। वह पोपुलेशन नहीं जो 1951 की पोपुलेशन है—

**एक माननीय सदस्य :** यह कोर्ट आफ लॉ है या विधान सभा है ?

**श्री शीश राम ओला :** 1981 की हमारे पास तो आयी नहीं, आपके पास आयी हो तो आप बताइये।

**श्री नाथू सिंह :** 1971 का क्या हुआ ?

**श्री शीश राम ओला :** हमने यही किया है।

**श्री नाथू सिंह :** आपने किया है ऐसा ? सभापति महोदय, मुझे दुःख है कि मन्त्री महोदय सोच समझकर नहीं बोल रहे। अगर सोच समझकर बोलते तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। सभापति महोदया, अब इन्होंने एक बात और बता दी है इसलिए मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पास लिस्ट है, राजस्थान की पंचायत समितियों की लिस्ट, मैंने इकट्ठी की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, 1981 में जो पोपुलेशन थी, आज कितनी हो गयी, पंचायतों की संख्या 65 में जो थी जिसके आधार पर चुनाव कराये थे, क्या उन की संख्या बदली है ? अगर लेटेस्ट बदली हो तो....

**श्री शीश राम ओला :** 1978 में चुनाव कराये थे जनता पार्टी ने, ये बदलते। इन्होंने कराये थे हमने तो उसी हिसाब से करवाये, जो आपने कराये थे।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** You did not raise that point at that time.

**श्री नाथू सिंह :** इसका मतलब यह हुआ, हमने जो किया, आप वही कर रहे हैं न ? अनुसरण कर रहे हैं।

**श्री शीश राम ओला :** आप जो कुछ चाहें समझ लीजिए।

**श्री नाथू सिंह :** हम तो ढाई साल में

(श्री नाथू सिंह)

चले गये, आप भी चले जाइये छोड़ कर। आप चलिये, बन्द करिये।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : You had no courage to raise at that time.

**श्री नाथू सिंह** : सभापति महोदया, इन पंचायतों की संख्या और जनसंख्या जयपुर डिस्ट्रिक्ट....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : इनका बस चले तो कभी भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, चिपक-कर बैठे रहेंगे।

**श्री नाथूसिंह** : डिस्ट्रिक्ट जयपुर—

**श्री दिनेश राय डांगी** : पोपुलेशन बढ़ी है, वह पोपुलेशन जोड़ी है और जो भाग गये वह डिलीट कर दिये गये जो नहीं गये....

**श्री नाथू सिंह** : तो, माननीय सभापति महोदया, परसराम जी समझते हैं ये आ गये हैं।

**श्री भैरू सिंह गुर्जर** : इन से ही डर लगता है।

**श्री नाथू सिंह** : माननीय सभापति महोदया, जमवा रामगढ़, जो मैंने देखा है, की 1951 में पोपुलेशन थी 3302, वह 1971 में हो गयी 5439 और इस समय 1981 में ज्यादा हो गयी बढ़कर, जनगणना के आधार पर है करीब (अश्रव्य) तो उस समय जो क्राइटेरिया तय किया था, जो फार्मूला तय किया था, उस फार्मूले के आधार पर उस समय 12 पंच होने चाहिए थे। उस समय 12 पंच थे लेकिन 1971 की पोपुलेशन के हिसाब से देखें तो इसमें 15 पंच होने चाहिए लेकिन आज 12 पंच हैं तो कौन से फार्मूले के आधार पर लेटेस्ट सेंसस के आधार पर आपने चुनाव कराये। उस समय 12 पंच थे। इसी तरह से आमेर में देखिये आप, पहले 3963 फिर 5281, उस पर भी 15 पंच होने चाहिए।

**श्री भैरू सिंह गुर्जर** : आप कहना क्या चाहते हो, आप इनकी बात समझे हैं क्या ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : आप तो विराजें।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, बीच में टोका टाकी न करें। जो कहना है उत्तर में कह दिया जायगा।

**श्री नाथूसिंह** : मुझे ऐसा लग रहा है अधिकांश सदस्यों के बात समझ में ही नहीं आ रही है।

**श्री सभापति** : आप बोले जाइयेगा। माननीय सदस्य, आप बोलें।

बीच में टोका टाकी न करें।

(व्यवधान)

**श्री जगतार सिंह** : दिक्कत नाथूसिंह जी को आ रही है।

**श्री नाथूसिंह** : आपकी समझ की बात नहीं है। माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें।

डिस्ट्रिक्ट अजमेर के अन्दर पंचायतें हैं 4121 सन् 63 में। 1971 में 5670 हो गयीं। आज के फार्मूले के हिसाब से होने

(श्री नाथूसिंह)
चाहिये 15 सरपंच । कई पंचायतों का मैंने सर्वेक्षण किया हैं । सभापति महोदया, इन्होंने 1951 के सैंसस के आधार पर पंचों की संख्या निर्धारित की थी आज भी उतने ही पंच हैं । 1971 की जनसंख्या के आधार पर यदि पंचों की संख्या निश्चित करते, तो मैं समझता हूं, लेटेस्ट सैंसस के आधार पर पंचों की संख्या निश्चित की है, लेटेस्ट सैंसस के आधार पर चुनाव कराये हैं जैसा कि एक्ट में कहा गया है । लेकिन, सभापति महोदया, एक्ट का उल्लंघन किया, इन्होंने फार्मूले का उल्लंघन किया । और फार्मूले के उल्लंघन के आधार पर रिट पिटीशन, जो कि माननीय न्यायाधीश ने स्वीकार की है, उन्होंने लिखा है ।

(विराम)

मैं इसको पढ़कर सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं । इन्होंने कहा है कि जो फार्मूला बनाया गया 1960 में, उसका उल्लंघन किया है इसलिये रिट पिटीशन को स्वीकार किया है । उस फार्मूले के अनुसार दो हजार के नीचे आठ पंच होंगे । दो हजार से तीन हजार तक दस होंगे, तीन हजार से चार हजार तक 12 होंगे, चार से पांच हजार तक 14 होंगे और उसके ऊपर 15 होंगे ।

**श्री शीशराम ओला** : पाइन्ट आफ आर्डर । मैं आपके माध्यम से अर्ज करूंगा कि जो मुद्दा आपने उठाया है यह केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है । कोई भी केस सबजुडिस हो तो उसके बारे में यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

**श्री नाथूसिंह** : यह सबजुडिस मामला नहीं है । सदन का मामला है । यह कोई मर्डर का केस नहीं है, जो सबजुडिस हो ।

**श्री शीशराम ओला** : हाई कोर्ट में दिया हुआ है, आप यहां फर्मा रहे हैं ।

**श्री नाथूसिंह** : यह सारा मामला, मंत्री महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं, इस कानून, इस एक्ट को कोई बदल नहीं सकता है । इस एक्ट को न सरकार नकार सकती है, न हाई कोर्ट नकार सकती है, न आप नकार सकते हैं, न मैं नकार सकता हूं, इसको कोई नहीं नकार सकता है । संविधान के तहत एक्ट बनते हैं । संविधान के अन्दर बात कही गई है । हाई कोर्ट का मैंने फैसला आपको पढ़कर सुनाया । उस तरफ ध्यान दीजिये । हाई कोर्ट ने क्या कहा इस फैसले के अन्दर ?

**श्री शीशराम ओला** : पर्टीकूलर केस के बारे में निवेदन कर रहा हूं । हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग हैं । इसका डिसीजन हुआ नहीं ।

**श्री नाथूसिंह** : रिट पिटीशन स्वीकार हो गयी इस आधार पर । उस फार्मूले को नहीं माना हाई कोर्ट ने । इसलिये, सभापति महोदया, राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इन्होंने सरपंचों और पंचों को हटाकर उनके प्रति दुर्भावनापूर्ण रुख से चुनाव कराये । वह भी गलत ढंग से कराये ।

यह कहते हैं आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी । वार्डों की संख्या बढ़ाने से, पंचों की संख्या बढ़ाने से आपको क्या नुकसान हो जाता । आप बढ़ा कर कराते । इसलिये

(श्री नाथूसिंह)

डरे कि कहीं ज्यादा पंचों के चुनाव हुए तो हम हार जायेंगे। तो जल्दबाजी में न कानून को देखा, न एक्ट को देखा, न फार्मूले को देखा, इन्होंने धड़ाधड़ इंदिरा जी की भक्ति में, क्योंकि मंत्रिमंडल की हंसी न उड़ायें, यह बीस सूत्र का पहला सूत्र था, पहला सूत्र पूर्ण कराने के लिये समय पर चुनाव नहीं कराये, समय से पूर्व करा दिये। जल्दबाजी में ध्यान नहीं रखा गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति** : काफी समय ले चुके हैं।

**श्री नाथूसिंह** : समयावधि इसके लिये नहीं है। यह अध्यादेश का मामला है।

**श्री सभापति** : कई माननीय सदस्यों ने रखा है: उजला जी बैठी हैं।

**श्री नाथूसिंह** : आप समय बढ़ा लीजिये आगे। लेकिन, सभापति महोदया, नियमानुसार इस आर्डिनेन्स पर बोला जाता है।

**श्री सभापति** : आप संक्षेप में कह दीजिये।

**श्री नाथूसिंह** : मंत्री महोदय की समझ में आये तभी तो।

**श्री सभापति** : आप जल्दी समाप्त कर दीजिये। आपको बात कहने का इतना अवसर दिया गया है। आप खींचें तो चार घंटे खींच सकते हैं। कहना चाहें तो चार मिनट में समाप्त कर सकते हैं।

**श्री नाथूसिंह** : लेकिन चार मिनट में समाप्त कर दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आयेगा। इतना बोला तो भी समझ में नहीं आ रहा है।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : यह स्टूडेण्ट हैं।

**श्री सभापति** : आपके समझाने से तो समझेंगे नहीं। जो होना होगा हो जायेगा। अपनी बात कह दीजिये।

**श्री नाथूसिंह** : मैं समाप्त कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदया।

इसलिये, सभापति महोदया, इन्होंने यह जो चुनाव कराये और अवधि घटायी, इस में इन्होंने नियमों का उल्लंघन करके राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सरकारी धन का दुरुपयोग किया। लोगों को डरायाधमकाया। पंचों और सरपंचों को बन्द कर दिया गया। लोगों को 17–4 की कार्यवाही का डर दिखाया। उसके पश्चात्, सभापति महोदया, अपनी शेखी जताने के लिये कि हम जीत गये, झूठी साख प्राप्त करने के लिये कि हम जीत गये, प्रधानों और जिला प्रमुखों के चुनाव में पार्टी आधार पर टिकट दिये। जीत कर सबको बीकानेर में इकट्ठा किया। सभापति महोदया, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस सम्मेलन के नाम पर सरकार के चार करोड़ रुपये खर्च हो गये लेकिन उस सम्मेलन के नाम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय, और मंत्री महोदय ने मुझे मालूम नहीं किस किस से कितना पैसा लिया, पैसा प्राइवेट रूप से इकट्ठा हो गया, करीब दस करोड़ रुपये उस सम्मेलन के नाम पर राजस्थान सरकार ने इकट्ठे किये।

**श्री शीशराम ओला** : यह बहुत गलत है। गलत आरोप लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

एक भी रुपया नहीं लिया गया।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : जवाब देने का मौका मिलेगा, मंत्री महोदय।

**श्री शीशराम ओला** : आप विषय से अलग बात कह रहे हैं।

**श्री माणकलाल मेहता** : बोलने क्या दें। अनर्गल बोल रहे हैं।

**श्री शीशराम ओला** : यह कहना गलत है कि 10 करोड़ रुपया इकट्ठा किया।

**श्री नाथूसिंह** : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय मुझे छेड़ रहे हैं। यह छेड़ेंगे तो मैं भी बोलूंगा। इसका इनके पास कोई भी जवाब नहीं है।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : × × ×आपको छेड़ रहे हैं।

**श्री नाथूसिंह** : सभापति महोदया, उस सम्मेलन के अन्दर चार लाख रुपये की शराब पी गई। चार लाख रुपये की शराब की बोतलें पड़ी हुई मिलीं। इस समय जब कि अकाल पड़ा हुआ है, अकाल से ध्यान बंटाने के लिये चुनाव कराये। समस्याएं बढ़ रही हैं, लोग आन्दोलन को उद्वेलित हो रहे थे उससे ध्यान बंटाने के लिये चुनाव कराये। सभापति महोदया, बड़ा दुःख होता है मुझे, जब हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति भरतपुर आये तो वहां राजस्थान के मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं, राजस्थान के एक भी केबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं, उनकी अगवानी करने के लिये।

(श्री अहमदबक्श सिंधी; उपाध्यक्ष, पदासीन)

बीकानेर में एक × × ×सांसद गये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप रेलेवेन्ट कहिये।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** : कारणों के बारे में बोल रहे हैं या राजनैतिक भाषण दे रहे हैं।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दर थे। मैं रेलेवेन्ट बोल रहा था या नहीं....

**श्री उपाध्यक्ष** : सब सुन रहा था।

**श्री नाथूसिंह** : आप हीं निर्णय कर लें। रेलेवेन्ट बोल रहा था, इससे आप सहमत हैं। मैं इसलिये बोल रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त कर दिया।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, आप सहमत होंगे, उस समय सारा मंत्रिमंडल, मुख्य मंत्री पहुंचे, सारी केबिनेट पहुंची।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

**श्री उपाध्यक्ष** : नियम आपको पढ़ कर सुना दूं। उसके बाद में आप खुद वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। "अध्यादेश

---

× × ×अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

को निरस्त करने संबंधी परिनियत संकल्प पर वाद विवाद की अभिव्यक्ति अध्यादेश तक ही सीमित है, उस समय तत्संबंधी विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा नहीं की जा सकती।" इस बात का ध्यान रख कर आप बोलें।

**श्री नाथूसिंह** : आपने जो व्यवस्था दी, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें मैं पूर्णतया सहमत हूं लेकिन कारण बता रहा हूं, जल्दबाजी में आर्डिनेन्स क्यों निकाला।

**श्री उपाध्यक्ष** : बोल चुके हैं।

**श्री नाथूसिंह** : यह बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का काम इस राजस्थान सरकार ने किया है, राजस्थान को नीचा दिखाने का काम किया है। यह अच्छा नहीं किया। राजीव गांधी आये बीकानेर में, उनकी आरती उतारी। स्वर्गीय संजय गांधी की आरती उतारी थी। इसके परिणाम यह रहे कि 1977 में आप लोग चले गये। यह आपके हित में नहीं है आरती उतारना। बीकानेर की जगह बड़ी खतरनाक है....

(व्यवधान)

**श्री बुलाकी दास कल्ला** : माननीय सदस्य को बार बार कहने के बावजूद, कि विधायी कार्य चल रहा है, विधायी कार्य हो तो सदन में तर्कपूर्ण विचार होना चाहिये, माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : आपके भाषण की जरूरत नहीं है, मंत्री महोदय....

(व्यवधान)

**श्री बुलाकी दास कल्ला** : जो अध्यादेश हमने जारी किया, जो विधेयक बनने जा रहा है उसके विपक्ष में या पक्ष में तर्क दिये जाने चाहिये। उसके बारे में तो आप एक शब्द नहीं बोल रहे, महज राजनैतिक भाषण दे रहे हैं इसलिये आसन से मेरा निवेदन है कि आपने जो रूलिंग दी है इसके बारे में माननीय सदस्य बतावें कि इस विषय पर बोलें, विषय से भ्रमित नहीं होवें।

**श्री उपाध्यक्ष** : इनका कहना उचित है।

**श्री नाथू सिंह** : मैं विषय पर ही बोल रहा हूं लेकिन बी. डी. कल्ला इसलिये बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ उस सम्मेलन में कांग्रेस (आई) ने पदाधिकारियों ने, वहां की जनता ने, कांग्रेस (आई) के लोगों ने नारे लगाये, बी. डी. कल्ला हाय-हाय के नारे लगाये।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** : सवाल ही नहीं है। गलत है आपका आरोप। आप तो महज राजनैतिक बातें कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इधर उधर गलियों में मत जाइये। रास्ते पर आ जाइये। आर्गूमेंट्स की बात कहें।

**श्री नाथू सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, गलियों में जाने की मेरी आदत नहीं है। मैं आर्गूमेंट्स पर ही बोल रहा हूं। बी. डी. कल्ला साहब तो इसलिये बोल रहे थे कि उनको डर है कि मेरे पर नहीं आ जाये

(श्री नाथू सिंह)
पहले भी मेरे खिलाफ क्योंकि हाय-हाय के नारे लगे थे....

(व्यवधान)

इसलिए मैं निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पचायतों की लोकतांत्रिक व्यवस्था महात्मा गांधी के स्वप्न के अनुसार हमने हिन्दुस्तान में करने की कोशिश की ताकि गांव वाले इन पंचायतों के माध्यम से स्वयं अपना शासन चलायें। उसमें आप लोग राजनैतिक द्वेषता से दखलन्दाजी कर रहे हैं, 17 (4) की तलवार का डर दिखा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आप स्वतंत्र रूप से चुनाव होने दें, उनको काम करने दें। कभी 5 साल, कभी 3 साल, कभी 7 और कभी 13 साल। जब एक एम. एल. ए. और एम. पी. के लिए फिक्स है पांच साल तो आप इनके लिए क्यों नहीं कर देते? हम तो तीन साल में काम करवा नहीं सकते लेकिन वे तीन साल में काम पूरा कर लेंगे? तो कभी 3 साल, कभी 5 साल, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बुद्धि कहाँ गई। इनको मालूम नहीं कि सही 3 साल हैं या 5 साल या 13 साल। एक बार तय कर दो कि 3 साल करेंगे या 5 साल करेंगे। मेरा निवेदन है कि जब एम. एल. ए. और एम. पी. की अवधि 5 साल की है तो पंचायतों की भी पांच साल की रखें और नई जनगणना के आधार पर पंचों, सरपंचों और वार्डों की संख्या निश्चित करें, ढंग से चुनाव करायें, धमकियां न दें, राजनीति इस पर हावी न रहे तभी पंचायती राज सफल होगा, तभी उनकी महत्ता होगी। इस प्रकार का आर्डिनेंस लाते तो हम स्वयं कहते कि इसे सदन स्वीकार करे, हम समर्थन करते, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह आर्डिनेंस राजनैतिक दुर्भावना से लाया गया है, डराने धमकाने के लिए लाया गया है, अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए लाया गया है, इंदिरा गांधी जी को अपनी × × × दिखाने के लिये लाया गया है और राजस्थान में माथुर साहब का बड़ा प्रभाव है यह दिखाने के लिये लाया गया है इसलिये मैं इस आर्डिनेंस का सख्त विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि इसकी जगह सरकार इस तरह का आर्डिनेंस निकाले जिसमें पंचायतों को अधिकार दें, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन सुदृढ़ करे।

एक नई चीज निकाली आर. ए. एस. को विकास अधिकारी लगा रहे हैं। आर. ए. एस. की सरकार के हाथ में नकेल है। छोटे अधिकारी तो बात मानते नहीं सीधे रूप से आर. ए. एस. सरकार के नियंत्रण में रहते हैं इसलिये मनचाहे तरीके से काम करवायें इसलिये यह चीज चलाना चाहते हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचों, सरपंचों और राजस्थान की ग्रामीण जनता की ओर से इस आर्डिनेंस का पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं और इस सदन से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, वह भी किसान के बेटे हैं, किसानों की भावना को समझते हुए इस आर्डिनेंस का विरोध करें, इसे विथड्रा करें और अस्वीकार करें। धन्यवाद।

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बोलने वाले बहुत हैं इसलिये मैं पांच-पांच मिनट का समय ग्रापकी सहमति से निर्धारित करता हूं। श्रीमती उजला ग्ररोड़ा।

**श्रीमती उजला ग्ररोड़ा** : मेरे टाइम में समय निर्धारित हुग्रा। मैं तो 1-2 मिनट में ही बोल देती हूं। क्या समय लागू हो गया ?

यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 ग्रक्टूबर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) ग्रध्यादेश, 1981 (ग्रध्यादेश संख्या 10 सन् 1981) व दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत (संशोधन) ग्रध्यादेश, 1981 (ग्रध्यादेश संख्या 13 सन् 1981) को ग्रस्वीकार करता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको ग्रस्वीकार करने के लिए तर्क प्रस्तुत कर रही हूं। मेरा कहना है कि जिन भावनाग्रों से सत्ता के विकेन्द्रीकरण की हमने स्थितियां निर्माण की थीं उनके विपरीत यह चुनाव कराये गये हैं। पहला निवेदन तो यह है कि बाढ़ ग्रौर ग्रकाल से पीड़ित जनता पर यह चुनाव थोपे नहीं जाने चाहिये थे क्योंकि ग्रनेकों लोग मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे। ग्रकाल के कारण, बाढ़ में जिनके घर डूब गये, वह गये वे ग्रपने स्थान पर पहुंच नहीं सके इन्हीं कारणों की दलीलें देकर के चुनाव नहीं कराये गये, 13 साल तक लोग सरपंच बने रहे, प्रधान प्रमुख बने रहे, इन्हीं दलीलों को देकर पंचायतों के चुनाव टाले जाते रहे तो ऐसी ग्रब क्या स्थितियां हो गई थीं, ऐसे कौन से कारण थे कि तत्काल चुनाव करवाने पड़े इसकी इन्होंने कोई व्याख्या नहीं दी....

**श्री उपाध्यक्ष** : ग्रापका मतलब है, चुनाव नहीं करवाये जाने चाहिये थे।

**श्रीमती उजला ग्ररोड़ा** : नहीं, इस समय यह जो बिल लाये हैं जिसके कारण ग्रवधि घटाई गई तो जो पुराने पांच साल वाले सरपंच थे उनके टाइम को घटा कर 3 साल किया गया....

(व्यवधान)

मेरी बात तो कह लूं। मैं कहना चाहूंगी जो कारण इन्होंने दिये उन्हें मैं पूरा नहीं पढ़ रही, मेरे पूर्व वक्ता पढ़ चुके। डरा धमका कर दबाव डाले जाने की गुंजाइश काफी हद तक समाप्त करने की दृष्टि से कानून में प्रावधान किये जाने चाहिये थे। मैं कहना चाहती हूं, डराना, धमकाना ग्रौर भ्रष्टाचार जितना इन चुनावों में हुग्रा उतना कभी नहीं हुग्रा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही जगह का उदाहरण देना चाहूंगी हमारे कृषि उद्योग निगम के जो ग्रध्यक्ष हैं उनकी गाड़ी का प्रयोग मेरे जमवा रामगढ़ क्षेत्र के पंचों, सरपंचों को एक जगह, जहां प्रधान का चुनाव किया गया, वहां बाड़ा बना कर रखे जाने के लिये प्रयोग किया गया। यह एक उल्लेख है छोटा सा। इसी तरह भ्रष्टाचार के साधन इन्होंने ग्रपनाये क्योंकि इनके पास ऐसे साधन थे जिनका दुरुपयोग करके ये चुनाव करा सकते थे।

यह संशोधन नहीं लाया जाना चाहिये था, इसका मैं दूसरा कारण भी बताना चाहूंगी। इन्होंने 1980 की जनगणना के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आधार पर चुनाव कराये जो उपयुक्त नहीं था। वार्डों का परिसीमन दुबारा नहीं किया गया। वार्डों के मतों का ध्यान नहीं रखा गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : वह तो सब के लिये बराबर था। आपके जिले के लिये नहीं था।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मान्यवर, नियमों में जो प्रावधान है पंचायत चुनाव कराने का उनको ताक में रख कर निर्धारित समय से पूर्व चुनाव कराये। गिरधारी लाल कमेटी को ताक में रख कर जो इस तरह से चुनाव करवाये गये उनके कारण सही नहीं दिये गये। मान्यवर, उन कारणों को न पढ़ कर मैं एक बात कहना चाहती हूं, इसमें एक और उल्लेख किया है आर्थिक स्थिति का। दूसरी ओर इन्होंने चुनाव पर खर्चा कितना किया। जिस समय अकाल और बाढ़ से हम परेशान हो रहे थे उस समय पंचायतों के चुनाव करा कर राजस्थान राज्य को और बुरी स्थिति में डाल कर किस तरफ ले जाना चाहते हैं? ऐसा कौन सा आसमान गिर रहा था, अगली साल, 2-4 महीने बाद करा सकते थे। मैं कहना चाहूंगी, जब 6 अक्टूबर को सदन चल रहा था, सदन के सामने बात आ चुकी थी उस समय अपनी बात न करके 15 अक्टूबर को बिल लाये तो दस दिन में कौन सा ऐसा आकाश टूट पड़ा था। यह विभाग की गलती है। माननीय मंत्री महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में इसका विरोध करती हूं और निवेदन करती हूं कि इस अध्यादेश को अस्वीकार करें। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्री बाल चन्द्र आर्य वीर।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शीशराम ओला, प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

**श्री शीशराम ओला (राज्य मंत्री, पंचायत)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनाव कराने के लिए जो अध्यादेश गवर्नर महोदय ने जारी किया सरकार के कहने पर....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : कार्यवाहक राज्यपाल महोदय कहिये। सही कहिये।

**श्री शीशराम ओला** : राज्यपाल महोदय, खैर कहने से क्या फर्क होता है।

मैं इस बारे में यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में 1965 के बाद सिवाय पंचायतों के, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए। अलबत्ता जनता पार्टी ने फरवरी, 1978 में ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाये और चुनाव कराने के बाद वे इतने डर गये कि आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। पंचायती राज का ढांचा प्रजातंत्र की मजबूत, पक्की नींव है, जो हमारा प्रान्त है उसमें 80 प्रतिशत गांवों में बसते हैं, उसकी ग्राम सेवक और सरकारी मशीनरी ने क्या हालत कर दी। सरपंच की कोई इज्जत नहीं थी। मैंने

(श्री शीशराम ओला)

देखा है, हजारों फाइलें सरपंचों के खिलाफ पड़ी हैं। उनके खिलाफ शिकायतें पड़ी हैं। चाहे जो गवर्नमेन्ट अधिकारियों ने लिख दिया। सरपंच की बुरी स्थिति बन गई। यही नहीं, उन्होंने एक कलम से पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और म्युनिसिपेलिटीज भंग कर दीं लेकिन नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। नगरपालिका के चुनाव कराने का हमने निर्णय लिया है। हम ने करवाये हैं। बाकी के चुनाव भी सरकार करवायेगी ]....

(व्यवधान)

आप सुन लीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री शीशराम ओला** : आपने हम पर चार्ज लगाये हम धैर्य से सुन रहे थे।....

**श्रीमती उजला आरोड़ा** : आपने टोका है ....

**श्री शीशराम ओला** : सवाल ही नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में 7,294 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से 7273 पंचायतों के चुनाव हो गये हैं और 21 पंचायतों के चुनाव बाकी हैं। कुछ के मामले कोर्ट, हाइकोर्ट में हैं इसलिये इनके चुनाव नहीं कराये जा सके। 236 पंचायत समितियों में से 235 पंचायत समितियों के चुनाव हुए। एक पंचायत समिति देवगढ़ के चुनाव पर स्टे है इसलिए उसके चुनाव नहीं कराये जा सके। 26 जिला परिषदों के चुनाव हुए और राजस्थान के इतिहास में, कभी भी 26 जिला परिषदों में कांग्रेस (आई) आई हो, ऐसा नहीं हुआ। यह प्रथम बार हुआ है। इस प्रकार पंचायत समिति, पंचायतों में 80–82 प्रतिशत नतीजे कांग्रेस (आई) आई के पक्ष आये हैं। इसलिये यह कहना गलत है कि जनता नहीं चाहती थी, जनता के साथ कुठाराघात हुआ, चुनाव नहीं करवाये जाने चाहिये थे।....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : जैसा आपने झुंझुनू में किया....

**श्री शीशराम ओला** : आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव जो हुए उसके नतीजे जनता ने दिये। ग्रामीण जनता चाहती थी कि चुनाव हों इसलिये इस प्रकार के नतीजे दिये। यह कहना गलत था कि चुनाव कोई राजनैतिक प्रेरणा से, भेदभाव से और राजनैतिक दृष्टिकोण से कराये गये। हम ने पांच साल के बजाय तीन साल का वक्त रखा है। चुनाव के समय यह 1965 तक था। 1965 के बाद यह बराबर कहा और माननीय सदस्यों ने फर्माया, 1964 में चुनाव हुए। मेरे ख्याल से उनको याद नहीं रहा, 1965 में चुनाव ग्राम पंचायतें, प्रधान और प्रमुख के हुए। इसके बाद 1978 में चुनाव हुए। पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव नहीं हो सके। यह चुनाव 1965 में हुए तब तीन साल का समय था और अब चुनाव पांच साल से घटा कर तीन साल किया है। चार साल का समय अवधि

(श्री शीशराम ओला)

बढ़ाने का अधिकार था सरकार के पास, उस को हमने एक साल कर दिया है। इस प्रकार से चुनाव कराने जरूरी हो गये। आज अकाल राहत। दूसरे कार्यों, गांव के विकास के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि गांव की इकाई मजबूत हो। पंचायती राज मजबूत हो। वे गांव के विकास में सक्रिय काम कर सकें।

अकाल की बात कही। बाढ़ की बात कही। यह ऐसा समय था दिसम्बर के महीने का जब काश्तकार रबी और खरीफ की अपनी काश्त से निवृत्त हो जाता है और बुआई, कटाई का पूरा काम कर लेता है। अकाल की स्थिति भी मार्च के बाद भयंकर होती है। इसके पहले इतनी नहीं होती है। इसके अलावा असेम्बली भी मिलने वाली थी, बजट सेशन शुरू होना था इसलिए वही एक समय उपयुक्त था जब चुनाव कराये जा सकते थे। ग्राम पंचायतों के चुनाव कराये, वह राज्य सरकार ने सही कदम उठाया है। यह कहना गलत है कि यह चुनाव उस वक्त नहीं कराये जाने चाहिए थे। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि 17 साल तक चुनाव नहीं हुए। दूसरी तरफ चुनाव का विरोध किया जाता है। राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि ग्रामों में प्रजातंत्र की नींव मजबूत हो और पंचायत समिति ठीक ढंग से काम करें। क्या आप यह चाहते थे कि पंचायत का सरपंच एक अधिकारी के पास खड़ा रहे, ग्राम सेवक के पास खड़ा रहे, उनके शिकंजे में रहे ? जो विकेन्द्रीकरण किया गया था 1959 में उसका सही मायने में सदुपयोग हो ग्रामीण जनता के लिये तो वह सरपंच, प्रधान और प्रमुख से हो सकता था। इसलिए चुनाव कराया जाना जरूरी था। प्रधान और प्रमुख के लिये जो वोटर लिस्ट थी, जो चुनाव मण्डल था वह छोटा था। यह कहना गलत है कि पंचों को डरा धमका कर, प्रभाव डालकर वोट लिये गये हैं। जितना बड़ा इलेक्टोरल कालेज होगा उतना ही ज्यादा उसका बड़ा रूप होगा। उनको डराने, धमकाने अथवा प्रलोभन देने की बात सामने नहीं आती है, अलबत्ता छोटी इकाई हो, थोड़े मतदाता हों तो यह माना जा सकता है कि आप उनको गंगानगर या अन्य कहीं ले जाकर बिठा दें जैसा कि 1959 में हुआ, 1962 में हुआ....

(व्यवधान)

जनता पार्टी ने किया। इससे कोई बचा हुआ नहीं है। इसके बाद 1965 में यह तय किया गया। यही नहीं ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों के चुनाव हुए तब यह तय किया गया, ग्राम पंचायत के सरपंच, जिला परिषद में पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के कोआप्टेड सदस्य एम. पी., एम.एल. ए. प्रधान उसमें वोट दें।तो इलेक्टोरल कालेज को बड़ा बनाया। प्रधान के लिये पंच, पंचायत समिति के सहकारी सदस्य पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, वे सब वोट दें। तो उस स्थिति को वापस लाये हैं जो 1965 में चुनाव हुए थे। अलबत्ता जनता पार्टी शासन ने इसको छोटा बना दिया था और केवल पंचायत को सरपंच तक सीमित कर दिया था। पंचायत समिति में सरपंच तक सीमित था। जिला परिषद में मेम्बर

(श्री शीशराम ओला)

तक सीमित था। इसके अलावा दूसरा यह किया गया कि इस चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आये हैं, वह नतीजे आपके समक्ष हैं। यह कहना गलत है कि 1961 के आधार पर चुनाव कराये गये हैं। वार्ड 1961 की जनगणना के आधार पर नहीं बनाये गये हैं। 1971 की जनगणना के आधार पर संख्या निर्धारित की गई है। 1981 की जनगणना हमारे समक्ष नहीं है। इसके आधार पर चुनाव कराना वाजिब नहीं है। जो वोटर लिस्ट बनती है वह मौजूदा जनसंख्या के आधार पर हर चुनाव के पहले बनती है। आब्जेक्शन आते हैं। उस हिसाब से बनती है।

यह कहना गलत है कि 18 साल का प्रावधान था यह नगर पालिका में विचाराधीन है, ग्राम पंचायत में ऐसा कोई प्रस्ताव वचाराधीन नहीं था।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : प्रस्ताव तो था।

**श्री शीशराम ओला** : ऐसा कोई नहीं था। मैं आपसे अर्ज करूं कि यह कहा गया कि चार करोड़ रुपया खर्च किया। तो प्रजातत्र में चुनाव तो होंगे। अगर प्रजातंत्र को कायम रखना है तो खर्च तो होगा ही इसलिये चुनाव कराना आवश्यक था। एक माननीय सदस्य, श्री नत्थी सिंह ने कहा कि....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : श्री नाथूसिंह हैं नत्थी सिंह नहीं हैं। सही बोलें।

**श्री शीशराम ओला** : सुनने में फर्क रह गया होगा आपको, मैं नाथूसिंह ही बोल रहा हूं आपके सुनने में फर्क रह गया।

पंचायती राज के चुनाव सम्पूर्ण हुए और उसके बाद बीकानेर में पंचायती राज सम्मेलन किया गया। यह कहा गया कि वहां पर हमने 10 करोड़ रुपये का सेठों से चन्दा लिया और चार लाख की शराब पिलाई गई। यह गलत है यह कतई सही नहीं है। मैं इसका सख्ती से विरोध करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं और विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : ××× बोल रहे हैं....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : तो फिर वहां पर बोतलें कहां से पाई गई थीं ?

**श्री शीशराम ओला** : आप सुनिये, माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

**श्री शीशराम ओला** : मैंने आपको शांति से सुना है आप भी सुनें।

यह सही नहीं है कि 10 करोड़ रुपया सेठों से चन्दा लिया गया। यह सही नहीं है कि चार लाख रुपये की शराब मंगाई गई। मैं यह कहूंगा कि किसी सेठ से एक पैसे का भी चन्दा नहीं लिया गया और एक बूंद भी शराब नहीं मंगाई गई। यह कोई विशेष पार्टी का सम्मेलन नहीं था, यह सम्पूर्ण राजस्थान के सरपंचों का था।

×× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शीशराम ग्रोला)

यह किसी पार्टी बेसिस पर कोई सम्मेलन नहीं बुलाया गया था। वह इसलिए बुलाना ग्रावश्यक हो गया था कि 17 वर्षों के बाद चुनाव हुए थे। उसके बाद में सब का सम्मेलन बुलाया गया। दो दिन तक विचार-विमर्श चला, सरपंचों की क्या समस्यायें हैं, उनका क्या दायित्व है, उनके क्या ग्रधिकार हैं, सरपंचों प्रधानों तथा जिला प्रमुखों, इन सब का एक सम्मेलन था। जो पंचायती राज से सीधा संबंध रखता है उस सम्मेलन के लिये इस प्रकार की बात कहना, मैं समझता हूं, सारे पंचायती इन्स्टीट्यूशन का ग्रपमान है। यह कहा कि चार लाख की शराब पिलाई गई उसके लिये 10 करोड़ का चन्दा लिया गया। एक पैसे का भी चन्दा नहीं लिया गया था, एक बूंद भी शराब नहीं पिलाई गई। बहुत बढ़िया ढंग से बढ़िया वातावरण में बड़ी तसल्ली से, बड़े ग्रच्छे वातावरण में सम्मेलन हुग्रा ग्रौर एक दूसरे से विचार-विमर्श किया। वहां वास्तव में यह भावना नहीं थी कि ग्रमुक सरपंच ग्रमुक पार्टी का है। जैसा पंचायती राज का सिस्टम होना चाहिये, वह वास्तव में वहां देखने को मिला। ग्रगर कोई देखना चाहता था तो वहां देख सकता था वह इतना ग्रच्छा हुग्रा। यह कहना गलत है कि यह चुनाव पार्टी बेसिस पर हुए।

**श्री नाथू सिंह** : ग्रधिकार क्या दिये हैं सरपंचों को....

**श्री शीशराम ग्रोला** : इस पर भी ग्रा रहा हूं एक एक करके।

**श्री उपाध्यक्ष** : ग्रापने जो मुद्दे उठाये हैं उनका जवाब दिया जा रहा है।

**श्री शीशराम ग्रोला** : जैसा मैंने निवेदन किया कि मुख्य मंत्री जी ने जो ग्रधिकार देने की घोषणा की है वह दिये जा रहे हैं। उस पर कार्यवाही जारी है। यह जिस दिन देंगे उस दिन ग्राप कहना कि क्या दिये हैं, या नहीं दिये हैं, पहले से ही कह रहे हैं। जब स्थिति ग्रायेगी तब ग्राप बोल सकते हैं....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : ग्रधिकार दिये जायेंगे, इसको एक्ट में जोड़ते....

**श्री उपाध्यक्ष** : ग्रार्डर प्लीज।

**श्री शीशराम ग्रोला** : जोड़ने की जरूरत नहीं थी। यह विधेयक तो चुनाव क्यों कराये गये ग्रौर उसकी क्या ग्रावश्यकता थी उससे संबंधित है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : उनको ग्रधिकार ग्राप किस प्रकार से देंगे ग्रौर क्या देंगे ?

**श्री शीशराम ग्रोला** : उसको इसमें देने की जरूरत नहीं थी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : किस प्रकार देंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, शांत रहें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : ग्रधिकार दिये जाते हैं तो किसी एक्ट या लॉ में प्रोविजन रखा जाता है....

**श्री उपाध्यक्ष** : वह रख देंगे, ग्रापको क्या फिक्र है....

**श्री शीशराम ग्रोला** : मुझको शांति से सुनने की कोशिश करें।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें लाने की जरूरत नहीं थी, इसकी जब

(श्री शीशराम ओला)

जरूरत होगी तो आपको बता दिया जायेगा। जब बजट आयेगा और उसमें पंचायत राज की जब मांग आयेगी तो सब बात हो जायेगी।

बीस संकल्पों में प्रथम संकल्प चुनावों का ही था। पंचायतों के चुनाव एक प्रकार से आम चुनाव के प्रकार के ही थे। इन चुनावों में 1 करोड़ 49 लाख लोगों ने अपने मत का सदुपयोग किया। आप सोच सकते हैं कि हमारे प्रान्त की कोई दूसरी लोकल बाडी ऐसी नहीं है जिसमें डेढ़ करोड़ लोग अपने मत का प्रयोग कर। इसलिये ही पचायती राज के चुनाव भी एक प्रकार से आम चुनाव के ही प्रकार के हैं।

80 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं और उनके लिये चुनाव नहीं कराये जायं, और पंचायती राज एक ढांचा मात्र रह जाय इससे काम नहीं चलेगा। इससे कोई नतीजे नहीं आते, न ही आयेंगे। इसलिये ही थ्री टायर सिस्टम पंचायतों का जो हमारा है उनके एक साथ चुनाव करवाये। केवल कुछ सरपंचों के चुनाव कराते जिनके 1978 में चुनाव हुए थे तो उनसे उनका सामंजस्य नहीं बैठ सकता था। ये पांच साल के लिए थे और उनकी टर्म 1983 में पूरी हो जाती और इनकी 85 में पूरी होगी। इससे जिन सरपंचों ने प्रधानों को चुना है उनकी उनके प्रति सहानुभूति नहीं रहती, उनका अतिरिक्त दृष्टिकोण होता इनसे सामंजस्य नहीं होता। यह जरूरी समझा गया कि तीनों इकाइयों के चुनाव एक साथ हों इसलिए ही एक साथ चुनाव करवाना जरूरी था। आर्डिनेंस इसलिये निकाला गया था कि पहले यह 24 तारीख को प्रस्तुत किया गया था गत सेशन में फिर किन्हीं कारणोंवश विधान सभा स्थगित हो गई थी। सदन सेशन में नहीं था इसलिए अध्यादेश निकालना जरूरी था। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो संकल्प रखा है उसको रिजेक्ट किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मेघवाल बोलना चाहें तो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कोई भी जवाब दे सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक आदमी दे सकता है। कोई भी दे दीजिए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : जो मुद्दे संकल्प में उठाये गये थे उनका जवाब नहीं दिया गया है।

**एक माननीय सदस्य** : कोई जरूरी नहीं था।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आपको क्या तकलीफ है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : बातें नहीं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : जो मुद्दे उठाये गये थे उनका जवाब नहीं दिया लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव कराये गये और यह कराया गया वह कराया गया। उपाध्यक्ष महोदय, हमने कहा था कि चुनावों के पहले गिरधारी लाल कमेटी की सिफारिशों को आपने नहीं माना, सादिक अली कमेटी की जो सिफारिश थी उनको नहीं देखा। आपने उनको माना नहीं। उसमें था कि पंचों, प्रधानों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और जिला प्रमुखों के चुनावों में एस. सी. और एस.टी. का कोटा रिजर्व करना चाहिये जो कि नहीं किया गया। आपने अपने लोगों को प्रोत्साहित किया, जमींदारों और जागीर दारों को प्रोत्साहन दिया जो कि पैसे के बल पर चुनाव जीत सकते हैं, पैसे के बल पर लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। इसका प्रमाण मैं आपको बताऊं कि प्रधान के चुनाव में 40–45 पंचायतों के वोट होते हैं। पंचों को पहले से पता नहीं था और प्रधान के चुनाव में पांच दिन पहले सिम्बल लोगों को दिये गये थे। इतने कम समय में 400-500 लोगों को अपने सिम्बल की सूचना कैसे दे सकता था? इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया एक योजना बनायी गयी, पंचों को बाड़े में इकट्ठा करके फिर पैसो के बल पर, शराब के बल पर पांच दिन पहले, सिम्बल दिया फिर वोट डालने ले गये। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इन चुनावों के अन्तर्गत हारे हुए व्यक्ति को प्रतिष्ठापित किया गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि सरपंचों के चुनाव में प्रधानों के चुनाव में अगर सरपंच ही प्रधान चुनते तो नीम का थाना में घीसाराम प्रधान नहीं बन सकता था जो कि नीम का थाना में सरपंच के चुनाव में 750 वोटों से हार गया था। उसको आप इन्डाइरेक्टली पैसों के बल पर जिता लाये। आपको एक और उदाहरण दूं कि सीकर में जो जिला प्रमुख बना बद्री प्रसाद, वह भी सरपंच के चुनाव में 450 वोटों से हारा था। उसके बावजूद जिला प्रमुख बनाया गया। अगर प्रमुख रूप से सरपंचों को वोट का अधिकार होता तो वह व्यक्ति जो डाइरेक्ट चुनाव में जनता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था इनडाइरेक्ट चुनाव में कांग्रेस का टिकट लेकर पैसे के बल पर चुनाव नहीं जीत सकता था। नीम का थाना में प्रधान नहीं बन सकता था, सीकर में जिला प्रमुख नहीं बन सकता था....

**श्री मोहनलाल मोदी** : इसके लिए सीकर में कांग्रेस की पी० सी० सी० से मिलकर समझौता किया था इसके बाद....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपने बिना अनुमति के बोलना शुरू कर दिया

**श्री मोहनलाल मोदी** : मेरे बारे में बात कही गयी है।

मैं सीकर जिले के लिए बताना चाहता हूँ कि वहां जिला प्रमुख जो खड़े हुए थे उनको अधिक वोट मिले....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह तो कांग्रेस का रिवाज है। झुंझुनू के अन्दर क्या हुआ? हरिराम जी जाखड़ प्रधान का जो चुनाव लड़कर हार गये उनको आपने टिकट देकर जिला प्रमुख बना दिया।

**श्री शीशराम श्रोला** : गलत है। आप अपने तक सीमित रहिये। किसी पर आक्षेप मत करिये। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि किसको किसने टिकट दिया....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय, विराज जाइये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जान बूझकर जो व्यक्ति सरपंच

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
का चुनाव 4–5 सौ वोटों से हार गया था, उसको पैसे के बल पर प्रधान, प्रमुख बना दिया। यह चेंज की बात आप करते हैं आपने ऐसे लोगों को टिकट दिये जिनका गुण्डागिर्दी के लिए चालान करना चाहिए था जिनको पकड़कर बंद करना चाहिए था। उनको पैसे के बल पर जिताया। इसीलिए आपको पंचायत चुनाव की आवश्यकता पड़ी ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के काम इन्होंने किये हैं। हरिजनों के लिए गिरधारीलाल व्यास कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं उनको लागू किया ? मैं पूछना चाहता हूं, माथुर साहब जब उस कमेटी के मैंबर थे सादिक अली कमेटी के, उन्होंने कहा था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वाल्व नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के अन्दर कांग्रेस के नाम से जिला प्रमुख के टिकट देकर सादिक अली कमेटी को पलीता लगाया। और पंचायतों में आपने क्या क्या किया ? पंचायत चुनाव सत्ता के बल पर लड़े गये हैं। इसलिए लड़े गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में जो परिस्थिति थी उसमें इनसे सरकार चलने वाली नहीं थी, किसी एम. एल. ए. का मुख्य मन्त्री में विश्वास नहीं है। इसका प्रमाण है 3 बार डिवीजन हुआ यहां पर लेकिन 60 से ज्यादा वोट नहीं मिले आपको। सारे हालात, सारी जनता का माहौल बदलने के लिए, लोगों का ध्यान बंटाने के लिए किया, इसका जवाब नहीं दिया आपने। मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ पंचायतों के अन्दर जो किया वह इस आधार पर किया कि हमारे द्वारा चुने हुए लोग इस प्रकार के आयें कि वे जो हम कहें वह करें। कितने हरिजनों को टिकट दिया, कितने हरिजनों को जिताया ? इस बात का क्या जवाब दिया ? प्रधान, प्रमुख कितने हरिजन जीतकर आये जबकि विधान सभा में, लोक सभा में रिजर्वेशन होता है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर में जिला प्रमुख के चुनाव में नारायण सिंहजी ने कैम्प लगाया और 40 हजार रुपये थैली में भरकर बांटे। इस प्रकार चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस का प्रचार वे कर रहे थे।

**श्री भंवरसिंह शेखावत :** आपने क्या किया ? कांग्रेस अध्यक्ष से × × × की।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य।

**श्री भंवरसिंह शेखावत :** उसके बाद हार आप गये। जनता ने आपको हरा दिया। सीकर जिले से निकाल दिया, म्यूनिसिपैलिटी, जिला प्रमुख, पंचायतों से निकाल दिया।

**श्री उपाध्यक्ष :** स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य आज यह कह रहे हैं वह किसलिए कह रहे हैं ? जनता ने उनको × × × कांग्रेस ने भी × × × दिया। वह कांग्रेस की जीप के अन्दर हैं स्टेपनी। स्टेपनी तैयार है जिसका किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : Please माननीय सदस्य ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : उपाध्यक्ष महोदय, हमने और लोकदल ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था । समझौता किया था । कांग्रेस का कौनसा व्यक्ति टूट कर आता है, हमको क्या तकलीफ है, कोई भी टूट कर आये । नारायण सिंह जी आये, दामोदर सिंह जी आये । मैं कहता हूं प्रजातंत्र की तौहीन करते हैं ।

**श्री भंवरसिंह शेखावत** : जिनसे आपने समझौता किया है उन्होंने मिलकर सब गड़बड़ कर दी और कांग्रेस के नाम पर बट्टा लगाया है ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : कांग्रेस के नाम पर बट्टा लगे या कांग्रेस गड्ढे में जाये मुझे इस बात से क्या तकलीफ है । रामधन सिंहजी, नारायण सिंहजी ने पलीता लगाया, आप भी लगाओ तब भी मुझे क्या तकलीफ है । मैं तो डुबोने के लिए हूँ ।

इसी प्रकार झुंझुनू जिले में चुनाव हुए उन चुनावों में माननीय प्रभारी मंत्री जी यह कहकर आये कि सरपंचों को निकाल दूंगा । चुनाव लड़ा और उनको हरवाया । खेतड़ी में इनके दामाद के द्वारा चीनी का भारी ब्लैक करने वाली दुकानों से 2 हजार रुपये इकट्ठे किये गये और हर व्यक्ति से वोट दिलाया गया । प्रजातंत्र की बात करते हैं । अपने लड़के को चुनाव में खड़ा किया । वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं था उसके बावजूद जिताया । जो व्यक्ति उसके खिलाफ था उसको धमकी दी कि जान से मार दिये जाओगे । सत्ता के बल पर डंडे के बल पर चुनाव लड़ते हैं ।

**श्री शीशराम ओला** : सीमित रहिये । मेरे लड़के ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है ।

आप सुनने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : आप सफाई दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं ।

**श्री शीशराम ओला** : मुझे अर्ज करने दीजिये । नम्रतापूर्वक निवेदन है कि मेरे परिवार में मेरे अलावा आज तक किसी व्यक्ति ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : सब जगह लोगों को इकट्ठा किया, धमकी दी । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नवलगढ़ के अन्दर चुनाव में सरपंचों के चुनाव में शीशराम जी गये 17 हजार रुपये लेकर कि हटना है तुम्हें । या तो वोट दो या घड़ों को फोड़ दो ।

**श्री भंवरसिंह शेखावत**: बिलकुल गलत है । जनता ने आपको बर्दाश्त नहीं किया, न करती है इसलिए आपको इस पक्ष में बैठना पड़ा है ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : हमारे समय में तो वार्ड मैम्बर में 21 में से 17 जनता पार्टी के जीते थे । पत्ता साफ हो गया था ।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

**श्री भंवरसिंह शेखावत** : आपको फिर 3 साल के अन्दर जनता ने हरा दिया। आप जो, प्रचार कर रहे हैं यह चलने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

पहले तो पंचायत से म्यूनिसिपैलिटी पर आ गये, फिर प्रधानों पर।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : घर तक ले चलूंगा, आपको चिन्ता मत करिए।

**श्री भंवरसिंह शेखावत** : आप बौखला गये ऐसी बातों से। असंसदीय शब्द कहने लगे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : कोई असंसदीय नहीं है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मेरा निवेदन करना यह है कि सारे चुनावों में इस प्रकार का माहौल बनाया गया। गिरधारी लाल व्यास कमेटी की सिफारिशों का जवाब मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया। प्रधान के चुनावों में सिम्बल थोड़ी देर पहले दिये गये इसका जवाब नहीं दिया।

(व्यवधान)

धमका कर आप चुनाव जीतते हैं। इसका जवाब नहीं दिया। मंत्री महोदय का जवाब जो है वह ठीक नहीं है। इसलिए मैंने जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसको यह सदन स्वीकार करे।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1981) व दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश सं. 13 सन् 1981) को अस्वीकार करता है?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

**विधेयक पर विचार**

प्रभारी मन्त्री, श्री शीशराम ओला प्रस्ताव करेंगे।

**श्री शीशराम ओला** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : विचारार्थ लिया जाय, पारित करने की अभी स्टेज नहीं आई है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : पढ़कर बोलें, वैसे याद नहीं रहेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : दुबारा पढ़ दीजिये।

**श्री शीशराम ओला** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : ठीक है। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी डॉ० उजला अरोड़ा।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर विरोधी दल के नेता महोदय ने उठाया था और आपने स्वीकार किया था कि अगर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कोई विधायक डिलीट करने का प्रस्ताव करना चाहें तो उनको मौका दिया जायेगा।

**विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव**

**श्री उपाध्यक्ष :** पहले प्रस्ताव देने वाले बोलेंगे। 12 बोलने वाले हैं। डॉ० उजला अरोड़ा। वैसे भी आप संक्षेप में बोलती हो, बहुत अच्छा बोलती हो।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक लेकर आये हैं, मान्यवर, अगर जनमत जानने के लिए उसे भेजा जाता है तो पूर्व में इसके आधार पर इन्होंने काम करा लिए हैं, मैं कहना चाहूंगी, इसको अस्वीकार किया जायेगा। इस प्रकार का कभी मौका नहीं आया की बाढ़ का टाइम हो, अकाल का टाइम हो और जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनको समाप्त करके बीच में ही उनके चुनाव कराये जायं। इसका कोई कारण भी नहीं है, मैं कहना चाहूंगी, केवल राजनीतिक आधार पर एक षड्यन्त्र किया गया हमारे पास सत्ता है, सत्ता का साधन है उसके बल पर, उसके आधार पर दुबारा गांवों में जाकर गलत--सलत काम किये, उनको धमकियां दीं, इस तरह से चुनाव कराये गये हैं। मैं कहना चाहूंगी कि इसको जनमत जानने के लिए भेज देना चाहिये और जब जनमत आ जाय, तीन महीने बाद आ जाय तब मालूम पड़ेगा तब स्वीकार करेंगे कि जनता के सामने इस बात को रखना चाहिये था। अभी कहा गया कि दुबारा कन्सोलिडेटेड़ बिल लायेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगी इन्होंने न तो कमेटियों की रिपोर्ट मानी, टू टायर सिस्टम की बात आयी, थ्री टायर सिस्टम की बात आई उसको नहीं माना और यहां तक किया कि 17 साल से चुनाव नहीं कराये। भारतीय जनता पार्टी के राज में चुनाव कराये गये उसको इन्होंने मान्यता नहीं दी। यह इस तरह की इनकी हल्की फुल्की बातें हैं जो निन्दनीय हैं। इस तरह की बातों से कुछ होने वाला नहीं है। यह कहने के लिए कि हमारा राज बना रहे, × × × दुबारा से राज्यपाल महोदय को कहलवाया। इस तरह के गलत काम करते हैं और यहां पर कहते हैं कि एक भी बोतल शराब की नहीं दी। गंगानगर शुगर मिल के लोगों ने क्या किया, कितनी शराब बांटी ? और यह कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, शराब की बात, सामान्य जनता....

**श्री उपाध्यक्ष :** आप शराब की बात ही मत करिये। उस पाइन्ट पर आ जाइये, जनमत जानने के लिए।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** मान्यवर, इन्होंने सत्ता का जो दुरुपयोग किया, जो साधन अपनाये, जो हथियार अपनाये उसकी मैं निन्दा करती हूं। इन्होंने शराब इसलिए खोली थी कि लोग जनमत नहीं देखेंगे और लोग बहक कर मदमस्त होकर, होश में नहीं आवें और वोट दे जायं। इन्होंने राजस्थान को बरबाद किया इसको मैं कैसे भुला सकती हूं। इनका नैतिक पतन हो गया और समाज में इनकी प्रतिष्ठा गिरी है, इस बात को मान्यवर, कभी भुलाया नहीं जा सकता। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अभी चुनाव की आवश्यकता नहीं थी,

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बिलकुल आवश्यकता नहीं थी, पांच साल बाद चुनाव करा देते उसमें क्या बात थी ? अभी तो आप रहने वाले हो, जाने वाले नहीं थे। श्री टायर सिस्टम दुवारा चालू कर देते। जो सरपंच अच्छा काम कर रहे थे काम के बदले अनाज योजना में जिन्होंने अच्छा काम किया उनको रहने देते और नियमों के अन्तर्गत चुनाव कराते और नियत समय पर कराते। निश्चित समय से पहले ही चुनाव करा कर विधान सभा में चले आये यह कहने के लिए कि सब अच्छे काम किये हैं। कौनसे अच्छे काम किये हैं जिसकी प्रसंशा की जाय ? इस बिल, को मैं चाहूंगी, जनमत जानने के लिए भेजें। यह सत्ता में मस्त हैं, इसको बहुमत से पास करा देंगे। इसको जनमत जानने के लिये भेजें तब पता चलेगा कि आप किस स्थिति में हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पचायत विधियां (संशोधन) विदेयक लाये हैं मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह चुनाव नहीं कराने चाहिये थे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अकाल की हालत थी इस समय चुनाव की क्या जरूरत थी ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कहते हैं पंचायत राज में सब कुछ किया, आपने क्या किया ? जनता राज में गांव गांव में स्कूल,औषधालय खोल दिये लेकिन किस स्थिति में आपने इनको लाकर छोड़ा है ? लोगों को शराब पिला कर, गांव के लोगों को डरा धमका कर, शराब में डुबो कर वोट लिये हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि अभी चुनाव नहीं कराते और नियत, समय पांच साल बाद में चुनाव कराते तो बहुत अच्छा होता। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जनमत जानने के लिए इसको भेजा जाय तो बहुत ही अच्छा होगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : ठीक है। श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा।

**श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, जो पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1982 लाया गया है उसके बारे में निवेदन है कि यह बड़े विडम्बना की बात है, जहां एक ओर कांग्रेस सरकार ने पंचायतों के चुनाव 13 वर्ष तक नहीं कराये थे, एक के बाद एक वर्ष बढ़ाकर 13 साल तक लगातार नहीं कराये गये थे तो दूसरी ओर ऐसा कौनसा पहाड़ टूटने वाला था, जबकि राजस्थान में भयंकर अकाल था तब पांच साल का कार्यकाल घटाकर तीन वर्ष का कार्यकाल किया।

दूसरी बात, इस समय इनको शायद यह डर था कि जितने पुराने चुने हुए सरपंच थे वे जनता पार्टी से सम्बन्धित थे और चूंकि उन्होंने काम के बदले अनाज योजना में बहुत काम किया इस कारण से वह हमारे साथ में नहीं आने वाले हैं। इसलिये यह जल्दी जल्दी में कदम उठाया। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं जो चुनाव कराये उसमें भी इन्होंने मन्त्री

(श्री रामकिशोर मीणा)

स्तर तक के व्यक्तियों को प्रत्येक पंचायत पर पहुंचाया और उन्होंने अपने प्रभाव का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया। उसके बल पर इन्होंने यह इलेक्शन अपने पक्ष में कराने की कोशिश की है। जहां तक प्रत्यक्ष चुनाव का सवाल था जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस के विपक्ष में गया, लेकिन जहां तक प्रधानों का इनडाइरेक्ट इलेक्शन था वहां इन्होंने मनमानी की और मंत्रियों के प्रभाव से पंचायत समितियों पर अपना कब्जा जमाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे जिले में 26 तारीख को चुनाव था, उसको 28 तारीख को कराने की बात कही गयी, फिर 30 तारीख में परिवर्तित किया और उसके बाद 1 जनवरी को किया। उसके बाद एक मुसलमान औरत थी, जो उसके ऊपर दबाव डालने के लिये केन्द्र से मंत्री आये और उनकी मार्फत उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई, लेकिन लोग जागरुक थे और इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मंत्रियों की और विधायकों की कमी वहां पर नहीं थी। इस प्रकार से इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है, इस संशोधन के द्वारा इस पंचायत के चुनावों को अपने पक्ष में लाने के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको आप जनमत जानने के लिये भेजें तो उससे नागरिकों की जन–भावना का पता चलेगा। उसके आधार पर अमेंडमेंट लाया जायेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जीतमल जैन।

**श्री जीतमल जैन** (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज के संबंध में जो बिल पेश हुआ है उसके संबंध में मुझे निवेदन करना है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिये हम सब आवश्यक समझते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय। सत्ता पक्ष की ओर से बराबर यह दलील दी गई है कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिये ही पंचायत राज की स्थापना पुनः की गई है। एक बार उसका दिया बुझ गया था। लेकिन वास्तव में यदि इसकी गहराई में जायें तो क्या वस्तुस्थिति ऐसी है? 1959 के अन्दर जब पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के अन्दर हुई थी उस समय यह बात निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के मन में थी, उनके मन में राजनैतिक ढंग से लाभ उठाने की आकांक्षा नहीं थी। इसलिये गांव के विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी। प्रजातंत्र की सफलता हम चाहते हैं तो निश्चित रूप से सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ इस देश के प्रत्येक नागरिक का इसमें पार्टिसिपेशन हो, उसमें सहयोग हो यह हम महसूस करें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : चीफ व्हिप को बता दें कि इस तरह से हाउस में नहीं चला करते। आपको यदि यहां आना था तो पीछे से होकर आयें।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : मैं आइन्दा इसका ध्यान रखूंगा।

**श्री जीतमल जैन** : तो मैं निवेदन कर रहा था अगर हम चाहते हैं, गांव का विकास हो, प्रजातंत्र कायम रहे तो निश्चित रूप से इस देश के प्रत्येक नागरिक का पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिये। अधिकांश लोग गांव में रहते हैं उनका

(श्री जीतमल जैन)

विकास में पार्टिसिपेशन होना चाहिये । 1959 के अन्दर पंचायती राज की स्थापना हुई थी, तब वास्तव में एक सही उद्देश्य के कारण हुई थी। चाहे कृषि का कार्य हो, चाहे सहकारिता का प्रश्न हो, चाहे पशुपालन का क्षेत्र हो, चाहे परिवार कल्याण चाहे ग्रामीण दस्तकरी का मामला हो, इन सारी बातों के लिये, ग्राम का सर्वांगीण विकास हो उसके लिये हर नागरिक का हिस्सा हो, इन उद्देश्यों से पंचायती राज की स्थापना की गई थी । लेकिन सत्ता विकेन्द्रीकरण करने का काम था, उद्देश्य था, इससे दूर हो गई । गांव के विकास के जो कार्यक्रम थे, अधिकार थे उन अधिकारों को धीरे धीरे कांग्रेस सरकार ने वापस लेना शुरू कर दिया और विकास के कार्यों के लिये जो सरकारी आफिसर लगाये थे, धीरे-धीरे उनको विथड्रा कर दिया और धीरे-धीरे पंचायती राज एक ढांचा मात्र बन कर रह गया । पंचायती राज का ढांचा रह गया उसमें आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं रही । 1977 के बाद जब जनता पार्टी का राज आया तो उसने वापस गांव में विकास की प्रक्रिया को चालू किया ।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आपस में बात न करें।

**श्री जीतमल जैन** : गांव के लोगों को अपने अधिकार फिर से पूर्ण रूप से मिलें इस प्रकार की गांव में विकास प्रक्रिया को प्रारम्भ किया । लेकिन 1980 के बाद, आज जिस प्रकार कई माननीय सदस्यों ने कहा, केवल सत्ता का केन्द्रीकरण करने के लिये इस विधेयक को लाये हैं । एक प्रकार से विधान सभा को बाई पास करके अध्यादेश के जरिये कानून में परिवर्तन करके पंचायत के चुनाव कराये हैं । वास्तव में यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे पहले जनता की क्या राय है, यह जानने के लिए परिचालित किया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हीरालाल आर्य ।

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल पचेरवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया ।

(अनुपस्थित)

श्री बंसीलाल पटवा ।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी ।

**श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, दिन-प्रतिदिन चुनाव महंगे होते जा रहे हैं । जनता पार्टी की सरकार ने महंगे चुनाव के कारण से यह निर्णय लिया था कि पंचायत समिति, जिला परिषदों के चुनाव छोटे किये जायें, लोग उसमें भाग ले सकें, कम से कम खर्च की व्यवस्था से लोग जिला परिषदों के और जिला प्रमुखों के चुनाव में भाग ले सकें । इस पर चुनाव आयोग ने अनेक सुझाव समय समय पर बढ़ते हुए चुनाव की महंगाई को देखकर दिये और अपनी चिन्ता प्रकट की । हिन्दुस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के कारण महंगे चुनाव के बारे में असंतोष जाहिर किया । रात-दिन राजनैतिक नेता इस बात के लिये चिन्तित हैं कि चुनाव कैसे सस्ते हो सकते हैं ? इसीलिये जब जनता पार्टी की सरकार

(श्री दाऊदयाल जोशी)

आई उस समय उसने एक व्रत शुरू की थी। किन्तु दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार, जो केवल पैसे के बल पर चुनाव जीता करती है, शराब के बल पर चुनाव जीता करती है, ने फिर से इसको शुरू किया। विरोधी दल के पास पैसा नहीं है धन नहीं है, इसलिये विरोधी पार्टियों को शिकस्त देने के लिये कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कराना उचित समझा। उसका नंगा नृत्य कोटा जिले में उपस्थित हुआ। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब वहां चुनाव हुए तब क्या लोगों को जीपों और कारों से नहीं ले जाया गया ? कोटा जिले में जिला प्रमुखों के चुनाव के लिये राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहां पर्यटक आकर निवास करते हैं, राणा प्रताप सागर जहां चार गेस्ट हाउस हैं, जहां आकर वह ठहरते हैं उन पर्यटकों से जबर्दस्ती खाली कराकर उन पर्यटक निवास के अन्दर कांग्रेस के वोटरों को ले जाकर बन्द नहीं किया क्या ? मैं पूछना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने किसी की इजाजत ली थी क्या ? कांग्रेस पार्टी ने राणा प्रताप सागर के चारों गेस्ट हाउस में कांग्रेस के उम्मीदवारों को रखा, सरपंचों को रखा इसकी इजाजत किसी से नहीं ली। मैंने यह प्रश्न पूछा था, मुझे डर है कि इस प्रश्न का जवाब शायद नहीं आयेगा। वह सारे रेस्ट हाउस कैसे रोके गये जिनमें लिमिटेड सीट थीं ? एक निश्चित संख्या थी लोगों के ठहरने की वहां 350 लोगों को चार गेस्ट हाउस में रखा गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया अपने प्रश्न पर आइये।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : मैं निवेदन करने जा रहा था कि आज तक उन रेस्ट हाउसों का किराया अदा नहीं किया। रेस्ट हाउस में रहने की परमिशन ली जाती है, वह किसी ने ली क्या ? कोटा जिला परिषद् में उनसे अनुमति ली थी ? नहीं। केवल सत्ता का दुरुपयोग होने के कारण हमारे रेस्ट हाउस में जो पर्यटक आकर ठहरते हैं, उनको निकालागया और उनकी जगह कांग्रेस के कार्य-कर्त्ता ठहराये गये। फिर क्या हुआ ? कांग्रेस पार्टी के जनरल सैक्रेटरी, श्री रमेश चन्द सक्सेना के कथनानुसार वहां देशी शराब और अंग्रेजी शराब के मामले आये। जिला सरपंचों को देशी शराब दी और अधिकारियों को विलायती शराब। रात को साढ़े बारह बजे नवरंग होटल से टेलीफोन आया....

(व्यवधान)

हमने क्या किया ? हमको तो देशी और प्रधानों को इंग्लिश शराब दी गई। जे. के. सिंथेटिक से चन्दा लिया और उस चन्दे के आधार पर आपने जिला प्रमुख बनाये। इस प्रकार सारे के सारे चुनाव करवाये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ में डग पंचायत समिति के प्रधान बने हैं श्री विक्रम सिंह। मर्डर केस का हत्या का मुकदमा 302 के तहत उस पर है और हत्या किसकी की ? एक बागड़ी की। बागड़ी का नाम चंदन। आज तक उसकी पत्नी और उसके बच्चों का पता नहीं। उस महाशय ने पहले सरपंच के चुनाव के लिये नामीनेशन फार्म भरा। विक्रम सिंह पर गिरफ्तारी का वारंट था, पुलिस को मालूम था। उसको बताया गया कि विक्रम सिंह फार्म भरने आ रहा है, थानेदार साहब, अब तो पकड़ो।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

विक्रम सिंह कांग्रेस (आई) का व्यक्ति था, कांग्रेस नेता था इसलिये उसको कौन पकड़ सकता था ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, जहां तक सत्य व असत्य की बात है, अनिर्णीत है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : अनिर्णीत नहीं है।

(व्यवधान)

इसलिये कह रहा हूं कि इसे जनमत जानने के लिये भेजा जाय। गलत तरीके से चुनाव करा लिये। चंदन बागड़ी की हत्या हुई उसके बाद गिरफ्तार हुआ। सरपंच का नामीनेशन भरने आया, थानेदार पर जब दबाव पड़ा, थानेदार के दरवाजे पर दस्तक दी तब जाकर उनको गिरफ्तार किया। जज साहब ने उनको एनटिसिपेटरी बेल दी गिरफ्तारी के बाद वह प्रधान बन गया। आज वह विक्रम सिंह, जिसने चंदन बागड़ी की हत्या की है जिसने शिडयूल्ड कास्ट के गरीब की हत्या की है, प्रधान बनकर बैठ गया है। मुझे मालूम है सारे मामले को राजस्थान विधान सभा में मंत्री पद पर बैठे हुये कोटा बूंदी, झालावाड़ के मंत्री महोदय दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो इस प्रकार से गलत अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने चुनाव कराये हैं और उनकी पुष्टि विधान सभा के माध्यम से करवाई जा रही है, यह तरीका ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, भविष्य में सरकार आगाह रहे, सरकार ऐसी गलतियां न करे। इसलिये इस सारे कानून को जनमत जानने के लिये राज्य सरकार भेजे, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री नाथूसिंह।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया कि किस तरह से माननीय मंत्री महोदय ने अपने आप अपनी इमेज बनाने के लिये और अपना प्रभाव दिखाने के लिये, अपनी भक्ति दिखाने के लिये पंचायत एक्ट की धारा 4 का उल्लंघन किया। अक्टूबर, 1960 के फार्मूले को लागू नहीं किया, उसका उल्लंघन किया और इस एक्ट की भावना के विपरीत कार्य कर अपने ही कथन को उल्टा कर दिया। जब उन्होंने 1972 में तीन साल से 5 साल की अवधि बढ़ाई थी उस समय कहा गया था कि बार बार चुनाव कराने से खर्चा ज्यादा होता है इसलिये 5 साल में चुनाव कराये जायें। अब यह कह रहे हैं कि 5 साल की अवधि ठीक नहीं है, जल्दी जल्दी चुनाव होने चाहिये। अब इनके पास ज्यादा पैसा आ गया, ओवर ड्राफ्ट कम हो गया, राज्य सरकार पर खर्चा नहीं है इसलिये जल्दी जल्दी चुनाव कराये। ठीक है। लेकिन विधायक और एम. पी. के लिए चुनाव 5 साल का होना चाहिये। इसके विपरीत मैंने कहा था कि उस फार्मूले को अपनायें। उसको न अपनाने से क्या गलतियां हुईं उसका एक उदाहरण बताता हूं। उन्होंने उस फार्मूले को क्यों नहीं अपनाया, उसके पीछे कारण ये। ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं था। उनको मालूम था लेकिन इसके पीछे कारण था विरोधी दल से अच्छे लोग जो प्रधान का चुनाव, जिला प्रमुख का चुनाव लड़कर, सरपंच निर्विरोध जीतकर आते, वह नहीं आ सकें,

(श्री नाथूसिंह)

यह दुर्भावना थी । इसका ताजा उदाहरण देना चाहता हूं । आप आश्चर्य करेंगे, 1980 में विधान सभाओं के चुनाव में जिस विधायक ने चुनाव लड़ा, जिसका नाम वोटर लिस्ट में था जो 1977 से 1980 तक इस सदन का सदस्य था, जिसका वोटर लिस्ट में नाम था, उस व्यक्ति को पंचायत के लोग सर्वसम्मति से सरपंच बना रहे थे । इसलिये मैं नाम बताना चाहता हूं जमवा रामगढ़ के श्री रामेश्वर नौरंगपुरा के रहने वाले को सरपंच बनाया था वह सरपंच सर्वसम्मति से नहीं बने, आगे जाकर प्रधान का चुनाव लड़कर जीत न जायं इसलिये उनका नाम वोटर लिस्ट से कटवाया गया । 1981 में जब सरपंच का चुनाव लड़ रहा था तो उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था इसके पीछे दुर्भावना थी। जिन व्यक्तियों ने जान-बूझकर वह नाम काटा उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । कलेक्टर को एप्लीकेशन दी गई, यह उनका नमूना है फार्मूले को इग्नोर करने का । फार्मूले को इग्नोर कर दिया । पंचों की क्यों नहीं संख्या रखी, वार्डों की संख्या क्यों नहीं बनाई, जनसंख्या के आधार पर क्यों नहीं रखी ?

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं अभी पंचायत राज मंत्री बड़े जोर से बोल रहे थे कि कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया और ठीक नियमों के अनुसार काम करवाया । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं सरदारशहर का प्रधान जीता है, जीतने के बाद उसने स्टेंडिंग कमेटी बनानी चाही, बी० डी० ओ० प्रिसाइडिंग आफिसर होता है । उसने नोटिस निकाला कि स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव कराये जायं । इलेक्ट करने के लिये नोटिस निकाला, स्टेंडिंग कमेटी बननी थी लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो सरदार-शहर का प्रधान था वह बी०जे०पी० का था इसलिये मंत्री महोदय ने तार दिया, स्टे लगा दिया । और स्टे कब लगाया ? आपको आश्चर्य होगा जानकर 21–1–82 को तार देकर स्टेंडिंग कमेटी के गठन पर अनिश्चित काल के लिये स्टे लगा दिया । यह सरकार तार द्वारा चल रही है, तार द्वारा स्टे लगा दिया । आज तक लिखित में कोई आदेश नहीं दिया । स्टेंडिंग कमेटी का चुनाव के बाद दो महीने के अंदर गठन होना आवश्यक होता है ।

दूसरा उदाहरण झुंझुनू के प्रधान के चुनाव का है । कांग्रेस आई का जो एक कैंडीडेट है उस कैंडीडेट को टिकट मिल गया । यह 5 फरवरी को सायंकाल दिया सरदार शहर में । 21 वाला मामला है झुंझुनू वाला 11-1-82 को नोटिस दिया उसमें बृज राज को कांग्रेस (आई) का टिकट मिला, वह चुनाव जीत गया प्रधान का । उनके विरुद्ध हरिदेव सिंह चुनाव लड़ रहा था, वह हार गया । लेकिन कांग्रेस आई में कितनी एकता है, वे कहते हैं हम आपस में नहीं लड़ते हैं, एकता का नमूना जिला परिषद् के चुनाव में आया । उस समय हरिदेव सिंह हारे हुये उम्मीद्वार को प्रमुख का टिकट दिया गया क्योंकि मंत्री महोदय का आदमी है वह राम नारायण का कैंडीडेट था कांग्रेस आई के अध्यक्ष का इस-लिये वह जिला प्रमुख के चुनाव में जीत गया । तो जीतने के बाद क्या होता है ? जीते हुये प्रधान ने जब स्टेंडिंग कमेटी बनाने की कोशिश की तो उस पर भी उन्होंने तार से स्टे लगा दिया 21-1-82 को । किस कानून से लगा दिया ? उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं कानून के ज्ञाता हैं, क्या राज्य सरकार

(श्री नाथूसिंह)
स्टेंडिग कमेटी के गठन पर तार के द्वारा स्टे लगा सकती है ? किसी एक्ट में प्रोविजन नहीं है कि तार के द्वारा या लिखित में स्टेंडिग कमेटी के गठन पर रोक लगा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर्स नहीं हैं लेकिन स्टेंडिग कमेटी के गठन पर अनिश्चित-काल के लिये स्टे लग गया। और कब लग गया ? छुट्टी थी उस दिन। इसी तरह पहले वाले केस में भी हुआ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो वकील हैं, पाइंट पर बात करनी चाहिये।

**श्री नाथूसिंह** : वही तो बोल रहा हूं। इसके पीछे क्या कारण थे 5 साल से 3 साल करने के ? वे रीजन्स बता रहा हूं, क्या कारण थे, किस तरह से इल्लीगल कार्य किये। उपाध्यक्ष महोदय, आप बता दें कि क्या राज्य सरकार को कोई पावर है कि स्टेंडिग कमेटी की कार्यवाही को रोके ? इन्होंने तार के द्वारा स्टेंडिग कमेटी की कार्यवाही पर रोक लगा दी। उपाध्यक्ष महोदय, अभी पांच दिन का सम्मेलन हुआ उसमें मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि पंचायत राज को बहुत ही जोर शोर से चलाया जायेगा लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय नहीं चाहते कि वह जोर शोर से चले। इन्होंने स्टेण्डिग कमेटी पर रोक लगा दी और आज तक उसका कोई आधार नहीं बता सके। विदआउट रीजन किया। एक तरफ प्रान्त में अकाल की विनाश लीला थी, दूसरी तरफ, उपाध्यक्ष महोदय, जो पांच साल की अवधि थी तीन साल की कर दी उसके पीछे इन्दिरा जी की भक्ति है जो कि उमड़ रही है। यह अपनी इमेज बनाने जा रहे हैं और इमेज बनाने के चक्कर में पावर गेन करने के चक्कर में आज यह लोग आपस में भयंकर रूप से लड़ रहे है। वह लड़ें उसकी तो हमें परवाह नहीं। अगर यह लोग लड़ेंगे तो हमारी तरफ जल्दी ही जायेंगे। हम चाहते हैं कि यह हमसे पाठ सीखें कि किस तरह से जल्दी जायं यह पाठ हमसे सीखें।

(व्यवधान)

आप आपस में लड़ो मगर इस तरह से गैर कानूनी काम मत करो। लड़ो जहां तक तो ठीक है पर इस तरह गैर कानूनी काम करना उचित नहीं है। आप एक्ट का उल्लंघन करें, यह उचित नहीं है। इसलिये यह तीन साल का कार्यकाल जो कर रहे हैं मुझे मालूम है तीन साल के कार्यकाल के आगे इनके हाथ में सत्ता नहीं रहेगी और यह जाते जाते इस कार्यकाल को तीन की जगह पांच साल कर जायेंगे। उस समय यह कहेंगे कि चूंकि तीन साल तक कोई इनको कार्य करने का मौका नहीं मिला और चूंकि यह विकास का कार्य करना चाहते हैं इसलिये जिस तरह सन् 69 में....

(व्यवधान)

यह मैं सन् 69 की बात ही दोहरा रहा हूं।

(व्यवधान)

मैं आपके लिये तो कह सकता हूं भैरूं लाल जी, कि आप अगले चुनाव में जमवा रामगढ़ से जीत कर नहीं आयेंगे, मैं वहा से चुनाव लड़ूंगा और आपकी जमानत जब्त करवा दूंगा। अबकी बार आप जीत कर आयें तो पता चले।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : आप इतना जोर से मत बोलो प्रधान मन्त्री भी हार गये थे।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : आप भी तैयारी करो मैं भी तैयारी करता हूं । आप घोषणा करो । आप भी....

(व्यवधान)

रिजाइन करो मैं भी रिजाइन करता हूं और आओ ।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : वहां पर आपके 42 में से 6 सरपंच थे ।

**श्री नाथूसिंह** : 42 में से 28 थे आपने उनको 17(4) की धमकी देकर और उन लोगों को पैसा देकर यह किया है । उपाध्यक्ष महोदय, भारद्वाज जी के तो समझ में आया हुआ है कि अगली बार वह तो जीत कर आने नहीं हैं यह तो निश्चिन्त हैं कि उनकी बला से कुछ भी हो । तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेण्डमेन्ट ला रहे हैं उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे ग्राम पंचायत का विकास करने, ग्रामीण जीवन के स्तर को ठीक करने और ग्राम जीवन का विकास करने की कोई भावना इनकी नहीं है । बल्कि इनकी भावना राजनैतिक दुर्भावना से परिपूर्ण है । सरपंचों को किस तरह से पावर दी जाय, इसलिये मैं मन्त्री महोदय को और सदन को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इनका जनता में अधिक विश्वास है तो सरपंचों का विश्वास प्राप्त करने के लिये इस बिल को जनता के सम्मुख जनमत जानने के लिये भेजा जाय । आप इसको जनता का जनमत जानने हेतु भेजिये हम भी आपको सहयोग देंगे । मेरा निवेदन है इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री प्रभारी मन्त्री जी ।

## सदन की कार्यवाही
## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री खेतसिंह राठौड़** (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय आज के दो विधेयक पारित हों तब तक के लिये बढ़ायी जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन का समय जब तक आज की कार्यसूची पारित नहीं हो तब तक के लिये बढ़ायी जाय ?

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : कार्य सूची पारित नहीं होने तक नही कार्यसूची के विषय पारित नहीं होने तक के लिये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : ठीक है कार्य सूची के विषय पारित नहीं होने तक के लिये बढ़ायी जाय ?

(स्वीकृत)

कार्य सूची के विषय पारित होने तक समय बढ़ाया गया ।

Thank you. I am learning from him.. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है ।

## विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

**श्री शीशराम ओला** (राज्य मन्त्री, पंचायत) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां पर आज कई माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य विचार रखे । कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि राज्य में अकाल की स्थिति थी, बाढ़ से राजस्थान में तबाही मची हुई थी और वोटर नहीं थे फिर भी चुनाव करवाये, वोटर आये नहीं । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों से कि पूरे राजस्थान में जो चुनाव पंचायतों

(श्री शीशराम ओला)

के हुए है उनमें 75 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक लोगों ने अपने वोट डाले। मैं यहां पर माननीय सदस्यों को कुछ जिलों में कितने प्रतिशत वोट डाले गये वह निवेदन करना चाहूंगा। भरतपुर में 77·6 प्रतिशत, टोंक में 82 प्रतिशत वोट डाले गये और कोटा में 77·32 प्रतिशत।

**श्री नाथूसिंह** : यह आप किसका पर्सेन्टेज बता रहे हैं।

**श्री शीशराम ओला** : वोट जो पंच और सरपंचों के चुनाव में डाले गये उसका पर्सेन्टेज बता रहा हूं। आप कह रहे थे कि उस वक्त यहां पर वोटर नहीं थे ऐसे समय में चुनाव कराये गये। जो माननीय सदस्यों ने पूछा उसका उत्तर दे रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कहां कहां पर वोटर्स ने अपने मतों का सदुपयोग किया उसकी जानकारी दे रहा हूं। कोटा में 77·32 प्रतिशत, जैसलमेर में 64·94 भीलवाड़ा में 74·33 प्रतिशत। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहना वाजिब नहीं होगा कि ऐसे अवसर पर चुनाव कराये गये जब कि वोटर नहीं थे, बाहर चले गये थे। अकाल से पीड़ित थे, बाढ़ आई हुई थी। उपाध्यक्ष जी, क्योंकि लोग चाहते थे कि चुनाव हों इसलिये इन्होंने अपने मत का सदुपयोग किया, उनमें उत्साह था इसलिये उनकी यह बात तो ठीक नहीं रही कि चुनाव ठीक समय पर नहीं कराये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपने मन्त्रि मण्डल में तो यह कहा था....

(व्यवधान)

**श्री शीशराम ओला** : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बारे में और गिरधारी लाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी। अशोक मेहता कमेटी और गिरधारी लाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट तो रिपोर्ट ही है और रिपोर्ट रिपोर्ट ही रहती है जब तक कि वह कानून का रूप नहीं ले लेती है। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा है कि,

(4·59 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

उन्होंने यह माना है, अध्यक्ष जी, स्टेट अपने हिसाब से जो उनको ठीक सुविधा-जनक हो उस प्रकार से पंचायत राज प्रणाली को रखें। तो राजस्थान राज्य में हमने थ्री टायर सिस्टम को स्वीकार किया और उस पर ही हम चल रहे हैं। उसी प्रकार से हमने राजस्थान में चुनाव कराये हैं। अभी नाथूसिंह जी साहब ने कहा....

**श्री नाथूसिंह** : आपने कहा कि रिपोर्ट तो रिपोर्ट ही होती है जब तक कि वह कानून का रूप नहीं ले लेती है। आपका 20 सूत्री कार्यक्रम है और इसके अलावा आपने कई स्लोगन दिये हैं। पंचायतों के चुनावों में आपने घोषणायें कीं उसमें आपने यह नहीं कहा था कि हम पूरा विकास करना चाहते हैं। अगर पिछड़ों को पहले ला रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि आपने कितने हरिजन, कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को राजस्थान में जिला प्रमुख या प्रधान बनाया है?

**श्री शीशराम ओला** : अध्यक्ष जी,

(श्री शीशराम ओला)

राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स के सरपंच 81 आये और उप सरपंच 21 आये और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 366 सरपंच और उप सरपंच 122 आये, प्रधान 12 शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आये और शिड्यूल्ड कास्ट का कोई नहीं। उप प्रधान शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 10 तथा शिड्यूल्ड कास्ट का कोई प्रधान या प्रमुख नहीं आया।

**श्री नाथूसिंह** : क्या पूरे राजस्थान में एक भी नहीं आया प्रधान या प्रमुख शिड्यूल्ड कास्ट का।

**श्री शीशराम ओला** : आपने पूछा वह बताया बाकी टिकट देना प्रधान या प्रमुख का मेरे हाथ में थोड़े ही हैं। मेरे हाथ में नहीं है।

**श्री नाथूसिंह** : मैं यही पूछना चाहता था।

**श्री शीशराम ओला** : हमारे यहां चाहे वह जनता शासन था अथवा कांग्रेस का है जहां शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग चुनाव में नहीं आ सकते हैं वहां उनको को-आप्ट करने का प्रावधान पंचायतों में पंचायत वाइज है और उसमें उनको स्थान मिलता है। इसलिए पहले भी यह था और आज भी वह प्रक्रिया है। उसमें न आप पीछे चलते हैं और न हम पीछे चलते हैं लेकिन जो रिपोर्ट में है वह मैंने निवेदन किया।

सरदारशहर और झुंझुनू की स्टेंडिग कमेटी के चुनाव रोकने की बात आई। मैं आपको बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि मुझको ऐसे आवेदन पत्र मिले कि सरपंचों को कहीं ले गए, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। सरपंचों को कहीं भी उठाकर ले गए, जमुना जी लेकर चले गए या चम्बल के गेस्ट हाउस में ले गए, पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने स्टे आर्डर दिया है। अब जिनके खिलाफ स्टे आर्डर मिला है शायद एक दो वापस आ गये, याद नहीं, आयेंगे ही लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। तो हमारी कोई दुर्भावना नहीं है कि इनके खिलाफ स्टे आर्डर जारी रहे और नहीं रहे। इसलिए सरपंचों को नहीं मिलने दिया गया, यह गलत बात है। इस काम का मैं हामी नहीं हूं। इसलिए स्टे आर्डर दिया है और 235 पंचायत समितियों में से अगर 2 पंचायत समितियों में स्टे आर्डर दिया तो कोई बात ही नहीं है। उनको भी मैं यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिनके खिलाफ स्टे आर्डर किया है अगर वह आकर कहेंगे कि गलत बात है तो कल ही वेकेट कर दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि जान-बूझकर तंग करना चाहते हैं....

**श्री नाथूसिंह** : एक बात बताइये। पंचायत समितियों के जो इलेक्शन हुए क्या उसमें पूरे राजस्थान से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि सरपंचों को पकड़ पकड़ कर ले गए?

**श्री शीशराम ओला** : नहीं।

**श्री नाथूसिंह** : भारद्वाज....

**श्री शीशराम ओला** : भारद्वाज को बीच में मत लाओ। मुझे पूछो।

**श्री नाथूसिंह** : क्या आप यह नहीं मानते हैं कि पंचायत समितियों के चुनावों

(श्री नाथूसिंह)

में इस तरह से सरपंचों का कन्फाइमेन्ट नहीं हुआ ? जीते जी हरिद्वार उनको पहुंचा दिया गया। क्या इस तरह का कोई आवेदन पत्र नहीं है कि सरपंचों को बन्द कर दिया गया है, सरपंचों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जब आपको यह मिला तो उस समय आपने पंचायत समितियों के चुनावों पर स्टे क्यों नहीं लगाया ?

**श्री शीशराम ओला** : मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक भी ऐसा प्रार्थना पत्र हमारे पास नहीं आया। यदि आया होता तो निश्चित रूप से स्टे देते लेकिन एक भी प्रार्थना पत्र मेरे पास नहीं आया। मैं डिनाई नहीं करता आपकी बात को लेकिन मेरी नालेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि इस तरह से सरपंचों का अपहरण करके गंगाजी और जमुनाजी में ले गए। मेरे पास आया नहीं और आता तो कार्यवाही करता....

**श्रीमती कमला** (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जब तक मंत्री महोदय अपना स्टेटमेन्ट पूरा कर लें तब तक आप शांति से सुनें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद प्रश्न करें। स्टेटमेन्ट तो मंत्री महोदय को पूरा करने दीजिए।

**श्री नाथूसिंह** : मैं तो मंत्री महोदय की सुविधा के लिए क्लेरीफिकेशन करना चाहता हूं। दो जगह स्टेण्डिग कमेटी के ऊपर स्टे लगाया वह किस नियम के तहत स्टे लगाया ? क्या आपको पावर्स हैं स्टे लगाने का पंचायत एक्ट में ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। भाषण नहीं होगा।

**श्री शीशराम ओला** : हमको पावर्स नहीं होती तो जिसके पास गया वह नहीं मानते। यदि वह ठीक नहीं था, गलत था तो जिनके पास गया वह नहीं मानते।

**श्री नाथूसिंह** : किस रूल के तहत किया ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, माननीय सदस्य। बाधा नहीं पहुंचायें।

**श्री शीशराम ओला** : आपने पहले भी फर्माया, माननीय सदस्यों के वही विचार और वही सब बातें दुबारा आई हैं जिनका मैंने दस मिनट पहले उत्तर दिया था। एम० पी० के लिए पांच वर्ष का समय है चुनाव का, एम०एल०ए० के लिए पांच साल का है तो सरपंचों के लिए 3 वर्ष का होना जरूरी है। इससे ज्यादा का होना उचित नहीं है। छोटी इकाई है और लम्बे समय तक चुनाव नहीं कराना गलत होगा और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यह सोचा, हमारी सरकार ने यह सोचा कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव कराये जायं इनकी अवधि 3 साल रखी जाय। सरकार चाहे तो एक साल और बढ़ाकर चार साल कर सकती है।

मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत चाहूंगा कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव किया गया है, उसे अस्वीकार किया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित

(श्री अध्यक्ष)

करने का जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

**विधेयक पर खण्डश: विचार**

खण्डश: विचार

खण्ड 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं हैं। इसलिए प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 और 3 स्वीकार किए गए।

खण्ड 3 (ए) श्री सूर्यकुमार।

**श्री सूर्यकुमार** : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 3 में मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव आपकी अनुमति से प्रस्तुत करना चाहता हूं। चूंकि मूल बिल अंग्रेजी में है अत:, अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा याचना करते हुए इसे अंग्रेजी में ही मूव कर रहा हूं :

'After clause 3 of the Bill, insert the following clause, namely :—

3A. In section 7A of the principal Act, (Act no. 21 of 1953) after the existing proviso,

the following further proviso shall be added, namely :—

"Provided further that the Sarpanch and Panchas of a Panchayat of which the term of office has not expired and general election thereto have been held, the newly elected Sarpanch and newly elected Panchas shall only participate and be entitled to vote in the co-option of Panchas and election of Up Sarpanch'."

इस संशोधन को मैंने इसलिए प्रस्तुत किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोडीफिकेशन आफ लॉ का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि लॉ का कोडीफिकेशन करते वक्त ऐसा प्रावधान नहीं रख दिया जाय जो कि सन्देह से भरा हुआ हो या जिसको पढ़ने के बाद कुछ सन्देह या भ्रांतियां रहें। जो प्रावधान इस अमेंडिग बिल के माध्यम से लाया गया है उसमें एक गैप बीच में छोड़ दिया गया है कि जहां पंचायत का इलेक्शन होने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग हो उसके पहले वोट देने का अधिकार आया उस इलेक्टेड पंचायत को और सरपंच को कोआप्शन के लिए है या नहीं। क्योंकि यह गैप ऐसा गैप था जो कि कानूनी सन्देह पैदा करता था इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहूंगा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई हाई कोर्ट में रिट चल रही है ? क्या इसी क्वेश्चन को लेकर हाई कोर्ट में कोई रिट चल रही है क्या ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : जी हां।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैं आपत्ति करूंगा इस प्रकार के अमेण्डमेन्ट लाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उस आधार पर रखा है कि जैसे पंचायत का टर्म एक्सपायर नहीं हो और उसके पहले नई पंचायत का इलेक्शन हो गया तो नई पंचायत के सदस्य को वोट देने का अधिकार है या नहीं ? मैं समझता हूं, इस प्रकार का संशोधन....

**श्रीमती कमला** : पुराने का ....।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : पुराने का तो है ही। पुराने का जब तक टर्म एक्सपायर नहीं होता तब तक उसमें तो किसी का अहसान नहीं है लेकिन जो नये टर्म एक्सपायर होने के पहले जिनके चुनाव हो गये, उसमें आप बता दें।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : माननीय अध्यक्ष जी, इसका जो प्रावधान है वह जो अभी किया गया है उसमें यह है कि जो पंचायतों की मियाद रखी है वह 31 तारीख तक की रखी है और the date of first meeting of the panchayat whichever is earlier. या तो 31 तारीख तक या पहली मीटिंग तक। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जो को-आप्शन आफ सरपंच है उसमें जो पुराने सरपंच हैं जिनके बजाय दूसरे पंच चुनकर आ गये हैं उनको को-आप्शन में वोट देने का अधिकार है या नहीं ? चूंकि वह कहते हैं, साहब, 31 तारीख ही मियाद है-इस प्रकार की मीटिंग हुई प्रधान की तो जो उप सरपंच चुनने के लिए मीटिंग हुई वह फर्स्ट मीटिंग है इसलिये उस डाउट को रिमूव करने के लिये यह अमेण्डमेंट आया है। मैं समझता हूं, स्पष्टीकरण के अलावा और कोई चीज नहीं है न उसमें कोई मंशा ही निहित है। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। वह इनागुलस है, इसमें कोई स्थिति ऐसी पैदा नहीं होती है।

"Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Panchayat Act. 1953 (Rajasthan Act 21 of 1953), the term of a Panchayat as constituted under the said Act and as existing immediately before the commencement of the Rajasthan Panchayat Laws (Amendment) Act, 1982, shall extend and shall be deemed to have been extended to 31st day of Decemler, 1981 or till the date immediately preceding the date of the first meeting of the Panchayat as a result of the next periodical general election, whichever is earlier."

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : आपने लिखा है....

'shall be deemed to have been extended'

**श्री बृज सुन्दर शर्मा** : यह तो दिसम्बर 1981 का हुआ था....

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

'First day of the meeting'

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह जो आर्डिनेन्स इश्यू किया उसमें लिखा है....

"shall be deemed to have been extended upto 31st December, 1981"

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : अगर पंचायत का चुनाव मान लीजिये 31 दिसम्बर, 1981 को खतम नहीं होता है तो जिस तारीख को चुनाव खतम हो उस वक्त तक या पंचायत की पहली मीटिंग तक.... ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन या किसी डिसीजन के कारण 31 दिसम्बर के पहले ही पंचायतों की अवधि खतम हो गई।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : जब नये पंच पुराने सरपंचों के स्थान पर चुन कर आ गये तो जो पुराने सरपंच हैं उनको उप सरपंच के लिये वोट का कोई अधिकार नहीं रहा ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मेरा क्वेश्चन डिफरेन्ट है–जब इसको रिट्रास्पेक्टिवली लागू किया गया है तो इसका मतलब पंचायतों की अवधि बहुत पहले खतम हो गई और उसको कवर करने के लिए लिखा है

'shall be deemed to have been extended from such and such date"....

इसका मतलब पंचायतों की अवधि पहले खतम हो गई, तो खतम होने के बाद में यह स्थिति सामने आई कि अभी तक चुनाव नहीं हुए। इन चुनावों में पंचायतें किस प्रकार एक्ट करे–गवर्नमेंट के सामने यह क्वेश्चन भी आया था कि पंचायतों की अवधि खतम हो गई और पंचायतों का चार्ज डी. एल. डब्ल्यू. को दिलवाया जाय या पटवारी को दिलवाया जाय। मैं जानना चाहता हूं रिट्रास्पेक्टिवली जो आपने लागू किया है क्या उसका अर्थ है पहले ही पंचायतों की अवधि समाप्त हो गई थी ?

**श्री शीशराम ओला** : ऐसा है, अध्यक्ष जी, इसको 15 अगस्त, 1981 को लागू किया था। उसमें ऐसा सोच लिया था कि यह आर्डिनेन्स ही आगे होने वाले पंचायत चुनावों के लिये होगा, उसका अध्यादेश निकलवा दिया गया था तो पिछले वालों की तीन साल की अवधि रहेगी । एक साल की इस प्रकार की अवधि बढ़ाने की है ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : पंचायत राज मन्त्री जी, आप बता दीजिये, पिछली बार जो 1978 में चुनाव हुए थे उनकी अवधि कब से शुरू हुई और कब तक मानी गई ?

**श्री शीशराम ओला** : 81 की फरवरी में तीन साल हो गये। क्योंकि सरकार आर्डिनेन्स ला रही है अक्टूबर में इसलिये वह....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : इसका मतलब यह है कि 81 की फरवरी से लेकर जब तक चुनाव कराये उस समय तक पंचायतें अवैध हैं ?

**श्री शीशराम ओला** : नहीं, बिलकुल नहीं । सुनिये, वह तीन साल की अवधि तो उनकी फरवरी में खतम होती है लेकिन क्योंकि उससे पहले सरकार हटा नहीं सकती थी इसलिये यह आर्डिनेन्स 15 अक्टूबर को

(श्री शीशराम ओला)

लागू किया गया। क्लियर कर दिया गया कि कोई शंका न रहे, एक साल के ऊपर.... ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : 15 फरवरी से लेकर जिस दिन आर्डिनेन्स इश्यू किया, 15 अक्टूबर तक आर्डिनेन्स जब इश्यू किया तो आपने पुरानी चीज को दुरुस्त कर दिया, यह बात तो सही है लेकिन 15 फरवरी को मियाद खतम हो गई, सरकार को पता नहीं है पंचायतों की तीन वर्ष की अवधि, जो हम इन्ट्रोड्यूज कर रहे हैं, खतम हो गई। जब आपको मालूम हो गया कि अवधि खतम हो गई और इतने दिन पंचायतें चल रही हैं तो आपने आर्डिनेन्स इश्यू करके तय कर दिया कि चाहे पंचायतों की अवधि खतम हो गई होगी लेकिन हम उसको कवर करने के लिये आर्डिनेन्स इश्यू कर रहे हैं, यही तो बात है न ?

**श्री शीशराम ओला** : इसमें दो राय नहीं हो सकती है ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : इसका मतलब फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त 7 महीने तक पंचायतें अवैध रूप से चलती रहीं ?

**श्री शीशराम ओला** : नहीं वह नहीं है, कवर कर लिया गया। 15 अक्टूबर से पंचायतें थीं ही, 15 अक्टूबर को किया तो लोगों को शंका हुई.... ।

**श्री अध्यक्ष** : 1978 में चुनाव हुए उस वक्त मियाद कितनी थी पंचायतों की ?

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : 5 साल, इसको इन्होंने तीन साल कर दिया। वह तीन साल खतम होते हैं फरवरी, 81 में .... ।

**श्री अध्यक्ष** : अक्टूबर में खतम किया न ?

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : अक्टूबर में खतम किया लेकिन मियाद का इन्होंने जो आर्डिनेन्स इश्यू किया उस समय टाइम का केलकूलेशन नहीं किया, 5 के बजाय तीन कर दिया। तीन करने से पंचायतों की अवधि समाप्त होती थी फरवरी में उसी बात का जो आपने आर्डिनेन्स इश्यू किया उसमें तीन साल की अवधि थी....

**एक माननीय सदस्य** : वह नहीं किया।

(व्यवधान)

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : वह करते तो हाई कोर्ट में नहीं जाते....

(व्यवधान)

इन्होंने अगस्त या अक्टूबर में जो भी आर्डिनेन्स इश्यू किया, उस आर्डिनेन्स में यह फैसला किया कि पंचायतों की अवधि 3 साल की है। पंचायतों के चुनाव फरवरी, 78 में हुए तो उनकी तीन साल की अवधि फरवरी, 81 में समाप्त हो गई। फिर जब इन्होंने देखा अवधि तो समाप्त हो गई। अब इसको रेगूलेराइज कैसे किया जाय तो जो अभी अमेण्डमेंट लाये हैं उससे दुरुस्त करना चाहते हैं। आज भी यह मामला हाई कोर्ट में पेण्डिग है। कई लोगों ने कोर्ट में इसी चीज पर रिट कर रखी है कि पंचायतों में इस प्रकार की स्थिति कैसे बनी ? ....

**श्री शीशराम ओला** : इस चीज के लिए हाई कोर्ट में केस इसके लिए आया

(श्री शीशराम ओला)
कि हाई कोर्ट में तो इसलिए हैं, ये 30 तारीख को

(व्यवधान)

इसमें निवेदन यह है कि ये जो 31 तारीख जो रखी थी अवधि लेकिन उनके साथ ये भी रख दिया है, या तो 31 तारीख या प्रथम पंचायत की मीटिंग। तो जो सरपंच के चुनाव हुए हैं, जहां 10 तारीख को पंचायत के चुनाव हुए, वहां सरपंच का चुनाव 11 तारीख को हुआ, जहां 14 तारीख को चुनाव हुए हैं, वहां 15 को हो गये, जहां 18 को हुए हैं, वहां 19 को सरपंच के चुनाव हुए। वह प्रथम मीटिंग मान ली गई इसलिए कानूनी कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम मीटिंग हो या 31 दिसम्बर, ये दोनों हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : माननीय मन्त्री जी, यह दूसरे आर्डिनेन्स में है। पहले तो आपने आर्डिनेन्स इश्यू किया उसमें यह स्थिति नहीं है।

**श्री शीशराम ओला** : दूसरा तो किया, इसको निकाल दिया।

**श्री अध्यक्ष** : इसमें इतनी इर्रेगूलेरिटी ही क्या जब अपने को मालूम नहीं था तो सरपंचों को भी मालूम नहीं था, सब यही समझ रहे थे कि क़ायदे से ही चल रहा है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह बिलकुल ठीक है, अध्यक्ष महोदय, आपने उपमा बिलकुल सही दी हैं। जब सरकार को ही मालूम नहीं था तो सरपंच को मालूम होने का सवाल ही पैदा नहीं था। मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, वह निवेदन यह करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के कानून बनाये जिस कानून में खामियां रखी जायं? अगस्त में आर्डिनेन्स निकाला, उसके ऊपर हाई कोर्ट जोधपुर में रिट हुई और गवर्नमेन्ट को नोटिस मिले तो गवर्नमेन्ट ने दूसरा आर्डिनेन्स इश्यू कर दिया। अब दुरुस्ती की, उसमें गलती है, उस गलती को पूरा करने के लिए माननीय सदस्य ने एक अमेण्डमेन्ट, जिसे सरकारी अमेण्डमेन्ट मानता हूं, मूव कर दिया तो पब्लिक को भी, अध्यक्ष महोदय, कुछ अधिकार हैं। गवर्नमेन्ट कोई कानून बनाये और पब्लिक उसकी गलती निकालती जाय और पब्लिक जब सरकार के विरोध में हाई कोर्ट में जाय, वहां खर्च करे, वकीलों को पैसा दे और जब मामला जीतने की स्थिति में आये तो गवर्नमेन्ट आर्डिनेन्स इश्यू कर दे। यह तो अनुचित बात है। मैं समझता हूं, कोई रेयर केस में इस प्रकार की बात होती हो तो कोई कानूनी दुविधा होती, यह तो मैं नहीं मानता लेकिन गवर्नमेन्ट की आदत ही बन जाय, हम तो गलती करते रहेंगे पब्लिक नोटिस में लाती जाय और जिस समय गलती पकड़ी जायेगी तब आर्डिनेन्स इश्यू कर दें या अमेण्डमेन्ट ले आयें, यह गवर्नमेन्ट के लिए अच्छी बात नहीं है।

**श्री शीशराम ओला** : भविष्य के लिए कम से कम इस बात को नहीं होने देंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप बेफिक्र रहो, आप नहीं करने देंगे लेकिन आपके विधि मन्त्री जिसमें भी राय देंगे, उसमें गलती होती रहेगी।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : अब तो समझ में आ गया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, अब मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, यह प्रश्न तो अपने आपमें स्पष्ट हो गया। मैं कहता हूं कि उसके बारे में

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

डिस्कशन नहीं हो, क्योंकि यह मैटर सबजुडिस है। माननीय मन्त्री महोदय ने इसको स्वीकार कर लिया कि हाई कोर्ट में एक रिट चल रही है उसका मतलब है कि सबजुडिस मैटर के ऊपर चर्चा हो रही है सबजुडिस मैटर को हम इस प्रकार से डिसकस करें तो कोई स्वस्थ परम्परा का निर्वहन नहीं करेंगे। इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में जो कुछ यह कह रहे हैं, इस अमेण्डमेन्ट को रोक दिया जाय, बाकी बिल पास करना है, वह कराइये।

**श्री शीशराम ओला** : जैसा अभी नाथू सिह जी ने निवेदन किया इसके लिए निवेदन कर दूं कि यह सबजुडिस मैटर पर डिस्कशन नहीं है यह तो कानून की प्रक्रिया है—

**श्री नाथूसिह** : मैंने ऐसा नहीं कहा।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : इन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा लेकिन आपने तो कहा कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : अमेण्डमेन्ट होते हैं और....

**श्री अध्यक्ष** : रानी लक्ष्मी कुमारी कुछ कहना चाहती हैं। विपक्ष के नेता महोदय ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि जो इस विधेयक के खण्ड 3(ए) के रूप में संशोधन प्रस्तुत किया गया है। इसी आशय का कानूनी मसला उच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन है। यह मैटर सबजुडिस हो गया इसलिए इस प्रकार चर्चा नहीं हो सकती। माननीय सदस्यों को मेरा निवेदन यह है कि, जो फैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में....

(व्यवधान)

ऐसा है तो इस प्रकार के हों या उस प्रकार के हों उस समय तो चर्चा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि न्यायालय को निर्णय देने में बाधा पैदा हो सकती है लेकिन कानून बनाने का जहां तक सवाल है, उसमें विधान सभा को और संसद को पूर्ण स्वतन्त्रता है। कानूनी विषय या कानूनी पाइन्ट्स सब जुडिस हों, ऐसा नहीं होता, कुछ तथ्य सब जुडिस होते हैं, इसलिए मैं इस आपत्ति को निरस्त करता हूं।

उत्तर दीजिए, मन्त्री महोदय।

**श्री शीशराम ओला** : अध्यक्ष जी, जो संशोधन रखा गया है वह, मैं समझता हूं, उपयोगी है इसलिए इसको स्वीकार किया जाय।

**श्री नाथूसिह** : अध्यक्ष महोदय, यह....

**श्री अध्यक्ष** : अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

**श्री नाथूसिह** : एक मिनट।

यह अमेण्डमेन्ट लाया गया है और अमेण्डमेन्ट पर जो सदन में बहस होती है

(श्री नाथूसिंह)

जैसा विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने कहा कि हाई कोर्ट के अन्दर यही फैक्ट तो उसकी जान है, उस मुकदमे को वे....

**श्री अध्यक्ष** : उसमें आसन ने व्यवस्था दे दी।

**श्री नाथूसिंह** : नहीं, उसमें व्यवस्था तो दे दी लेकिन जो अमेण्डमेन्ट इसमें रखा है, यह अमेण्डमेन्ट जिस गलती को सुधारने के लिये लाया गया है वह सरकार ने गलती की है और उसके विरोध में हाई कोर्ट में गये हैं, जिन लोगों ने इसके विरुद्ध....

**श्री अध्यक्ष** : गलती अपने सामने आ गयी तो अपने को तो ठीक कर देनी चाहिए।

**श्री नाथूसिंह** : नहीं, ठीक करने का सवाल नहीं है। जिन लोगों को इस गलती से नुकसान हुआ, उन लोगों की क्षतिपूर्ति कौन करेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : एक दो का नुकसान हुआ है, बाकी का तो फायदा हुआ है।

**श्री नाथूसिंह** : नहीं, ऐसा नहीं है। एक दो नहीं कई हैं। इसलिए जो अमेण्डमेन्ट रखा गया है, मैं समझता हूं कि जैसे ही मन्त्री महोदय खड़े हुए उन्होंने कह दिया तुरन्त कि यह अमेंडमेंट उपयोगी है। आज तक जितने अमेण्डमेन्ट रखे, वह चाहे कितने ही उपयोगी हैं। हमने तो समर्थन कर दिया, एक तरह से सरकारी अमेण्डमेन्ट है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत है। इसलिए इस अमेण्डमेण्ट का मैं निश्चित रूप से विरोध करता हूं। इस अमेण्डमेन्ट को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार को गलती करने की आदत पड़ेगी और गलती करेंगे और उसका जनता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं इस अमेण्डमेन्ट का विरोध करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सूर्यकुमार ने खण्ड 3(ए) प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 से 8 तक कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 8 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 से 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड 8 (ए)। संशोधन है इसमें। श्री सूर्यकुमार।

**श्री सूर्यकुमार** : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लाज 8 के बाद मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"After clause 8 of the Bill, insert the following clause, namely :—

8A. Insertion of new section 12A in Rajasthan Act 37 of 1959—

(श्री सूर्यकुमार)

After section 12 of the Principal Act, the following new section shall be added, namely :—

12A. Voting by Panchas and Sarpanchas in the constitution of Panchayat Samiti and Zila Parishad-where the periodical general elections of Panchayats are held before the expiry of the term of existing Panchayats, the newly elected Sarpanchas and Panchas (including newly coopted Panchas) shall only participate and be entitled to vote in the constitution or re-constitution of Panchayat Samitis or Zila Parishads in accordance with the provisions of this Act.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने क्लाज 3 के सम्बन्ध में अपने संशोधन प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन किया था, ठीक उसी प्रकार का संशोधन प्रस्ताव इस क्लाज 8 के बाद में प्रस्तुत किया है। मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इसे स्वीकार किया जावे।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय।

**श्री शीशराम ओला** : यह बड़ा उपयोगी संशोधन है, मैं स्वीकार करता हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : यह जो संशोधन रखा है मैं इसका विरोध करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्रीजी के उत्तर से पूर्व आपको विरोध करना चाहिए था।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैं पहले ही खड़ा हुआ था।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री जी ने उत्तर दे दिया।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : वह स्वीकार कर लिया इसलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री तिवाड़ी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह संशोधन यहां पर इसलिए लाया गया है कि पंचायतों की अवधि पांच साल की थी, उनकी अवधि कम करने के विरोध में जिन लोगों ने रिट कर रखी है न्यायालयों में और जिन लोगों की इच्छा यह हो सकती है कि हाई कोर्ट उनकी रिट को स्वीकार कर ले और स्वीकार करने के बाद में उनकी पांच साल की अवधि में कार्य करने का अधिकार दिया जा सके उन व्यक्तियों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए यह एक सैक्शन जोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय।

**श्री शीशराम ओला** : ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसको स्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, श्रीमान्। लोगों के हाई कोर्ट में जाने के बाद इस प्रकार का संशोधन

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

लाया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसे मामले हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं पहले तो उसकी यहां पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। पूर्व में इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है कि जो हाई कोर्ट में कोई मामला सबजुडिस हो, तो उस मामले में कोई विचार यहां पर नहीं हो सकेगा। इसके बाद केवल यह इनकी मंशा है कि हाई कोर्ट के अन्दर जो केसेज चल रहे हैं वे किसी प्रकार से सफल नहीं हों। यदि इनकी अयोग्यता के कारण कोई अमेंडमेंट लाया गया है और कानूनी खामी रही है तो यह आम नागरिक का अधिकार है कि वह निश्चित रूप से न्यायालय में जाकर न्याय की व्यवस्था करे, न्यायालय में जावे। मैं चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा यह अमेंडमेंट स्वीकार कर उन लोगों, जिनके मामले पर न्यायालय विचार करता, के साथ न्याय नहीं करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको अस्वीकार किया जावे।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : इस पर बहस हो चुकी है, पहले आपने इच्छा व्यक्त नहीं की कि इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं। मंत्री महोदय के उत्तर के पश्चात् इस वाद-विवाद को पुन: शुरू करना चाहते हैं।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो आपके माध्यम से राजस्थान के मंत्रिमण्डल का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं, आप विचार करें कि जिस दिन यह आर्डिनेंस आया, आर्डिनेंस के आने के समय जो भी व्यक्ति पंच सरपंच बना हुआ था और जिसने इसको पूरा स्टडी किया, ठीक रूप से उसके मन में यह इच्छा बनी रही, उसके मन में इस प्रकार की निश्चित मान्यता बनी रही कि आगे जो चुनाव होंगे, चाहे वह प्रधानों के हों, चाहे प्रमुखों के हों वह पार्टीसिपेट कर सकेगा। उसके मन में इस प्रकार की भावना बनी रही, निश्चित मत बना रहा....

**श्री अध्यक्ष** : तब आप इतनी भागादौड़ी क्यों कर रहे थे ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उसके मन में जब इस प्रकार की बात बनी रही उसको प्रधान और प्रमुख के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं मिला तो वह व्यक्ति कानून के दरवाजे को खटखटाने पहुंच गया। उसके अधिकारों पर कुठाराघात हुआ इस आर्डिनेंस के आने के बाद इस कारण वह न्यायालय में जाकर खड़ा हुआ। उसके मन की शंका का ठीक रूप से निवारण होकर जजमेंट होता, आज राज्य सरकार इतने समय बाद ऐसा संशोधन लाये जबकि उसको इस प्रकार की स्थिति में रखा गया, अनिश्चितता की स्थिति में रखा गया, अनिश्चितता की भावना से रखा गया, उसके आधार पर उसके अधिकारों पर कुठाराघात हुआ, उस कुठाराघात को समाप्त कराने के लिए जब वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने चला गया, उसकी रिट जब स्वीकार हो गई तब इतने समय पश्चात् उसके अधिकारों पर कुठाराघात इस प्रकार का संशोधन लाकर करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जुडिशियरी आगे जाकर विचार करेगी, बिलकुल इस नाते न्याय के आधार पर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

विचार करेगी कि उस व्यक्ति के अधिकारों पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है उसको मौका मिलना चाहिए था, आज उस मौके को खतम कर रहे हैं। प्रक्रिया के सम्बन्ध में मुझे अभी भी शंका है कि कहीं प्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। यह रिट्रोस्पेक्टिव हो जाने के कारण उस स्थिति में सरकार खड़ी रहेगी। मुझे अभी भी शंका है, मैं उस शंका को आपके माध्यम से उजागर करना चाहता हूं कि यह पिछले दरवाजे से चोर दरवाजे से जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो कानूनी दृष्टि से गलती हुई है, उसके अधिकारों पर कुठाराघात करने वाली है। इस नाते से मैं चाहता हूं कि आपका जो संशोधन है उसको निरस्त करने की आवश्यकता है।

**श्री अध्यक्ष** : अब इस पर और चर्चा नहीं होगी।

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, आपको स्वयं को ध्यान होगा कि यह जो आज कार्य कर रहे हैं, कोर्ट में इस तरह के मामले पड़े हुए हैं। हम उस एक्ट में अमेंडमेंट करके उन सब के अधिकारों को छीन रहे हैं।

**श्री शीशराम ओला** : यह रिपीटिशन हो रहा है।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : मैं बता रहा हूं कि हम कहां जा रहे हैं।....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, शांत रहें।

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, आपको यह ध्यान होगा कि आपातकाल के अन्दर जिन लोगों को बन्द किया गया था वह लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट लेकर गए थे, हेबियस-कारपस लेकर गए थे। आपको ध्यान होगा, अध्यक्ष महोदय, उस समय भी जो जो कानून आड़े आते गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए, उसमें कानून आड़े आते गए उसमें अमेंडमेंट्स किया गया। 68 में अमेंडमेंट जोड़ दिया कि कोई भी प्रोविजन हो, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोर्ट में नहीं जा सकता। आज वही स्थिति है। हम इस अमेंडमेंट को इस प्रकार से स्वीकार करके क्या ग्राम पंचायतों के साथ, सरपंचों के साथ, पंचों के साथ वही स्थिति लागू नहीं करने जा रहे हैं? क्या आपातकाल के बिना दूसरा आपातकाल यहां नहीं ला रहे हैं? इसलिए, अध्यक्ष, महोदय, यहां इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम न्यायालयों को पंगु बनाना चाहते हैं यह अमेंडमेंट स्वीकार करके? इसलिए मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं। आशा करता हूं कि अभी भी मंत्री महोदय कम से कम इस मामले में गंभीरता से विचार करेंगे और इस अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं करेंगे।

**व्यवस्था का प्रश्न**

**विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों की परिसीमा से बाहर संशोधन प्रस्ताव**

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, पंचायत एक्ट की धारा 12 में यह संशोधन किया जा रहा है। धारा 12 में लिखा है :

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

"Prohibition against holding office in more than one Panchayat."

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : 12 कौन सा है। 8 का संशोधन है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : "After section 12 of the Act the following new section shall be added" पुराना एक्ट है।

**श्री अध्यक्ष** : ये ओरिजिनल एक्ट की बात कह रहे हैं।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : वही मैं कह रहा हूं कि सेक्शन 12 को देखा ही नहीं है।

**श्री नाथूसिंह** : 12 क्या है यह आपको मालूम ही नहीं है।

**श्री सूर्यकुमार** : मुझे क्या मालूम है और क्या मालूम नहीं है यह आपको कहने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री नाथूसिंह** : आपको तो मंत्रीजी ने लिख कर दे दिया है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : माननीय सदस्य को ज्यादा जानकारी होगी इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। सेक्शन 12 में लिखा है :

"No person shall hold office in more than one Panchayat."

केवल इतनी सी मूल धारा है। मूल-धारा में संशोधन किया जा रहा है। यह 12-ए और जोड़ा जाएगा और 12-ए में जोड़ कर क्या कहते हैं :

"Where the periodical general elections of Panchayats are held before the expiry of the term of existing Panchayats, the newly elected Sarpanchas and Panchas (including newly coopted Panchas) shall only participate and be entitled to vote in the constitution or re-constitution of Panchayat Samitis or Zila Parishads in accordance with the provisions of this Act."

यह 12-ए में एड कर रहे हैं।

**श्री सूर्यकुमार** : यह 12 के बाद 12-ए जोड़ने की बात है।

**श्री अध्यक्ष** : यह इण्डिपेन्डेंट है।

**श्री सूर्यकुमार** : It is a new section.

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : आपने कहा है कि जो उद्देश्य और कारण दिये हैं उन उद्देश्य और कारणों में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। जो मंत्री महोदय द्वारा विधेयक पेश किया गया है....

**श्रीमती कमला** : इनका तो संशोधन है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : कोई भी अमेंडमेंट मूव करना चाहें, इस बिल के माध्यम से मूव करना चाहें तो बिल के जो उद्देश्य और कारण हैं, उन उद्देश्यों और कारणों की सीमा में रहना पड़ेगा। उन कारणों की सीमा के बाहर नहीं जा सकते....

**श्री जयकृष्ण शर्मा :** वह तो मेम्बर हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** सरकार स्वीकार कर रही है। यह तो बिलकुल तथ्य है कि गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट मूव कराया है।

**श्री जयकृष्ण शर्मा :** नहीं कराया है।

(व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मंत्रीजी कह चुके हैं। सभी आपकी तरह से नहीं हैं। कभी कभी सच बोल जाते हैं। जब स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स इसमें दिए गए उसके परव्यू में ही सरकार अमेंडमेंट दे सकती है और उसी के परव्यू में कोई अमेंडमेंट माननीय सदस्य दे सकते हैं। यह सदन केवल उसी परिधि में कार्य करेगा जिस परिधि के सम्बन्ध में सरकार ने अपने उद्देश्य और कारणों में उल्लेख किया है। आपने कोई इस बात का उल्लेख नहीं किया है....

(व्यवधान)

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं आप उसको गहराई से देखें। यह उद्देश्यों और कारणों का विवरण मैं सदन की जानकारी के लिये पढ़कर सुनाना चाहता हूं। "राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 और राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 में कतिपय संशोधन करते हुए राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 प्रख्यापित किया था। उक्त अध्यादेश के खण्ड तीन द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953-की धारा 7 में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा समस्त पंचायतों की अवधि पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष और विस्तार की अवधि चार वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई थी। अवधि में उक्त अधिनियम की धारा सात की उपधारा (एक) के अधीन अधिसूचना द्वारा विस्तार नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त पंचायत के सरपंच और पंच जिनकी पदावधि समाप्त हो गई थी धारा 7-क के अधीन हुए सामयिक सामान्य निर्वाचन के परिणामस्वरूप गठित पंचायत की प्रथम बैठक के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक अपने पद पर बने नहीं रह सकते थे क्योंकि 15 अक्टूबर, 1981 से पूर्व सामान्य निर्वाचन कराने के लिये कदम नहीं उठाये गये थे तथा ऐसे मामलों में धारा 7-क के परन्तुक ने उक्त धारा का लागू होना वर्जित कर दिया था।

अतः यह आवश्यक समझा गया कि 1981 के अध्यादेश संख्या 10 के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व विद्यमान पंचायतों की अवधि का 31 दिसम्बर, 1981 तक या अगले सामयिक सामान्य निर्वाचन के परिणामस्वरूप गठित होने वाली पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक, जो भी पहले थी, बढ़ा दिया जाना चाहिए।"

गवर्नमेन्ट का पर्पज केवल एक है। गवर्नमेन्ट ने एक आर्डिनेन्स इश्यू किया। उसके जरिये पंचायतों की अवधि के संबंध में विवाद खड़ा हुआ। पंचायतों की अवधि फरवरी में खतम हो गई या नई पंचायतों के चुनाव हो जायं और चुनाव होकर नई पंचायतें गठित हो जायं उस समय उनकी अवधि खतम हो जाती है। इन सारी चीजों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को रेगूलेराइज करने के लिये सरकार ने यह आर्डिनेन्स जारी किया। उसमें कमी रह गई तो दूसरा अध्यादेश जारी कर दिया। इन आर्डिनेन्सों को विधेयक में परिवर्तन करने के लिये इस बिल को सदन में प्रस्तुत किया। जिसका केवल एक आब्जेक्ट है, अध्यक्ष महोदय, वह यह है "अतः यह आवश्यक समझा गया कि 1981 के अध्यादेश संख्या 10 के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व विद्यमान पंचायतों की अवधि को 31 दिसम्बर, 1981 तक या अगले सामयिक सामान्य निर्वाचन के परिणामस्वरूप गठित होने वाली पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक, जो भी पहले थी बढ़ा दिया जाना चाहिये।" चूंकि राजस्थान विधान सभा नहीं चल रही है, इसलिये अध्यादेश जारी किया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता।

अब उसमें यह कर रहे हैं, इस चीज के लिये जो धाराओं में संशोधन कर रहे हैं, उसके जो कान्सीक्वेन्शल अमेंडमेंड होंगे इन धाराओं में करने पड़ेंगे। मैं समझता हूं सरकार का कोई आब्जेक्ट नहीं है। सरकार यहां भी मौन है। सरकार ने कोई उल्लेख नहीं किया। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा से आप क्या आशा करते हैं? विधान सभा से एक कानून में किन-किन धाराओं में सरकार संशोधन कराना चाहती है, वह बिल सरकार ने पेश नहीं किया। इस पंचायत के कानून के उद्देश्य जो कुछ सरकार ने दिये, वह दे दिये, इन्होंने जो 12-ए एक तरह से संशोधन के रूप में प्रस्तुत की, क्या मुझे अनुमति देंगे कि मैं किसी भी कानून में जिसमें प्रस्तावित संशोधन किन्हीं धाराओं में है, उसके अतिरिक्त यदि सरकार 7 वें क्लाज में कोई संशोधन करना चाहती है या सातवें सैक्शन में कोई संशोधन करना चाहती है, तो बीसवें सैक्शन में मैं संशोधन प्रस्ताव सदन में रख सकता हूं। मैं समझता हूं, नहीं रख सकता हूं। इसलिये यह इण्डिपेन्डेंट अमेंडमेंड मूव किया है। इस बिल के कारण और उद्देश्य में किसी प्रकार के शब्द नहीं हैं। यहां इस सदन में कई बार व्यवस्था हो चुकी है, जिन धाराओं के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्ताव रखा जाता है, या संशोधित विधेयक रखा जाता है, उनके अतिरिक्त अन्य कोई संशोधन नहीं ला सकते हैं। यह तो बिलकुल इण्डिपेन्डेन्ट क्लाज है और उस इण्डिपेण्डेंट क्लाज के रूप में 12–ए मूव करने का इनको अधिकार देते हैं तो इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य को आप रोक नहीं सकते हैं जो किसी धारा के लिये, सैक्शन के लिये संशोधन प्रस्ताव इस सदन में पेश करें। यह एक कॉमन बात हो जायेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह संशोधन प्रस्ताव रखा है, इसको अमान्य किया जावे, रखा नहीं जाय।

**श्री अध्यक्ष** : श्री विधि मंत्री।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** (विधि मंत्री) : यह उद्देश्यों के विपरीत कतई नहीं जाता है। यह जो आपने पढ़ा कि "अतः यह आवश्यक समझा गया कि 1981 के अध्योदश संख्या 10 के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व विद्यमान पंचायतों की अवधि को 31 दिसम्बर, 1981 तक या अगले सामयिक सामान्य निर्वाचन के परिणामस्वरूप गठित होने वाली पंचायत की प्रथम बैठक....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : माफ करना, काहे में से पढ़ रहे हैं ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : जो आपने आब्जेक्ट पढ़े हैं। प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक, जो भी पहले थी, बढ़ा दिया जाना चाहिये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ठीक।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : यह 12 ए दिया है। यह सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसको 12 ए की संज्ञा दे दीजिये चाहे प्रोविजों की संज्ञा दे दीजिये। हमने 12 ए बढ़ाया है, इसको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिये बढ़ाया है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं जा सकते हैं।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : पूर्ववर्ती दिन किसको माना जाना चाहिये ? उसको माना जाना चाहिये जब पहली बैठक हो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वह नहीं है।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : पहली बैठक होती है उसमे उप सरपंच का चुनाव होता है या उप प्रधान का चुनाव होता है। उसमें उप-सरपंच के चुनाव में या उप प्रधान के चुनाव में जो लोग मत दे सकते हैं वह उसमें मत दे सकेंगे। यह स्पष्टीकरण इसके जरिये किया गया है और 12 ए वह 1959 के पंचायत समिति के एक्ट में है।

**श्री अध्यक्ष** : मैं निवेदन कर दूं।

**श्री सूर्यकुमार** : मुझे निवेदन करने का मौका दीजिये। मेरा संशोधन प्रस्ताव है। मेहरवानी करके....

**श्री अध्यक्ष** : विपक्ष के नेता।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप बोल लीजिये। मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत लाज (अमेंडमेंड) बिल, 1982 के उद्देश्य और कारण हैं उससे और भी स्थिति स्पष्ट होगी। "1981 के अध्यादेश संख्या 10 के प्रख्यापित हो जाने के पश्चात् कुछ रिट याचिकाएं दायर की गई थीं जिसमें राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 7, जिसके अन्तर्गत उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान पंचायतों के सम्बन्ध में पंचायतों की अवधि को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष किया गया था, में किये गये संशोधनों को लागू किये जाने पर आक्षेप किया गया था। अतः किसी शंका का समाधान करने के लिये राज्यपाल द्वारा 1 दिसम्बर 1981 को राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1981 प्रख्यापित किया था जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि विद्यमान पंचायतों की अवधि तीन वर्ष की होगी और सदैव से रही समझी जावेगी।"

उद्देश्य आपका पांच वर्ष से तीन वर्ष करना था। यह बतायें यह कोई अमेंडमेंट लाये हैं ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : वह तो दो आपको आर्डिनेन्स दिये हैं। एक्सटेंशन आफ टर्म अलग है। दोनों को एक किया है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** उद्देश्य तो एक है दोनों का ?

**श्री सूर्यकुमार :** विपक्ष के नेता महोदय ने जिन उद्देश्यों और कारणों का विवरण सबसे पहले पढ़कर सुनाया, वह राजस्थान पंचायत (एक्सटेंशन ग्राफ टर्म) बिल नम्बर वन ग्राफ 1982 है । जिन संशोधन प्रस्तावों पर ग्रभी सदन विचार कर रहा है वह इससे संबंधित नहीं है वह बिल नम्बर 3 ग्राफ 1982 से संबंधित है ।

जब माननीय विपक्ष के नेता ने बिल नम्बर वन एक्सटेंशन ग्राफ टर्म के गलत कारण पढ़कर सुना दिये, रेलेवेन्ट पढ़ कर नहीं सुनाये तो उसके बाद ग्रपने ग्रापको दुरुस्त करते हुए इसके ग्राखिरी पैरा बिल नम्बर 3 ग्राफ 1982, जिसके संशोधन प्रस्तावों पर सदन विचार कर रहा है, का ग्राखिरी पैरा पढ़कर सुनाया ।

जो उसका पहला पैरा है, उद्देश्य तथा कारणों के विवरण का उसको मैं सूचनार्थ पढ़कर ग्रर्ज कर सुना देता हूं । "पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों की पांच वर्ष की वर्तमान ग्रवधि काफी ग्रव्यवस्थाप्य थी । ग्रत: पंचायतों तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों की तीन वर्ष की ग्रवधि करने के पहले के उपबन्धों को प्रत्यावर्तित करने के लिये जिसमें एक वर्ष की वृद्धि की जा सके, राजस्थान पंचायत ग्रधिनियम, 1953 ग्रौर राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् ग्रधिनियम, 1959 में संशोधन करने का विनश्चय किया गया था । यह भी विनिश्चित किया गया था कि जून, 1979 (5 जून, 1979) से पहले के प्रधान ग्रौर प्रमुख के निर्वाचनों के निर्वाचक मंडल को पुनर्जीवित किया जाय जिससे प्रधान ग्रौर प्रमुख के निर्वाचक मंडलों को प्रधान के वर्तमान निर्वाचक मंडल में ग्राम सभा के निर्वाचित ग्रौर सहयुक्त पंचों ग्रौर ग्रध्यक्षों को सम्मिलित करके ग्रौर प्रमुख के वर्तमान निर्वाचक मंडल में विधान सभा सदस्यों, सरपंचों पंचायत समितियों के सहयुक्त ग्रौर निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित करके, बड़ा बनाया जा सके । ऐसा भ्रष्टाचार ग्रौर डरा धमकाकर दबाव डाले जा सकने की गुंजाइश की काफी हद तक समाप्त करने की दृष्टि से किया जाना था । प्रधान ग्रौर प्रमुख के पद का निर्वाचन लड़ने के लिये जून, 1979 (5 जून, 1979) से पूर्व की पात्रता को प्रत्यावर्तित करने के लिये भी संशोधन करने का विनिश्चय किया गया जिसमें पंचायत का कोई भी मतदाता ग्रौर खण्ड की ग्राम सभा का कोई भी सदस्य प्रधान का ग्रौर पंचायत, नगरपालिका का कोई भी मतदाता ग्रौर जिले की ग्राम सभा का सदस्य प्रमुख का निर्वाचन लड़ सके । इससे इन निर्वाचनों को लड़ने के लिये मतदाता के पास काफी ग्रधिक ग्रवसर रहेगा । इसके ग्रतिरिक्त पंचायत विधि के उपबन्धों में एकरूपता लाने के लिये कुछ ग्रन्य छोटे संशोधन ग्रावश्यक समझे गये थे ।

ग्रत: राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी ग्रौर चूंकि राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1981 में निर्वाचन करवाने का विनिश्चय कर लिया था, मामले में तुरन्त कार्यवाही ग्रपेक्षित थी ग्रत: राज्यपाल ने 15 ग्रक्टूबर, 1981 को राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) ग्रध्यादेश, 1981 (1981

(श्री सूर्यकुमार)

का अध्यादेश नं. 10) बनाया और प्रख्यापित किया।"

मेरा निवेदन यह है कि पंचायत समिति और जिला परिषदों का गठन किस प्रकार से पूरा किया जा सके और उनकी अवधि को घटाया बढ़ाया जा सके इन सभी के संबंध में विधेयक पेश किया गया है। यह केवल अवधि को कम करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके आगे भी है और इसका विवरण उद्देश्यों और कारणों में दिया हुआ है। इसलिये केवल यह कहना कि उद्देश्यों और कारणों की अवधि, परिधि में नहीं आती है, मैं समझता हूं, निराधार बात है इसलिये विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने जो आपत्ति प्रस्तुत की है उसको निरस्त किया जाय।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मेरी बात को और भी ठीक कर दिया, यह अच्छा हुआ, उन्होंने....

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : यह आपस की अदला-बदली चलती रहेगी क्या ?

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, उद्देश्यों और कारणों का विवरण माननीय सदस्य ने पढ़ा वह तो पर्पज थे, अब पर्पज आ गये आर्डिनेंस में इन शब्दों में– अत: राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी, चूंकि राज्य सरकार ने दिसम्बर में चुनाव करवाना निश्चित कर लिया था और मामले में तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता थी अत: राज्यपाल महोदय ने 15 अक्टूबर को अध्यादेश बनाया और प्रख्यापित किया। तो माननीय सदस्य ने जो पूरा पैराग्राफ पढ़ कर सुनाया उसका तो एक्शन हो गया और वह एक्शन आर्डिनेंस में आ गया। उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रही। आपने जो उद्देश्य और कारण बताये वह इसके हैं कि आर्डिनेन्स क्यों जारी किया है ? वह क्यों जारी किया गया ? इसका विवरण उद्देश्य और कारणों में दे दिया। लेकिन मेरा कहना बिलकुल डिफरेंट था इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य ने कहा ऐसी स्थिति नहीं है पहले भी इस प्रकार की कई बार व्यवस्थाएं हुई हैं कि इन्डिपेंडेंट क्लाजेज में अमेंण्डमेण्ड नहीं किया जाता जब तक कि उद्देश्यों और कारणों से किस प्रकार प्रभावित नहीं हो।

**श्री शीशराम श्रोला** : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति और जिला परिषदों का गठन कैसे हो, कौन कौन वोट देंगे वह तो है ही उसके साथ स्पष्टीकरण है कि नये पंच, सरपंच भी वोट देंगे। यह केवल स्पष्टीकरण है। संशोधन नहीं है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : संशोधन के लिये रूल 72(1) में लिखा है—

"An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the caluse to which it relates."

**श्री शीशराम श्रोला** : यह बिल का पार्ट ही नहीं है, केवल स्पष्टीकरण है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : आप देखिये एक्सप्लेनेशन है।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : तो भी वही

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
शकल आती है। यह जरूरी नहीं है। बिल का ड्राफ्टिंग हुआ है वह इसी तरह से है इसमें 12 (ए) एड कर दिया गया यह तो ड्राफ्टिंग का तरीका होता है।

**श्री अध्यक्ष** : विपक्ष के नेता महोदय ने आपत्ति की है कि माननीय सदस्य, सूर्य-कुमार ने एक नया संशोधन प्रस्ताव दिया है खण्ड 12 (ए) के रूप में। क्योंकि यह जो आर्डिनेंस राज्यपाल ने जारी किया था और इसके जो कारण उन्होंने दिये हैं उसकी परिधि के बाहर है इसलिये इस सभा को इस संबंध में परिधि के बाहर के किसी विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। यदि आप संविधान के आर्टिकल 213 को पढ़ें तो उसमें यह है कि राज्यपाल को आर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है। यदि विधान सभा सत्र में नहीं हो उसकी शर्त यह रखी गई है कि ऐसा कानून यदि विधान सभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके रद्द कर दिया जाए, तो रद्द समझा जायेगा अथवा विधान सभा मिलने के 6 सप्ताह बाद में वह स्वतः ही प्रभावहीन हो जायेगा। इसका मतलब यह है कि यदि सरकार चाहती है कि इस विषय पर या इस संबंध में कोई कानून बनाये रखे, तो एक कानून पास करना होगा यहां से। विधान सभा सत्र में नहीं थी तो आर्डिनेंस से काम चला लिया जाय उसके बाद नकार दिया जाय तो कैसे होगा और 6 सप्ताह के बाद में तो फिर कोई कानून पास नहीं होगा, स्वतः ही प्रभावहीन हो जायेगा। लेकिन नया एक्ट आता है या किसी एक्ट में संशोधन विधेयक के रूप में आता है तो उसका आर्डिनेंस से संबन्ध नहीं रहता है। उसमें ऐसी बाधा नहीं है कि नया कानून सब्सटीट्यूट करेगा आर्डिनेंस लेकिन वास्तव में वह कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है उसकी जगह उनको नया कानून बनाना होगा उस नये कानून के बनाने में कानून वैसा का वैसा बना है उसमें कुछ खामी, कमी नजर आ गई हो तो और भी प्रावधान रख सकते हैं। आपकी आपत्ति यही है?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह आपत्ति नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : यही आपत्ति है कि संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके आब्जेक्टस के अन्दर नहीं है। आपने आर्डिनेंस के कारण पढ़े लेकिन पंचायत एक्ट, पंचायत समिति जिला परिषद् इसका जो एक्ट है उसकी जो तजवीज देखें तो उसमें यह है कि सभी मुद्दे जिनसे इन संस्थाओं का ताल्लुक हो उसके संबंध में इस सभा को संपूर्ण अधिकार है कानून बनाने के।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अधिकार तो है लेकिन रूल्स से रेगूलेट होते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : हां, लेकिन इसमें मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यह जो अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है वह उसके स्कोप के बाहर नहीं है। बाध्य नहीं किया जा सकता कि जो कोई भी संशोधन माननीय सदस्य अथवा सरकार प्रस्तुत करना चाहती है उसके बाद में तो उसको भी पहले लिखना पड़ेगा। उसको यदि पहले लिखना आवश्यक होता तो फिर अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं होती। जो चीज पीछे बच जाती है और संशोधन सदस्य ठीक समझते हैं तो उसको

(श्री ग्रध्यक्ष)
बाद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वह होगा उसके दायर में चाहिये। अब संशोधन कर रहे हैं उसका सम्बन्ध पंचायत एक्ट से है। उसका संशोधन कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी खामी रह गई हो तो मैं समझता हूं कि सदन पूर्ण रूप से सक्षम है उसे करने में। इसलिये मैं ग्रापके व्यवस्था के प्रश्न को निरस्त करता हूं ग्रौर इस संशोधन को इसकी परिधि में मानता हूं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : ग्रध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह ग्रलग से संशोधन के रूप में जोड़ा जा रहा है। यदि इसको बिल के रूप में जोड़ा जाता तो हमें कोई ग्राब्जेक्शन नहीं होता।

**श्री ग्रध्यक्ष** : मैंने ग्रपने विवेक के ग्रनुसार ग्रपनी व्यवस्था दे दी।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : व्यवस्था से हमें कोई ग्राब्जेक्शन नहीं है। हमारा निवेदन करना यह है कि इस पर पुनर्विचार इसलिये ग्रावश्यक है कि हम डाइरेक्ट ग्रौर इन्डाइरेक्ट रूप से व्यवस्था में सुधार लाने जा रहे हैं एक बिल के रूप में....

**श्री ग्रध्यक्ष** : ग्राप कानूनी स्थिति का ग्रध्ययन कर लीजिये। ऐसा कई बार हुग्रा है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। ग्रार्डर प्लीज।

**विधेयक पर खण्डश: विचार**

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सूर्य कुमार ने प्रस्तुत किया है....

(व्यवधान)

मैंने व्यवस्था दे दी है, माननीय सदस्य।

**श्री नाथूसिंह** : ग्रध्यक्ष महोदय, यदि नया ग्रमेण्डमेण्ट दे सकते हैं तो डिलीट करने का हमें ग्रधिकार है।

**श्री ग्रध्यक्ष** : ग्रार्डर प्लीज।

कोई संशोधन हो तो संशोधन कायदे से दीजिये।

**श्री नाथूसिंह** : डिलीट करने का ग्रधिकार होना चाहिये। ग्रापने रूल्स में दे रखा है कि डिलीट के लिए ग्रमेण्डमेन्ट नहीं दिया जा सकता है।

**श्री ग्रध्यक्ष** : यह ग्रलग से प्रश्न है। ग्रार्डर।

**श्री नाथूसिंह** : ग्राप कहते हैं कि जोड़ने के लिये ग्रमेन्डमेन्ट दे सकते हैं।

**श्री ग्रध्यक्ष** : परिस्थितियां यदि ऐसी ग्रायेंगी तो इस बारे में व्यवस्था दूंगा। ग्रार्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 ए जोड़ने का जो संशोधन प्रस्ताव श्री सूर्य कुमार ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

नया खण्ड 8–ए जोड़ा गया।

खण्ड 9 से 13 कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 से 13 को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 9 से 13 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना. नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री।

**विधेयक का पारण**

**श्री शीशराम ओला** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1982 को संशोधित रूप में पारित किया जायं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, इसको पारित नहीं किया जायं क्योंकि यह केवल इस पर्पज से रखा गया है कि जिनके ऊपर प्रभाव होता था उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में जाकर अपील की है। तीन साल का पीरियड है वह आगे आने वाले इलेक्शन के लिये है। पीछे पांच साल का इलेक्शन हो गया उनके लिये नहीं है। इस पर्पज से लोग हाई कोर्ट में गये। इतना समय नहीं दिया। हाई कोर्ट ने गवर्नमेन्ट से जवाब मांगा और जवाब के वक्त ही वह समय आ गया, चुनाव हो गये। जो लोग हाई कोर्ट में गये इस पर्पज इस बात को लेकर कि पिछले चुनाव हो गये पांच साल के उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा और आगे आने वाले चुनाव तीन साल के लिये होंगे। यह आर्डिनेन्स इसलिये राज्यपाल महोदय ने निकाला है कि हाई कोर्ट में लोगों ने न्याय की मांग की है। इसको पास करने से उन लोगों के अधिकारों पर विपरीत असर होगा। डाइरेक्ट, इनडाइरेक्ट रूप में हम न्याय व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करेंगे। यह सदन न्याय की गरिमा के ऊपर एक चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मेरी यह मान्यता है कि इस सत्र के बाद निश्चित रूप से हमारी छवि धूमिल होगी, सरकार की छवि धूमिल होगी। अध्यक्ष महोदय, केवल सरकार की छवि ही नहीं धूमिल होगी, विधान सभा में जितने सारे सदस्य बैठे हैं, उसमें सम्मानीय आसन भी सम्मिलित है जिस पर आप विराजमान हैं, जो कानून के संबंध में बहुत........

**श्री अध्यक्ष** : हम तो आप के साथ रहेंगे।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : विस्तृत रूप से कानून को जानते हैं। कानून की रक्षा करते हैं। मैं समझता हूं कि कानून की रक्षा न करके, कानून के ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर चोट पहुँचा रहे हैं। इसको कदापि पारित नहीं करना चाहिए। हमको वापस लेना चाहिये। इससे हमारे न्याय का सम्मान होना चाहियें।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : अध्यक्ष महोदय, यह जो····

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में। माननीय सदस्य।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है, इसके पीछे यह उद्देश्य बताये गये हैं कि निर्वाचक मण्डल बड़ा होगा,

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)
भ्रष्टाचार मिटेगा, पंचायती राज पुनर्जीवित होगा, लेकिन यहां इस कानून के अन्तर्गत, इस आर्डिनेंस के अन्तर्गत जो पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, वह चुनाव इस बात के प्रतीक हैं कि पंचायती राज को दफना दिया गया है। यह चुनाव जिस उद्देश्य से कराये गये हैं, इन चुनावों से पंचायती राज कोई फलीभूत नहीं हुआ। इसके पीछे एक मन्तव्य था। पंचायती राज मंत्री नहीं चाहते थे कि चुनाव हों। लेकिन मुख्य मंत्री चाहते थे कि चुनाव हों। चुनाव क्यों हों? क्योंकि 85 विधायकों का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मंत्री से मिल कर आया था मुख्य मंत्री के खिलाफ। महंगाई बढ़ रही थी, उनका ध्यान उस तरफ से हटाने के लिए यह चुनाव कराये गये। जब सरपंच के चुनाव की अवधि 5 वर्ष की थी तो तीन वर्ष करने से कौन सा पंचायती राज की सफलता का नमूना पेश हो गया? पांच साल में चुनाव हो जाते तो कौन सी आफत आ रही थी? अब जहां 350 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है, उसमें चार करोड़ रुपया खर्च केवल इसलिये किया गया कि प्रधान मंत्री की निगाह में मुख्य मंत्री आना चाहते थे कि मेरी इमेज अच्छी है, जनता मेरे साथ है। एम. एल. ए. साथ नहीं हैं तो क्या हुआ? किन्तु जनता मेरे साथ है इसलिए इन सारे प्रभारी मंत्रियों को आदेश दे दिया कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर येन-केन-प्रकारेण सरपंच, प्रधान, प्रमुख को जिता कर लाओ। इसका उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि पंचायती राज का चुनाव कराने के लिए ही शराबबंदी हटाई गई। शराब की कोई पाबंदी नहीं है पंचायती राज में। केवल मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में मंत्री, माननीय विधि मंत्री कोटा के प्रभारी मंत्री थे, उनकी देखरेख में चुनाव हुए तो उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहा कि किसी प्रकार से सरपंच, प्रधान, जीतकर आने चाहिये, चाहे कितना ही पैसा खर्च किया जाय, चाहे कितने ही साधन काम में लिए जाय। इसका एक नमूना है। अध्यक्ष महोदय, घड़ोल ग्राम पंचायत है, आपने हाड़ौती क्षेत्र के, बारां के चावल खाये होंगे, जो घड़ोल में पैदा होते हैं, वह इसके लिये प्रसिद्ध हैं। ये घड़ोल में गये। वहां पर दो कांग्रेसी लड़ रहे थे। एक इनका प्रतिनिधि, एक दूसरे कांग्रेसी का प्रतिनिधि था। एक पंचायत में एक लाख रुपया खर्च हुआ सरपंच के चुनाव में। आपने एक मीटिंग बुलाई उस दिन शराब की कितनी बिक्री हुई यदि वहां के ठेकेदार से पूछा जाय तो पता लगेगा कि विधि मंत्री जी की देख रेख में कितनी शराब पिलाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां की आदिम जाति की महिलाओं को एक-एक साड़ी विधि मंत्री जी बांट कर आये हैं। यह चुनाव भ्रष्टाचार को हटाने के लिए हुआ है? यह चुनाव पंचायती राज को पुनर्जीवित करने के लिए हुआ है? किसी पंच को पैसा देकर खरीदा जा सकता था तो उसको पैसा देकर खरीदा गया और जो दबाव में आ सकता था उनको दबाव में लिया गया। बी. डी. ओ. को गांवों में भेजा गया। पंच, सरपंच को धमकाया गया। जो पुराने सरपंच खड़े हुए, विकास अधिकारी ने उनको जाकर कहा यदि तुमने कांग्रेस की खिलाफत की तो तुम्हारे खिलाफ भ्रष्टाचार का नोटिस दिलवाया जायेगा।

# Page No 152



(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

नोटिस इश्यू हुए हैं । इस प्रकार की कार्यवाही करके पंचायती राज को दफनाया गया है । इसको पुनर्जीवित नहीं किया गया । यह एक उदाहरण है इस प्रकार के अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे । जाति के प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया गया । उनको कहा गया तुम्हारी जाति का कल्याण इसी में है कि तुम हमारे साथ रहो । जिनके पुलिस में केस थे उनको धमकाया गया । जो नहीं माने....

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** : .... इस प्रकार की स्थिति पंचायती राज में बनी है । प्रधान के चुनाव में क्या हुआ ? जितनी महिलायें थीं उनको साड़ियां बांटी गई....

(व्यवधान)

आप व्याकुल मत होइये । यह आपके लिए भी घातक होगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनाव हुये उसके बाद सारे पंचों को, सरपंचों को पुष्कर ले गये और हरिद्वार ले गये । उनको पानी में खड़ा करके कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे । जिसने मना कर दिया उसको गाड़ी से उतारकर वहीं छोड़ दिया गया । उसके पास के सारे पैसे निकाल लिये गये जिससे कि वह समय पर न पहुंच सकें ।

अध्यक्ष महोदय, जितने भी अध्यक्ष बनाये गये बैंकों के, कोआपरेटिव बैंकों के, भूमि विकास बैंकों के और यू. आई. टी. के उनकी गाड़ियां दिसम्बर माह में कितनी चलीं । इस बात का हिसाब लगाया जाय तो यह पता लगेगा कि ये उस क्षेत्र में कहां कहां पर कितना कहां घूमे हैं ? इस प्रकार से जो पंचायती राज के जन्म की बात कही गई है उसके बजाय उसको दफनाया गया है । अब जो सरपंच ने पैसा दिया है वह उसको वसूल करेगा । उनको यह कहा गया है कि उन्होंने जितना पैसा खर्च किया है वे उसको वसूल करें, उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं होगी । जो पैसा गरीब लोगों के पास जाना चाहिए वह सरपंच के पास रहेगा । इस प्रकार से ये पंचायती राज को खोखला कर रहे हैं । इसलिए ही चुनाव हुए हैं इसलिए ही ये सारे अमेंडमेंड किये गये हैं । पांच साल के बजाय तीन साल का कार्यकाल किया गया है ।

**श्री अध्यक्ष** : लम्बा भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य, आप वही बातें दोहरा रहे हैं ।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : इसलिए यह दोहरा रहा हूं....

**श्री अध्यक्ष** : कोई कानूनी मसला हो कि इस तरह का कानून बनाया नहीं जा सकता है या संविधान के प्रतिकूल है अथवा कोई और बात हो पंचायतों के बारे में तो आप कभी भी बोल सकते हैं, गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर भी यही बात कही थी और आज भी यही बातें कही गई । अब बजट भाषण पर विचार होगा उस वक्त कह सकते हैं । कोई अभी कानूनी बात हो तो बताइये ।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : कानूनी बात ही है जो इसके मूल उद्देश्य हैं उनकी बात कर रहा हूं ।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

एक बात और कहना चाहता हूं कि जो बीकानेर में पंचायती राज सम्मेलन हुआ उसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : वह इस कानून के अन्तर्गत था ?

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** : यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके अन्तर्गत हमको बुलाया तक नहीं गया। जो टेलीग्राम और पत्र दिया गया वह हमको 31 तारीख को मिला है। वह पंचायती राज का सम्मेलन नहीं था, कांग्रेसी सम्मेलन था। इसलिए इस विधेयक में कानून विरुद्ध बातें कही गई हैं उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पारित न किया जाये।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय।

**श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष जी, मैं....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

**श्री शीशराम ओला** : माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं....

**श्री हंसराज शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर एक....

**श्री अध्यक्ष** : भाषण नहीं होंगे लम्बे-लम्बे, माननीय सदस्य।

**श्री हंसराज शर्मा** : मैं पुरानी बातें नहीं कहूंगा, माननीय अध्यक्ष।

**श्री शीशराम ओला** : यह कहा गया, अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनाव नहीं कराये जायें।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : पहले इच्छा व्यक्त कर देते तो मैं मौका दे देता लेकिन अब मैं मंत्री जी को पुकार चुका हूं।

**श्री हंसराज शर्मा** : छोटी सी बात है।

**सुश्री पुष्पा जैन** : हमारी भी तो सुनें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : समय जा रहा है।

**सुश्री पुष्पा जैन** : दो मिनट दे दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : दो मिनट दे रहा हूं, वह भी कानूनी मसले के लिये।

**सुश्री पुष्पा जैन** : हां सबको दो दो मिनट दे दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : सब को अलाउ नहीं करूंगा।

कानूनी खामी रह गयी हो तो वह बतायें।

**श्री हंसराज शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। पंचायतों के चुनाव हुए, इसमें पांच साल से घटाकर तीन साल का किया गया है, यह गलत किया गया है। यह चुनाव भयंकर बाढ़ और अकाल में हुये हैं और पैसे का दुरुपयोग किया गया है, इसमें तो दो राय नहीं है। यह कहना चाहूंगा कि जहां उन्होंने प्रधानों और प्रमुखों के चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, हर नगरपालिका और पंचायत क्षेत्र के लोगों

(श्री हंसराज शर्मा)

को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, नगरपालिक क्षेत्र हैं, उसमें आते है तो वहां के लोगों को चुनाव में खड़े होने देना उचित नहीं माना है। क्या वे हमारे राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं? जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के अहाते में निवास करते हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, यह उचित नहीं है। यह एक बहुत बड़ी कमी है। इस पर विचार करना चाहिए।

साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि ग्राम पंचायतों के जो कार्यालय चल रहे हैं उनमें कई कई में एक ही ग्रुप सचिव काम कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ वह व्यक्ति होता है जो कि 3-4 ग्राम पंचायतों का एक साथ होता है। सारे कागज या तो सैक्रेटरी की जेब में होते हैं या फिर घर में रहते हैं। पंचायतों की जो व्यवस्था चालू की है वह व्यवस्था इसके रहते तो नाम की व्यवस्था रहेगी। सरपंच के पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें यह होना चाहिए कि एक एक ग्रुप सचिव हर पंचायत में होना चाहिए ताकि विकास के काम के साथ निर्माण के कार्य हों, अध्यक्ष महोदय, दैनिक समस्याओं का समाधान करने के लिये वह पंचायत के सरपंच का बराबर सहयोग करता रहे।

साथ ही साथ इस संबंध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इनका कार्यकाल तीन साल कर दिया है तो तीन का अंक कांग्रेस के लिये शुभ है, कांग्रेस में तीन ही शब्द हैं, बच्चे पैदा करने का इनका नारा भी तीन का ही है, गेहूं भी ये तीन किलो ही देते हैं, और शक्कर भी ये तीन किलो ही देते हैं। इसलिये तीन साल का करना इनके लिये शुभ है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि पंचायती राज के अन्दर जो उन्होंने किया है, चुनावों के अन्दर मैंने देखा है, मेरे जिले की समस्या बताना चाहूंगा कांग्रेस की ही लड़ाई थी, कांग्रेस (आई) और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस (आई) की लड़ाई थी वहां पर पार्टीबाजी का कोई झगड़ा नहीं था। जिनको टिकट दिया था उनमें और जिनको टिकट नहीं दिया था उनमें....

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

**श्री हंसराज शर्मा** : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। भाषण समाप्त हुआ।

ऐसा है कि हम इसकी समय सीमा निर्धारित कर देते हैं। माननीय सदस्य 6 बजकर 20 मिनट तक अपनी बात कह सकेंगे उसके बाद तृतीय वाचन पर भाषण समाप्त समझा जायेगा। 6 बजकर 20 मिनट पर मंत्री का उत्तर होगा और उसके बाद में एक घंटा अधिक से अधिक अगले विधेयक को दिया जायेगा। उसके बाद में सभी आवश्यक प्रश्न पूछे जायेंगे।

**श्री हंसराज शर्मा** : अध्यक्ष महोदय,

(श्री हंसराज शर्मा)

साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि पंचायतों के चुनाव समाप्त हो गये, प्रधानों के चुनाव हुए, सत्तारूढ पार्टी की तरफ से इस प्रकार के लोगों को, ग्राम पंचायतों के लोगों को, सरपंचों को पंचायत समिति में मीटिंग के लिये बुलाया गया। मीटिंग के नाम पर बुलाया गया और सारा का सारा खर्च ग्राम पंचायतों ने किया। केवल मात्र अपने लोगों के फायदे के लिये वहां पर शपथ ग्रहण कराये बिना ही उन सब को बंद कर दिया गया। इस प्रकार से अपनी-अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों का खर्च बचाने के लिये, गांव गांव में प्रचार के लिये नहीं जाना पड़े इस कारण से पंचायतों के सरपंचों की मीटिंग बुलायी और उन मीटिंग्स में से ही उनका अपहरण कर लिया गया। मैंने यहां तक देखा कि सरपंचों को बड़ी बड़ी यात्राओं के लिये आश्वासन दिया और कह दिया कि यदि आपने हमारे हक में वोट नहीं दिया तो आप पहले सरपंच रह चुके हैं और काम के बदले अनाज की योजना के अन्तर्गत आप लोगों ने बहुत से काम किये हैं, गांव गांव में विकास के कार्य किये हैं, कहीं न कहीं आपके खिलाफ में किसी प्रकार की धारा लगा देंगे और आपको सस्पेंड कर देंगे। इस प्रकार से धमकी देने के बाद ही उनको वापस पंचायतों में जाने दिया गया और अपने पक्ष में मतदान कराया गया। इसी प्रकार से यह देखा गया कि जहां जहां पर पंचायतों के सरपंचों के केम्प लगे उन स्थानों पर पंचायतों के धन का उपयोग किया गया, दारू का उपयोग किया गया। इस प्रकार की अधिकारियों से शिकायत की, उनसे निवेदन किया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार से हमारी पंचायत समिति के चुनावों में राज्य सरकार ने अपने मनमाने तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग दिया और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। जितनी सरकारी गाड़ियां थीं, सहकारी समितियां और बैंक्स की थीं, पंचायत समिति की गाड़ियां थीं वह सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने अपने पास रखीं। जो अध्यक्ष थे, बैंक के अध्यक्ष थे उन्होंने उन गाड़ियों का दुरुपयोग किया, गांव गांव में गये, हर पंचायत समिति में गये और वहां पर जो सरपंच उनके पल्ले पड़ा उसको ले गये। उन लोगों को कह दिया गया कि आपको कांग्रेस (आई) की वजह से लिया गया है। यदि आपने प्रधानों के चुनाव में हमको वोट नहीं दिया, तो आपको हटा दिया जायेगा। पंचायतों के अन्दर शपथ ग्रहण करायी गयी उसके पहले ही, उस समय लोगों ने वोट दिया। जब तक सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको मतदान का अधिकार नहीं....

**श्री अध्यक्ष** : यहीं समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, आर्डर। स्थान ग्रहण करिये। आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय।

**श्री परसराम मदेरणा** (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रूल 86 के अन्तर्गत कहा है कि इसको रिजेक्ट किया जाय, मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने जनरल करैक्टर की बात कही है। चुनाव के सम्बन्ध में उन्होंने कोई एक भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की। उनका मुख्य मुद्दा

(श्री परसराम मदेरणा)

एक था कि सरपंचों और दूसरे लोगों को जो पंचायत समिति की मीटिंग बुलाई गयी उसमें ले गये और वहां ले जाकर के उनको रखा। दूसरी बात यह कही कि पंचायत समिति की गाड़ियों का दुरुपयोग किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि प्रधान ने चुनाव होने के बाद में सरपंचों से सम्पर्क किया हो, कहीं गया हो, तो निश्चित तौर पर उसको अधिकार है निर्वाचित होने के बाद में। लेकिन इस प्रकार का दुरुपयोग किया गया हो, इस प्रकार की राजस्थान के अन्दर कोई भी शिकायत राज्य सरकार के पास नहीं आयी। पंचायत समिति के चुनावों में 75 फीसदी मतदाताओं ने अपने मत देकर जिस तरह से पंचायती राज का ढांचा बनाया, उसका गठन किया यह अपने आप में एक बहुत अजीब घटना है राजस्थान के संसदीय लोकतंत्र की। इनको बहुत ही पराजय का मुंह देखना पड़ा इसलिए अब ये लोज हो गये हैं जगह जगह पर। मैं इसलिए यह निवेदन करूंगा कि कुछ विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी राजस्थान के अन्दर ग्राम मतदाताओं, असेंबली इलेक्शन से जिनकी संख्या ज्यादा थी, ने पंचायती राज का ढांचा खड़ा किया। यह निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने में सहायक होगा। जो भी कुछ सरकार ने चुनाव कराये, कोई भी सरकार हो इस वक्त में जब अकाल की स्थिति थी, दूसरी स्थिति थी, पंचायत समिति और जिला परिषदें दो ऐसी संस्थायें थीं जिनमें चुनाव की व्यवस्था मृतप्राय: सी थी उनको जीवित करना सरकार के लिए अपरिहार्य था इसलिए सरकार ने निर्णय लेकर चुनाव कराये। निर्णय लेने के पहले सरकार को कतई पता नहीं था कि जनता का फैसला किसके हक में जायेगा। जब वह फैसला कांग्रेस (आई) पार्टी के हक में चला गया तो कई प्रकार की छिछालेदारी की और बातें कही जा रही हैं, वह तथ्य नहीं है। इसलिए इस बिल को पारित किया जाये।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1982 को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1982 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

### राजस्थान पंचायत (अवधि का विस्तार) विधेयक, 1982

### परिनियत संकल्प

**श्री शोशराम ओला** (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : इसमें क्या बोलना है मामूली सा है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री कैलाश मेघवाल।

आप खड़े तो नहीं हुए थे।

**श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : आप बराबर बोलते जा रहे थे। आपने देखा ही नहीं।

**एक माननीय सदस्य** : सोचा कि आप हाजिरी ले रहे हैं।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सब चर्चाएं आ चुकीं और यह जो अवधि का विस्तार अध्यादेश है इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है अप्रत्यक्ष रूप से ।

**एक माननीय सदस्य** : बोखला गये ।

**श्री कैलाश मेघवाल** : बोखलाने की बात नहीं है । सरकार तो खुद बोखलाई हुई है । सरकार की कार्य पद्धति जिस तरह चल रही है उसका प्रकटीकरण तो इस अध्यादेश में होता है । सवाल यह है कि किस तरह का निर्णय लिया जाये । वैसे सरकार पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में कितनी गम्भीर है, राज्य सरकार पचायती राज संस्थाओं के बारे में कितना चिन्तन करती है और कहां कदम उठाने जाय, राज्य सरकार उसके कौन से पहलू को सोचती है या नहीं उसका उदाहरण यह अध्यादेश है । मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि क्योंकि पांच साल के लिए चुने गये थे । मान लीजिए कि राजनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक रूप से फायदा उठाने के लिए, जैसा मैंने निवेदन किया, पंचायती राज की व्यवस्था को तो राजनीतिक लीवर के रूप में ही बराबर काम में लेने की प्रवृत्ति कांग्रेस (आई) की रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, वैसे 1960 में नागौर में पंचायती राज का दीपक जलाया था उस समय जिला परिषदें बनीं, पंचायत समितियां बनीं, उसमें आर.ए.एस., आई.ए.एस. अधिकारी रखे गये थे । उसमें ग्रामीण समाज की प्रगति के जितने भी विषय हो सकते हैं, उनसे ग्रामीण प्रगति से सम्बन्धित कार्यवाहियां चालू हुईं लेकिन सत्ता का विकेन्द्रीकरण पसंद नहीं था इसलिए धीरे-धीरे वह शक्तियां हाथ में ली गईं, आपके आर.ए.एस. और आई.ए.एस. अधिकारी भी बदल गये । उसके बाद धीरे-धीरे पंचायती राज का ढांचा खोखला खड़ा कर दिया । इसके बावजूद क्या किया, एक अध्यादेश ले आये । उस अध्यादेश को रखते समय सारे राजस्थान में पांच साल के लिए जो चुनाव हुए, वह चुनावों की अवधि तीन साल कर रहे हैं । जब कि 3 साल और 8–9 महीने का काम हो चुका था लेकिन आपने संशोधन कर दिया और 3 साल का कर रहे हो । ग्राम पंचायतें 3 साल और 8 महीने से काम कर रही थीं । यह मान लिया जाय कि 5 साल के लिए चुने हुए हैं उनकी अवधि में कमी कर रहे हो । समाप्त कर रहे हो तो वह तो उसी समय समाप्त हो जानी चाहिए थी ।

15 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे 25 दिन तक किसी भी राज्य सरकार के अधिकारी या राज्य सरकार के मंत्री या किसी भी राज्य सरकार से सम्बन्धित व्यक्ति का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि 15 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक क्या पंचायतों की स्थिति रही है । इस सम्बन्ध में एक अध्यादेश लाये हो । ठीक है, बहुमत आपका है लेकिन मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व में निवेदन किया कि पंचायती राज के प्रति कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध नहीं है, पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए कांग्रेस सरकार काम नहीं करना चाहती है, साम्प्रदायिक भावना को फैलाना नहीं चाहती है, इसका प्रमाण है कि 25 दिनों तक

(श्री कैलाश मेघवाल)

राजस्थान में पंचायतों की क्या स्थिति थी, सरपंचों की क्या वैधानिक स्थिति रही इसके बारे में सोचने की फुरसत किसी को नहीं मिली। यह लोग तो दिल्ली आने जाने में और अपनी कुर्सी को जमाने में लगे थे। इस दृष्टि से सोच रहे थे कि राजस्थान में राजनीतिक संकट किस प्रकार टाला जाये और राजनीतिक जाजम कैसे बिछाई जाये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस शासन में पंचायती राज संस्थाओं के प्रति इतना उपेक्षित रवैया हो उसके द्वारा अध्यादेश जारी किया जाये यह उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है इस अध्यादेश को अस्वीकार करने के लिये मैं जो यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं–

"यह सदन श्रीमन राज्यपाल महोदय, द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत(अवधि का विस्तार) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1981) को अस्वीकार करता है।" इस संकल्प को स्वीकार किया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दाऊदयाल जोशी

**श्री दाऊदयाल जोशी (दौगोद) :** अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1982 इस सदन में लाया गया है, मेरा निवेदन करना है, इसमें लिखा है कि निर्वाचक मण्डल को पुनर्जीवित किया जाय जिससे प्रधान और प्रमुख के निर्वाचक मण्डलों को प्रधान के वर्तमान निर्वाचक मण्डल में ग्राम सभा के निर्वाचित और सहवृत पंचों और अध्यक्षों को सम्मिलित करके और प्रमुख के वर्तमान निर्वाचक मण्डल में विधान सभा सदस्यों, सरपंचों, पंचायत समितियों के सहवृत्त और निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित करके बड़ा बनाया जाय।" यह इसलिए बढ़ाया जाय कि पिछली बार हमने सीमित किया था और सीमित करने के बाद यह नियम तय किया था कि पंच और सरपंच वही बनेंगे जो ग्राम पंचायत के पंच होंगे।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** यह तो पास हो गया।

**श्री अध्यक्ष** : यह तो पास हो चुका पहले।

**श्री कैलाश मेघवाल** : पंचायती राज की बड़ी भ्रामक स्थिति हो रही है!

**श्री अध्यक्ष** : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह। मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

**श्री शीशराम ओला** : अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर एक ही बात श्री मेघवालजी ने फर्माई है कि पंचायत राज की योजना 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर से शुरू की गई उस समय विकास अधिकारी आई. ए. एस. और आर. ए. एस. लगाये गये। इससे कई बड़ी-बड़ी आशायें थीं लेकिन अब पंचायती राज को कमजोर कर दिया और केवल नाम ही रह गया है। मैं किसी हद तक उनसे सहमत हूं। पंचायती राज को पुनर्जीवित करने के लिए यह चुनाव करवाये, गये। चूंकि पंचायतों के चुनाव हो जाने से पूरे पंचायती राज के चुनाव नहीं हो जाते, जनता सरकार ने ग्राम पंचायतों के चुनाव

(श्री शीशराम ओला)

करवाये, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव नहीं करवाये। इसलिए पचायती राज के सम्पूर्ण चुनाव नहीं हुए और अधिकार देने की बात थी वह किसको दिये जाते, कौन इसका इस्तेमाल करता। आज पंचायती राज को पुनर्जीवित करने के लिये पंचायती राज के चुनाव करवाये। वह अलग अलग कराते तो असंगत हो जाता, सामान्य नहीं रहता इसलिए एक साथ तीनों इकाइयों ग्राम पंचायत, पचायत समितिय और जिला परिषदों के पंचायती राज को सक्षम करने के लिये चुनाव करवाये। मैं उम्मीद करता हूं कि गांवों के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण काम करेंगे और चुनाव करवायेंगे। इसलिए निवेदन है कि इस बिल को पारित किया जाय।

**श्री कैलाश मेघवाल** : एक का भी उत्तर नहीं दिया।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत (अवधि का विस्तार) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1981) को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

मन्त्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

**विधेयक पर विचार**

**श्री शीशराम ओला** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (अवधि का विस्तार) विधेयक 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : अध्यक्ष महोदय, यह जो मन्त्री महोदय ने कहा था, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, पंचायत चुनाव में—

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। मैं नाम पुकारता हूं जिन सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव आये हैं।

डाक्टर उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री वालचन्द्र आर्यवीर।

(अनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री जीतमल जैन।

(अनुपस्थित)

श्री हीरा लाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी।

(श्री अध्यक्ष)

श्री बंसीलाल पटवा।

(अनुपस्थित)

श्रीनाथू सिंह।

(अनुपस्थित)

**श्री महावीरप्रसाद जैन** (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था, अभी माननीय मन्त्री महोदय यह कह रहे थे कि....

**श्री अध्यक्ष** : अभी प्रस्ताव पारित ही नहीं किया तो बोलने की इजाजत कैसे दूंगा। तृतीय वाचन पर आपको अवसर दे दूंगा।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (अवधि का विस्तार) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

इसमें कोई संशोधन नहीं है। प्रभारी मन्त्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

**विधेयक का पारण**

**श्री शीशराम ओला** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (अवधि विस्तार) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 26 जिला प्रमुख और प्रधानों को जिताकर एक प्रकार से शेखी बघारने की बात की गई और विरोधी पक्ष पर एक प्रकार से आरोप लगाया गया कि खीझ के कारण इस प्रकार की बात कह रहे हैं। अगर हम ईमानदारी से देखने का प्रयत्न करें, पंच और सरपंच कौन जीते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, टौंक, निवाई। टौंक जिले की बात कह सकता हूं कि पंच और सरपंच ने बड़े-बड़े कांग्रेसियों को धराशायी कर दिया और विरोधी दलों के लोगों को जिता कर....

**श्री अध्यक्ष** : छोटे कांग्रेसियों से हुआ होगा।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : छोटे कांग्रेसियों से नहीं। भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी से धराशायी हुए थे परन्तु सत्ता के प्रभाव से, पैसे के प्रभाव से प्रमुख और प्रधान जिताये गये। सत्ता का एक प्रकार से दुरुपयोग किया गया। आपको ध्यान रहे, आम आदमी इसको कलंकित मानता है। इस प्रकार के प्रयासों से प्रधान बनाने से पंचायती राज सुदृढ़ नहीं होगा। वास्तविक ईमानदारी से सोचें और अध्ययन करें तो 60% विरोध के पंच और सरपंच जीत कर आये हैं केवल 30 और 33 पर्सेन्ट कांग्रेस के जीत कर आये हैं लेकिन....

(व्यवधान)

जिस प्रकार का सरकारी मशीनरी का, पैसे का और सत्ता का और पंचायत एक्ट की धारा 17(4) का डर बताकर पंच और

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सरपंच को भय दिखाया गया उसके बाद में जीत कर आये हैं इसको मैं बहुत सफलता नहीं मानता हूं। सफलता का जो भ्रम है, यह भ्रम आने वाले समय में चला जायेगा इसलिए इसके भरोसे नहीं रहें। इस भ्रम को दूर रखना चाहिये।

**श्री परसराम मदेरणा** : आप क्या चीज पारित करवा रहे हैं, विचारार्थ क्या चीज है ?

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सरकार को एक सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। तीन अध्यादेश विभिन्न तारीखों पर पहले आये। जो विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है एक आफिसियल अमेंडमेंट विधेयक में सत्ता पक्ष के सदस्य ने प्रस्तुत किया है। कोई भी स्थिति रही हो चुनाव हो गये, 4 करोड़ रुपये उन पर खर्च हो गये। मेरी मान्यता है, जो प्रमुख प्रश्न अमेंडमेंट के सम्बन्ध में उठे थे और कुछ प्रश्न अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाये हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि विधि मंत्री महोदय और पंचायत राज मंत्री महोदय अपने कानूनी सलाहकारों के साथ बैठकर सारे नियमों की प्रकृति और जो भावना हैं उन पर विचार करें, कहीं ऐसा न हो जिसके कारण राजस्थान का इतना रुपया जो हमने वेस्ट कर दिया, एक्सचेकर पर जो भार थोप दिया वह बेकार न हो जाय। और भी कुछ संशोधन करना हो, चाहे अध्यादेश द्वारा, विधान सभा द्वारा तब तक आप निश्चित रूप से ले लें। आप सेफ गार्ड करें। मैं विधि मंत्री और पंचायत मंत्री से यही निवेदन करता हूं।

(व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा** : यह बिल तो दूसरा है। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट जिस बिल पर दिया है। हाउस उस बिल को पास कर चुका है। इसलिये इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं, मशविरा दे रहा हूं, नेक सलाह देना चाहता हूं।

**श्री परसराम मदेरणा** : आपकी कोई विधिसंगत सलाह यदि हम सही भी मानने के लिये तैयार हो जायं, तो भी हाउस क्योंकि इस पर कन्सेन्ट दे चुका है इसलिये इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : मेरा यह निवेदन है कि इसके बावजूद भी उसमें यह स्थिति पैदा होगी, होनी चाहिये ऐसा मुझे लगता है इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं और सलाह दे रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : सलाह आपकी ठीक है, पंचायत प्रमुखों, सरपंचों के चुनावों पर काफी खर्चा हुआ है।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : काफी खर्चा हुआ है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

**श्री शीशराम ओला** : विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा है कि पंचायत के चुनाव में हमने सरपंचों को डरा धमका कर

(श्री शीशराम ओला)
वोट लिये हैं। 60 प्रतिशत सरपंच विरोधी पक्ष के जीते हैं। यह अपने आपमें एक मिसाल है, यह अपने आपमें जीती-जागती कहानी है, कितने-कितने जीते हैं, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं यही कहूंगा कि यह सब गलत है। पुलिस का रिकार्ड आप देख सकते हैं।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : पुलिस ने किताब तैयार कर रखी है। उन्होंने हर थाने में बुलाकर आदमियों से पूछा था कि तुम कौन सी पार्टी के हो, आप वह रिकार्ड देख लें तब आपको पता लग जायेगा कि हम 60–63 प्रतिशत से जीते हैं।

(व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा** : जैसे आप अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये हैं वैसे ही सरपंच अपने निर्वाचन क्षेत्र से आये हैं, वह अपने एरिया से निर्वाचित होकर आये हैं। वह पुलिस की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति था जिस पर मुकदमा चला था। मुकदमा निपटने के बाद जिलाधीश ने कहा आपको बुलाते हैं। वह बेचारा वोट कैसे दे। मुकदमा भी उस पर कुछ खास नहीं था। वह केवल....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : वह वापस आया कि नहीं, आप के पास....

(व्यवधान)

**श्री शीशराम ओला** : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि यह जो कहा गया है, यह गलत है कि हमने सरपंचों को डराया-धमकाया, पुलिस के माध्यम से उनको दबाया गया और बीकानेर में सब सरपंचों को नहीं बुलाया। सारी बातें सही नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि यह गलत है।

**श्री महाराम चौधरी** : जितने प्रतिशत जीते हैं वह तो ठीक हैं, लेकिन उसमें घुसपैठ कितनी होगी इसका आप खयाल करेंगे।

**श्री परसराम मदेरणा** : आपको यदि शंका है, तो जानकारी के लिये आपको जाना चाहिये था।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (अवधि का विस्तार) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत (अवधि का विस्तार) विधेयक, 1982 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 2 मार्च, 1982 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6·45 बजे मंगलवार दिनांक 2 मार्च, 1982 के म.पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

---

# परिशिष्ट 1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

**टोंक जिला मुख्यालय को रेल से जोड़ना**

163. **श्री महावीरप्रसाद जैन** (टोंक) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा टोंक जिला मुख्यालय को रेल से जोड़ने के सम्बन्ध में कोई प्रयास किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(2) वर्तमान में इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है ?

कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। समय समय पर रेल मंत्रालय को तथा राज्य के माननीय संसद सदस्यों को निवेदन किया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये प्रयास की जानकारी प्रश्न के भाग–1 के उत्तर में ऊपर दी जा चुकी है। रेल मंत्रालय से प्राप्त अंतिम उत्तर की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

---

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं 79/डब्ल्यू 4/सी एन एल/डब्ल्यू/37 दिनांक 23-9-80

सचिव,
राजस्थान सरकार
गृह विभाग,
जयपुर।

विषय :—टोंक को रेलवे लाइन से जोड़ना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर राज्य सरकार के पत्र सं. 6/5/होम–7/77/दिनांक 26-7-80 के सन्दर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय यातायात नीति समिति की रिपोर्ट समिति योजना आयोग के विचाराधीन है और उनकी सिफारिशों पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

भवदीय,
ह०
(जे० आर० दास)
कृते सचिव, निर्माण
रेलवे बोर्ड

**पुलिस थानों/चौकियों आदि पर उपलब्ध सुविधायें**

164. **श्री बंसीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा नगर के थानों में वर्ष 1980-81 व 1981-82 में विभिन्न, यथा बलात्कार, डकेती, चोरी, मारपीट आदि अपराधों में दर्ज किये गये मुकदमात का विवरण कृपया सदन के पटल पर रखें ।

(2) राज्य में कितने पुलिस थाने हैं, कितनी पुलिस चौकियां हैं व कितने डिप्टी एस.पी. केन्द्र हैं ? इनमें किन-किन स्थानों पर वायरलैस एवं टेलीफोन व्यवस्था है ?

(3) जनसंख्या के पैटर्न के अनुसार कितनी जनसंख्या पर एक चौकी व एक पुलिस थाना होना चाहिये ? उपरोक्त पैटर्न के अनुसार जितने थाने व पुलिस चौकियां हैं क्या वे पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) राजस्थान में कुल 563 पुलिस थाने हैं तथा 707 चौकियां एवं 117 डिप्टी एस. पी. केन्द्र हैं । इनमें से 545 थानों, 28 चौकियों एवं सभी डिप्टी एस. पी. को वायरलैस सुविधा उपलब्ध है । 300 थानों, 57 चौकियों एवं 93 वृत्त कार्यालयों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है ।

(3) आल इण्डिया नार्म्स के अनुसार क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं अपराध संख्या पर थाने व चौकी की स्थापना की जाती है । मौजूदा थानों व चौकी की नफरी लगभग उक्त पैटर्न अनुसार है ।

पुलिस थाना कोतवाली भीलवाड़ा में वर्ष 80–81 एवं 81–82 में पंजीकृत बलात्कार, डकेती चोरी आदि की घटनाओं के अभियोगों का मानचित्र

| जुर्म | पंजीकृत अभियोगों की संख्या 1980–81 (दिनांक 1-4-80 से 31-3-81 तक | 1981–82 (दिनांक 1-4-81 से 19-2-82 तक) |
|---|---|---|
| (1) बलात्कार | 2 | 2 |
| (2) डकेती | – | – |
| (3) चोरी | 166 | 146 |
| (4) मारपीट | 26 | 28 |
| योग | 194 | 176 |

**जयपुर के बाजारों में दुकानों के बरामदों को खाली कराने की दिशा में कार्यवाही**

165. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर), **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) व **श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह** (गुढा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार जयपुर के बाजारों में दुकानों के बरामदों को खाली करायेगी ?

(2) यदि हां, तो यह निर्णय कब और किस स्तर पर लिया गया ?

(3) क्या उक्त आशय का 24 घंटे में बरामदे खाली कराने का नोटिस दुकानदारों को दिया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या बरामदे खाली करा लिये गये हैं ? कृपया अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार की राज्य में अन्यत्र भी कहीं की दुकानों के बरामदे खाली कराने की योजना है ?

(6) क्या यह सही है कि जिस स्थान पर बरामदे बने हुए हैं उस स्थान पर पूर्व में टीन शैड या त्रिपाल लगा हुआ था और वहां बैठ कर दुकानदारी की जाती थी ?

(7) क्या यह भी सही है कि कई दुकानदारों द्वारा बरामदे सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवस्थान, पुनर्वास विभाग व नगर परिषद् से खरीद लिये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार की इनके सम्बन्ध में क्या नीति है ?

(8) बरामदों को खाली करवाने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां ।

(2) यह निर्णय सितम्बर, 1981 में राज्य सरकार द्वारा लिया गया ।

(3) जी हां । माह अक्टूबर, 1981 से नोटिस देने प्रारम्भ किये गये ।

(4) जी नहीं ।

(5) अभी तक ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(6) जी हां । टीन शैड व त्रिपाल लगे हुये थे, परन्तु वहां बैठ कर दुकानदारी नहीं की जाती थी ।

(7) देवस्थान, पुनर्वास विभाग व नगर परिषद् द्वारा दुकानदारों को बरामदे नहीं बेचे गये । सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी दुकानों के बरामदों की भूमि की कीमत इस शर्त पर वसूल की है कि दुकानदार बरामदे का उपयोग स्थानीय कानून एवं नियमों के अनुसार करेंगे । सरकार की नीति बरामदों को खुला रखने की है ।

(8) बरामदे खाली करवाना एक बड़ी समस्या है । इसमें समय लगना सम्भव है ।

# Page No 166



**1980-81 में वृक्षारोपण कार्य**

167. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 में पेड़ लगाने का विशेष पखवाड़ा मनाया गया था ? यदि हां, तो राज्य में कुल कितने पेड़ लगाने की योजना थी, उनमें से कितने पेड़ लग चुके हैं और किस-किस जिले में कितनी संख्या में पेड़ लग चुके हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जितने पेड़ लगाने की घोषणा हुई उसके अनुकूल कार्य नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 में उक्त प्रयोजन हेतु आवंटित राशि खर्च नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1980-81 में पेड़ लगाने का विशेष पखवाड़ा नहीं मनाया गया था । इस वर्ष राज्य में कुल 180 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था जिसमें से 150 लाख पौधे वन विभाग द्वारा तथा 30 लाख पौधे जन सहयोग से लगाये जाने थे । इन लक्ष्यों के विरुद्ध वन विभाग द्वारा 156 लाख पौधे रोपित किये गये तथा निजी काश्तकारों, संस्थाओं एवं अन्य विभागों द्वारा रोपित करने के लिए 24 लाख पौधे वितरित किये गये । जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) इस प्रयोजन हेतु आवंटित राशि व्यय हो चुकी है ।

---

वर्ष 1980–81 में वन विभाग द्वारा रोपित पौधों की संख्या की जिलावार सूची

| नाम जिला | विभाग द्वारा रोपित पौधे |
|---|---|
| 1. उदयपुर | 8,25,894 |
| 2. चित्तौड़गढ़ | 6,74,340 |
| 3. बांसवाड़ा | 7,07,600 |
| 4. डूंगरपुर | 9,42,716 |
| 5. सिरोही | 6,01,780 |
| 6. भीलवाड़ा | 1,06,300 |
| 7. झालावाड़ | 4,29,649 |
| 8. कोटा | 1,81,397 |
| 9. बून्दी | 95,318 |
| 10. टोंक | 1,65,600 |
| 11. सवाई माधोपुर | 2,61,000 |
| 12. जयपुर | 4,97,000 |
| 13. भरतपुर | 3,17,000 |
| 14. अजमेर | 4,56,000 |
| 15. अलवर | 2,12,000 |
| 16. सीकर | 2,80,000 |
| 17. झुन्झुनू | 4,00,000 |
| 18. चूरू | 2,75,000 |
| 19. बीकानेर | 43,40,000 |
| 20. श्रीगंगानगर | 25,22,000 |
| 21. जोधपुर | 2,83,400 |
| 22. नागौर | 2,20,000 |
| 23. पाली | 2,30,000 |
| 24. जालौर | 3,87,500 |
| 25. बाड़मेर | 1,60,000 |
| 26. जैसलमेर | 70,000 |
| कुल योग :- | 1,45,60,1,694 |

वर्ष 1980–81 में कृषि वानिकी के अन्तर्गत निजी व्यक्तियों एवं अन्य विभागों को वितरित पौधों की जिलेवार सूची

| क्रम संख्या | नाम जिला | कृषि वानिकी के अन्तर्गत निजी व्यक्तियों एवं अन्य विभागों को वितरित पौधे |
|---|---|---|
| 1. | उदयपुर | 20,000 |
| 2. | चित्तौड़गढ़ | 20,000 |
| 3. | बांसवाड़ा | 20,000 |
| 4. | डूंगरपुर | 20,000 |
| 5. | सवाईमाधोपुर | 1,00,000 |
| 6. | जयपुर | 1,50,000 |
| 7. | भरतपुर | 1,00,000 |
| 8. | अजमेर | 1,00,000 |
| 9. | अलवर | 1,00,000 |
| 10. | सीकर | 1,00,000 |
| 11. | झुन्झुनू | 1,00,000 |
| 12. | चूरू | 50,000 |
| 13. | बीकानेर | 5,00,000 |
| 14. | श्रीगंगानगर | 5,73,000 |
| 15. | जोधपुर | 75,000 |
| 16. | नागौर | 1,52,000 |
| 17. | पाली | 1,00,000 |
| 18. | जालौर | 50,000 |
| 19. | बाड़मेर | 45,000 |
| 20. | जैसलमेर | 5,000 |
| | योग | 24,00,000 |

### जिला सवाई माधोपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण

**168. श्री हंसराज शर्मा** (सवाईमाधोपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 2 वर्षों में सवाई माधोपुर जिले के कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया है ?

(2) जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक कितने ग्रामों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य था ? क्या लक्ष्य पूर्ण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और कितने गांव विद्युतीकरण से वंचित रहे ?

(3) जिला सवाई माधोपुर में सन् 1982 में कितने ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है ?

(4) सन् 1982 में अब तक जिला सवाई माधोपुर में कृषि, घरेलू और व्यावसायिक कितने कनेक्शन दिये गये हैं और कितने मामले डिमाण्ड नोटिस जमा होने के बाद विचाराधीन पड़े हैं ?

#### उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में गत दो वर्षों में 125 ग्रामों का विद्युतीकरण विभिन्न योजनाओं में किया गया है।

(2) लक्ष्य वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। माह अप्रेल, 1981 से माह मार्च, 1982 के जिलेवार लक्ष्यों के अनुसार सवाई माधोपुर जिले में 52 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। 13 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा शेष गांवों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

(3) वर्ष 1982–83 के लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(4) सन् 1982 के माह जनवरी में जिला सवाई माधोपुर में दिये गये विद्युत कनेक्शनों एवं डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा होने के पश्चात् विचाराधीन मामलों का विवरण निम्न प्रकार है :—

| | माह जनवरी में दिये गये कनेक्शनों की संख्या | डिमांड नोटिस की राशि जमा होने के पश्चात् पेंडिंग मामलों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. कृषि कनेक्शन | 108 | 287 |
| 2. औद्योगिक कनेक्शन | 8 | 35 |
| 3. घरेलू व अन्य | 418 | 617 |

### तहसील बहरोड़ के ग्राम रायसराणा और मांढ़न में माध्यमिक विद्यालय खोलना

**169. श्री सुजानसिंह यादव** (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार आगामी शिक्षा सत्र में ग्राम रायसराणा में माध्यमिक विद्यालय (छात्र) और ग्राम मांढ़न, तहसील बहरोड़ में माध्यमिक विद्यालय (बालिका) खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

सत्र 1982–83 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रायसराणा तथा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मांढ़न तहसील बहरोड़ को राजकीय माध्यमिक में क्रमोन्नत करने हेतु राज्य सरकार उपलब्ध वित्तीय साधनों, भवन व्यवस्था आदि को दृष्टि में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

**तहसील फागी के ग्राम पहाड़िया तक निगम की बसें चलाना**

170. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार तहसील फागी के ग्राम पहाड़िया तक परिवहन निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो निगम की बसें कब तक जयपुर से सांगानेर, रेनवालमाजी व पहाड़िया तक प्रारम्भ कर दी जावेंगी ?

(2) जो गांव डामर की सड़क से जोड़ दिये गये हैं क्या सरकार उन गांवों तक परिवहन निगम की बसें चलाने का शीघ्र निर्णय लेगी ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में परिवहन निगम के पास जो गांव डामर सड़क से जोड़ दिये गये हैं उन मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

**विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र चौहटन (बाड़मेर) में वनों की कटाई पर रोक**

171. **श्री भगवानदास डोसी** (चौहटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र चौहटन में वनों की अनवरत कटाई हो रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि रोहीड़ा, जो एक कीमती इमारती लकड़ी है उसकी कटाई बेरोकटोक की जा रही है ?

(3) राज्य सरकार वनों की कटाई को रोके जाने हेतु क्या कारगर कदम उठाने जा रही है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र चौहटन में कोई आरक्षित अथवा रक्षित वन क्षेत्र नहीं है। यदा कदा कहीं-कहीं स्थानीय व्यक्तियों द्वारा नगण्य संख्या में वृक्ष काटे भी गए हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

(2) चौहटन विधान सभा क्षेत्र में वन क्षेत्र नहीं होने के कारण रोहिड़े की कटाई का संबंध वन विभाग से नहीं है।

(3) वन क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए वन रक्षक एवं वनपाल नियुक्त किये हुए हैं। स्थानीय स्टाफ के अतिरिक्त चैकिंग हेतु उड़न दस्तों का भी गठन किया हुआ है जो अवैध कटान की चैकिंग कर, कटान पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हैं।

**तहसील बौंली में मिचपुरा से पीपल्दा तक सड़क निर्माण**

172. **श्री कुन्जी लाल** (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार का तहसील बौंली में मिचपुरा से पीपल्दा तक सड़क बनाने का इरादा है ? यदि हां, तो अब तक अकाल राहत विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कितना रुपया इस हेतु व्यय किया गया है ?

**उत्तर**

तहसील बौंली में मिचपुरा से पीपल्दा सड़क बनाने की योजना विचाराधीन नहीं है। अकाल राहत एवं फ्रेश कार्यों के अन्तर्गत इस सड़क पर 2.64 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

**मालवीय नगर योजना में नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा भू-खण्ड आवंटन**

173. **श्रीमती उंजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा मालवीय नगर योजना में राज्य के निवासियों को भू-खण्ड आवंटन हेतु 15 जनवरी, 1980 तक आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए गए थे ? यदि हां, तो वर्गशः किन-किन व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि 216.66 वर्ग गज के भू-खण्ड आवंटियों के पास आज तक आवंटन-पत्र न्यास कार्यालय द्वारा नहीं भेजे गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार कब तक भू-खण्ड आवंटित व्यक्तियों को आवंटन-पत्र जारी करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि 216.66 वर्ग गज के भू-खण्ड संख्या में, आवेदनकर्ताओं से अधिक थे लेकिन नगर विकास न्यास के कर्मचारियों द्वारा, जो कि आय वर्ग बदलने के योग्य नहीं थे, आय वर्ग बदलने के कारण भू-खण्ड संख्या में कम रह गए जिसके कारण 13 आवेदनकर्ता भू-खण्ड प्राप्त करने से रह गए ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों को आय वर्ग बदलने की अनुमति क्यों दी गई ? यदि दी गई, तो किस आधार पर ?

(4) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने न्यास कर्मचारियों को नियम विरुद्ध आय वर्ग बदलने की अनुमति दी ?

**उत्तर**

(1) मालवीय नगर योजना में राजस्थान के निवासियों को भू-खण्ड आवंटन हेतु नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे जिसकी अन्तिम तिथि 15 जनवरी, 1980 से बढ़ा कर 30 जनवरी, 1980 कर दी गई थी। आवंटित व्यक्तियों को सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण नहीं भेजे गये हैं।

(नगर आयोजना मंत्री)

स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात् आवंटन पत्र जारी किये जा सकेंगे ।

(3) जी नहीं । आवेदनकर्ता अधिक तथा भू-खण्ड कम थे । आवेदकों की जांच पश्चात् आय प्रमाण-पत्रों के आधार पर आय वर्ग में परिवर्तन हुआ । 216.66 वर्ग गज के भू-खण्डों के आय वर्ग हेतु 458 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, परन्तु इस वर्ग में बाद जांच अन्य वर्गों से 20 आवेदन पत्र और सम्मिलित किये गये । इस प्रकार आवेदन पत्रों की कुल संख्या 478 हो गई । इनकी जांच किये जाने पर केवल 373 आवेदन पत्र ही सही पाये गये । इनमें से केन्द्रीय कर्मचारी/राज्य कर्मचारी तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के 358 आवेदन थे परन्तु इनके लिए केवल 345 भू-खण्ड ही उपलब्ध थे, जिनकी लाटरी निकाल दी गई । चूंकि आय वर्ग नियमानुसार बाद जांच परिवर्तित किये गये थे इसलिए ही 13 आवेदक भू-खण्ड प्राप्त करने से वंचित रह गये ।

(4) आय वर्ग में परिवर्तन नियमानुसार हुआ था, इसलिए किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

**जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में अध्ययनरत बिहार के विद्यार्थी की मृत्यु की जांच**

174. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) एवं **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में अध्ययनरत बिहार के किसी विद्यार्थी की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई थी ? क्या राज्य सरकार ने इस हेतु विद्यार्थियों के आग्रह पर मृत्यु के कारण की जांच हेतु कोई समिति गठित की थी ? यदि हां, तो उस समिति को कब तक रिपोर्ट देनी थी ?

(2) क्या मृत्यु की विस्तृत जानकारी संस्थान ने प्राप्त की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में संस्थान के किसी अधिकारी को जांच हेतु भी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उसने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या मृत छात्र के परिजनों ने राज्य सरकार से इस संबंध में कोई मांग की है ? यदि हां, तो क्या ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं । दिनांक 13–12–81 को बिहार राज्य के हरीप्रसाद विद्यार्थी, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में अध्ययनरत था, की मृत्यु सवाई मानसिंह अस्पताल में बीमारी के कारण हुई थी । विद्यार्थियों के आग्रह पर राज्य सरकार द्वारा मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए डा. एस. एस. माथुर की एक सदस्यीय समिति गठित की गई थी जिसको दो सप्ताह में रिपोर्ट देने के आदेश थे ।

(2) जी नहीं । क्योंकि छात्रों की मांग थी कि संस्थान के अधिकारियों के अलावा

(गृह मंत्री)

किसी अन्य अधिकारी से जांच कराई जावे।

(3) जी नहीं।

**आत्महत्या के मामले**

175. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रैल, 1980 से अब तक राज्य में कितने आत्महत्या के मामले प्रकाश में आये हैं ? इनमें से कितनी नव-विवाहिता महिलाओं के हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन आत्महत्याओं के प्रमुख कारण क्या रहे हैं तथा इसके उपचार हेतु सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

**उत्तर**

(1) इस अवधि में आत्महत्या के 1138 मामले प्रकाश में आये हैं जिनमें से 124 मामले नव-विवाहिता महिलाओं द्वारा आत्महत्या के हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अन्वेषण के दौरान अधिकतर आत्महत्यायें गृह-कलह, मन-मुटाव, बीमारी व पागलपन व मानसिक असन्तुलन के कारण होना पाया गया है। सामाजिक चेतना ही इसका प्रमुख उपचार है।

| क्र. सं. | नाम जिला | कुल आत्महत्या के मामले | नव-विवाहित महिलाओं के द्वारा आत्महत्या के मामले |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | जयपुर | 123 | 12 |
| 2. | अजमेर | 21 | 5 |
| 3. | अलवर | 128 | 19 |
| 4. | भरतपुर | 54 | 4 |
| 5. | सवाई माधोपुर | 2 | — |
| 6. | टोंक | 5 | — |
| 7. | बूंदी | 11 | — |
| 8. | कोटा | 39 | 3 |
| 9. | झालावाड़ | — | — |
| 10. | जोधपुर | 85 | 3 |
| 11. | जालौर | 61 | 21 |
| 12. | नागौर | 50 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | पाली | 10 | - |
| 14. | बाड़मेर | 42 | 6 |
| 15. | जैसलमेर | 6 | 3 |
| 16. | सिरोही | 49 | 13 |
| 17. | बीकानेर | 49 | - |
| 18. | गंगानगर | 110 | 12 |
| 19. | सीकर | 22 | 3 |
| 20. | झुन्झुनू | 76 | 1 |
| 21. | चूरू | 82 | 16 |
| 22. | उदयपुर | 63 | - |
| 23. | भीलवाड़ा | 14 | - |
| 24. | बांसवाड़ा | - | - |
| 25. | डूंगरपुर | 17 | - |
| 26. | चित्तौड़गढ़ | 19 | - |
| | | 1138 | 124 |

**तहसील नागौर में अकृषि भूमि पर काबिज किसानों के प्रकरणों का नियमन**

176. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव की आबादी भूमि के पास की अकृषि भूमि पर किसानों के कब्जे किये हुए हैं और हर साल सरकार उन्हें हटाने का नोटिस देती है ? यदि हां, तो तहसीलदार नागौर द्वारा किन-किन गांवों के काश्तकारों को नोटिस दिया हुआ है ?

(2) क्या यह सत्य है कि नागौर तहसील के ग्राम टांकला की ढाणियों के किसानों, जो पीढ़ियों से बसे हुए हैं, को बाड़े एवं मकान हटाने का नोटिस दिया हुआ है ? यदि हां, तो नाम एवं वर्ष, जबसे ऐसे नोटिस दिये जा रहे हैं, का ब्यौरा कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने ऐसे मामले नियमित करने के आदेश प्रसारित किये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक करने का विचार है ?

**उत्तर**

(1) राजकीय भूमि सिवाय चक पर अतिक्रमण होने पर अतिक्रमियों के विरुद्ध तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(श्री राजस्व मंत्री)

(2) ग्राम टांकला तह० नागौर के किसानों को जबसे नोटिस दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) दिनांक 1-7-75 तक किये गये अतिक्रमणों (मकान व बाड़ों) को नियमन करने के निर्देश जारी किये हुए हैं।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. अणदा मक पि० पूना जाट | संवत 2023 से 2026 | सं० 2031 से | 2034 तक |
| 2. गोपा रुघा पि०, खुमाजाट | ,, | ,, | 2036 |
| 3. लाखा पि० गिरधरा जाट | ,, | ,, | ,, |
| 4. घारु राम सुख जाट | ,, | ,, | ,, |
| 5. मेघा बगसा जाट | ,, | ,, | ,, |
| 6. खेराज स्वरूप रामजाट | ,, | ,, | ,, |
| 7. पदमा गिरधारी जाट | ,, | ,, | ,, |
| 8. तिलोक गिरावरी जाट | 2036–2037 | ,, | ,, |
| 9. नथा बक्सा जाट | ,, | | |
| 10. प्रभु गिराधारा | ,, | | |
| 11. डूंगर राम स्वरूपराम | ,, | | |
| 12. आशा जेठा | ,, | | |

**रेगिस्तानी क्षेत्र की आबादी की सुविधार्थ कम दूरी पर नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलना**

177. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडा-मालानी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982-83 में कितनी आबादी वाले ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे ?

(2) 400 से अधिक की आबादी वाले कितने ग्रामों में अभी तक प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार वर्ष 1982-83 में ऐसे रेगिस्तानी इलाके के लिए, जहां की आबादी अपने अपने खेतों में, ढाणियों में बिखरी हुई रहती है, ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है जिससे बच्चों को अधिक से अधिक 5 किलोमीटर से अधिक दूर प्राथमिक शिक्षा हेतु नहीं जाना पड़े ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) जी हां । वर्ष 82–83 में उपलब्ध वित्तीय साधनों को दृष्टि में रखते हुए राज्य

(शिक्षा मंत्री)

सरकार 400 से अधिक की आबादी वाले गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के बारे में विचार करेगी।

(2) राजस्थान में 400 से अधिक की आबादी वाले 23 गांव ऐसे हैं जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं।

(3) वर्ष 82–83 में राज्य सरकार रेगिस्तानी व पहाड़ी क्षेत्रों में उपलब्ध साधनों, क्षेत्र की आवश्यकताओं, भवन व्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए नये विद्यालय खोलने हेतु विचार करेगी।

**राज्य के नगरों के लिये विकास प्राधिकरण**

179. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के किन किन नगरों में विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है ? इन प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाकर विकास प्राधिकरण गठित कर दिये जायेंगे ?

(2) कृपया इन विकास प्राधिकरणों के स्वरूप, कर्त्तव्य, अधिकार आदि की प्रस्तावित रूपरेखा सदन की मेज पर रखे।

**उत्तर**

(1) राजस्थान में जयपुर नगर के विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय ले लिया गया है व इसके लिए कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है। सरकार का विचार कुछ अन्य नगरों में भी विकास प्राधिकरण बनाने का है। यद्यपि इस बाबत अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

(2) रूपरेखा विचाराधीन है अतः सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**जसवन्तपुरा (रानीवाड़ा) में समाज कल्याण विभाग का छात्रावास खोला जाना**

181. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रानीवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास है ? यदि नहीं, तो क्या अनुसूचित जाति व जन जाति की संख्या व पिछड़े क्षेत्र को देखते हुए छात्रावास खोलने का सरकार का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या समाज कल्याण छात्रावास जसवन्तपुरा रानीवाड़ा में खोलने के लिये आवेदन-पत्र विभाग के पास आया है ? यदि हां, तो उस पर क्या विचार हुआ ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। वित्तीय साधनों की सीमाओं के कारण निकट भविष्य में नया छात्रावास खोलना संभव नहीं है।

(2) जी हां। धनाभाव के कारण छात्रावास खोलना संभव नहीं है।

**जमवा रामगढ़ बांध के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में वृक्षारोपण**

182. **श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवा-रामगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जयपुर के निकट जमवारामगढ़ बांध के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों को वन विभाग के अन्तर्गत पेड़ों से आच्छादित कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पहाड़ी हेतु सघन वृक्षारोपण की योजना बनाने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

जयपुर के निकट जमवारामगढ़ बांध के आस-पास पहाड़ी क्षेत्रों को पेड़ों से आच्छादित करने के लिए कोई विशेष योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नही है। लेकिन वहां वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य कराया जा रहा है।

**जिला जयपुर में कमी वाले क्षत्रों को चारा उपलब्ध कराना**

183. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर में कहां कहां चारे की कमी है और इसके लिये राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये और उठा रही है ?

(2) आमेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में चारा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार ने कहां कहां किस तरह की व्यवस्था कायम की है और वहां किस दर पर चारा उपलब्ध हो रहा है ?

**उत्तर**

(1) जयपुर जिले में बाजार भाव पर पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध है। अतः राज्य सरकार के स्तर से चारे की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(2) चूंकि पर्याप्त मात्रा में चारा बाजार में उपलब्ध हो रहा है, अतः राज्य सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र आमेर में चारा उपलब्ध कराने हेतु कोई व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता नहीं रहती।

**जिला अजमेर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करना**

184. **श्री केसरीचन्द चौधरी** (किशनगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार द्वारा जिला अजमेर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

**उत्तर**

राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

**राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर एवं दहलाला (चाकसू) में अध्यापकों की कमी**

185. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर एवं देहलाला पंचयात समिति चाकसू (जयपुर) में छात्र संख्या के अनुपात में गत सत्र से अध्यापकों की कमी चली आ रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर में छात्र संख्या व अध्यापकों की संख्या क्या है ?

(3) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देहलाला में छात्र संख्या व अध्यापकों की संख्या क्या है ?

**उत्तर**

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर में एक तृतीय वेतन शृंखला अध्यापक की तथा देहलाला में दो तृतीय वेतन शृंखला अध्यापकों की कमी थी। इन पदों को भरने के लिये जिला शिक्षा अधिकारी, (द्वितीय) जयपुर ने आदेश दिनांक 7-11-81 एवं 24-12-81 के दुबारा नियुक्ति आदेश जारी किये, किन्तु अभ्यर्थियों ने कार्यभार नहीं संभाला। उक्त पदों को भरने के लिये दिनांक 15-2-82 को पुन: आदेश जारी कर दिये गये हैं और यह संभावना है कि कर्मचारी अपना कार्यभार संभाल लेंगे।

(2) छात्रों की संख्या 172, कार्यरत अध्यापकों की संख्या 5 अध्यापक एवं एक प्रधानाध्यापक।

(3) देहलाल में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, किन्तु राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसकी सूचना निम्न प्रकार है :—

छात्रों की संख्या 215
कार्यरत अध्यापकों की संख्या
5 एवं एक प्रधानाध्यापक।

**बालोतरा के समीप लूनी नदी पर पुल**

186. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा के समीप लूनी नदी पर पुल बनाने का सर्वे माह नवम्बर और दिसम्बर, 1981 में पूरा कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या इस नदी पर पुल बनाया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) बालोतरा के समीप लूनी नदी पर पुल बनाने का सर्वे माह नवम्बर और दिसम्बर, 1981 में नहीं किया गया। धनाभाव के कारण अभी इस पुल का कार्य हाथ में लिया जाना संभव नहीं है।

(2) प्राथमिकता एवं धन उपलब्धता के आधार पर भविष्य में निर्णय लिया जायेगा।

## वर्ष 1981 में दर्ज बेरोजगारों को रोजगार

187. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य में वर्ष 1981 में कुल कितने व्यक्तियों ने अपना नाम बेरोजगारों में रोजगार-कार्यालयों में नया लिखाया तथा कितनों को रोजगार उपलब्ध हुआ है ?

### उत्तर

वर्ष 1981 में राजस्थान के नियोजन कार्यालय में 2,16,227 आशार्थियों ने पंजीयन करवाया तथा नियोजन कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 1981 में 17,400 प्रार्थी नियोजित करवाये गये ।

## तहसील नोखा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास

188. श्री सुरजा राम टांक (नोखा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या तहसील नोखा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के आवास के लिये सरकार कोई छात्रावास खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

जी नहीं । तहसील नोखा में अनुसूचित जाति के लिये 35 छात्रों का एक अनुदानित छात्रावास पूर्व से ही चलाया जा रहा है । वित्तीय सीमाओं को देखते हुये दूसरा छात्रावास खोलना सम्भव नहीं है ।

(180)

## परिशिष्ट 2

अतारांकित प्रश्न संख्या 106 की सूची

पुलिस अधीक्षक से पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति :—

1. श्री एस०पी० सिंह
2. श्री वी०पी० भटनागर
3. श्री अमिताभ गुप्ता

अपर पुलिस अधीक्षक से पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति :—

1. श्री विजय सिंह
2. श्री भूरमल एन. जैन
3. श्री पी०जी० गोस्वामी
4. श्री गिरीराज सिंह
5. श्री एस०पी० कश्यप
6. श्री आर० एस० गुप्ता
7. श्री कुलजीत सिंह बैन्स (ए०एस०पी०)
8. श्री एच०सी० मीणा (ए०एस०पी०)
9. श्री के०एल० गोदारा
10. श्री हरनेक सिंह

उप अधीक्षक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति :—

1. श्री विपुल चतुर्वेदी
2. श्री शिवकुमार शर्मा
3. श्री शिवलाल जोशी

———

## परिशिष्ट 3

सूची 'अ'

अतारांकित प्रश्न संख्या 113 की सूची

सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत/विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

| क्र०स० | कोड नं० | ग्राम का नाम | स्वीकृति का दिनांक | विद्युतीकरण की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आर०आई० योजना के अन्तर्गत | | | | |
| 1. | 8/12/83 | बड़ली | स्वीकृत | 4/6/70 |
| 2. | 49 | बासड़ी | स्वीकृत | मार्च, 77 |
| 3. | 6 | बाबनपाड़ा | स्वीकृत | 4/6/70 |
| 4. | 54 | भण्डारी | ,, | 31/12/80 |
| 5. | 46 | ब्राह्मण बैराड़ा | ,, | 10/6/70 |
| 6. | 101 | चान्दपुर | ,, | 22/2/74 |
| 7. | 55 | डोलोका | 11.7.79 | अविद्युतीकृत |
| 8. | 92 | गनीपुर | स्वीकृत | 22/2/74 |
| 9. | 9 | गावड़ी | ,, | ,, |
| 10. | 100 | गीजगढ़ | ,, | 4/6/70 |
| 11. | 86 | गिलाड़ी | 1/1/79 | 31/3/79 |
| 12. | 50 | गिरधरपुरा | स्वीकृत | 22/2/74 |
| 13. | 47 | गोलिया | ,, | 19/6/70 |
| 14. | 48 | ईटका | ,, 1/1/79 | 31/2/79 |
| 15. | 82 | झीझण | 18/8/79 | 8/11/80 |
| 16. | 8 | लिखली | स्वीकृत | मार्च, 77 |
| 17. | 11 | मानपुर | ,, | 4/6/70 |
| 18. | 7 | मरियाड़ा | ,, | 22/2/74 |
| 19. | 23 | मीना सीमला | 24/3/79 | 24/3/79 |
| 20. | 40 | मुरली पुर | स्वीकृत | 22/2/74 |
| 21. | 12 | निकटपुरी | 18/8/79 | 30/1/81 |
| 22. | 39 | पांचोली | स्वीकृत | 4/6/70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 23. | 8/12/85 | पाडली वाढ़ | 1/1/79 | 31/3/79 |
| 24. | 37 | पिलोड़ी | स्वीकृत | 31/3/75 |
| 25. | 44 | रायपुरा ब्राह्मण | ,, | 22/2/74 |
| 26. | 84 | रामगढ़ | ,, | 19/6/70 |
| 27. | 102 | सरण्डला | ,, | 22/2/74 |
| 28. | 5 | सिकन्दरा | ,, | 4/6/70 |
| 29. | 89 | सिकराय | ,, | 4/6/70 |
| 30. | 27 | उदयपुरा | 24/3/79 | मार्च, 79 |
| 31. | 8/11/112 | मगलाई | स्वीकृत | 22/2/74 |
| 32. | 128 | मगलाव | ,, | मार्च, 77 |
| 33. | 8/11/121 | माण्डारेज | स्वीकृत | 30/3/63 |
| 34. | 113 | डगलाव | ,, | 31/3/75 |
| 35. | 118 | गणेशपुरा | 10/10/79 | 19/10/79 |
| 36. | 70 | मित्रपुरा | स्वीकृत | 22/2/74 |
| 37. | 63 | पालावास | ,, | 22/2/74 |
| 38. | 65 | पाडली | ,, | 22/2/74 |
| 39. | 139 | सराय | 22/11/78 | 31/3/78 |
| 40. | 117 | सूरजपुरा | स्वीकृत | 22/2/74 |
| 41. | 129 | महाराजपुरा | ,, | 22/2/74 |

आर०ई०सी० योजना के अन्तर्गत (बसवा, सिकराय, दौसा)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/12/80 | अचलपुरा | 15/4/74 | 31/3/76 |
| 2. | 107 | आगावाली | ,, | 28/9/76 |
| 3. | 45 | बिन्दरवाड़ा | , | 27/9/76 |
| 4. | 52 | छोकरवाड़ा | ,, | 26/2/76 |
| 5. | 60 | देवरी | ,, | 31/3/77 |
| 6. | 41 | धूलकोट | ,, | 30/11/76 |
| 7. | 117 | फरीशपुरा | ,, | 30/9/76 |
| 8. | 106 | गण्डरावा | ,, | 30/8/76 |
| 9. | 105 | गांगदवाड़ी | ,, | 30/8/76 |
| 10. | 68 | गुमानपुरा | ,, | 24/2/78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 8/12/62 | झापड़ावास | 15/4/74 | 31/3/77 |
| 12. | 79 | झरना | ,, | 27/2/76 |
| 13. | 51 | कालेड़ा | ,, | 20/2/76 |
| 14. | 87 | कलावन | ,, | 30/10/76 |
| 15. | 63 | कारोली | ,, | 15/3/78 |
| 16. | 110 | लाका | ,, | 15/3/78 |
| 17. | 64 | मोहचेन्नपुरा | ,, | 31/3/78 |
| 18. | 65 | मारोली | ,, | 31/3/78 |
| 19. | 53 | निहालपुरा | ,, | 30/9/76 |
| 20. | 66 | राणोली | ,, | 31/3/77 |
| 21. | 42 | सीकरी | ,, | 27/9/76 |
| 22. | 72 | शेखपुर | ,, | 28/9/76 |
| 23. | 116 | टोरड़ा | ,, | 30/9/76 |
| 24. | 8/11/134 | गोटडा | ,, | 31/3/78 |
| 25. | 133 | विरार | ,, | 31/3/77 |
| 26. | 110 | गांगल्यावास | 31/7/76 (तह० दौसा) | 15/3/78 |
| 27. | 72 | बालवास | ,, | 7/12/76 |
| 28. | 145 | ईटारड़ा | ,, | 31/3/78 |
| 29. | 131 | लांगल चापा | ,, | 31/3/78 |
| 30. | 112 | रजवास | ,, | 31/3/78 |
| 31. | 111 | रानीवास | ,, | 31/3/78 |
| 32. | 130 | स्यालावास | ,, | 31/3/78 |
| 33. | 73 | पांकरी | ,, | 30/3/77 |
| 34. | 120 | खेड़ली | ,, | 7/12/76 |

(ग्रामीण योजना तह० दौसा) [rows 26–34]

एस०पी० योजना के अन्तर्गत (कार्यकाल 2 वर्ष)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/11/35 | आछीवास | 24/6/81 | अविद्युतीकृत |
| 2. | 131 | आमटेड़ा | ,, | ,, |
| 3. | 68 | बैरावास | ,, | ,, |
| 4. | 140 | बैरावास | ,, | ,, |
| 5. | 66 | बाणा का बारखेड़ा | ,, | ,, |
| 6. | 71 | भांकरोटा | ,, | ,, |
| 7. | 126 | चक भगलाई | ,, | ,, |
| 8. | 138 | देवनवाडा | ,, | ,, |

(१८५)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | 64 | जैंपुरिया | 24/6/81 | अविद्युतीकृत |
| 10. | 127 | जैंसिहपुरा | ,, | ,, |
| 11. | 141 | मूडघस्यिा | ,, | ,, |
| 12. | 62 | मांडा | ,, | ,, |
| 13. | 116 | मोटलावास | ,, | ,, |
| 14. | 61 | राजपुरा | ,, | ,, |
| 15. | 114 | रलावंता | ,, | ,, |
| 16. | 123 | रामपुरा कलां | ,, | ,, |
| 17. | 136 | रुडमल का वास | ,, | ,, |
| 18. | 34 | लोहसरी | ,, | ,, |
| 19. | 36 | जोपाड़ा | ,, | ,, |
| 20. | 37 | लोटवारा | ,, | ,, |
| 21. | 67 | खींचावास | ,, | ,, |
| 22. | 69 | कन्दोली | ,, | ,, |
| 23. | 132 | खारण्डी | ,, | ,, |
| 24. | 135 | कालाखो | ,, | ,, |

## परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 115 की सूची

दिनांक 30-1-82 को कोटा नगर के उद्योगों में बकाया बिक्री का विवरण परिशिष्ट–क

| क्र. सं. | नाम उद्योग | कर निर्धारण वर्ष | कर निर्धारण दिनांक | बकाया मांग राशि | बकाया का कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | मै. जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा | 73-74 | 31-10-80 | 7,00,538·24 | टायर कोर्ड विक्रय पर लगाये गये कर से संबंधित मांग राशि है जिसका सर्वोच्च न्यायालय से आदेश दि० 8-12-81 से स्थगन आदेश प्राप्त। |
| | | 74-75 | 4-3-81 | 20,13,875.19 | |
| | | | | 19,60,244·15 | |
| | | | | 46,74,657.58 | |
| 2. | मै. इण्डो इंजीनियरिंग (कोटा) प्रा. लि. | 72-73 | 17-5-78 | 23,000.00 | राजस्व मण्डल के आदेश दि. 10-5-79 द्वारा स्थगन। |
| | | 73-74 | 4-5-78 | 8,830.16 | 28-11-80 स्थगन |
| | | 69-70 | 26-12-79 | 5,150.00 | 19-6-79 स्थगन |
| | | 71-72 | 30-11-80 | 51,603.79 | 17-12-81 स्थगन। |
| | | | | 88,583.95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 78-79 | 1-10-81 | 15,405.88 | श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दि० 9-2-82 के अनुसार किश्तों में जमा कराने के. आदेश जारी किये गये। |
| | | 73-74 | 30-11-81 | 4;009.30 | वसूली की कार्यवाही जारी है। |
| | | 71-72 | 30-11-81 | 578.39 | वसूली की कार्यवाही जारी है। |
| 3. | मै. वेदला फ्लोर एलाइड इण्ड., कोटा | 75-76 | 30-9-77 | 10,055.00 | राजस्व मण्डल के आदेश दि. 28-3-79 द्वारा स्थगन। |
| 4. | मै. मुरारका इन्टरप्राइजेज, कोटा | 79-80 | 31-1-87 | 2,398.82 | राजस्व मण्डल के आदेश दि. 15-10-81 द्वारा स्थगन। |
| 5. | मै. नागपाल अमलगमैटेड, कोटा | 77-78 | 27-11-81 | 1,300.00 | श्रीमान् उपायुक्त (प्र०), कोटा के आदेश दि. 18-1-82 द्वारा स्थगन। |
| | | 77-78 | 27-11-81 | 15,320.21 | श्रीमान् अति० आयुक्त महोदय के आदेश दि. 25-1-82 द्वारा किश्तों में जमा करने के आदेश दिये हैं। |
| 6. | मै. कोटा स्टी रि-रोलिंग मिल, | 76-77 | 14-8-81 | 34,159.92 | श्रीमान् अति० आयुक्त महोदय के आदेश दि. 10-11-81 के अनुसार किश्तों में जमा कराने के आदेश दिये। |
| | | 77-78 | 22-1-82 | 54,199.88 | मांग पत्र दि. 18-2-82 को पारित हुआ जिसमें मांग जमा कराने हेतु 16 दिवस का समय दिया गया है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | मै. जीवन फर्टिलाइजर्स, कोटा | 76-77 | 20-8-81 | 18,000.00 | श्रीमान प्रति० आयुक्त द्वारा स्थगन आदेश दि.3-10-81 द्वारा दिया गया । |
| | | 77-78 | 20-8-81 | 29,000.00 | उपरोक्तानुसार |
| 8. | मै. गिलार्ड इलेक्ट्रोनिक्स, कोटा | 76-77 | 19-8-81 | 2,395.80<br>443.83 | संशोधित प्रार्थना पत्र दि. 18-11-81 को अस्वीकार किया गया है एवं वसूली की कार्यवाही जारी है। चैक प्राप्त कर लिये गये हैं । |
| 9. | मैं. इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., कोटा | 73-74 | 10-8-81 | 44,770.00 | दि. 23-1-82 को संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया गया है । इस माह में राशि जमा हो जावेगी । |
| | | 74-75 | 27-11-81 | 8,76,540.14 | संशोधन प्रार्थना पत्र दि. 23-2-82 के लिये नियत किया हुआ है । इससे पहले सी व डी फार्म के अभाव में करारोपित किया गया था । |
| 10. | मै. कोटा बाक्स मैन्यूफेक्चरिंग, कोटा | 73-74 | 28-11-81 | 876.61 | श्रीमान् उपायुक्त (प्र०), कोटा के आदेश दि. 1-2-82 द्वारा स्थगन । |
| 11. | मै. कोटा स्ट्रा बोर्ड, कोटा | 71-72 | राविक | 5,779.43 | उक्त बकाया के सबंध में न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष |
| | | 74-75 | राविक | 8,883.30 | में रुपया देने हेतु आदेश दि. 15-3-80 को हो गये हैं । |
| | | 71-72 | कैंविक | 1,663,56 | वसूली की कार्यवाही जारी है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 74-75 | कैविक | 2,472.48 | |
| 12. | मै. अशोका स्पाईसेज, कोटा | 74-75 | 15-1-82 | 15,890.00 | श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा स्थगन आदेश। |
| 13. | मै. मेहता इण्डस्ट्रीज, कोटा | 74-75 | 24-10-81 | 14,320.00 | श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा स्थगन दिनांक 5-1-82 के द्वारा। |
| | | | कुल योग | 59,24,503.40 | |

## परिशिष्ट 5

### अतारांकित प्रश्न संख्या 122 का प्रतिवेदन

### BRIEF NOTE OF IMPROVEMENT OF TRAFFIC CONDITIONS ALONG M. I. ROAD (FROM AJMERI GATE TO KHASA KOTHI)

1. As a follow up action of the meeting held on 13.2.80 in the chamber of Chief Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur the work on the improvement of traffic conditions along M. I. Road has been initiated by the Town Planning Department and the various surveys etc. have been conducted for making the proposals for the improvement of this road, M.I. Road stretching from Ajmeri Gate to Khasa Kothi has been divided into 3 Parts.

   (a) Ajmeri Gate to Panch Batti crossing,

   (b) Panch Batti to Government Hostal Crossing,

   (c) Government Hostel to Khasa Kothi crossing.

2. Short term traffic studies for this road have been taken up for providing facilities for smooth flow of vehicular and pedestrian traffic and parking demand for various types of vehicles along this road. The scope of study is designed to find out the present demand for providing parking has along this road and to channalise the traffic flow. Due consideration has been given for the use of existing facilities and available space.

   In the beginging a physical survey of M. I. Road was conducted for the finding the existing width of road carriage--way, footpath width and other existing features, also Parking counts were conducted during the day in between 11.30 A. M. to 2.00 P.M. and form 4.00 P.M. to 7.00 P.M. This was done for finding the trend of parking requirements along this road. The result of this first survey reveal that peak hour during which the maximum no. of vehicles are parked in from 4.30 P. M to 6.30 P. M. This time was therefore specially selected for conducting the detailed parking survey and other studies. This survey was conducted on the work and i. e. Saturday because it is presumed that on saturday no. of vehicles parked are maximum. Spatial location of such vehicle parked on M. I.

Road on both sides was plotted on the survey map for ascertaining the exact no. of vehicles parked along this road.

3. **Parking Problem:**

The parking survey conducted by this department on Saturday in between 4.30 P.M. to 6.30 P.M. reveal that there is tendency on the part of parkers to park their vehicles on footpath or along kerb as close to their destinations as possible. Due to the locations of banks, hotels, restaurents along this road most of the vehicles are parked throughout day. Such types of vehicles require long term parking for which solution will have to be find out after ascertaining the availability of space for parking lots. One such space could be the existing Sabzi Mandi behind Rajasthan Emporium which is likely to be shifted to the Lal Kothi Sabzi Mandi where land has already been under possession by Mandi Samiti for such use. Another space for such long term parking could be the area occupied by petrol pump on the west of Ajmeri Gate. These two locations shall be suitably designed in relations to the demand and reasonable walking distance.

4. The M. I. Road is the busiest road of Jaipur City and provides facilities for retail shopping, show rooms, hotel & restaurent facilities, tanks and other miscellaneous commercial establishments. The proposals for the improvement plan worked out in tackled in two phases :

(a) The immediate improvement to optimese existing available space for providing the parking bays for different types o vehicles.

(b) Certain areas which would be available in future for providing parking lots are also identified for long term parking.

The parking surveys conducted along this road reveals the following facts about the no. of each type of vehicles parked during the periods in between 4.30 P.M. to 5.30 P.M. to 6.30 P.M. :

**a) Ajmeri Gate to Panch Batti :**

| | Time 4.30 to 5.30 P.M. | | Time 5.30 to 6.30 P.M. | |
|---|---|---|---|---|
| | **North** | **South** | **North** | **South** |
| Cars | 25 | 42 | 24 | 48 |
| Scooters | 17 | 110 | 54 | 61 |
| Cycles | 80 | 52 | 25 | 49 |

(b) **Panch Batti to Government Hostel :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cars | 28 | 37 | 26 | 18 |
| scooters | 50 | 60 | 40 | 73 |
| Cycles | 58 | 103 | 76 | 49 |

(c) **Govt. Hostel to Khasa Kothi :**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) Between Govt. Hostel & Pink City Petrol Pump | Cars | 17 | 10 | 24 | 14 |
| | Scooters | 35 | 38 | 19 | 38 |
| | Cycles | 63 | 83 | 16 | 43 |
| (ii) Between Pink City Petrol Pump & Khasa Kothi-Peak Hrs. is 12 PM to 2.00 PM. | Cars | 11 | All along north side. | | |
| | Scooters | 34 | | | |
| | Cycles | 37 | | | |

The figures mentioned above shows that maximum no. of cars are accumulated on the stretch between the Ajmeri Gate to Panch Batti whereas the south side of the road is having maximum no. of vehicles parked there. The total no. of cars parked on north side is 28, scooters-77, cycles-88 whereas on south side Cars-42, Scooters-110 and Cycles 52. We have to find the space for parking of atleast the above mentioned vehicles and also for future demand.

5. **Proposals for road from Ajmeri Gate to Panch Batti :**

The proposals worked out for this road have been avolved in such a way that proper parking bays along kero side have been provided for Cars, Scooters and Cycles depending upon the requirements. Both sides of roads have been utilised for providing parking bays whatever space is available.

Due care has been taken that minimum width of 10' for footpath sides along this road is available for pedestrian movement otherwise the pedestrians will be using main carriage way for the movement. Also the space available along the off streets on the south sides have been proposed to be utilised for parking of vehicles. It is proposed to provide a 4 lane width i. e. 46' for the main carriage-way for the vehicular traffic. 9' wide parking bay on both sides of this road has been provided for parking of Cars, Scooters and Cycles. Linears parking for Cars is subcsested whereas scooters

and cycles will be parked straight-angle within the parking bays provided. Scooters Rickshaws are proposed to be parked on Mahaveer Marg. The width of the footpath ranges from 10′ to 13′ on north side and 10′ to 14′ 6′ on south side. Surfaced drains along the karbs have been proposed to be covered under the parking bay. The existing electric and telephone poles have been retained at their existing locations on the paved areas whereas for street lighting, new electric poles have been proposed on the south side.

The parking bays have been identified for specific type of vehicle such as Cars, Scooters, Rickshaws and Cycles. These are shown on the plan of the proposal, for proper enforcement of the use of specific locations of parking for specific vehicles the traffic police should enforce it strictly and the vehicles parked on a wrong location should de challaned. On the plan the total no. of vehicles which will be accommodated at different parking bays is indicated at each location.The standard road section to be adopted for this stretch of road has also been drawn on the map.

It is suggested that efforts should be made for early shifting of the existing Sabzi Mandi from Ajmeri Gate so that the space is made available for long term parking of vehicles for future demand. Similarly, it is suggested that the parking bays provided inside the Ajmeri Gate should be utilised for vehicles and proper enforcement should be made for the use of these parking lots. At present they are not properly utilised and Thelas etc. are standing in these areas.

For better flow of traffic along this stretch of road, the movement of Hath Thellas, Animal Driven Carts should be banned along this road. An alternate route should be provided for such slow moving vehicles.

The existing 3 Petrol Pumps around the Ajmeri Gate should also be shifted to other locations to avoid traffic bottleneck on this busy road junction because the vehicles entering in and coming out of the petrol pumps disturb the through traffic along this road.

Sd/16.4.80

Senior Town Planner,

Jaipur City.

**BRIEF NOTE ON THE IMPROVEMENT OF TRAFFIC CONDITIONS IN CHANDPOLE BAZAR, JAIPUR**

As per the Government decision a Traffic Improvement plan of the Chandpole Bazar was initiated by Town Planning Department. Various studies pertaining to the parking, encroachments on the foothpath and the existing road sections were carried out. The scope of the study was related to evolving an appropriate solution for the unruly and hectic traffic in this market.

A physical survey of the entire stretch of Chandpole Bazar from Chhoti Chopar to Chandpole Gate was conducted by this office to find out the existing carriage way, width of the footpaths, drains and other existing features. In order to find out the trend of parking requirement, a detailed parking survey was conducted during the peak hours of the day. Special location of each vehicle as parked in this area was ploted on the survey map to ascertain not only the exact number of vehicles being parked but also to find out the effective carriage way available.

**Parking problem :**

The parking survey reveal that unlike other areas of the city, Chandpole Bazar has not a typical character and a mixed slow moving traffic dominates. Very few cars were found parked during the peak hour surveys. Scooters and cycles are parked in a very large number.

**Problem due to Vegetable Sellers :**

The vegetable sellers sitting in the north-western Kkhanda of the Chhoti Chopar are extended in Chandople Bazar also and occupy most of the footpath space on the northern side. A large number of mobile Thelas are also being parked at the road intersection. The footpath is also occupied by other petty sellers.

The traffic problem is more acute due to 5 temples located right on the main carriage way. There are 3 Bus stops existing in Chandpole Bazar which also need proper planning. A study reveal

that the effective carriage way is reduced to only about 16 ft. near the Khejron ka Rasta, about 22 ft. near Baba Harish Chandra Marg about 25 ft. near Ninder Rao ji ka Rasta and so on.

The following table shows the trend of the parking of different types of vehicles parked during the peak hours :

A. **From Chandpole Gate to Ninder Rao ji Ka Rasta**

9.45 A.M. to 10.45 A.M.

| | North | South |
|---|---|---|
| 1. Cars | 1 | 1 |
| 2. Scooters | 7 | 13 |
| 3. Auto Rickshaws | 8 | – |
| 4. Cycle Rickshaws | 4 | 1 |
| 5. Cycles | 68 | 31 |
| 6. Tongas | 8 | – |
| 7. Mobile Thelas | 1 | 2 |
| 8. Theli | 5 | 22 |

B. **From Ninder Raoji Ka Rasta to Khajane Walon Ka Rasta**

6.00 P.M. to 7.00 P.M

| | North | South |
|---|---|---|
| 1. Cars | 2 | 6 |
| 2. Scooters | 16 | 35 |
| 3. Auto Rickshaws | 13 | 1 |
| 4. Cycle Rickshaws | 21 | 20 |
| 5. Cycles | 105 | 193 |
| 6. Tongas | 1 | – |
| 7. Mobile Thelas | – | 23 |
| 8. Theli | 10 | 6 |

**C.** **From Khajane Walon ka Rasta to Baba Harish Chandra Marg**

12.30 P.M. to 1.30 P.M.

| | North | South |
|---|---|---|
| 1. Cars | 1 | 6 |
| 2. Scooters | 15 | 31 |
| 3. Auto Rickshaws | 14 | 12 |
| 4. Cycle Rickshaws | 12 | 13 |
| 5. Cycles | 89 | 103 |
| 6. Tongas | – | – |
| 7. Mobile Thelas | 4 | 16 |
| 8. Theli | 6 | 4 |

**D.** **From Baba Harish Chandra Marg to Chhoti Chopar**

6.00 P.M. to 7.00 P.M.

| | North | South |
|---|---|---|
| 1. Cars | 1 | 1 |
| 2. Scooters | 23 | 33 |
| 3. Auto Rickshaws | 1 | 2 |
| 4. Cycle Rickshaws | 10 | 16 |
| 5. Cycles | 148 | 139 |
| 6. Tongas | – | – |
| 7. Mobile Thela | 9 | 3 |
| 8. Theli | 6 | 11 |

The above Table indicates that the parking problem was found to be most acute near the Chandpole Gate during morning from 9.45 A.M. to 10.45 A.M. This is due to mainly the temple of Shri Hanumanji located just near the Chandpole Gate. Near the khejron ka Rasta the parking problem was found to be more acute in the afternoon period from 12.30 P.M. to 1.30 P.M. The peak hour for the remaining portion of the bazar was found to be from 6.00 P.M. to 7.00 P.M. during which maximum number of vehicles are parked in this area.

**Outline Traffic Improvement proposal :**

The most important dimension of the traffic problem is the optimum utilisation of the available space for providing parking for different types of vehicles. The proposal shown in the plan has been evolved in such a manner that proper parking bays have been carved out for different types of vehicles depending upon the requirement on each location. The following Table shows the number and type of vehicles for which the parking space has been provided on either side of the road :

| | North | South | Total |
|---|---|---|---|
| 1. Cars | – | – | 5 |
| 2. Scooters | 77 | 87 | 164 |
| 3. Auto Rickshaws | 14 | 11 | 25 |
| 4. Cycle Rickshaws | 57 | 25 | 82 |
| 5. Cycles | 446 | 319 | 765 |
| 6. Tongas | 11 | – | 11 |
| 7. Theli | 23 | 6 | 29 |

A minimum width of 10 ft. for the footpath has been maintained for the easy movement of pedestrians. Care has also been taken to carve out the parking bays in such a manner that the existing electric poles and trees are adjusted within the footpath. All the dead telephone poles are recommended to be removed to avoid obstruction in the easy movement. The temple located near the Ninder Raoji ka Rasta and near Mishra Raja ji ka Rasta are existing on the main carriage way in such a manner that the space between the existing footpath and the temple is left ineffective and cannot be used for the vehicular movement. The road on the southern side of these two temples have been widened by reducing the footpath. No parking has been provided in these two areas. This arrangement would help in the easy flow of the traffic.

The parking bays have been identified for specific type of vehicles such as Cars, Scooters, Cycles, Rickshaws, Auto Rickshaws etc. as shown in the outline Improvement Plan. Number of vehicles which can be accommodated at different parking bays is also shown in each location. The standard road section to be adopted at various places is also drawn on the map. There are 3 Bus Stops existing in the stretch of about half a mile distance of Chandpole

Bazar. These buses create traffic bottlenecks in the prevailing traffic conditions. 2 Bus Stops are proposed near kalyanji ka Rasta and near Baba Harish Chandra Marg as shown in the Plan. The existing section of the road indicate that out of 91 ft. right of way the carriage way is 56 ft. The footpath on the northern side is 18 ft. wide while on the southern side it is 17 ft. The proposed road section will have a carriage way of 55 ft., 8 ft. wide parking bay and 10 ft. wide footpath on either side of the road.

Sd/-15.12.81
(Pramod Jain)
Deputy Town Planner,
Jaipur City.

## BRIEF NOTE ON THE IMPROVEMENT OF STATION SQUARE, JAIPUR

The area in front of the Railway Station is not only crippled with the unorderly vehicular traffic but also the large volume of incoming and out-going human traffic. The existing waiting space within the station building is inadequate to accommodate the increased passenger volume and the spill over thus occupies the road in front of the station building. The present Rickshaw/Auto Rickshaw stands are not only poorly designed but the area also requires to be increased. The interesection of the road requires considerable improvement. The footpath all along have been encroached upon by the informal sector. The mobile Thelas are almost permanently stationed right on the crossing. By and large the prevailing conditions in this important area present a very unpleasant scheme and hapazard, unorderly movement of vehicles and human beings.

The area therefore required an immediate attention and a decision was taken by the Government to improve it. Town Planning Organisation was entrusted with the task of preparing an Improvement plan.

As a follow up of the Government decision an Improvement plan of the above mentioned area was initiated by this office in early 1981.

A physical survey of the entire area in front of the Railway Station and the station road upto Khasa Kothi intersection was conducted to find out the existing carriage way, footpaths, drains and location of electric and telephone poles alongwith other street

fixtures. Various studies pertaining to the parking in the peak hours related to the important train timings and the existing road sections alongwith the encroachments on the footpath by the informal sector, were carried out to understand the problems of the area. The scope of study was related to evolve an appropriate solution for the easy movement of vehicles and passenger traffic.

**Parking Problem**

In order to find out the trend of parking requirement a detailed study was conducted during the peak hours. Special location of each vehicle as parked on this area was plotted on the survey map to ascertain not only the exact number of vehicles being parked but also to find out the effective space available for their parking. The study revealed that the traffic in this area is very unruly and hectic due to the trend of parking in a most unsystematic manner by the public vehicles (Rickshaws, Autos, Tongas etc.) right on the crossing and occupation of footpath and part of carriage way by the informal sector.

The existing authorised stand for Auto Rickshaws, Cycle-Rickshaws and Tongas is not only poorly designed but the space for them is also too inadequate which has resulted into overcrowding. The porters Shed constructed at the north-eastern corner of the railway park is right on the intersection and due to this the rickshaws and Auto line-up on the intersection itself. The junction has thus become very crowded because of these permanently stationed public vehicles and Thelas. Hardly any space is left for the easy movement of the vehicles. The large number of people crossing the roads add to the already deteriorated situation.

Though the authorised Bus Stop for the City Bus Service is located outside the Registrar, Cooperative's office but the tendency of the bus drivers to stop the buses just before the intersection on the narrow Power House road creates almost bottleneck in the traffic movement.

The space for the private vehicles viz. Cars and Scooters is very limited and poorly worked out. There is no provision for the parking of heavy vehicles such as Military Trucks, Tourist Buses etc.

Following tables show the parking trend of different types of vehicles both private aud public in anthorised stand and parked on

unauthorised locations during the peak hours 10.30 A.M. to 11.30 A.M. in the morning and 4.30 P.M. to 5.30 P.M. in the evening.

**Public Vehicles :**

I. Stand Area :

| | |
|---|---|
| Auto Rickshaws | 69 |
| Cycle Rickshaws | 66 |
| Tongas | 16 |

II. On the intersection :

| | |
|---|---|
| Auto Rickshaws | 13 |
| Cycle Rickshaws | 27 |
| Tongas | 21 |
| Cycles | 55 |
| Buses | 2 |

**Private Vehicles :**

III. In front of Railway Station :

| | |
|---|---|
| Cars | 18 |
| Scooters | 33 |
| Cycles | 49 |
| Military Trucks | 3 |

IV. On the link road between Railway Park and the Station Master's Bungalow :

| | |
|---|---|
| Cars | 2 |
| Auto Rickshaws | 1 |
| Cycle Rickshaws | 18 |
| Cycles | 23 |

**Problem due to informal Sector :**

As already mentioned the mobile Thelas selling fruits & Vegetable and other items are permanently stationed right on the intersection. These sellers are also sitting on the footpath, west of Octroi post. In fact the entire footpath on either side of the station road is occupied by the Restaurents and other eatable shops. The southern footpath on the road coming from the Railway Staff Quarters is fully occupied by the Roti Dhabas. There is hardly any space on these footpaths for the pedestrian movement.

**Hoardings, Sign Boards etc.**

Large number of commercial hoardings are existing on such locations which are dangerous from the traffic point of view and some of them also obstruct the view of park and the station building.

**The Improvement proposals :**

The most important factor for the improvement of traffic conditions of this important area is to segregate public vehicles, private vehicles and the passenger traffic. It is also equally important to have an optimum utilisation of the available space for the parking of different types of vehicles. The beautiful railway park in front of the station is enclosed from all sides by railing. Entry in the beautiful Railway park meant for public is presently restricted. The plan proposes to activate this area by allowing pedestrian movement through it. The spill over of passengers is occupying the road immediately in front of the station building. It is proposed to abandoned this road and the same is proposed to be raised by 12% stone paving.

The Location of Porter's Shed at the north-eastern corner of the railway park right on the intersection is not proper and it needs to be shifted. A new location is proposed on Power House road away from the intersection.

To avoid the tendency of the public vehicles, to realise passengers right on the intersection, a lay-by of 16' width has been carved out by taking 6' space from the railway park and 10' space of the existing footpath. It is designed in such a manner that it is located away from the intersection and opens out of the Power House Road. A 10 ft. wide loading and unloading platform for the porters abuts this 16' wide lay by which it is connected to the path-ways re-adjusted in the Railway park. It is hoped that by this arrangement the intersection would be relieved of the traffic conjestion and will make things easy for the porters' as well as for the passengers.

Certain improvements have also been proposed in the lend scape of the Railway park. The path ways have been so adjusted that the existing cnce are also utilised. A water body has also been created in the centre of the park with a space within it for either a fountain or an Abstruct sculpture to be installed withiin it. Care has also been taken not to out any tree while improving the landscaping. At the two entry points from the raised paving in front of the station building sliding steel gates have been proposed with cattle catchers. The park has been reduced by 27' on the western side so as to increase the parking area for the public vehicles in the authorised stand.

**Parking Proposals :**

Space has been properly carved out for the parking of Cars, Scooters and heavy vehicles in front of the Station Masters' Bungalow on the road coming from the Kalvar Scheme. 14 Cars have been accommodated by eleminating the footpath in front of the water storage tank. 16 Cars are provided in front of the Station Master's Bungalow. Car has been taken to keep the Scooters as closed on the main building as possible. Space for 5 heavy vehicles has been created in a nitch west of D. P. M. office. The existing cycle stand has been retained on its present location.

The southern footpath on the road coming from Kalvar Scheme is to be abandoned and this road is proposed to be widened to 44'.

Parking space provided for different vehicle is as below :

| | |
|---|---|
| Cars | 30 |
| Scooters | 49 |
| Heavy Vehicles | 5 |

**Public Vehicles :**

The present area of the stand is too inadequate to meet the increased demand of Auto Rickshaws, Cycle Rickshaws and Tongas. The same has therefore been increased by taking a 27' wide strip from the railway park. A loading-unloading platform or the

Porter's has been creased in continuation to the paved area at the southern end of the parking stand. Parking space provided for different types of vehicles is as below :

| | |
|---|---|
| Auto Rickshaws | 92 |
| Cycle Rickshaws | 96 |
| Tongas | 13 |

**Design of road intersection :**

The existing intersection of the Station Road, Power House road and the road coming from Staff quarters is poorly worked out. The same has been re-designed. A round about of 60' has been proposed with a minimum 40' distance from the traffic islands. A minimum distance of 33' is maintained at the mouth of these traffic islands when the respective roads meet the intersection. The footpath on either side of the station road is also re-designed. The water hut on the main carriage way is proposed to be demolished. The surface drain will also need to be re-constructed as per the new alignment of the footpath.

**Space for Roti Dhabas and Fruit & Vegetable venders :**

The southern footpath on the road coming from the staff quarter is proposed to be abandoned and the carriage way is widened to 36'. The Roti Dhabas occupying this footpath are proposed to be shifted in a newly carved out space of 103'x43' taken from the Station Masters' Bungalows. Space has been provided to accommodate 26 Roti Dhabas in this manner.

Similarly space has also been carved out for the fruit & vegetable venders from the footpath located west of the octroi post. A 12ft. wide lay-by is proposed with a 9' wide space for the venders. The existing Bus stop on Station Road in front of the Co-operative Office and C. M. H. O's builiding has been retained near its present location. Space for Tempo stand has also been provided outside the Jain Temple.

It is hoped that with the above suggested improvement proposals the area in front of the Railway Station will be improved and definite system of movement for the public and private vehicles alongwith pedestrians would be followed.

( Pramod Jain )
Deputy Town Planner,
Jaipur city.

## परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 123 की सूची

| माह | निरस्त सेवाओं की संख्या | कारण |
|---|---|---|
| जनवरी, 81 | 10 | यान्त्रिक दोष, टायर व अन्य स्पेयर पार्टस की कमी पर्याप्त यात्रीभार न मिलना तथा यदाकदा चालक/परिचालकों द्वारा ड्यूटी से अनुपस्थित हो जाना आदि व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण। |
| फरवरी, 81 | 17 | ,, ,, |
| मार्च, 81 | 12 | ,, ,, |
| अप्रैल, 81 | 15 | ,, ,, |
| मई, 81 | 17 | ,, ,, |
| जून, 81 | 21 | ,, ,, |
| जुलाई, 81 | 23 | ,, ,, |
| अगस्त, 81 | 21 | ,, ,, |
| सितम्बर, 81 | 21 | ,, ,, |
| अक्टूबर 81 | 23 | ,, ,, |
| नवम्बर, 81 | 19 | ,, ,, |
| दिसम्बर, 81 | 7 | ,, ,, |
| | 206 | |

| क्रम संख्या | वाहन माडॅल | कुल वाहनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | 1972 | 3 |
| 2. | 1974 | 6 |
| 3. | 1975 | 13 |
| 4. | 1976 | 13 |
| 5. | 1978 | 20 |
| 6. | 1979 | 8 |
| 7. | 1980 | 3 |
| 8. | 1981 | 1 |
| | | 67 |

# Page No 204



## परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 126 की सूची

**कार्यालय-नगर परिषद उदयपुर (राज.)**

नगर परिषद उदयपुर के टेलीफोनों की सूची

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | कार्यालय | निवास | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1– | श्री सुन्दरलाल प्रशासक | 3523 | 3283 | 4852 पी ए शासक कार्य का था अबन्‍ ।है |
| 2– | श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत आयुक्त | 4255 | 3553 | निवास का टेलीफोन हटाने हेतु लिख दिया गया है। |
| 3– | डा. रमेश मिर्धा, भू. पू. स्वा. अधिकारी | — | 3491 | ,, ,। |
| 4– | डा. दीनबन्धु आचार्य. भू. पू. स्वा. अधिकारी | 5313 | 3232 | अस्थाई |
| 5– | भण्डारी दर्शक मण्डप | 4824 | — | |
| 6– | म्युनिसिपल वर्कशॉप | 6265 | — | |
| 7– | फायर ब्रिगेड | 4444 | — | |
| 8– | सार्वजनिक पुस्तकालय वाचनालय | 4528 | — | |
| 9– | अधिशासी अभियन्ता | — | 4492 | |

कन्हैयालाल

आयुक्त.

नगर परिषद, उदयपुर

**कार्यालय-नगर परिषद उदयपुर (राज.)**

नगर परिषद उदयपुर द्वारा 1–1–81 से 31–1–82 तक टेलीफोन पर किया गया व्यय

| क्र. सं. | टेलीफोन नं. | रा | | शि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | लोकल काल | ट्रंककाल | किराया आदि | योग |
| 1– | 3523 | 3578 = 30 | 1012 = 55 | 775 = 00 | 5365 = 85 |
| 2– | 4255 | 2849 = 30 | 944 = 75 | 775 = 00 | 4549 = 05 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3– | 5313 | 2082=40 | 230=00 | 1000=00 | 3312=40 |
| 4– | 4824 | 3051=00 | 214=70 | 751=00 | 4017=30 |
| 5– | 5894/6265 | 2116=13 | 2=00 | 385=00 | 2503=13 |
| 6– | 4444 | 571=30 | 36=00 | 1131=00 | 1738=30 |
| 7– | 4528 | 1090=20 | 159=00 | 384=00 | 1597=20 |
| 8– | 3283 | 1666=00 | 73=00 | 875=00 | 2614=00 |
| 9– | 3553 | 820=50 | 196=55 | 620=00 | 1639=05 |
| 10– | 3491 | 593=50 | 117=00 | 530=00 | 1240=30 |
| 11– | 3232 | 56=40 | 8=00 | 425=00 | 489=40 |
| 12– | 4492 | 1087=20 | 78=70 | 385=00 | 1550=90 |
| 13– | 4857 | 270=60 | 271=00 | 635=00 | 1176=60 |
| योग:– | | 19833=43 | 3345=25 | 9615=00 | 31793=68 |

कन्हैयालाल
आयुक्त
नगर परिषद उदयपुर

**कार्यालय नगर परिषद् उदयपुर (राज.)**

नगर परिषद् उदयपुर के टेलीफोनों की सूची

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | कार्यालय | निवास | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1– | श्रीसुन्दरलाल प्रशासक | 3523 | 3283 | 4852 पी ए शासक कार्य का था अब नहीं है |
| 2– | श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत आयुक्त | 4255 | 3553 | निवास का टेलीफोन हटाने हेतु लिख दिया गया है। |
| 3– | डा. रमेश मिर्घा, भू. पू. स्वा. अधिकारी | — | 3491 | ,, ,, |
| 4– | डा. दीनबन्धु आचार्य, स्वा. अधिकारी | 5313 | 3232 | अस्थाई |
| 5– | भण्डारी दर्शक मण्डल | 4824 | — | |
| 6– | म्युनिसिपल वर्कशोप | 6265 | — | |
| 7– | फायर ब्रिगेड | 4444 | — | |
| 8– | सार्वजनिक पुस्तकालय–वाचनालय | 4528 | — | |
| 9– | अधिकारी अभियन्ता | — | 4492 | |

कन्हैयालाल
आयुक्त
नगर परिषद उयपुर

**कार्यालय नगर परिषद् उदयपुर (राज.)**

नगर परिषद उदयपुर द्वारा 1-1-81 से 31-1-82 तक टेलीफोन पर किया गया व्यय

| क्र. सं. | टेलीफोन नं. | राशि | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | लोकल काल | ट्रंककाल | किराया आदि | योग |
| 1– | 3523 | 3578 = 30 | 1012 = 55 | 775 = 00 | 5365 = 85 |
| 2– | 4255 | 2849 = 30 | 944 = 75 | 775 = 00 | 4549 = 05 |
| 3– | 5313 | 2082 = 40 | 230 = 00 | 1000 = 00 | 3312 = 40 |
| 4– | 4824 | 3051 = 60 | 214 = 70 | 751 = 00 | 4017 = 30 |
| 5– | 5894/6265 | 2116 = 13 | 2 = 00 | 385 = 00 | 2503 = 13 |
| 6– | 4444 | 571 = 30 | 36 – 00 | 1131 = 00 | 1738 = 30 |
| 7– | 4528 | 1090 = 20 | 159 = 00 | 384 = 00 | 1597 = 20 |
| 8– | 3283 | 1666 = 00 | 73 = 00 | 875 = 00 | 2814 = 00 |
| 9– | 3553 | 820 = 50 | 198 = 55 | 620 = 00 | 1039 = 05 |
| 10– | 3491 | 593 = 50 | 117 = 00 | 530 = 00 | 1240 = 30 |
| 11– | 3232 | 56 = 40 | 8 = 00 | 425 = 00 | 489 = 40 |
| 12– | 4492 | 1087 = 20 | 78 = 70 | 385 = 00 | 1550 = 90 |
| 13– | 4857 | 270 = 60 | 271 = 00 | 635 = 00 | 1176 = 00 |
| योग:– | | 19833 = 43 | 3345 = 25 | 8615 = 00 | 31793 = 68 |

कन्हैयालाल

आयुक्त

नगर परिषद उदयपुर

———

## परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 127 की सूची

**कार्यालय-नगर परिषद् उदयपुर राज०)**

नगर परिषद् उदयपुर के कर्मचारियों को दी गयी गृह निर्माण ऋण की राशि का विवरण

| क्र०सं० | नाम कर्मचारी | ऋण राशि |
|---|---|---|
| 1. | श्री हीसीनुदीन | 25000 |
| 2. | श्री मोहनलाल मेहता | 20000 |
| 3. | श्री शम्भूसिंह रांका | 25000 |
| 4. | श्री मोतीलाल मिस्त्री | 21800 |
| 5. | श्री पवनकुमार बंसल | 21300 |
| 6. | श्री दिलखुश कुमार कावडिया | 25000 |
| 7. | श्री पुरुषोतमलाल माली | 25000 |
| 8. | श्री सुखलाल पिता मुलचन्द | 10000 |
| 9. | श्री मांगीलाल पिता देवा | 10000 |
| 10. | श्री चतरसिंह बापना | 25000 |
| 11. | श्री शांतिलाल छुपिया | 25000 |

कन्हैयालाल
आयुक्त
न. प. उदयपुर

**कार्यालय-नगर परिषद् उदयपुर (राज०)**

नगर परिषद् उदयपुर द्वारा दिये गये वाहन क्रय ऋण की कर्मचारीवार सूची :—

| क्र०सं० | नाम कर्मचारी | ऋण राशि |
|---|---|---|
| 1. | श्री पन्नालाल पिता चन्दा | 300 |
| 2. | श्री इन्दरलाल पिता सोहनलाल | 350 |
| 3. | श्री बाबूलाल पिता सोहनलाल | 350 |
| 4. | श्री श्यामलाल पिता सज्जनलाल | 350 |
| 5. | श्री धन्नालाल पिता घीसा | 350 |
| 6. | श्री मदनलाल पिता नन्दा | 350 |
| 7. | श्री रामलाल पिता रघुवंश | 350 |
| 8. | श्री काना पिता माधु | 350 |
| 9. | श्री शांती पिता काला | 350 |
| 10. | श्री शब्बीर पिता सुबराती | 350 |

(208)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 11. | श्री गनेरा पिता डालू | 350 |
| 12. | श्री पन्नालाल पिता काना | 350 |
| 13. | श्री मिठू पिता गोटू | 350 |
| 14. | श्री बदामी पिता शेरा | 350 |
| 15. | श्री सवा पिता मंगधा | 350 |
| 16. | श्री बारू पिता नाथु | 350 |
| 17. | श्री प्रभूलाल पिता हजारी | 350 |
| 18. | श्री सायर पिता सूरजा | 350 |
| 19. | श्री शांता पिता छोगा | 350 |
| 20. | श्री लेहूलाल पिता अम्बालाल | 350 |
| 21. | श्री गणेश पिता विद्यासागर | 350 |
| 22. | श्री सागर पिता रतनलाल | 350 |
| 23. | श्री ख्यालीलाल पिता मोतीलाल | 350 |
| 24. | श्री बाबूलाल पिता उदयलाल | 350 |
| 25. | श्री रामचन्द्र पिता छीतर | 350 |
| 26. | श्री राम पिता काला | 350 |
| 27. | श्री रघुवीर रामचंद्र | 350 |
| 28. | श्री मांगीलाल पिता चुनिया | 350 |
| 29. | श्री भेरू पिता अहमद | 350 |
| 30. | श्री कमला पिता दाऊ | 350 |
| 31. | श्री सुन्दरलाल पिता माथू | 350 |
| 32. | श्री दयाल पिता धन्ना | 350 |
| 33. | श्री सीता पिता लालू | 350 |
| 34. | श्री कंवरलाल पिता मोडा | 350 |
| 35. | श्री रतनलाल पिता भ्याला | 350 |
| 36. | श्री रमेश पिता नारायण | 350 |
| 37. | श्री रामलाल पिता प्रताप | 350 |
| 38. | श्री कमला पिता चन्दर | 350 |
| 39. | श्री मांगीलाल पिता गोपाल | 350 |
| 40. | श्री नारू पिता माया | 350 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 41. | श्री गणेश पिता भूंरा | 350 |
| 42. | श्री वंशीलाल पिता चतरा | 350 |
| 43. | श्री रमेश पिता नाथु | 350 |
| 44. | श्री भंवरलाल पिता सूंडा | 350 |
| 45. | श्री ओमप्रकाश पिता विद्यासागर | 350 |
| 46. | श्री छीतर पिता भागीरथ | 350 |
| 47. | श्री ओमप्रकाश पिता मिठूलाल | 350 |
| 48. | श्री हेदर पिता सुलेमान | 350 |
| 49. | श्री गणपतलाल पिता गनेरा | 350 |
| 50. | श्री महीपाल पिता मोतीलाल | 350 |
| 51. | श्री बलू पिता देवा | 350 |
| 52. | श्री भैरूलाल पिता कजोड | 350 |
| 53. | श्री बाबूलाल पिता मिठू | 350 |
| 54. | श्री रामनिवास पिता माला | 350 |
| 55. | श्री श्यामलाल पिता भ्याला | 350 |
| 56. | श्री चान्दूलाल पिता छगना | 350 |
| 57. | श्री राज पिता मगला | 350 |
| 58. | श्री मनोहरलाल पिता ऊंकार | 350 |
| 59. | श्री शांती पिता चान्दू | 350 |
| 60. | श्री देवीबाई पिता मंगला | 350 |
| 61. | श्री शांति पिता रूपा | 350 |
| 62. | श्री सुन्दरी पिता छोटू | 350 |
| 63. | श्री गोदावरी पिता शेरा | 350 |
| 64. | श्री सुन्दरलाल पिता भंवरलाल | 350 |
| 65. | श्री देवीलाल पिता उदा | 350 |
| 66. | श्री सीता पिता उदा | 350 |
| 67. | श्री कमला पिता रामचन्द्र | 350 |
| 68. | श्री रामलाल पिता मोडा | 350 |
| 69. | श्री जगदीश पिता भंवरलाल | 350 |
| 70. | श्री घनश्याम पिता भोरीलाल | 350 |
| 71. | श्री मोहन पिता प्रताप | 350 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 72. | श्री माथू पिता रामस्वरूप | 350 |
| 73. | श्री नाथूलाल पिता हूकमीचन्द | 350 |
| 74. | श्री बाबूलाल पिता नारायण | 350 |
| 75. | श्री वरमा पिता मांगीलाल | 350 |
| 76. | श्री सुन्दरलाल पिता गुलाब | 350 |
| 77. | श्री नाथु पिता ऊंकार | 350 |
| 78. | श्री चुन्नीलाल पिता केशा | 350 |
| 79. | श्री अब्दुल लतीफ पिता खुदाबक्ष | 350 |
| 80. | श्री भंरूलाल पिता हजारी | 350 |
| 81. | श्री भूरा पिता रामभारती | 350 |
| 82. | श्री मोहनी पिता मोहनलाल | 350 |
| 83. | श्री कमला पिता ऊंकार | 350 |
| 84. | श्री शान्ती पिता माना | 350 |
| 85. | श्री ऊकार पिता बख्तावर | 350 |
| 86. | श्री भूरी पिता देवा | 350 |
| 87. | श्री बंशीलाल पिता देवा | 350 |
| 88. | श्री ममवन्ती पिता हीरा | 350 |
| 89. | श्री घीसी पिता न्याला | 350 |
| 90. | श्री कमला पिता हेमराज | 350 |
| 91. | श्री मीठू पिता भेरा | 350 |
| 92. | श्री बालूराम पिता काना | 350 |
| 93. | श्री गीता पिता मांगीलाल | 350 |
| 94. | श्री भंवरलाल पिता देवा | 350 |
| 95. | श्री कमला पिता नारु | 350 |
| 96. | श्री केसर पिता भंरुलाल | 350 |
| 97. | श्री दौलतराम पिता उदा | 350 |
| 98. | श्री सुशीला पिता काना | 350 |
| 99. | श्री बाबू पिता इश्माइल | 350 |
| 100. | श्री गोपाल पिता देवा | 350 |
| 101. | श्री श्रीलाल पिता दौला | 350 |
| 102. | श्री गवेरिया पिरा भेरा | 350 |

# Page No 211

(211)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 103. | श्री बद्रीलाल पिता सायर | 350 |
| 104. | श्री लक्ष्मी पिता उदा | 350 |
| 105. | श्री शंकर पिता खेमा | 350 |
| 106. | श्री ग्यारसी पिता मोड़ा | 350 |
| 107. | श्री पाली पिता खेमा | 350 |
| 108. | श्री बाबूलाल पिता ओंकार | 250 |
| 109. | श्री कैलाश पिता ज्ञाना | 350 |
| 110. | श्री मोडीलाल पिता माधू | 350 |
| 111. | श्री भंवरलाल पिता लालू | 350 |
| 112. | श्री लक्ष्मी पिता बालू | 350 |
| 113. | श्री राधाकृष्ण पिता गंगाराम | 250 |
| 114. | श्री पचेर मोहम्मद पिता जुम्मा | 350 |
| 115. | श्री सायरी पिता मंदिलाल | 350 |
| 116. | श्री मिठू पिता मूली | 350 |
| 117. | श्री सजनी पिता मूरालाल | 350 |
| 118. | श्री माया पिता नारायण | 350 |
| 119. | श्री केसी पिता नारू | 350 |
| 120. | श्री यासीन पिता नजीर | 350 |
| 121. | श्री मूली पिता नारायण | 350 |
| 122. | श्री गट्टू पिता नारू | 350 |
| 123. | श्री ओमप्रकाश पिता भालू | 350 |
| 124. | श्री मोहनी पिता बालू | 350 |
| 125. | श्री रामचन्द्र पिता बालू | 350 |
| 126. | श्री रमेशचन्द्र पिता दयालाल | 350 |
| 127. | श्री अकबर पिता अहमद | 350 |
| 128. | श्री बंशीलाल पिता भंवरलाल | 350 |
| 129. | श्री गीता पिता सायर | 350 |
| 130. | श्रीलाला पिता कालू | 350 |
| 131. | श्री ओमप्रकाश पिता नाथू | 350 |
| 132. | श्री चम्बूडी पिता नवला | 350 |
| 133. | श्री केसरी पिता भेरा | 350 |

# Page No 212



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 134. | श्री रामली पिता नारू | 350 |
| 135. | श्री बदरी पिता देवा | 350 |
| 136. | श्री मिठू पिता सायर | 350 |
| 137. | श्री मूला पिता पिरू | 350 |
| 138. | श्री सायर पिता बकतावर | 350 |
| 139. | श्री श्रीराम पिता फकीरा | 350 |
| 140. | श्री प्रकाश पिता सोहन | 350 |
| 141. | श्री नाथूलाल पिता रामस्वरूप | 350 |
| 142. | श्री रफीक पिता रहीम | 350 |
| 143. | श्री सुखलाल पिता ऊंकार | 350 |
| 144. | श्री तुलसीदास पिता भंवरलाल | 350 |
| 145. | श्री रामचन्द्र पिता घन्ना | 350 |
| 146. | श्री मदनलाल पिता शंकरलाल | 350 |
| 147. | श्री रामलाल पिता नाथू | 350 |
| 148. | श्री सजनी पिता दीपा | 350 |
| 149. | श्री रोशनलाल पिता गोमड | 350 |
| 150. | श्री श्यामलाल पिता अन्चा | 350 |
| 151. | श्री रोशन पिता खुमाण | 350 |
| 152. | श्री भंवरलाल पिता मोहन | 350 |
| 153. | श्री रामपाल पिता विद्यासागर | 350 |
| 154. | श्री गणेश पिता मिठू | 350 |
| 155. | श्री रमेश पिता श्रीपाल | 350 |
| 156. | श्री किशनलाल पिता बाबूलाल | 350 |
| 157. | श्री रमेश चन्द्र पिता सुखलाल | 350 |
| 258. | श्री बून्दू पिता नूरमोहम्मद | 350 |
| 159. | श्री कमला पिता भीलू | 350 |
| 160. | श्री चन्दूडी पिता भेरा | 350 |
| 161. | श्री तुलसी पिता घीसा | 350 |
| 162. | श्री प्यारी पिता मोडा | 350 |
| 163. | श्री मोहनलाल पिता काना | 350 |
| 164. | श्री रामली पिता बख्तावर | 350 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 165. | श्री ग्यारसी पिता कालू | 350 |
| 166. | श्री सोहनी पिता पूना | 350 |
| 167. | श्री जमना पिता लखा | 350 |
| 168. | श्री रमेश पिता जुम्मा | 350 |
| 169. | श्री कमला पिता मीठू | 350 |
| 170. | श्री चन्द्र पिता छगना | 350 |
| 171. | श्री मांदू पिता काना | 350 |
| 172. | श्री लादू पिता भेरा | 350 |
| 173. | श्री कासम पिता वजीर | 350 |
| 174. | श्री मदनलाल पिता लक्ष्मण | 350 |
| 175. | श्री ग्रम्बालाल पिता प्रभूलाल | 350 |
| 176. | श्री रामलाल पिता गंगाराम | 350 |
| 177. | श्री प्रकाश पिता मांगीलाल | 350 |
| 178. | श्री श्यामलाल पिता चन्दा | 350 |
| 179. | श्री मांगी पिता नाथू | 350 |
| 180. | श्री भंवरलाल पिता नारु | 350 |
| 181. | श्री नारायण पिता लालू | 350 |
| 182. | श्री राडू पिता देवा | 350 |
| 183. | श्री शंकरलाल पिता बंशीलाल | 350 |
| 184. | श्री चान्दू पिता नाथू | 350 |
| 185. | श्री एनर्लीम पिता मोती | 350 |
| 186. | श्री चतरा पिता ऊदा | 350 |
| 187. | श्री रघुवीरसिंह पिता भगतसिंह | 5500 |
| 188. | श्री रोशनलाल पिता ऐमजमल | 5500 |
| 189. | श्री हीरालाल पिता ग्रम्बालाल | 5500 |
| 190. | श्री केशरीलाल पिता गणपतलाल | 4900 |
| 191. | श्री युसुफग्रली पिता गुलामग्रली | 4600 |
| 192. | श्री गणेशलाल पिता शंकरलाल | 3700 |
| 193. | श्री देवेन्द्रकुमार पिता विजयशंकर | 3750 |
| 194. | श्री बंशीलाल पिता शंकरलाल | 350 |
| 195. | श्री हसीनुदीन पिता ग्रब्दुलरहीम | 5500 |

214



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 196. | श्री जसवन्तसिंह बापना | 350 |
| 197. | श्री श्यामसुन्दर पिता मन्नालाल | 350 |
| 198. | श्री अब्दुललतीफ पिता अब्दुलसकूर | 350 |
| 199. | श्री मानसिंह रांका | 5500 |
| 200. | श्री देवकीनाथ पिता द्वारकानाथ | 3600 |
| 201. | श्री दिलखुश पिता माधवलाल | 4600 |
| 202. | श्री धूलचन्द पिता नगजीराम | 350 |
| 203. | श्री गोपाल पिता नाथू | 350 |
| 204. | श्री अम्बालाल पिता भैरूंलाल | 4600 |
| 205. | श्री नारायणलाल पिता टेकचन्द | 5350 |
| 206. | श्री छोटूलाल पिता राधाकृष्ण | 350 |
| 207. | श्री राधाकृष्ण पिता मोडीलाल | 3700 |
| 208. | श्री गोविन्दलाल पित रामकिशन | 3500 |
| 209. | श्री रामचन्द्र पिता नन्दलाल | 5500 |
| 210. | श्री गणेशलाल पिता अम्बालाल | 4900 |
| 211. | श्री रामेश्वरलाल अग्रवाल | 5500 |
| 212. | श्री नन्दलाल पिता दौलतसिंह | 4900 |
| 213. | श्री रत्नदीप पिता शांतीलाल | 4900 |
| 214. | श्री अनीलकुमार पिता रघुवंश | 3800 |
| 215. | श्री भगवानलाल मिस्त्री | 3500 |
| 216. | श्री भंवरसिंह रोहत | 4900 |
| 217. | श्री मोहन पिता मेघा | 350 |
| 218. | श्री रामा पिता देवा | 350 |
| 219. | श्री शंकरलाल पिता माणा | 350 |
| 220. | श्री देवीलाल पिता प्रताप | 350 |
| 221. | श्री चतरा पिता उदेराम | 350 |
| 222. | श्री एकलिंग पिता मोती | 350 |
| 223. | श्री नाथूलाल पिता वंशीलाल | 350 |
| 224. | श्री कुन्दनमाल पिता नाथूलाल | 350 |
| 225. | श्री मिठू पिता धीसा | 5500 |
| 226. | श्री महेन्द्रसिंह पिता मोडसिंह | 350 |

# Page No 215

(45)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 227. | श्री मोहम्मद अली पिता रहीमबक्ष | 5500 |
| 228. | श्री मोहम्मद हुसैन पिता रहीमबक्ष | 3500 |
| 229. | श्री जीवनसिंह धांवत | 4600 |
| 230. | श्री इब्राहिम पिता अब्बेखां | 350 |
| 231. | श्री वंशीलाल पिता नवनीतलाल | 350 |
| 232. | श्री नारायण पिता श्यामलाल | 350 |
| 233. | श्री मदनसिंह पिता दलपतसिंह | 359 |
| 234. | श्री धन्ना पिता गुम्मा | 350 |
| 235. | श्री हासानन्द ठाकुर | 4750 |
| 236. | श्री रामचन्द पिता विध्यासागर | 350 |
| 237. | श्री पृथ्वीपालसिंह | 3700 |
| 238. | श्री छोगालाल पिता ममता | 5500 |
| 239. | श्री प्रेमचन्द खेराती | 5500 |
| 240. | श्री नन्द किशोर | 4900 |
| 241. | श्री रमेश चन्द्र पिता गणेशलाल | 4900 |
| 242. | श्री किशनसिंह पिता हरिसिंह | 3700 |
| 243. | श्री नाहरसिंह पिता भेरुसिंह | 350 |
| 244. | श्री पुरुषोतमलाल पिता लक्ष्मीलाल | 3700 |
| 245. | श्री अब्दुल सत्तार पिता वजीरखां | 3700 |
| 246. | श्री इन्द्रसिंह पिता रामसिंह | 3750 |
| 247. | श्री मन्जूर अली | 3800 |
| 248. | श्री मोहम्मद उस्मान | 3700 |
| 249. | श्री नारायण पिता माधु | 350 |
| 250. | श्री जगदीश पिता प्रताप | 3600 |
| 251. | श्री धीसू पिता कालू | 5500 |
| 252. | श्री वंशीलाल पिता बख्तावर | 4750 |
| 233. | श्री मांगीलाल पिता कजोड | 350 |
| 254. | श्री मांगीलाल पिता पृथ्वीराम | 3950 |
| 255. | श्री फिदाहुसेन पिता सब्बेखां | 3700 |
| 256. | श्री लालसिंह पिता दुलेसिंह | 350 |
| 257. | श्री अम्बालाल पिता चुन्नीलाल | 350 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 258. | श्री चमनलाल पिता सेवाराम | 350 |
| 359. | श्री रमेश पिता ऊंकार | 350 |
| 260. | श्री लक्ष्मण पिता घासी | 350 |
| 361. | श्री पन्नालाल पिता चन्दा | 350 |
| 262. | श्री इन्द्रलाल पिता सोहनलाल | 350 |
| 263. | श्री बाबूलाल सोहनलाल | 350 |
| 264. | श्री श्यामलाल पिता पन्नालाल | 350 |
| 265. | श्री धन्नालाल पिता धीसा | 350 |
| 266. | श्री मदनलाल पिता नन्दा | 350 |
| 267. | श्री रामलाल पिता रघुनाथ | 350 |

**कार्यालय--नगर परिषद, उदयपुर (राज०)**

भविष्य निधि से दी गई ऋण की राशि की सूची

जनवरी 81 से दिसम्बर 81 तक

| क्र. सं. | नाम कर्मचारी | ऋण का विवरण | राशि | दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री हसीबुदीन | बच्चे का बोलना | 3500 | 3-1-81 |
| 2. | श्री मोतीलाल रूपचन्दानी | प्रसादी बाबत | 2000 | 13-1-81 |
| 3. | श्री पारसमल मांडावत | बच्चे की बोलमा | 1100 | 15-1-81 |
| 4. | श्री नानालाल/चुन्नीलाल | ,, | 700 | 15-1-81 |
| 5. | श्री मुकुट बिहारी भटनागर | ,, | 3400 | 20-1-81 |
| 6. | श्री मुबारक हुसेन | ,, | 700 | 20-1-81 |
| 7. | श्री कुन्दनलाल/बाबूलाल | डिलेवरी | 600 | 20-1-81 |
| 8. | श्री जगदीश/नाथूलाल | बच्चे की बोलमा | 1200 | 20-1-81 |
| 9. | श्री रामचन्द्र/खेमराज | ,, | 1300 | 20-1-81 |
| 10. | श्री मिलू/नाथू | ,, | 2300 | 21-1-81 |
| 11. | श्री श्यामलाल/नन्दा | ,, | 1440 | 21-1-81 |
| 12. | श्री भंवरलाल कोतवाल | ,, | 3600 | 21-1-81 |
| 13. | श्री प्रेमशंकर/चम्पालाल | ,, | 600 | 22-1-81 |
| 14. | श्री नन्दा/पदमा | ,, | 1400 | 22-1-81 |
| 15. | श्री प्रतापसिंह/मोहनसिंह | स्वयं की शादी | 200 | 22-1-81 |
| 16. | श्री प्यारेलाल/कसना | बच्चे की बोलमा | 500 | ,, |
| 17. | श्री लक्ष्मीलाल/पन्नालाल | प्रसादी | 2000 | ,, |
| 18. | श्री नाथू/उदा | बोलमा | 1580 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 19. | श्री संतोष/पीरु | बोलमा | 1300 | 22–1–81 |
| 20. | श्री सोहन/ॐकार | शादी | 1500 | ,, |
| 21. | श्री मोहनी लालू | बोलमा | 1580 | ,, |
| 22. | श्री मिठू/कालू | भाई की शादी | 1500 | ,, |
| 23. | श्री मथुरा/लादू | मायरा | 1500 | ,, |
| 24. | श्री किशनसिंह/हरिसिंह | बोलमा | 1600 | ,, |
| 25. | श्री छोगालाल/मगना | ,, | 2900 | ,, |
| 26. | श्री वशीरव/करीम | ,, | 1500 | ,, |
| 27. | श्री सोहन/देवा | शादी | 1500 | ,, |
| 28. | श्री चंदरी गमेरा | बच्चे की बोलमा | 1580 | ,, |
| 29. | श्री भूरी/देवा | प्रसादी | 1400 | ,, |
| 30. | श्री फखरुदीन/हुसेनबक्ष | प्रसादी | 2300 | ,, |
| 31. | श्री मन्ना/बालू | मकान की मरम्मत | 1000 | ,, |
| 32. | श्री मोडी/रामा | शादी | 1580 | ,, |
| 33. | श्री भंवरलाल/लालू | बोलमा | 1200 | ,, |
| 34. | श्री कादर/ग्रस्सू | ,, | 1580 | ,, |
| 35. | श्री नारायणी/प्यारा | ,, | 1580 | ,, |
| 36. | श्री रतनबाई/भंवर | शादी | 700 | ,, |
| 37. | श्री भवरलाल/लालू | शादी | 1050 | ,, |
| 38. | श्री प्रकाश/सोहन | मकान कार्य | 600 | 23–1–81 |
| 39. | श्री चेना/जाराम | बोलमा | 700 | ,, |
| 40. | श्री इन्द्रलाल/सोहनलाल | शादी | 500 | ,, |
| 41. | श्री रमेश/दयाल | बोलमा | 200 | ,, |
| 42. | श्री खुर्शीद/मोहम्मद | बोलमा | 850 | 28–1–81 |
| 43. | श्री सुशीला/गिरधारी | ,, | 400 | ,, |
| 44. | श्री शबुडी/गणेश | पूजा | 700 | ,, |
| 45. | श्री कमला/बाऊ | शादी | 600 | ,, |
| 46. | श्री ग्रम्बा/मोती | शादी | 600 | ,, |
| 47. | श्री ग्रम्वालाल/घीसा | बोलमा | 200 | ,, |
| 48. | श्री शान्तिलाल/घुपिया | ,, | 4500 | 6–2–81 |
| 49. | श्री मनोहर रूपचन्दानी | ,, | 1800 | ,, |
| 50. | श्री रामदास/रतनदास | ,, | 700 | 10–2–81 |
| 51. | श्री बालकृष्ण/दोलतराम | ,, | 500 | ,, |
| 52. | श्री ॐकार/रामलाल | ,, | 1700 | 18–2–81 |
| 53. | श्री मिठू/गिलू | ,, | 1580 | 19–2–81 |
| 54. | श्री हेमराज/रूपा | पेट का इलाज | 1400 | 19–2–81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 55. | श्री मोडीलाल/माधू | बच्चे की शादी | 1200 | 19-2-81 |
| 56. | श्री इब्राहिम/कासम | बोलमा | 1580 | ,, |
| 57. | श्री बदामी/भेरा | मकान कार्य | 1580 | ,, |
| 58. | श्री ग्रम्बावाल/ॐकार | बोलमा | 1580 | ,, |
| 59. | श्री गुलाबी/नाथू | शादी | 1580 | ,, |
| 60. | श्री लालू/भूरा | ,, | 1580 | ,, |
| 61. | श्री कालू/रोडा | बोलमा | 1500 | ,, |
| 62. | श्री मोदा/माना | ,, | 1270 | ,, |
| 63. | श्री नाथू/जीवा | प्रसादी | 1400 | ,, |
| 64. | श्री जयराम/भज्जा | बोलमा | 1500 | ,, |
| 65. | श्री मोहम्मद/ग्रलादीन | बच्चे की शादी | 1580 | ,, |
| 66. | श्री नूरमोहम्मद/कासम | बोलमा | 1580 | ,, |
| 67. | श्री हेजा/खुदाबक्ष | ,, | 1580 | ,, |
| 68. | श्री रामलाल/भीलू | माता का स्वर्गवास | 300 | ,, |
| 69. | श्री कमला/भीलू | शादी | 1580 | ,, |
| 70. | श्री जगलिया/देवा | बोलमा | 1400 | ,, |
| 71. | श्री वंशीलाल/नवनीतलाल | ,, | 1800 | ,, |
| 72. | श्री ग्रलीमोहम्मद/मिस्त्री | ,, | 3000 | ,, |
| 73. | श्री टमू/चान्दू | शादी | 1580 | ,, |
| 74. | श्री लाला/कसना | बोलमा | 1500 | ,, |
| 75. | श्री हरकली/भूरा | शादी | 1580 | ,, |
| 76. | श्री मांगीलाल/डूमा | शादी | 1580 | ,, |
| 77. | श्री नाथूलालघूपिया | मकान कार्य | 300 | ,, |
| 78. | श्री ग्यारसी/छोगा | बोलमा | 1480 | ,, |
| 79. | श्री सुन्दरलाल/लक्ष्मण | शादी | 1500 | ,, |
| 80. | श्री पृथ्वीपाल यादव | मकान कार्य | 3500 | ,, |
| 81. | श्री शम्मूडी/जुम्मा | शादी | 960 | ,, |
| 82. | श्री ग्यारसी/कालू | बोलमा | 1580 | ,, |
| 83. | केसरी/माधू | ,, | 1580 | ,, |
| 84, | मोहन/काना | ,, | 1580 | ,, |
| 85. | श्री हेम कुमार | मकान निर्माण | 3900 | ,, |
| 86. | श्री प्रभू/हजारी | बोलमा | 700 | ,, |
| 87. | श्री सुशिला/चन्दर | शादी | 700 | ,, |
| 88. | श्री भंवरलाल/दीपलाल | पूजा | 400 | 20-2-82 |
| 89. | श्री जीवनसिंह चावत | बहिन की शादी | 1300 | ,, |
| 90. | श्री भंवरलाल/दीपलाल | बोलमा | 700 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 91. | श्री मारु/माधू | शादी | 700 | 20-2-81 |
| 92. | श्री गणेश/किशन | परसादी | 200 | ,, |
| 93. | श्री पन्नालाल/मोहन | शादी | 500 | 21-2-81 |
| 94. | श्री नाथूलाल/शंकरलाल | परसादी | 1500 | 24-2-81 |
| 95. | श्री शिवसिंह/मेडसिंह | बोलमा | 1100 | ,, |
| 96. | श्री सुन्दर/गुलाब | शादी | 1500 | 25-2-81 |
| 97. | श्री मोहम्मद/अलादीन | ,, | 1580 | ,, |
| 98. | श्री गुलाबी/मोडा | बोलमा | 1380 | ,, |
| 99. | श्री रामबक्ष/सुवा | शादी | 600 | ,, |
| 100. | श्री अम्बालाल/प्रभू | पूजा | 600 | ,, |
| 101. | श्री कमला/ऊँकार | बोलमा | 700 | ,, |
| 102. | श्री सागर/रतना | ,, | 400 | ,, |
| 103. | श्री शांती/रूपा | पूजा | 400 | ,, |
| 104. | श्री कमला/चन्दू | शादी | 600 | ,, |
| 105. | श्री मनोहर/नाथू | ,, | 600 | 28-2-81 |
| 106. | श्री रोशन लाल हरकावत | मकान निर्माण | 4600 | 7-4-81 |
| 107. | श्री रामचन्द्र शर्मा | ,, | 4600 | 13-4-81 |
| 108. | श्री हीरालाल पानेरी | शादी | 3900 | ,, |
| 109. | श्री संतोष कुमार कोठारी | परसादी | 3900 | ,, |
| 110. | श्री चतरसिंह ड्राईवर | बोलमा | 3400 | ,, |
| 111. | श्री मोहमदहुसैन कम्पुटर | ,, | 3900 | ,, |
| 112. | श्री शंकरलाल गायरी | ,, | 1700 | ,, |
| 113. | श्री धनसिंह जमादार | ,, | 1860 | ,, |
| 114. | श्री गोपीलाल | शादी | 1600 | ,, |
| 115. | श्री लेहरीलाल | शादी | 2300 | ,, |
| 116. | श्री मारमल पामेचा | बोलमा | 2700 | ,, |
| 117. | श्री रमेश मिर्घा | शादी | 3000 | ,, |
| 118. | श्री गणेशलाल पालीवाल | मायरा | 1200 | ,, |
| 119. | श्री लक्ष्मी जेठानी | बोलमा | 1200 | ,, |
| 120. | श्री रत्नदीप दवे | बोलमा | 1400 | 14-4-81 |
| 121. | श्री दयानन्द दांत्या | शादी | 3780 | 15-4-81 |
| 122. | श्री जसवन्तसिंह बापना | परसादी | 3400 | ,, |
| 123. | श्री देवेन्द्र मोड | ,, | 1790 | 16-4-81 |
| 124. | श्री लक्ष्मण/घासी | ,, | 1690 | ,, |
| 125. | श्री मोहमदरहीम खां | बोलमा | 1900 | ,, |
| 126. | श्री जगदीशलाल अरोड़ा | ,, | 1400 | ,, |
| 127. | श्री नारायण/गोदा | शादी | 1500 | ,, |
| 128. | श्री उदा/नेता | बोलमा | 1490 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 129. | श्री शंकरलाल/सूरजमल | बोलमा | 2100 | 16-4-81 |
| 130. | श्री मदनलाल/बाऊ | ,, | 1300 | ,, |
| 131. | श्री रहीमबक्ष/जस्सू | ,, | 1690 | ,, |
| 132. | श्री साबू/भूरा | शादी | 1680 | ,, |
| 133. | श्री बाहरसिंह/भेरूसिंह | बोलमा | 2000 | ,, |
| 134. | श्री सुडा/पीरू | शादी | 2850 | 18-4-81 |
| 135. | श्री मोतीलाल/मगना | ,, | 2100 | ,, |
| 136. | श्री भेरूलाल/अमरा | परसादी | 3200 | ,, |
| 137. | श्री मोहम्मदहुसैन जमादार | बोलमा | 1170 | ,, |
| 138. | श्री कमाल एहमद | ,, | 3400 | 21-4-81 |
| 139. | श्री बाली/छोगा | शादी | 1500 | ,, |
| 140. | श्री अजीमन/मदारी | ,, | 1600 | ,, |
| 141. | श्री चान्दी/बख्तावर | ,, | 1580 | ,, |
| 142. | श्री बदामी/नेनू | ,, | 1580 | ,, |
| 143. | श्री तुलसी/धीसा | ,, | 1580 | ,, |
| 144. | श्री जमनी/धीसा | बोलमा | 1590 | ,, |
| 145. | श्री सजनी/शम्भु | शादी | 1580 | ,, |
| 146. | श्री मिठू/सायर | ,, | 1100 | ,, |
| 147. | श्री भूरी/खुदाबक्ष | पूजा | 1580 | ,, |
| 148. | श्री अब्दुललतीफ रमजानी | मायरा | 1600 | ,, |
| 149. | श्री अब्दुललतीफ मसीता | बोलमा | 1500 | ,, |
| 150. | श्री मोहम्मद/छोटू | ,, | 1580 | ,, |
| 151. | श्री मोहम्मद/कासम | ,, | 1580 | ,, |
| 152. | श्री केसी/मांगू | शादी | 1370 | ,, |
| 153. | श्री केसी/बारू | पूजा | 1580 | ,, |
| 154. | श्री धापू/छोगा | पूजा | 1580 | ,, |
| 155. | श्री सूआ/रतना | शादी | 1500 | ,, |
| 156. | श्री सुन्दर/कजोड़ | मकान निर्माण | 1600 | ,, |
| 157. | श्री सुवानी/पीरू | पूजा | 1580 | ,, |
| 158. | श्री गंगा/वरदा | ,, | 1580 | ,, |
| 159. | श्री कस्तूरी/नेनू | ,, | 1490 | ,, |
| 160. | श्री सजनी/सवा | शादी | 1500 | ,, |
| 161. | श्री गैना/हंसा | ,, | 1500 | , |
| 162. | श्री रूकमा/बाबू | ,, | 1500 | ,, |
| 163. | श्री शान्ती/चन्द्र | बोलमा | 1500 | ,, |
| 164. | श्री दाबी/नाथू | शादी | 1570 | ,, |
| 165. | श्री कंचन/वरदा | बोलमा | 1450 | ,, |
| 166. | श्री वरमा/मांगीलाल | पूजा | 1250 | ,, |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 167. श्री जगन्नाथ/मना | बोलमा | 1500 | 21-4-81 |
| 168. श्री बारू/माना | शादी | 1500 | ,, |
| 169. श्री मांगीलाल/अम्बालाल | पूजा | 1350 | ,, |
| 170. श्री चन्दी/कजोड | ,, | 1580 | ,, |
| 171. श्री सुन्दरी/माघू | शादी | 1500 | ,, |
| 172. श्री सूडा/लालू | ,, | 1580 | ,, |
| 173. श्री चमनलाल/सेवाराम | ,, | 1570 | ,, |
| 174. श्री अनिलकुमार भट्ट | बोलमा | 3900 | ,, |
| 175. श्री खेमा/देवा | ,, | 1780 | 23-4-81 |
| 176. श्री बदाम/भेरा | मकान बनाने | 1080 | ,, |
| 177. श्री सोहनी/सीताराम | शादी | 1600 | 28-4-81 |
| 178. श्री केशवलाल वडेरा | बोलमा | 1200 | 30-4-81 |
| 179. श्री बाबूलाल सोहनलाल | पूजा | 1200 | ,, |
| 180. श्री राधाकृष्ण मोडीलाल | शादी | 2300 | ,, |
| 181. श्री पुष्करनारायण माथुर | ,, | 5100 | 1-5-81 |
| 182. श्री यदुनन्दन गोड़ | बोलमा | 1700 | ,, |
| 183. श्री श्यामलाल/मिट्ठू | पूजा | 750 | ,, |
| 184. श्री पानी हरा | शादी | 750 | ,, |
| 185. श्री कंकू/गिरधारी | ,, | 750 | ,, |
| 186. श्री राधा नाथू | ,, | 750 | ,, |
| 187. श्री श्यामलाल चन्दा | ,, | 200 | ,, |
| 188. श्री गट्टू नारू | बोलमा | 750 | 2-5-81 |
| 189. श्री बसन्ती भीमा | पूजा | 750 | ,, |
| 190. श्री अम्बालाल लालू | बोलमा | 750 | ,, |
| 191. श्री रथी/घीसा | ,, | 750 | ,, |
| 192. श्री लीला/डालू | मकान बनाने | 750 | ,, |
| 193. श्री सवा/मुन्ना | बोलमा | 750 | ,, |
| 194. श्री सोहनी/किशोर | ,, | 750 | ,, |
| 195. श्री मदनलाल/शंकर | शादी | 750 | ,, |
| 196. श्री जमील/पीरू | पूजा | 750 | ,, |
| 197. श्री रतनलाल/भेरा | बोलमा | 750 | ,, |
| 198. श्री लालू/परथा | ,, | 750 | ,, |
| 199. श्री मनोहरसिंह नलवाया | शादी | 4500 | ,, |
| 200. श्री पन्नालाल/दीपलाल | बोलमा | 1760 | ,, |
| 201. श्री भेरूलाल/मोतीलाल | परसादी | 700 | 4-5-81 |
| 202. श्री कमलिया/हीरा | बोलमा | 500 | ,, |
| 203. श्री तुलसीदास/भवरलाल | ,, | 400 | ,, |
| 204. श्री हरिराम/टींकू | ,, | 750 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 205. | श्री रामूड़ी/गोपाल | ,, | 750 | 4–5–81 |
| 206. | श्री लेहरी/छोगा | ,, | 750 | ,, |
| 207. | श्री महीपाल/मोतीलाल | यात्रा | 400 | ,, |
| 208. | श्री बादमी/पीरू | मायरा | 750 | ,, |
| 209. | श्री शान्ती/छोगा | पूजा | 750 | ,, |
| 210. | श्री बाबूलाल/हूकमचन्द | बोलमा | 500 | ,, |
| 211. | श्री रमेश/उदा | पूजा | 750 | 5–5–81 |
| 212. | श्री कमला/कुशाल | बोलमा | 750 | ,, |
| 213. | श्री अलारखी/नूरा | ,, | 750 | ,, |
| 214. | श्री शिवसिंह/रामसिंह | ,, | 1280 | 6–5–81 |
| 215. | श्री पुरुषोतम पुरी | ,, | 1400 | ,, |
| 216. | श्री नजरमोहम्मद | ,, | 2200 | ,, |
| 217. | श्री नारायणलाल पालीवाल | शादी | 2790 | ,, |
| 218. | श्री मानसिंह रोका | बोलमा | 3400 | 7–5–81 |
| 219. | श्री हरिनारायण मिस्त्री | ,, | 3000 | ,, |
| 220. | श्री किशनलाल सालवी | शादी | 1590 | ,, |
| 221. | श्री कूका/दुर्गा | बोलमा | 500 | ,, |
| 222. | श्री रामचन्द्र/छोगा | पूजा | 700 | ,, |
| 223. | श्री लेहरु/अम्बालाल | ,, | 750 | ,, |
| 224. | कुन्दन/अम्बालाल | बोलमा | 1100 | 8–5–81 |
| 225. | महजरअली वोहरा | बोलमा | 3780 | 8-5-81 |
| 226. | पन्नालाल/परशराम | ,, | 1700 | 11-5-81 |
| 227. | रामा/काना | ,, | 750 | ,, |
| 228. | सजबी/भुरा | ,, | 1600 | ,, |
| 229. | रमेश/नाथू | डिलेवरी | 600 | ,, |
| 230. | रामचन्द/मीणा | शादी | 750 | 13-5-81 |
| 231. | दिलखुश कावडिया | बोलमा | 1300 | ,, |
| 232. | प्रभूलाल | शादी | 500 | ,, |
| 233. | मदनसिंह | बोलमा | 200 | ,, |
| 234. | बिहारीलाल | बोलमा | 750 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 235. | श्री उदयसिंह | बोलमा | 750 | 14-5-81 |
| 236. | श्री लेहरी लाल | बोलमा | 600 | ,, |
| 237. | श्री मोहम्मद हुसेन | बोलमा | 750 | ,, |
| 238. | श्री सुन्दरलाल | परसादी | 229 | ,, |
| 239. | श्री अम्बालाल | बोलमा | 1370 | ,, |
| 230. | श्री नारायण/हमेरा | शादी | 3300 | ,, |
| 241. | श्री ग्यारसी/छोगा | पुजा | 1560 | 15-5-81 |
| 242. | श्री प्रेमचन्द/खेराती | शादी | 3200 | ,, |
| 243. | श्री पनकी/मगना | बोलमा | 1580 | ,, |
| 244. | श्री नारायण/रूपा | शादी | 1690 | ,, |
| 245. | श्री चन्दूडी नवला | बोलमा | 1690 | ,, |
| 246. | श्री दौलत/ऊंकार | मकान निर्माण | 2600 | ,, |
| 247. | श्री शांती/मांगू | शादी | 1660 | ,, |
| 248. | श्री सजनी/काना | बोलमा | 1580 | ,, |
| 249. | श्री मिठू/कजोड | बोलमा | 1690 | ,, |
| 250. | श्री कमला/जमनालाल | ,, | 1660 | ,, |
| 251. | श्री मोहनी/भगवान | पूजा | 1300 | ,, |
| 252. | श्री सोहनी/धांमा | ,, | 1690 | ,, |
| 253. | श्री रमेश/ऊंकार | शादी | 1090 | ,, |
| 254. | श्री जानकी/भेरा | बोलमा | 1580 | ,, |
| 255. | श्री ग्यारसी/मांगू | मायरा | 1560 | ,, |
| 256. | श्री मोहनी/सवा | ,, | 1270 | ,, |
| 257. | श्री कस्तूरी/मगलिया | शादी | 1690 | 20-5-81 |
| 258. | श्री घीसी/न्याला | पूजा | 1660 | ,, |
| 259. | श्री मौरी/काना | ,, | 1660 | ,, |
| 260. | श्री नारायण/हरीराम | पूजा | 1600 | 20-5-81 |
| 261. | श्री गोपाल/देवा | ,, | 1660 | ,, |
| 262. | श्री फकीरमोहम्मद/ | बोलमा | 1680 | ,, |
| 263. | श्री रामसिंह | बच्चे की शादी | 1800 | ,, |
| 264. | श्री गिरधारी सिंह | शादी | 2400 | ,, |

# Page No 224

(२२४)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 265. | श्री रामचन्द | बोलमा | 1600 | 20-5-81 |
| 266. | श्री बसीर/घीसू | मगनी | 1690 | ,, |
| 267. | श्री गुलाबी/रामा | पूजा | 1690 | ,, |
| 268. | श्री हूरा/सुलेमान | शादी | 1660 | ,, |
| 269. | श्री गणेशलाल/बेगा | यात्रा | 1150 | ,, |
| 270. | श्री दीपलाल/भीमराज | सामाजिक उत्सव | 1300 | ,, |
| 271. | श्री नारायणलाल | शादी | 750 | ,, |
| 272. | श्री नानी/मूला | बोलमा | 750 | ,, |
| 273. | श्री अमरसिंह | शादी | 750 | ,, |
| 274. | श्री जुम्मा/कालू | शादी | 400 | ,, |
| 275. | श्री सुखलाल/नारायण | बोलमा | 750 | 21-5-81 |
| 276. | श्री ऊंकारलाल/राधाकृष्ण | बोलमा | 750 | ,, |
| 277. | श्री राजू/काना | बोलमा | 200 | ,, |
| 278. | श्री लाला/घीसा | ,, | 750 | ,, |
| 279. | श्री कमला/ऊंकार | ,, | 750 | ,, |
| 280. | श्री सुवान/खाजू | ,, | 750 | ,, |
| 281. | श्री शंभूसिंह रांका | पढ़ाई हेतु | 4700 | ,, |
| 282. | श्री सुशीला/काना | बोलमा | 750 | 22-5-81 |
| 283. | श्री सायर/सूरजा | बोलमा | 750 | ,, |
| 284. | श्री भंवरलाल/हीरालाल | ,, | 750 | ,, |
| 285. | श्री कमला/हमेरा | शादी | 750 | ,, |
| 286. | श्री गोदावरी/भेरा | शादी | 750 | ,, |
| 287. | श्री मूला/भेरा | बोलमा | 750 | ,, |
| 288. | श्री कमला/नूरा | शादी | 750 | ,, |
| 289. | श्री अब्दुल कादर | बोलमा | 3900 | 23-5-81 |
| 290. | श्री किशनलाल/बाबूलाल | पूजा | 700 | ,, |
| 291. | रमेश/श्रीपाल | शादी | 750 | ,, |
| 292. | श्री मोहनलाल/गोपाल | जागरण | 1000 | ,, |
| 293. | श्री सादिक/खुदाबक्ष | मगनी | 1580 | 25-5-81 |
| 294. | श्री नूर मोहम्मद/पीरबक्ष | बोलमा | 750 | 26-5-81 |
| 295. | श्री शांती/नाथू | पूजा | 750 | 26-5-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 296. | श्री वंशीलाल | बोलमा | 250 | 26–5–81 |
| 297. | श्री हरीप्रकाश | पूजा | 300 | ,, |
| 298. | सुखी/किशोर | बोलमा | 400 | ,, |
| 299. | श्री भैरूलाल/कालू | ,, | 500 | ,, |
| 300. | रोशन ओगड | ,, | 500 | ,, |
| 301. | पूरण/रामभारती | ,, | 500 | ,, |
| 302. | श्री भंवरलाल/मोहन | पूजा | 750 | 27–5–81 |
| 303. | श्री मनोहरलाल/ऊंकार | बोलमा | 100 | ,, |
| 304. | गिता/चान्दू | ,, | 750 | ,, |
| 305. | वच्रूराम/मोडा | ,, | 100 | ,, |
| 306. | श्री राधाकिशन धाबाई | ,, | 164 | ,, |
| 307. | श्री नजरसिंह कंठालिया | बोलमा | 3900 | 9–8–81 |
| 308. | श्री शंकरलाल पालीवाल | ,, | 3300 | 8–6–81 |
| 309. | श्री भंवरलाल कोठारी | ,, | 3300 | 9–6–81 |
| 310. | श्री भंवरलाल छापरवाल | शादी | 4260 | 10–6–81 |
| 311. | श्री युसुफ अली अत्तारी | बोलमा | 1380 | 12–6–81 |
| 312. | श्री रघुवीरसिंह राठौड | ,, | 1650 | 12–6–81 |
| 313. | श्री पुरुषोतम माली | ,, | 3500 | 19–6–81 |
| 314. | श्री कृष्ण चन्द आमेटा | ,, | 700 | 17–6–81 |
| 315. | श्री मोहब्बतसिंह | ,, | 3400 | 18–6–81 |
| 316. | श्री मगलिया/भेरा | शादी | 1600 | 18–6–81 |
| 317. | श्री मोहनलाल | बोलमा | 2600 | ,, |
| 318. | श्री लाला/काना | शादी | 1600 | ,, |
| 319. | श्री लक्ष्मण/चतुर्भुज | बोलमा | 1660 | ,, |
| 320. | श्री अम्बालाल | शादी | 3300 | ,, |
| 321. | श्री रोशनखां | ,, | 2970 | ,, |
| 322. | श्री अलानूर | बोलमा | 3000 | 23–6–81 |
| 323. | श्री प्यारी/जवेरा | पूजा | 1660 | 22–6–81 |
| 324. | श्री बफाती/अलादीन | मिनत | 1690 | ,, |
| 325. | सीता/ओगड | बोलमा | 1660 | 22–6–81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 326. | श्री वसीरखां | मायरा | 1690 | 22-6-81 |
| 327. | श्री चान्दू/छगना | बोलमा | 1660 | ,, |
| 328. | श्री मघू/सूडा | मिनत | 800 | ,, |
| 329. | श्री सुन्दर/छोटू | शादी | 1660 | ,, |
| 330. | श्री कमला/मूला | मकान मरम्मत | 1690 | ,, |
| 331. | श्री जमनी/गोपाल | शादी | 1660 | ,, |
| 332. | श्री सजनी/दीपा | बोलमा | 1580 | ,, |
| 333. | श्री गंगा/हमेरा | शादी | 1690 | ,, |
| 334. | श्री सुखा/खुदाबक्ष | शादी | 1400 | ,, |
| 335. | श्री कलावती/रामभारती | शादी | 750 | ,, |
| 336. | श्री गणेशलाल/मोहन | पूजा | 700 | ,, |
| 337. | श्री मानू/गंगाराम | पूजा | 750 | ,, |
| 338. | श्री विजयसिंह मोहनसिंह | बोलमा | 750 | ,, |
| 339. | श्री किशन/पेमा | पूजा | 750 | ,, |
| 340. | श्री कालू/देवा | बोलमा | 250 | ,, |
| 341. | श्री बाबूलाल/मिठू | मायरा | 750 | 26-6-81 |
| 343. | श्री किशोरी/कालू | बोलमा | 750 | 25-6-81 |
| 344. | श्री ग्यारसी/उदा | ,, | 750 | ,, |
| 345. | श्री लक्ष्मण/मूलचन्द | बोलमा | 750 | ,, |
| 346. | श्री भगवानलाल | ,, | 1200 | ,, |
| 347. | श्री चन्दरलाल | बोलमा | 700 | 24-8-81 |
| 348. | श्री खातून/अलादीन | मायरा | 250 | 25-6-81 |
| 349. | श्री रामनिवास | बोलमा | 200 | ,, |
| 350. | श्री नन्दराम | बोलमा | 750 | ,, |
| 351. | श्री सकूर/खालू | ,, | 750 | ,, |
| 352. | श्री सूरजी/कन्हैयालाल | ,, | 600 | 24-6-81 |
| 353. | श्री भगवन्ती/हीरा | ,, | 600 | ,, |
| 354. | श्री रमेशचन्द्र/सोहनलाल | पूजा | 700 | ,, |
| 355. | श्री भगवतीलाल | बोलमा | 750 | ,, |
| 356. | श्री रामपाल | ,, | 550 | 29-6-81 |
| 357. | श्री सुरेशकुमार | ,, | 400 | 3-7-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 358. | श्री अमजदअली | बोलमा | 900 | 14–7–81 |
| 359. | श्री केशरसिंह | ,, | 900 | 14–7–81 |
| 360. | श्री हीरालाल | ,, | 750 | ,, |
| 361. | श्री जगदीशलाल राजपूत | ,, | 750 | ,, |
| 362. | श्री नन्दकिशोर | ,, | 2500 | ,, |
| 363. | श्री रघुनाथसिंह | ,, | 1860 | ,, |
| 364. | श्री लक्ष्मीलाल | ,, | 3450 | ,, |
| 365. | श्री भंवरसिंह रोहत | ,, | 2940 | ,, |
| 366. | श्री कालू | ,, | 2940 | 20–7–81 |
| 367. | श्री मांगीलाल नामदा | ,, | 1470 | ,, |
| 368. | श्री रहीमबक्ष खां | शादी | 1660 | ,, |
| 369. | श्री अम्बावी/भारमल | बोलमा | 1690 | ,, |
| 370. | श्री हसन/अब्दुल | पूजा | 1700 | ,, |
| 371. | श्री सायर/बख्तावर | शादी | 1660 | ,, |
| 372. | श्री मूली/मज्जा | ,, | 1690 | ,, |
| 373. | श्री जुम्मा/पीरू | ,, | 1580 | ,, |
| 374. | श्री माधु/कालु | बोलमा | 1380 | ,, |
| 375. | श्री सायरी/गोकल | शादी | 1580 | ,, |
| 376. | श्री कमला/मोडा | ,, | 1580 | ,, |
| 377. | श्री चान्दी/मोडा | यात्रा | 1690 | ,, |
| 378. | श्री खातून/कजोड | बोलमा | 1660 | 20–7–81 |
| 379. | श्री काली/भूरा | यात्रा | 1660 | ,, |
| 380. | श्री जमनादास | परसादी | 2700 | ,, |
| 381. | श्री बंशीलाल/बख्तावर | पूजा | 1350 | 21–7–81 |
| 382. | श्री बाबूलाल | बोलमा | 600 | ,, |
| 383. | श्री देवीलाल | परसादी | 400 | ,, |
| 384. | श्री मोहन/पेमा | बोलमा | 400 | ,, |
| 385. | श्री सुन्दर/रुपा | पूजा | 250 | ,, |
| 386. | श्री सजनी/मांगीलाल | ,, | 250 | ,, |
| 387. | श्री मांगी/डालू | ,, | 750 | ,, |
| 388. | श्री बदामी/उमेद | ,, | 250 | ,, |

# Page No 228

(228)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 389. | श्री सुशीला | पूजा | 750 | 21-7-81 |
| 390. | श्री वहीदुदीन | बोलमा | 3900 | ,, |
| 391. | श्री मन्सूरअली | मिनत | 3000 | 22-7-81 |
| 392. | श्री लाला/हंजा | बोलमा | 750 | ,, |
| 393. | श्री केसूलाल | पूजा | 750 | ,, |
| 394. | श्री ओमप्रकाश | मकान बनाने | 1000 | 23-7-81 |
| 395. | श्री कैलाश/मिठू | पूजा | 750 | ,, |
| 396. | श्री प्रभा/रामा | पूजा | 750 | ,, |
| 397. | श्री किशनलाल | बोलमा | 850 | ,, |
| 398. | श्री कासम/वजीर | ,, | 750 | ,, |
| 399. | श्री आजाद/बंशीलाल | पूजा | 450 | 24-7-81 |
| 400. | श्री हुसेनी/सुवराती | बोलमा | 300 | ,, |
| 401. | श्री गणेश/डालू | ,, | 600 | ,, |
| 402. | श्री भंवरी/नेनू | शादी | 750 | ,, |
| 403. | श्री लाली/हमेरा | बोलमा | 750 | ,, |
| 404. | श्री देवीलाल | पूजा | 650 | ,, |
| 405. | श्री बाबूलाल | ,, | 250 | ,, |
| 406. | श्री शान्ता/अम्बालाल | शादी | 250 | ,, |
| 407. | श्री रघुवीर/रामस्वरूप | पूजा | 250 | ,, |
| 408. | श्री मांगीलाल | बोलमा | 750 | 30-7-81 |
| 409. | श्री भैरूलाल/देवा | परसादी | 300 | ,, |
| 410. | श्री उमेश दौल्या | बोलमा | 1300 | 5-8-81 |
| 411. | श्री अम्बालाल वर्मा | ,, | 2760 | 6-8-81 |
| 412. | श्री द्वारकाप्रसाद | बोलमा | 4740 | ,, |
| 413. | श्री रोशनलाल | मकान कार्य | 4600 | 6-8-81 |
| 414. | श्री महेन्द्रसिंह | बोलमा | 1200 | 7-8-81 |
| 415. | श्री भूरीलाल | ,, | 1200 | ,, |
| 416. | श्री लक्ष्मण/पेमा | ,, | 2500 | ,, |
| 417. | श्री चुन्नीलाल | ,, | 750 | 12-8-81 |
| 418. | श्री कन्हैयालाल | ,, | 750 | ,, |
| 419. | श्री शान्ता/माना | पूजा | 750 | 13-8-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 420. | श्री श्यामा/रतना | पूजा | 750 | 3-8-81 |
| 421. | श्री गोपालकृष्ण | ,, | 300 | ,, |
| 422. | श्री लक्ष्मणसिंह | बोलमा | 1300 | ,, |
| 423. | श्री सूलेमान | परसादी | 2700 | 14-8-81 |
| 424. | श्री पवनकुमार | परसादी | 2700 | ,, |
| 425. | श्री किशनसिंह | बोलमा | 2390 | ,, |
| 426. | श्री गणेश/मंगा | ,, | 1200 | ,, |
| 427. | श्री नाथू/धन्ना | ,, | 1660 | ,, |
| 428. | श्री लेहरी/मनी | ,, | 1660 | ,, |
| 429. | श्री जनत बाई | पूजा | 1660 | ,, |
| 430. | श्री मोहनी/मूला | मायरा | 1690 | ,, |
| 431. | श्री सुशीला/भैरा | पूजा | 1690 | ,, |
| 432. | श्री नजीर/अब्दुल | मिनत | 1690 | ,, |
| 433. | श्री सकूर/खुदाबक्ष | शादी | 1690 | ,, |
| 434. | श्री सोहनी/उदा | पूजा | 1660 | ,, |
| 435. | श्री राजली नाथ | मकान कार्य | 1690 | ,, |
| 436. | श्री लेहरी/नानूराम | पुत्र विवाह | 1660 | ,, |
| 437. | श्री किशनी/रामा | पूजा | 1690 | ,, |
| 438. | श्री सीता/मगना | बोलमा | 1250 | ,, |
| 439. | श्री इन्द्रलाल | ,, | 2500 | ,, |
| 440. | श्री कौशल्या | यात्रा | 1580 | 19-8-81 |
| 441. | श्री शफी मोहम्मद | मायरा | 1660 | ,, |
| 442. | श्री महेन्द्रसिह/शिवनाथ | बोलमा | 900 | ,, |
| 443. | श्री महावीर प्रसाद | परसादी | 600 | ,, |
| 444. | श्री नाहरसिह | बोलमा | 750 | ,, |
| 445. | श्री सरतकुमार | परसादी | 700 | 20-8-81 |
| 446. | श्री भरतसिह | ,, | 750 | ,, |
| 447. | श्री चन्द्र प्रकाश | बोलमा | 750 | ,, |
| 448. | श्री मोडा/डालू | बोलमा | 750 | 20-8-81 |
| 449. | श्री उदा/कन्ना | ,, | 750 | ,, |
| 450. | श्री दला/कन्ना | ,, | 750 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 451. | श्री इब्राहिम/नजीरबेग | बोलमा | 750 | 20–8–81 |
| 452. | श्री तिलोक/रुपा | ,, | 750 | ,, |
| 453. | श्री गोपाल/गणेश | ,, | 750 | ,, |
| 454. | श्री गोवर्धनसिंह | ,, | 750 | ,, |
| 455. | श्री मनोहरी/नाथू | ,, | 250 | ,, |
| 456. | श्री शान्ता/रामा | ,, | 350 | ,, |
| 457. | श्री लक्ष्मी/उदा | ,, | 300 | ,, |
| 458. | श्री दौलत/दलाल | ,, | 300 | ,, |
| 458. | श्री सजनी/काना | ,, | 750 | ,, |
| 459. | श्री रामलाल/मोडा | ,, | 250 | ,, |
| 460. | श्री सुखी/रणजीत | ,, | 700 | ,, |
| 461. | श्री कन्चन/भंवरलाल | ,, | 250 | ,, |
| 462. | श्री किशनलाल/रुपलाल | ,, | 400 | ,, |
| 463. | श्री सबीर/सुबराती | ,, | 750 | ,, |
| 464. | श्री सन्तोषी/कालू | ,, | 750 | ,, |
| 465. | श्री रतन/गोवर्धन | ,, | 250 | 25–8–81 |
| 466. | श्री राजू/देवा | ,, | 200 | ,, |
| 467. | श्री हसन/रमजानी | ,, | 650 | ,, |
| 468. | श्री सायरी/कालू | ,, | 700 | ,, |
| 469. | श्री रतन/पन्नालाल | ,, | 400 | ,, |
| 470. | श्री मांगी/बालू | ,, | 300 | ,, |
| 471. | श्री रुक्मा/हजारी | ,, | 300 | ,, |
| 472. | श्री बद्रीलाल/सायर | ,, | 200 | ,, |
| 473. | श्री गीता/माधू | पूजा | 300 | ,, |
| 474. | श्री जगदीश/भंवरलाल | बोलमा | 250 | ,, |
| 475. | श्री मेमुना/सुलेमान | ,, | 250 | ,, |
| 476. | श्री मन्जूरअली/गुलामअली | ,, | 1100 | 5–9–81 |
| 477. | श्री लक्ष्मीलाल/पालीवाल | बोलमा | 660 | ,, |
| 478. | श्री सुरेशचन्द्र स्वर्णकार | ,, | 1330 | ,, |
| 479. | श्री किशन/भेरू | ,, | 750 | 14–9–81 |
| 480. | श्री देवीलाल/इन्द्रलाल | ,, | 750 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 481. | श्री देवीलाल/नारायण | बोलमा | 750 | 14-9-81 |
| 482. | श्री श्यामसुन्दर/मन्नालाल | बोलमा | 750 | ,, |
| 483. | श्री केसरी/नाथू | पूजा | 1660 | ,, |
| 484. | श्री मांगीलाल/पृथ्वीराज | बोलमा | 750 | ,, |
| 485. | श्री चन्दनलाल/गोपी | धार्मिक कार्य | 3500 | 17-9-81 |
| 486. | श्री रामपाल | पूजा कार्य | 750 | ,, |
| 487. | श्री घनश्यामलाल | बोलमा | 750 | ,, |
| 488. | श्री मांगीलाल | बोलमा | 450 | ,, |
| 489. | श्री नाथूलाल | ,, | 2000 | ,, |
| 490. | श्री नारायण/नाथू | शादी | 2940 | ,, |
| 491. | श्री सुखलाल/मूलचन्द | बोलमा | 1660 | ,, |
| 492. | कमलाबाई | ,, | 1660 | ,, |
| 493. | जमना/मज्जा | ,, | 1080 | ,, |
| 494. | श्री मांगू/राजा | शादी | 1690 | ,, |
| 495. | श्री नाथी/पन्ना | बोलमा | 1580 | ,, |
| 496. | श्री टांक/नाथू | शादी | 1660 | ,, |
| 497. | श्री ऊंकार/बख्तावर | बोलमा | 1660 | ,, |
| 498. | श्री जुम्मा/मदारी | ,, | 1660 | ,, |
| 499. | श्री एनकी न्याला | पूजा | 1690 | ,, |
| 500. | श्री लेहरी/देवा | बोलमा | 1480 | ,, |
| 501. | श्री अब्दुल/अयूब | पूजा | 1690 | ,, |
| 502. | श्री मिठू/कजोड | पूजा | 1690 | ,, |
| 503. | श्री हसन/नजीर | शादी | 750 | ,, |
| 504. | श्री तारा/कालू | पूजा | 1690 | ,, |
| 505. | श्री खुदाबक्ष चांद | बोलमा | 1690 | ,, |
| 506. | श्री हुसेनी/अम्बाव | पूजा | 1690 | ,, |
| 507. | श्री चेनी/कजोड | बोलमा | 1690 | ,, |
| 508. | श्री सुखी/मोटू | शादी | 1560 | ,, |
| 509. | श्री चम्पली/फता | मिनत | 1690 | ,, |
| 510. | श्री गोर्धन/ऊंकार | मायरा | 1580 | ,, |
| 511. | श्री तेजा/होमा | बोलमा | 1350 | ,, |

# Page No 232

(232)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 512. | श्री उमराव अहमद | पूजा | 750 | 17–9–81 |
| 513. | श्री शंकर मीणा | बोलमा | 750 | ,, |
| 514. | श्री लक्ष्मी छग्गू | पूजा | 750 | ,, |
| 515. | श्री श्यामलाल न्याला | ,, | 700 | ,, |
| 516. | श्री मोतीलाल लोकूमल | मकान निर्माण | 2700 | ,, |
| 517. | श्री समर्थसिंह बाबेल | बोलमा उतारने | 1000/– | 18–9–81 |
| 518. | श्री भगवन्ती/अम्बालाल | लड़के की पूजा | 750/– | 28–9–81 |
| 519. | श्री रामलाल/धीसूलाल | पूजा उतारने | 600/– | 22–9–81 |
| 520. | श्री महेन्द्रसिंह/मोडसिंह | मकान रिपेयर | 750/– | 22–9–81 |
| 521. | श्री उदा पिता फुला | लडके की बोलमा | 750/– | 22–9–81 |
| 522. | श्री घीसू/अम्बालाल | बच्चे की बोलमा | 750/– | 23–9–81 |
| 523. | श्री बाबूलाल/मांगीलाल | बच्चे की पूजा | 750/– | 23–9–81 |
| 524. | श्री डालचंद/लालू | बच्चे की पूजा | 400/– | 23–9–81 |
| 525. | श्री किशन/नाथूजी हरिजन | बच्चे की बोलमा | 300/– | 23–9–81 |
| 526. | श्री कैलाश/सागर | बच्चे की बोलमा | 350/– | 23–9–81 |
| 527. | श्री खातून/कामुदीन | लडले की मंगनी उतराने | 300/– | 23–9–81 |
| 528. | श्री जनत/अलाउदीन | मायरा ले जाना है | 750/– | 24–9–81 |
| 529. | श्री नूर फरयाद | बच्चे की बोलमा उतारना | 700/– | 24–9–81 |
| 530. | श्री कमला पिता चम्पा | लडके की शादी | 550/– | 24–9–81 |
| 531. | श्री बिहारी/डालू | बच्चे की बोलमा | 750/– | 24–9–81 |
| 532. | श्री पुरुषोतमलाल/जगन्नाथ | बच्चे की बोलमा | 750/– | 24–9–81 |
| 533. | श्री हरिश्चंद/श्यामलाल | बच्चे की बोलमा | 750/– | 28–9–81 |
| 534. | श्री अम्बालाल/गणेश | शादी होने के कारण | 300/– | 28–9–91 |
| 535. | श्री रामचंद/बालू | बच्चे की बोलमा | 550/– | 28–9–81 |
| 536. | श्रीमती सुशीला/भैरूलाल | बच्चे की शादी | 350/– | 12–10–81 |
| 537. | श्री मोहनी/लालू | बच्चे की बोलमा | 750/– | 12–10–81 |
| 538. | श्री मोहम्मद उस्मान | बच्चे की बोलमा | 800/– | 12–10–81 |
| 539. | श्री मदनलाल/राधाकिशन | बच्चे की बोलमा | 900/– | 13–10–81 |
| 540. | श्री जगदीशसिंह/प्रतापसिंह | बच्चे की बोलमा | 800/– | 13–10–81 |
| 541. | श्री रामलाल मीणा | परसादी | 700/– | 14–10–81 |
| 542. | श्री शफीमोहम्मद जमादार | बच्चे की बोलमा | 1660/– | 20–10–81 |
| 543. | श्री धन्ना/जुम्मा | बच्चे की बोलमा | 1690/– | 20–10–81 |
| 544. | श्री चांद सुल्तान | ,, | 1580/– | ,, |
| 545. | श्री मोहिनी/मोडा | ,, | 1690/– | ,, |
| 546. | श्री भूरी/कालू | ,, | 1580/– | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 547. | श्री बदामी/छगना | बच्चे की बोलमा | 1660/– | 20–10–81 |
| 548. | श्री चांदी/माधू | ,, | 1170/– | ,, |
| 549. | श्री नजरी/देवा | ,, | 1690/– | ,, |
| 550. | श्री गंगा/उदा | ,, | 1690/– | ,, |
| 551. | श्री गिरधारी/भैरा | ,, | 1560/– | ,, |
| 552. | श्री फातमा/कालू | ,, | 1700/– | ,, |
| 553. | बीदामी/बोपी | बच्चे की बोलमा | 1690/– | 20–10–81 |
| 554. | श्री चादी/लुम्बीया | बच्चे की शादी | 1660/– | 20–10–81 |
| 555. | श्री बाजू अहमद | बोलमा | 1660/– | ,, |
| 556. | श्री छगनलाल/लक्ष्मीलाल | ,, | 1400/– | ,, |
| 557. | श्री छवि मोहम्मद | ,, | 1000/– | ,, |
| 558. | श्री श्रीलाल/गिरधारीलाल | मकान कार्य | 1770/– | ,, |
| 559. | श्री छगनराम/दीपलाल | बच्चे की बोलमा | 1650/– | ,, |
| 560. | श्री फिदा/हुसेन | बच्चे की शादी | 2600/– | ,, |
| 561. | श्री लालसिंह/डूलेसिंह | बच्चे की बोलमा | 1400/– | ,, |
| 562. | श्री मोहनलाल/सूरता | ,, | 3000/– | ,, |
| 563. | श्री चांदी/दोला | ,, | 700/– | ,, |
| 564. | श्री कृष्णपाल सिंह | ,, | 750/– | ,, |
| 565. | श्री गणेश/विघासागर | ,, | 750/– | ,, |
| 566. | श्री मांगलाल/चुनीलाल | ,, | 300/– | ,, |
| 567. | श्री रकमवास मेहता | ,, | 2500/– | ,, |
| 568. | श्री चांदी/दला | ,, | 750/– | 23–10–81 |
| 569. | श्री देवीलाल/नाथू | मकान मरम्मत | 750/– | ,, |
| 570. | श्री गोदा/माना | बोलमा | 750/– | ,, |
| 571. | श्री तोलाराम/कोदर | बच्चे की बोलमा | 400/– | ,, |
| 572. | श्री गदनी/मीठू | बोलमा | 750/– | 23–10–81 |
| 573. | अनचाई/रणजीत | ,, | 550/– | ,, |
| 574. | सुन्दर/देवीलाल | ,, | 750/– | 24–10–81 |
| 575. | जमनी/मज्जा | ,, | 400/– | ,, |
| 576. | श्री चम्पा/होला | ,, | 760/– | ,, |
| 577. | श्री माधूराम/स्वरूप | ,, | 750/– | ,, |
| 578. | श्री बालक राम/पाला | प्रसादी | 1100/– | 3–11–81 |
| 579. | श्री केसर/भेरुलाल | बोलमा | 750/– | ,, |
| 580. | श्री कमला/मांगीलाल | बच्चे की बोलमा | 750/– | ,, |
| 581. | श्री चतरा/उदा | ,, | 750/– | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 581. | श्री लालू/दयाराम | बोलमा | 750/– | 3–11–81 |
| 582. | श्री सीता छगवानी | स्वयं की शादी | 1500/– | ,, |
| 583. | श्री शंकरलाल पालीवाल | बोलमा | 3300/– | ,, |
| 584. | श्री हंसा/पूजा | बच्चे की बोलमा | 1700/– | ,, |
| 585. | श्री रूपा/गंगा | बोलमा | 750/– | 4–11–81 |
| 586. | श्री लोगर/अम्बावा | ,, | 750/– | ,, |
| 587. | श्री धन्नालाल/घीसा | ,, | 650/– | ,, |
| 588. | श्री सायर/मांगीलाल | ,, | 750/– | ,, |
| 589. | श्री गणेश/जमनालाल | ,, | 1500/– | ,, |
| 590. | श्री मन्नालाल/सायर | ,, | 1500/– | ,, |
| 591. | श्री सुरेश सोनी | ,, | 700/– | 5–11–81 |
| 592. | श्री हजारी/छोगा | लड़के की शादी | 2800/– | ,, |
| 593. | श्री मांगीलाल/गुलाब | लड़के की बोलमा | 700/– | 7–11–81 |
| 594. | श्री रामेश्वरलाल अग्रवाल | मकान का कार्य | 4500/– | ,, |
| 595. | श्री रामचन्द्र/कवरलाल | बच्चे की बोलमा | 1150/– | ,, |
| 596. | श्री चांदी/भूरा | बोलमा | 1700/– | ,, |
| 567. | श्री शंकरा/धन्ना | मकान बनाने | 1700/– | 10–11–81 |
| 598. | श्री अनिल कुमार भट्ट | बोलमा | 4000/– | ,, |
| 599. | श्री मथूरा/लादू | लड़के की शादी | 1600/– | 25–11–81 |
| 600. | मिठू/गोटू | बहिन की शादी | 1580/– | ,, |
| 601. | सोतरी/भेरा | लड़के की शादी | 1580/– | ,, |
| 602. | श्री कमला/कालू | ,, | 1660/– | ,, |
| 603. | नसीर मोहम्मद | बोलमा | 1690/– | ,, |
| 604. | श्री सायरी गागू | बोलमा | 1690/– | ,, |
| 605. | श्री सजनी/मेघा | लड़के की शादी | 1660/– | ,, |
| 606. | श्री राधाकृष्ण/गंगाराम | बोलमा | 1668/– | ,, |
| 607. | श्री मांगीलाल/जालमचन्द | ,, | 2000/– | ,, |
| 608. | श्री सोहनी/पुनिया | ,, | 1668/– | ,, |
| 609. | श्री जसवंतसिंह बापना | ,, | 3400/– | 26–11–81 |
| 610. | श्री कृष्णादत्त/गिरधारी | ,, | 1860/– | ,, |
| 611. | श्री गणेशलाल खटीक | ,, | 1100/– | 1–12–81 |
| 612. | श्री प्रकाश/मांगीलाल | ,, | 600/– | ,, |
| 613. | श्री भेरुलाल/नारु | डिलेवरी | 800/– | 4–12–81 |
| 614. | श्री रणवीरसिंह भाटी | बच्चे की बोलमा | 750/– | 8–12–81 |
| 615. | श्री नजरसिंह कठालिया | बोलमा | 1900/– | ,, |
| 616. | श्री पीरु इसाक | ,, | 750/– | 11–12–81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 617. | श्री चतरसिंह वापना | निर्माण कार्य | 4740/- | 11-12-81 |
| 618. | श्री हेमकुमार बरोला | ,, | 4000/- | ,, |
| 619. | श्री देवेन्द्रकुमार मोड | बोलमा | 2200/- | 22-12-81 |
| 620. | श्री नूर अहमद नायक | ,, | 3400/- | ,, |
| 621. | श्री नाथूलाल घूप्या | मकान निर्माण | 3000/- | ,, |
| 622. | श्री नंदकिशोर पानेरी | बोलमा | 2500/- | ,, |
| 623. | श्री वीरसिंह/ऊमाजी | ,, | 1780/- | ,, |
| 624. | श्री नारसिंह/भेरुसिंह | ,, | 2400/- | ,, |
| 625. | श्री चन्द्री/हीरा | बच्चे की शादी | 1660/- | ,, |
| 626. | श्री नारायण/धामा | बोलमा | 1690/- | ,, |
| 627. | श्री कमाल अहमद/कासम | ,, | 1690/- | ,, |
| 628. | श्री भोली अम्बावा | ,, | 1660/- | ,, |
| 629. | श्री काना/गुलाब | ,, | 1690/- | ,, |
| 630. | श्री शांति/रोशन | पूजा के लिए | 1660/- | ,, |
| 631. | श्री मोहनी/मोयला | बोलमा | 1660/- | ,, |
| 632. | श्री खेमा/हवा | ,, | 1660/- | ,, |
| 633. | श्री रामा/देवा | ,, | 1660/- | ,, |
| 634. | सुश्री कुशल नागोरी | ,, | 1000/- | ,, |

## परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 134 की सूची

(परिशिष्ट 'क')

मेहतर छात्रों के लिये चलाये जा रहे छात्रावासों की जिलेवार सूची

| क्र०सं० | स्थान | चलाये जा रहे छात्रावासों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | जयपुर | 5 |
| 2 | जोधपुर | 3 |
| 3 | अजमेर | 2 |
| 4 | कोटा | 3 |
| 5 | बीकानेर | 2 |
| 6 | उदयपुर | 2 |
| 7 | अलवर | 2 |
| 8 | गंगानगर | 2 |
| 9 | भीलवाड़ा | 2 |
| 10 | ब्यावर | 1 |
| 11 | टौंक | 1 |
| 12 | चूरू | 1 |
| 13 | पाली | 1 |
| 14 | बाड़मेर | 1 |
| 15 | रतनगढ | 1 |
| 16 | झुन्झुनू | 1 |
| 17 | जालौर | 1 |
| 18 | नागौर | 1 |
| 19 | बून्दी | 1 |
| 20 | चित्तौड़गढ़ | 1 |
| 21 | सवाईमाधोपुर | 1 |
| 22 | सीकर | 1 |
| 23 | भरतपुर | 1 |
| | | 37 |